FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 36

सोमवार, 13 मई, 2002
23 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 53
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 36, सोमवार, 13 मई, 2002/23 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
भारत की संसद की पचासवीं वर्षगांठ के बारे में	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 661 और 663	3–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 662 और 664 से 680	23–49
अतारांकित प्रश्न संख्या 6823 से 7049	49–332
सभा पटल पर रखे गए पत्र	333–339
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के फैजाबाद-जाफराबाद खंड पर खेतासराय और मेहरावां स्टेशनों के बीच श्रमजीवी एक्सप्रेस की दुर्घटना	
श्री नीतीश कुमार	365–368
शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक-*पुरःस्थापित*	368
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) महाराष्ट्र के धुले जिले में साकरी तहसील में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास रुपला गावीत	368–369
(दो) उड़ीसा के मल्कानगिरी और नौरंगपुर जिलों के हिन्दू बंगाली अधिवासियों का बंगलादेश विवासन रोके जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	369–370
(तीन) नागपुर में सीताबुल्दी किला क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोले जाने और इसके आस-पास के क्षेत्र का विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	370

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	पूर्वोत्तर भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री दीप गोगोई	370–371
(पांच)	राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा विश्व कप फुटबाल के सभी मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हन्नान मोल्लाह	371–372
(छह)	महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के समुचित रख-रखाव की आवश्यकता	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	372
(सात)	तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में भूमिगत जल-मल व्ययन प्रणाली के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एच. पांडियन	372–373
(आठ)	उड़ीसा में महाचक्रवात के कारण टूटे हुए विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभात सामन्तराय	373
(नौ)	उत्तर बिहार में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामचन्द्र पासवान	373–374
(दस)	हरियाणा में जगाधरी में तांबा और पीतल उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रतन लाल काटरिया	374
राज्य सभा से संदेश		374
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक		375–440
विचार करने के लिए प्रस्ताव		375
	श्री अरुण जेटली	375, 423
	श्री वरकला राधाकृष्णन	379–385
	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	385–387
	श्री ए.सी. जोस	387–389
	श्री ए. कृष्णास्वामी	389–391
	श्री पी.एच. पांडियन	391–396
	श्री सुरेश रामराव जाधव	396–398
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	398–402

विषय		कॉलम
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	402
	कुमारी ममता बनर्जी	402–408
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	408–411
	श्री पी.एस. गढ़वी	411–413
	श्री अजय चक्रवर्ती	413–416
	श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	416–418
	श्री पी.सी. थामस	418–420
	श्री खारबेल स्वाइं	420–421
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	421–423
खंड 2 से 16 और 1.		439
पारित करने के लिए प्रस्ताव.		440
बीमा (संशोधन) विधेयक		440–448
विचार करने के लिए प्रस्ताव		440
	श्री बालासाहिब विखे पाटील	440–442
	श्री अधीर चौधरी	443–446
	श्री किरीट सोमैया	447–448

लोक सभा

सोमवार, 13 मई, 2002/23 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, आज 13 मई है और संसद की 50वीं वर्षगांठ है। संसद की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सरकार को जानदार और शानदार ढंग से 50वीं वर्षगांठ मनानी चाहिए। हम संसद के सदस्य हैं और आप वर्तमान अध्यक्ष हैं लेकिन सरकार ने हल्के ढंग से इसे लेकर केवल डाक टिकट जारी करने की बात कही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसी विषय पर निवेदन करना चाहता हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत की संसद की पचासवीं वर्षगांठ के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज का दिन हमारे देश के लिए विशेष रूप से हम सांसदों के लिए, विशेष महत्व का दिन है। पचास वर्ष पहले आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले आम चुनावों के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधि, हमारे सर्वाधिक श्रेष्ठ अध्यक्षों में से एक दादा साहिब जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में, इसी ऐतिहासिक कक्ष में मिले थे। आज का दिन स्वतंत्र भारत के लिए, संस्थाओं के निर्माण के उस प्रथम चरण का समापन था, जिस की प्रक्रिया 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ प्रारम्भ हुई थी।

आज हम सबके लिए ऐसा अवसर है, जब हमारे संसदीय लोकतंत्र की पहली अर्धशती के संबंध में हमें आत्म निरीक्षण और मूल्यांकन करना चाहिए। पिछले पचास वर्षों में हमारे देश ने स्वयं को एक सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र प्रगति की है। अपनी सामाजिक-आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता पर हमारा गर्व करना उचित ही है जो पिछले पांच दशकों के दौरान हमने अपनी उत्तरोत्तर संसदों के माध्यम से प्राप्त की है। इन घटनापूर्ण दशकों के दौरान इस ऐतिहासिक सदन ने नि:स्वार्थ नेताओं को हमारी विशाल और विविधतापूर्ण जनता की शिकायतों को मुखरित और व्यक्त करते हुए देखा है। यह सदन एक ऐसा स्थल है जहां हमारी विविधताएं एक दूसरे में समाहित हुई हैं और उनमें से हमारे देश की एकजुट पहचान उभर कर सामने आई है।

यह एक ऐसा अवसर भी है जब हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डा. बाबा साहिब अम्बेडकर हमारे गणतंत्र के उन संस्थापकों को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जिन के लिए राष्ट्र की सेवा में कोई भी त्याग बहुत बड़ा नहीं था और जिन की वजह से इन सारे वर्षों के दौरान हम एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। यह स्वार्थरहित नेताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता, राष्ट्र के लिए असंख्य अज्ञात सैनिकों के बलिदानों और देश की सम्पूर्ण जनता के हार्दिक समर्थन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का अवसर भी है जिसके कारण आज हम विश्व में सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। आज हमारी संसद को गर्व है कि स्वतंत्रता के बाद हमने जिस राजनीतिक व्यवस्था का चयन किया था, उसमें वह हमारी जनता की प्रधानता का स्मरण दिलाती है। इसके साथ यह जरूरी है कि हम अपने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के साथ-साथ उन्हें और अधिक मजबूत बनाएं। इस सब के लिए जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जो संवाद और विचार-विमर्श पर आधारित होता है। लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जबकि प्रत्येक संबंधित व्यक्ति पर्याप्त सहिष्णुता के साथ-साथ संसदीय अनुशासन और शालीनता के मानदंडों के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे।

प्रातिनिधिक लोकतंत्र में संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन संस्थाओं तथा सम्पूर्ण देश के लिए एक आदर्श संस्था के रूप में कार्य करे।

जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में हम सबके लिए आवश्यक है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारी विविधता ही हमारी शक्ति है। हमारे राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी फूट डालने वाले कार्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र सह-अस्तित्व की कला है। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा और नफरत से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बीते समय में हमने कसौटी पर परखे जिस मार्ग को चुना था वह अहिंसा का मार्ग था जिसने हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए प्रेरणा दी थी और हमारा योगदान किया था। आज भी हमारे देश के लिए ही नहीं, अपितु सारे विश्व के लिए ही उस पथ की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है।

इस महान देश की संसद के सदस्यों के रूप में हम सभी का एक समान लक्ष्य है और वह लक्ष्य है देश के विभिन्न विश्वासों और विचारधाराओं वाली सम्पूर्ण जनता के अधिकतम कल्याण का लक्ष्य।

हमारे देश के करोड़ों लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का कार्य अभी अधूरा है। आइये, हम सब इस महान और उपयोगी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हों और पिछले पांच दशकों की अपनी उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के लिए और आगे प्रयास करें।

माननीय सदस्यों, इस बात को समझने के साथ ही आइये हम सब एक बार फिर अपने आपको देश की सेवा में समर्पित करें ताकि अगले 50 वर्षों में भारत और अधिक मजबूत, समृद्ध और भावनात्मक रूप से एक हो जाये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, सरकार से कहा जाये कि हल्के ढंग से जो जानकारी दी, शानदार ढंग से समारोह मनाया जाना चाहिए था।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बार-बार यह विषय यहां उठाया जा रहा है, इसका मुझे खेद है। संसद का स्वर्ण जयन्ती समारोह संसद को आयोजित करना चाहिए था। दुर्भाग्य से पहले अध्यक्ष नहीं थे, अब आप आये हैं। आप इस वर्ष संसद की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए जो कार्यक्रम करना चाहें, सरकार पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ी रहेगी लेकिन सरकार संसद की स्वर्ण जयन्ती मनाये, यह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। संसद बड़ी है, सरकार बहुत छोटी है। सरकार आपकी सहायता करेगी। स्वर्ण जयन्ती आपको मनानी चाहिए, इसमें सरकार को दोष देना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय प्रमोद जी से सहमत हूं। हमारी तरफ से, संसद की तरफ से, लोक सभा की तरफ से अगले साल स्वर्ण जयन्ती मनाई जायेगी—यह मैं आश्वस्त करता हूं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद और ठेका श्रम अधिनियमों में संशोधन

***661. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विवाद और ठेका श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के कदम की विभिन्न श्रमिक संघों ने कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करने से पूर्व श्रमिक संघों से विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और श्रमिक संघों के साथ परामर्श करके संशोधनों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार की गई आगे की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने 14 मार्च, 2002 को राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाया। ऐटक, बी एम एस, सीटू, एच एम एस, यूटक (एल एस), यूटक, टी यू सी सी से सम्बद्ध केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने सरकार के प्रस्तावित श्रम सुधार के विरोध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों जिसमें बैंक, बीमा कम्पनियां, पत्तन तथा गोदी शामिल हैं, में 16 अप्रैल, 2002 को संयुक्त रूप से हड़ताल पर जाने की घोषणा की।

(ग) से (ङ) श्रम कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए त्रिपक्षीय सहभागियों से परामर्श करना पड़ता है और इसमें वक्त लगता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर समय-समय पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है। नये औद्योगिक संबंध कानून की जांच के लिए पहले, इंटक के तत्कालीन अध्यक्ष (स्व.) श्री जी. रामानुजम की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति और बाद में एच एम एस के अध्यक्ष डा. शान्ति पटेल की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गयी थी। इन समितियों में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधिगण शामिल थे। नये औद्योगिक संबंध कानून के अधिनियमन के प्रश्न पर, जुलाई, 1992 में आयोजित स्थायी श्रम समिति के 31वें सत्र और अक्तूबर, 1996 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 33वें सत्र में भी चर्चा की गयी थी।

ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन की जरूरत के मुद्दे पर बी एम एस, इंटक, एन एफ आई टी यू, सीटू, एच एम एस, ऐटक, यूटक (एल एस), यूटक आदि

जैसे केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार, उनके साथ 4.9.2000 को आयोजित बैठक में लिए गए थे।

सरकार, संशोधनों के संबंध में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के विचारों से पूरी तरह अवगत है और इन्हें विधिवत समेकित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 मार्च को नये औद्योगिक विवाद तथा ठेका श्रम अधिनियम के विरोध में ऐटक, बी.एम.एस., सीटू, एच.एम.एस. यूटक (एल.एलस), यूटक, टू.यू.सी.सी. से सम्बद्ध श्रमिक संगठनों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न हुये विवाद के मद्देनजर क्या सरकार ने इन श्रमिक संगठनों से बातचीत की है?

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि श्रमक संगठनों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु श्री जी. रामानुजम और डा. शान्ति पटेल की अध्यक्षता में जिन दो कमेटियों का गठन किया गया था और उनके द्वारा जो सिफारिशें पेश की गई हैं, क्या सरकार द्वारा उन सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू किया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि पहला सवाल आपकी अध्यक्षता में मुझसे पूछा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि 14 मार्च को विरोध दिवस मनाया गया था तथा कानूनों में जो बदलाव लाये जा रहे हैं, माननीय सदस्य ने जिन संगठनों का नाम लिया है, उन्होंने उसके विरोध में पूरे देश भर में हड़ताल रखी थी। जहां तक डा. शांति पटेल कमेटी और डा. रामानुजम कमेटी का सवाल है, इन कमेटियों में से डा. शांति पटेल कमेटी का नतीजा ही नहीं आया, लेकिन डा. जी. रामानुजम कमेटी जो पहले बनी थी, उसकी सिफारिशें सरकार के पास हैं और उन सिफारिशों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां जो जवाब दिया है, वह सही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उन संगठनों से बात करेंगे या नहीं तथा इन नये श्रम कानूनों के माध्यम से क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज्यादा पांव पसारने का अवसर मिलेगा या नहीं—यह मेरा प्रश्न है।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत का सिलसिला इस सरकार के समय में ही नहीं, पिछली सरकारों के समय भी लगातार चलता रहा है। आई.डी. एक्ट के संबंध में 1990 में रामानुजम कमेटी बनाई थी। उसके बाद उनसे बातचीत करके 1996 में डा. शांति पटेल कमेटी बनाई गई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 1992 में इस पर विचार किया। उसके बाद 1992 में लेबर कांफ्रैन्स में इस पर विचार हुआ। इसके बाद सैन्ट्रल ट्रेड यूनियन के एम्पलाईज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 1992 में यह डिस्कस हुआ तथा उनके व्यूज पूरी तरह से 4 मई, 2000 की बैठक में मान लिये गये थे। इसके बाद 2000 में प्रधान मंत्री जी ने सारे ट्रेड यूनियंस को बुलाकर बात की। उसके बाद 18 और 19 मई को लेबर कान्फ्रैन्स में इन सारी बातों पर बहस हुई। इस तरह हम पूरी तरह ट्रेड यूनियन्स के सम्पर्क में रहे हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे यहां 52 बोर्ड्स हैं और सभी ट्रेड यूनियंस के लीडर्स के सहारे ही बोर्ड्स बनते हैं। उनके साथ हमारा इंटरेक्शन और बातचीत लगातार चलती रहती है। हमारा मंत्रालय उनके द्वारा संचालित होता है। इसलिए उनके साथ हमारा सम्पर्क और बातचीत जीवंत रहती है। उनके साथ बातचीत के बारे में माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह केवल हमारी सरकार ही नहीं, बल्कि पिछली सरकारों के द्वारा भी होती रही है और हमारा उनके साथ जीवंत सम्पर्क है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष जी, मंत्री जी बात को घुमा रहे हैं, स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन संगठनों के साथ नये सिरे से बातचीत करेंगे या नहीं?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैंने बताया है कि उनसे बातचीत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: हां, आपने बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपकी अध्यक्षता के अंतर्गत प्रथम बार पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिला है, इस बात की मुझे अपार खुशी है।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यहां जो स्टेटमैन्ट दिया है, वह पूरे का पूरा गोलमाल है, ठोस नहीं है, मूल जवाब से बाहर है। आपसे पूछा गया था कि लेबर एक्ट्स में आप जो संशोधन लाने जा रहे हैं, उनके बारे में ट्रेड यूनियंस के बोर्ड्स ने आपकी आलोचना की है या नहीं। आपने कहा कि वैरियस प्लेटफॉर्म्स पर यह डिस्कस हुआ है। दूसरा आपसे पूछा गया था कि आप लेबर लॉज में जो अमैन्डमैन्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप ट्रेड यूनियंस से पहले परामर्श लेंगे या नहीं। आपने

कहा कि उनका मत लिया जा रहा है। लेकिन आपसे किसी ने यह नहीं पूछा कि किस रोज बंद हुआ, कौन सी ट्रेड यूनियन्स बंद में शामिल हुईं। 37वीं लेबर कॉनफ्रेन्स में प्रधान मंत्री ने जो बयान दिया था कि हम लोग रिफॉर्म्स से पीछे नहीं हटेंगे—इससे सारे हिन्दुस्तान के लेबर और वर्कर्स के मन में एक शंका पैदा हो गई थी। जो 600 की लिमिट है, यह कॉनट्रैक्ट लेबर के आउटसोर्सिंग का एक प्रोविजन है। यह भी सरकार कहने लगी कि जितने ट्रेड यूनियन्स हैं, ट्रेड यूनियन्स सारे मालिकों को, सारे इंप्लॉयर्स लोगों को ब्लैकमेल करने जा रहे हैं। आपने खुद स्टैंडिंग लेबर कमेटी में बातचीत के दौरान यह बताया कि जो-जो देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, वहां ज्यादा सोशल सिक्यूरिटी है। इसलिए जो देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, सिर्फ उन्हीं देशों में लेबर रिफॉर्म लाया जा सकता है, लेकिन इंडिया में वह सोशल सिक्यूरिटी नहीं है इसलिए लेबर रिफॉर्म्स यहां आना मुश्किल है—यह आपने खुद बताया। मैं जानना चाहता हूं कि जब-जब लेबर रिफॉर्म्स का सवाल पैदा होगा तब आप ट्रेड यूनियन्स के साथ कंसलटेशन करेंगे या नहीं और ट्रेड यूनियन्स के साथ कंसलटेशन करने में कोई मैनडेटरी प्रोविजन आप लाएंगे या नहीं?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना है कि मेरे जवाब में थोड़ी बहुत एम्बीग्युटी है। मैंने साफ-साफ, अभी जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा था, उसमें विस्तार से बताया था।

श्री अधीर चौधरी: विस्तार से नहीं बताया। कहां बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है—यह सवाल में नहीं पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप जवाब तो आने दें।

श्री शरद यादव: मैंने पूछा कि बंद के बाद कब-कब बात हुई है, वह बताया, और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैंने कहा कि हम 24 घंटे लेबर यूनियन के लीडर्स के साथ ही बैठे हैं। जिनके साथ बैठे हैं, उसमें कोई संगीत की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: परामर्श लेने और बात करने में काफी अंतर है। आपने खुद कहा कि लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में चलने के लिए अच्छी जगह नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: क्या आप हमारी पूरी बात नहीं सुनेंगे? आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो सुन लीजिए।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही जिसको मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने यह बात नहीं कही थी कि जो सोशल सिक्यूरिटी है, वह विकासशील देशों में नहीं है। मैंने यह बात नहीं कही, वह सुधार कर लें। मैंने कहा था कि एशियन कंट्रीज में भी सोशल सिक्योरिटी का नैटवर्क बहुत अच्छा बना हुआ है विशेषत: हमारे हिन्दुस्तान में जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, भारत के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनके विकास में एक बड़ी बाधा इसलिए आ रही है इसलिए हमें सोशल सिक्युरिटी के अंब्रैला को मजबूत करना पड़ेगा। यही टोटल बयान था। जो आपने बात कही है कि हम ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ बैठे हैं, प्रधान मंत्री उनके साथ मिले हैं, यानी उनसे मुलाकात की है प्रधान मंत्री ने, और सारी चीजें जेरे-बहस हैं। देश का जो आज नया इकोनॉमिक रिजीम है, उसमें दुनिया भर के सामने चुनौती है और हमारे देश के सामने भी चुनौती है। अब इस चुनौती में हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ानी है, हमें देश में एम्प्लायमेंट बढ़ाना है और साथ ही साथ इस देश में जो वर्कर्स हैं, उनको प्रोटैक्शन देना है। इन सारी चीजों को देखकर, टोटैलिटी देखकर आगे बढ़ना है। अभी इस बात के लिए मैंने कहा है कि जो आई.डी. एक्ट के लिए प्रिंसिपली कैबिनेट ने एग्री किया है। निश्चित तौर पर जो आप पूछ रहे हैं, जो आपकी शंका है, वह नहीं रहनी चाहिए क्योंकि सरकार इस मामले में काफी सचेत है। आपकी चिन्ता हमसे थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन चिन्ता हमें भी है। इन बातों की चिन्ता भी है कि जो वर्कर्स के अधिकार वर्षों की लड़ाई के बाद हासिल हुए, वे भी प्रोटैक्ट होने चाहिए। उनकी नौकरी प्रोटैक्ट होनी चाहिए और जो परिवर्तन हुए हैं पूरे देश में और दुनिया में उसके अनुसार हमें, जो कंपीटीटिव रिजीम आ गया है, उसमें भी हमें टिकना है। इसलिए जो आपने पूछा कि बातचीत और सारी चीजें हुई हैं, बातचीत के बिना कोई रास्ता नहीं बनता है।

अध्यक्ष जी, यहां लोकतंत्र और लोकशाही है, यहां बोली का राज है। धक्के का या धक्काशाही का राज नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: आप जो लॉज लाते हैं उनमें हायर एंड फायर सिस्टम होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न में पूछा गया है और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि विभिन्न श्रम संगठनों से उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में विचार-विमर्श किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले चार-छ: महीनों में कब-कब इन ट्रेड यूनियनों के साथ उनकी चर्चा हुई और कौन-कौन से संशोधन करने का सरकार ने निर्णय लिया है और जो संशोधन करने का निर्णय लिया है, उन पर ट्रेड यूनियनों ने सहमति जताई है या आपत्ति दर्ज कराई है और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों अधिनियमों में संशोधन कब तक करने जा रहे हैं?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैने शुरू में ही कहा है कि इसमें कोई तारीख तय नहीं हो सकती है क्योंकि यह बहुत कठिन सवाल है। यह सवाल देश के करीब 13 करोड़ लोगों से वास्ता रखता है। निश्चित तौर से इस पर सरकार गंभीर है। प्रधान मंत्री जी ने खुद यह कहा है कि वे विरोधी पार्टी के लोगों से बात करेंगे। जो नैशनल डैमोक्रेटिक एलाइंस की सरकार है, उसमें जिन पार्टियों के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि यह एक्ट जब भी आए, हमसे चर्चा करके लाया जाए। चूंकि अभी यह चर्चा में है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि इसे कब तक कानून बनाने हेतु सदन में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: तीन दिन पहले बताया गया था कि श्रम संबंधी स्थायी समिति ने इन विषयों पर चर्चा की थी और अखिल भारतीय मजदूर संघों ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे। इन श्रम कानूनों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न रोजगार सुरक्षा का है। मुझे यकीन है कि मंत्री महोदय भी इस बात से अवगत होंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त रोजगार सुरक्षा की व्यवस्था भारतीय कामगार वर्ग के लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाई थी। प्रावधान के तहत यदि कोई कर्मचारी 180 दिनों तक लगातार सेवारत रहता है तो उसका रोजगार सुरक्षित रहता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कर्मचारी को अपने रोजगार की स्थिति का ज्ञान होता है।

ठेका मजदूरी दीगर बात है। ठेका मजदूरी की अवधारणा रोजगार सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत है। यह एक विशेष समयावधि के लिए होती है और तत्पश्चात् सारे सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं। यही बात महत्वपूर्ण है। सभी मजदूर संघों का इससे विरोध है। क्या मंत्री महोदय इस बात का खुलासा करेंगे कि व्यापार तथा वाणिज्य चैम्बर के लोगों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, विशेषकर कर्मचारियों को सेवामुक्त किये जाने संबंधी विवादों से संबंधित प्रावधान को बदले जाने हेतु सरकार से बातचीत की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मत है कि वे लोगों को वेतन के आधार पर तब तक रोजगार पर रखें जब तक वे चाहें। यह भूमंडलीकरण का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय: वह आपका प्रश्न समझ चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: चूंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में आने की अनुमति दी जा रही है, इसलिए उन्हें इन कानूनों को देखना पड़ेगा। ये कम्पनियाँ चाहती हैं कि वे लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप रोजगार पर रख व हटा सकें। इस बारे में इस सरकार का नजरिया क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व भारतीय मजदूर संघों के सभी नेताओं को बुलाकर इस पर खुली बहस करायेगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, जो राधाकृष्णन जी ने कहा, वह ठीक है। निश्चित तौर पर लेबर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। वह ठीक कह रहे हैं कि उसमें आई.डी. एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट में संशोधनों के बारे में जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, उन्होंने उनकी आलोचना की थी कि ये ठीक नहीं हैं। वे तो उनमें किसी भी प्रकार की तरमीम के खिलाफ हैं, ऐसा इंटक कह रहा है। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। पहले भी 100 की जगह 300 लोगों के क्लोजर का प्रावधान था। निश्चित तौर पर आज दुनिया बदली है। दुनिया में हमें ठहरना है, रहना है। जो बात माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है कि जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग थे, उन सभी ने हमारी आलोचना की।

अध्यक्ष जी, जो बाकी सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, वह मूल प्रश्न में कवर नहीं होता है। माननीय सदस्य इसमें ज्यादा डूबे रहते हैं। मजदूरों के कल्याण की जो बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से वे हमारे ध्यान में हैं। मैं इतना ही सदन में कह सकता हूं कि इस पर अभी बहस चल रही है। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के बारे में तो अभी ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की एक राय नहीं बन पाई है। जो आई.डी. एक्ट है उसके बारे में कैबिनेट सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। जो भी कानून बनने के लिए लाया जाएगा, वह इसी सदन के माध्यम से आएगा। उसके लिए जो भी एक्सरसाइज होनी है, वह इसी सदन में होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप सबके द्वारा ही, सदन के माध्यम से वह पारित होगा। वर्कर्स के बारे में सरकार उतनी ही चिन्तित है जितने कि माननीय सदस्य चिन्तित हैं। हम भी उतने ही चिन्तित हैं। उनका हित, देश का हित, इंडस्ट्री का हित, हिन्दुस्तान के विकास का हित एवं आने वाले समय को देखकर ही आगे बढ़ा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: उद्योग मंत्री जी, माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन जी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि बिल लाने से पहले क्या वर्कर्स यूनियन से फिर चर्चा करेंगे, इसका उत्तर आपने नहीं दिया है। इसका क्या उत्तर है?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी चर्चा कर चुके हैं। मैं भी उनके साथ बैठा ही रहता हूं। पूर्ण चर्चा की हुई है। थोड़ा-थोड़ा काम हो रहा है। हम चर्चा तो करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका मतलब यह है कि उनसे पुन: चर्चा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रम कानून तथा श्रमिक संघ अधिनियम कई दशकों से अस्तित्व में है और प्रबंधन तथा मजदूर संघ इनसे अवगत हैं। अब सरकार ने इन कानूनों में संशोधन की रातोंरात पहल की है जिनसे मजदूर संघों तथा श्रमिकों के अधिकारों में कटौती होगी और इसी के फलस्वरूप यह पहल श्रमिक-विरोधी लगती है। क्या सरकार इनके पुरजोर विरोध, इनके विरुद्ध हड़ताल तथा सभी मजदूर संघों तथा अन्य लोगों के विरोध के मद्देनजर इस पर पुन: विचार करेगी अथवा विरोध के मद्देनजर इस कदम पर विराम लगाएगी?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम इसे रातोंरात ले आए हैं, यह ठीक नहीं है। कहां रातोंरात लाए हैं। बातचीत चल रही है। अभी तो हम अधर में लटके हुए हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम जमीन पर गिर गए हैं-ऐसा नहीं है। बातचीत चल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: सदा के लिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: ऐसा कैसे कर दें।

अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं, वे सब लोक सभा के माध्यम से ही हुए हैं। इसी लोक सभा में पास हुए हैं। उनमें से कुछ तो इसी सैशन में आपने पारित किए हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो केवल किताब की शोभा बढ़ा रहे हैं। अभी ट्रेड यूनियन एक्ट आप लोगों ने पास किया, वर्कर्स कम्पेन्सेशन एक्ट भी वर्तमान सैशन में बदला गया है, सिने वर्कर्स एक्ट इसी सत्र में बदला गया है, टी प्लांटेशन वर्कर्स एक्ट इसी सदन द्वारा रिपील किया गया। यह कंटीन्यूअस प्रोसैस है। आई.डी. एक्ट जिस पर ज्यादा चिन्ता जाहिर की गई है वह सिर्फ आपकी ही चिन्ता नहीं है। इस पर पूरे देश की ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों एवं हम सबको चिन्ता है। यह बिल अभी जेरे-बहस है। इस पर चर्चा चल रही है।

[अनुवाद]

के. मलयसामी: महोदय, श्रम मंत्री का काम श्रमिकों का कल्याण करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। लेकिन वह श्रमिकों के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, यह बहुत अहम विषय है और मंत्री महोदय के हेतु पर हमें कोई शंका नहीं है। सरकार क्या करने जा रही है, उसको हम देखना चाहते हैं और जो भी हम यहां कह रहे हैं, या बाहर कह रहे हैं, एक ही हेतु से कह रहे हैं कि हमारे देश के उद्योग आगे बढ़ें, हमारे यहां काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको मदद मिले, यहां के लोगों को राहत मिले। यहां पर जो सवाल आ रहा है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट को बदलने का आ रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि 100 से ज्यादा अगर लेबर हैं, तो सरकार की इजाजत के बिना इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति को इंडस्ट्री लॉक आउट करने का अधिकार नहीं है।

मगर यहां पर बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से यह बताया गया कि यह आंकड़ा 100 से बढ़ाकर 1000 किया जायेगा। आप बहुत दुरुस्त कह रहे हैं कि नयी दुनिया में, नये परिप्रेक्ष्य में, यह बहुत अहमियत रखता है लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आज की दुनिया में कारखानों में ज्यादा आदमी काम न करके कम आदमी काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नई मशीनों की वजह से किसी कारखाने में जहां पहले एक हजार आदमी काम करते थे, वहां आज 100 आदमी काम कर रहे हैं और जहां 100 आदमी काम करते थे, वहां आज 10 आदमी काम करते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर यह आंकड़ा 100 से 1000 तक हम ले जायेंगे तो इसका असर कारखानों में काम करने वाले लोगों के जीवन पर क्या होगा, यह देखना भी बहुत जरूरी है। इसकी तरफ शायद सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हम यह जानते हैं कि 60-70 प्रतिशत कारखानों में ही एक हजार लोग काम करते हैं। वहां के मजदूरों को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट में भी हम प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, उसमें भी कांट्रेक्ट लेबर दे रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ हॉयर एंड फॉयर बहुत जोर से लगाया जायेगा। उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ हॉयर एंड फॉयर एक्सैप्ट करना जरूरी नहीं है, यह जापान ने बताया है, जहां हॉयर एंड फॉयर नहीं होता। एक आदमी कारखाने में जाता है तो हमेशा के लिए वहां उसको रखा जाता है। वह एक जगह काम नहीं करता तो नहीं करता। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। हम यहां कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, उधर से भी कह रहे हैं और इधर से भी कह रहे हैं कि ये जो कानून बदले जा रहे हैं, इनको अगर

बहुत गहराई में न जाकर और देखे बगैर बदला जायेगा तो इससे बहुत नुकसान होगा। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि इन अहम मुद्दों पर आपकी खुद की जो राय है, उस राय को आप जोर से कैबिनेट के सामने रखें। इससे कैबिनेट की राय भी दुरुस्त हो सकती है। मगर बाहर के लोग जो कह रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखकर बैलेंस्ड तरीके से करेंगे, ऐसी हमारी रिक्वैस्ट है कि इस प्रकार से हमको आश्वस्त किया जाये। क्या आप हमें इस प्रकार से आश्वस्त करेंगे?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज पाटिल जी ने अभी दो-तीन बातें उठाई हैं। एक बात यह कही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में 100 से 1000 तक संख्या बढ़ाने की जो बात की है, सब लोगों के साथ बातचीत करने के बाद इसको आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में 100 से 1000 तक संख्या बढ़ाने का जो सुझाव दिया था, उसके बाद कैबिनेट ने उस संख्या को नहीं बढ़ाया है। कैबिनेट ने सिद्धांत: उसको पास किया। इसका मतलब यह है कि नम्बर का मामला फिक्स नहीं था। वह उनका सुझाव था।

दूसरा सवाल उन्होंने कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के बारे में पूछा। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के बारे में अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कोई डिसकशन नहीं हुआ है। सिर्फ दो सूबों से लेबर लॉज को बदलने का सुझाव आया। महाराष्ट्र से यह सुझाव आया कि इस संख्या को 100 से 300 किया जाये। इसे हमने उनके पास भेज दिया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश सरकार ने 1000 की सीलिंग के बारे में कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसा उनका सुझाव है, जो हमारे पास पेंडिंग है। हमारा कहना है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में अभी इस पर कोई डिसकशन नहीं हुआ है। इसके बावजूद एक बात और है कि प्रधान मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और फैसलेनुमे शक्ल में कहा है कि लेबर लॉज में परिवर्तन करने बाबत, जब भी कोई नया परिवर्तन करना होगा, वह सबसे बात करके होगा, खासकर ओपोजिशन से बात करके हम उसे लायेंगे। मैं जानता हूं कि अभी जो हड़ताल हुई थी, उसमें इंटक के अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी शरीक तक नहीं हुए। उनसे मेरी बातचीत हुई। उस अकेले आदमी का कांस्ट्रेक्टिव व्यू यह है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और ओपन माइंड से चर्चा करके कोई रास्ता निकालना चाहिए।

आदरणीय शिवराज पाटील जी ने जो सवाल किए हैं, मैं आपके माध्यम से उनकी बाबत कहना चाहता हूं कि उसमें दो-तीन चीजें हैं। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है और एन.डी.ए. में भी चिन्ता है कि इस मामले का हिन्दुस्तान की बड़ी आबादी से वास्ता है और बहुत लोगों की एम्प्लॉयमैंट से इसका रिश्ता है, इसलिए इसे बिना सोचे-समझे हम नहीं ला सकते। इस पर विचार चल रहा है।

श्री शिवराज वि. पाटील: धन्यवाद।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके कार्यकाल में पहले दिन ही मुझे सवाल पूछने का मौका मिला। संयोग की बात है कि मैं जिस ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रखता हूं, यह सवाल उसी के बारे में है। पिछले साल अर्थ मंत्रालय ने ट्रेड यूनियन लीडर्स और विविध मुद्दों की एसोसिएशन्स के प्रतिनिधियों की प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वैस्टमैंट के बारे में मीटिंग बुलाई। उसमें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और हमने अच्छा नतीजा भी पाया। यहां बार-बार सवाल उठा और आपने बताया कि मीटिंग हुई, कमेटीज अपाइंट की गई। लेकिन डिसइन्वैस्टमैंट और प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और नए दौर में ट्रेड यूनियन्स के व्यूज अलग-अलग हैं। आप हाउस में कानून लाने वाले हैं कि ये बदलाव हैं, इस बात को ध्यान में रख कर, बहुत सी ट्रेड यूनियन्स ने संगठित होकर पिछले साल 25 मई को महाराष्ट्र में मीटिंग की, पूरा महाराष्ट्र बंद हुआ और इस मार्च महीने में सब लोगों ने इकट्ठे होकर पूरा हिन्दुस्तान बंद किया। *...(व्यवधान)* यह मालिक और ट्रेड यूनियन से संबंध रखने वाली बात है। *...(व्यवधान)* हम जो भी कानून बनाते हैं, वह दोनों के संबंध में आता है। इसलिए कोई कानून लाने से पहले यदि आप मीटिंग बुलाएंगे तो सब लोग उसमें अपना मत प्रदर्शित कर पाएंगे। *...(व्यवधान)* एक सवाल और जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: ट्रेड यूनियन एक्ट की बात है इसलिए मुझे सिर्फ एक मिनट और बोलने का मौका दे दीजिए।

ट्रेड यूनियन एक्ट बदला गया लेकिन हमने जो सुझाव दिए, जिसे सब लोग मानेंगे कि जैसे हर संस्था के इलैक्शन का कार्यकाल, ग्राम पंचायत से लोक सभा तक, पांच साल का होता है लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट में बदली करते समय आलटरनेट ईयर तीन साल किया गया था। यह सुझाव नहीं माना गया था। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, देश भर की ट्रेड यूनियन्स जिनमें सीटू, एच.एम.एस., इंटक आदि हैं, ने 14 सुझाव दिए कि किस तरह लेबर लॉ में परिवर्तन किया जाए। उद्योग चलाने वाले लोगों ने 15 सुझाव दिए। हमको वे सब सुझाव मालूम हैं। उनको कितनी बार बुला कर हम बात करें। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वे हमारे पास हैं। *...(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: यदि आमना-सामना होता है तो ज्यादा फायदा होता।

श्री शरद यादव: इन्होंने यह सही बात कही कि महाराष्ट्र में लेबर लॉ के खिलाफ सबसे पहले बंद हुआ था। अभी भी सब ट्रेड यूनियन्स के लोगों ने बंद किया था, जिसका मैंने जिक्र किया। इसमें जो आशंकाएं थीं, मैंने उनके बारे में सारी चीजें साफ-साफ रख दी हैं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उनकी चिन्ता सरकार की चिन्ता भी है। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं, यही मेरी उनसे निवेदन है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकियों और प्रशिक्षण का वाणिज्यिकरण

***663. श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई ए आर आई के प्रबंधन और अनुसंधान सलाहकार परिषद के बोर्ड ने मई, 1997 में अनुसंधान प्रयासों को जारी रखने और उनका विस्तार कर इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने और इनका आर्थिक लाभ उठाने के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और प्रशिक्षण के वाणिज्यिक उपयोग की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रबंधन बोर्ड ने दिनांक 11.9.1996 को आयोजित हुई अपनी 69वीं बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों (कार्यसूची मद सं. 4) के वाणिज्यिकीकरण की स्वीकृति दी थी। दिनांक 15 फरवरी, 1996 को आयोजित हुई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान सलाहकर समिति की बैठक में इनके वाणिज्यिकीकरण हेतु (कार्यसूची मद सं. 6) सिफारिश की गई थी। वाणिज्यिकीकरण की गतिविधियों में उत्पाद, प्रौद्योगिकियां, सेवाएं, परामर्शदात्री प्रायोजित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। समिति ने सुझाव दिया था कि अनुसंधान के निम्नलिखित क्षेत्रों का वाणिज्यीकरण किया जा सकता है।

* संकरों का विकास तथा संकर बीजों का उत्पादन करना
* जैव-उर्वरकों का उत्पादन करना
* सूक्ष्म-प्रवर्धन तकनीकें
* सब्जियों और बागवानी संबंधी उत्पादों का विकास करना
* राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए जैव-नाशीजीवनाशकों और नाशीजीवनाशकों को सूत्रबद्ध करना
* फार्म मशीनरी का डिजाइन तैयार करके उत्पादन करना।

समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि आई ए आर आई को सरकार की बजाए अन्य साधनों से राजस्व जुटाने के लिए क्षेत्रों की संभावना का लगातार पता लगाना चाहिए और जब उपर्युक्त गतिविधियों को अपनाया जाए तो संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियां किसी भी मामले में बाधित नहीं होनी चाहिए और निजी क्षेत्र के साथ उपयुक्त संबंध स्थापित होने चाहिए।

प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकीकरण के संबंध में 69वीं बैठक की कार्यवाही जिसकी पुष्टि 10.2.1997 को सम्पन्न हुई प्रबंधन मंडल की 70वीं बैठक के दौरान की गई।

(ग) उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का वाणिज्यिकीकरण संसाधनों के जुटाने में संस्थान की सहायता करता है जिससे कृषक समुदाय के लाभ के लिए अनुसंधान गतिविधियों के बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए संस्थान की सहायता करता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: प्रश्न संख्या 663 और 671 लगभग मिलते-जुलते हैं, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: दोनों प्रश्नों में फर्क है, बेसिक डिफरेंस है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इस प्रश्न के साथ ही आप प्रश्न पूछिए।

श्री शीशराम सिंह रवि: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सभा पटल पर प्रश्न का जो उत्तर रखा है, उसका पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। क्योंकि 11.9.1996 और फरवरी, 1996 को हुई बैठकों के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आई हैं, उसका खुलासा स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसमें किसानों के हित के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं। मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि हरित क्रान्ति लाने में इस देश के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए जो प्रस्ताव आये हैं, उसमें जो वाणिज्यिकीकरण करने की बात हुई है, उससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा, उससे सीधे छोटे किसान को कितना लाभ मिलेगा, मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जो विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं, उसमें माननीय सदस्य ने 11.9.1996 और 15 फरवरी, 1996 की बैठकों की चर्चा की है। उस विवरण में सारी बातों का जिक्र कर दिया गया है कि हम व्यवसायीकरण की

ओर जा रहे हैं, उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, टैक्नोलॉजी है, सर्विस है, कन्सलटेंसी है, स्पोन्स्र्ड रिसर्च है, ट्रेनिंग है—ये सब स्पष्ट रूप से बताये गये हैं। कुल छः बिन्दु हैं, जिनके माध्यम से हम इसके व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसमें कहूं कि हमारे देश में लघु और सीमान्त किसानों की संख्या ज्यादा है, जितनी इस देश में जोत हैं, उन जोतों का लगभग 78 प्रतिशत पांच एकड़ से नीचे की होल्डिंग है और जमाबन्दी है। इसलिए जब कभी भी हम कोई अनुसंधान करते हैं या सरकार की तरफ से नीति बनाते हैं तो उन लघु और सीमान्त किसानों के हित को अवश्य ध्यान में रखते हैं। हम कोई भी काम करें, हम चाहते हैं कि उससे उनको अधिक से अधिक लाभ हो और उनके हित में हमारी नीति भी हो और हमारा काम भी हो।

श्री शीशराम सिंह रवि: माननीय मंत्री जी ने जो इस बारे में बताया है, यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों के लिए उस कमेटी की जो रिपोर्ट में कितने लाभ का लक्ष्य रखा गया है। यदि उसका सारे का सारा वाणिज्यीकरण कर दिया गया, उनको महंगे बीज मिलें, जितने शंकर बीज हैं और सूक्ष्म प्रौद्योगिक तरीके हैं, सब्जी, बागवानी आदि के लिए जितने भी उत्पादन के लिए बीज मिलेंगे, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसका व्यापारीकरण हो जाये और जो मल्टीनेशनल कम्पनियां हैं, वे उसका पूरा लाभ उठा लें और छोटे किसान उससे वंचित रह जायें। उससें कहीं छोटे किसानों तक इस योजना का कोई लाभ न पहुंच पाये, इसके बारे में मंत्री जी साफ तौर से बताने की कृपा करें?

श्री हुकमदेव नारायण यादव: जहां तक व्यवसायीकरण का प्रश्न है, उसमें माननीय सदस्य और सदन को यह जानकारी होनी चाहिए कि हम जो कुछ अनुसंधान के जरिये ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें एक किसान के लिए और दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में जाता है, जैसे खाद बनाना है, कीटनाशक बनाना है, खरपतवारनाशक बनाना है। हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मशीन के लिए डवलप करते हैं, जो कारखाना उत्पादन करेगा तो हम ऐसे अनुसंधान के जरिये कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं या तकनीक प्राप्त करते हैं, वह उत्पादन करने वाले कारखाने अगर हमसे लेना चाहें तो उनको बेचेंगे। जहां तक कृषि विज्ञान केन्द्र है या हमारे किसान मेले हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जितनी विभिन्न फसलों, फलों और सब्जियों पर हमारे जो अनुसंधान किये जाते हैं, उनका लाभ प्रशिक्षण के जरिये हो या बिक्री केन्द्र के जरिए हो, उसमें कहीं छोटे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि जो उत्पादन करने वाले हैं, वे कहीं न कहीं से इस टेक्नीक को खरीदते हैं। उसमें फर्क इतना ही होगा कि सरकार की संस्था प्रतियोगिता करके निजी कम्पनियों से आगे निकलेगी और हम अनुसंधान करके उस टेक्नीक को बेचकर उससे जो लाभ प्राप्त होगा, उसे हम अनुसंधान के कार्य में ही लगाएंगे, संस्था के काम में ही लगाएंगे।

श्री शीशराम सिंह रवि: मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि किसानों के हित में किसान मेले कहां-कहां लगाए गए हैं, कितना कार्य किया गया, कहां-कहां इसका प्रचार-प्रसार किया गया और कितना लाभ किसानों को इससे मिला?

श्री हुकमदेव नारायण यादव: किसान मेला कोई एक जगह नहीं लगता है। देश में लगभग 400-450 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, लगभग 90-95 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र हैं और कई कृषि विश्वविद्यालय हैं। इनके द्वारा देश के सभी भागों में अलग-अलग किसान मेले लगाए जाते हैं। इसलिए तत्काल रूप से इसकी संख्या बताना सम्भव नहीं है और कितना लाभ हुआ है, यह भी अभी बताना मुमकिन नहीं है। माननीय सदस्य अगर जानकारी चाहते हैं तो वह लिखकर भेज दें, हम पूरा विवरण उनके पास भेज देंगे कि किस-किस वर्ष में कहां-कहां किसान मेले लगाए गए और कितने सामान की बिक्री हुई। अभी इसका पूरा विवरण बताना सम्भव नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा जितने काम किये जा रहे हैं, उससे भारत के किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी किसानों के प्रति काफी चिंतित हैं और होना भी चाहिए। सन् 2001 के सी.ए.जी. के प्रतिवेदन के अनुसार जो परियोजनाएं संबंधी फाइलें हैं, आई.ए.आर.आई. द्वारा, अनुसंधान सलाहकार परिषद द्वारा उनका अनुमोदन होना चाहिए। परंतु सी.ए.जी. ने प्रतिवेदन दिया है कि इसमें 402 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिसमें इन्होंने अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। इससे लगता है कि प्रबंधन और अनुसंधान सलाहकार परिषद में कहीं तालमेल नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है मंत्रालय द्वारा ऐसी परियोजनाओं को मान्यता भी दी गई है और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिना सलाहकार परिषद की अनुमति के उनको वित्तीय सहायता देने का निर्णय किस परिस्थिति में लिया गया है? इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार कृषि अनुसंधान संस्थान के जो 13 विंग हैं, उनमें 23 ऐसी अनुसंधान परियोजनाएं हैं, जिनको पूर्ण दिखाया गया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से कुछ परियोजनाएं तो अभी शुरू भी नहीं हुई हैं और जो शुरू की भी गई, उको बाद में बंद कर दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जिनके विषय में सी.ए.जी. ने ऐसी रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि विभाग के ही कुछ लोगों ने मामले को रफादफा करने के लिए सारी फाइलें गुम कर दी हैं। मैं इस बारे में पूरा ब्यौरा जानना चाहूंगा और मंत्री जी इस पर विस्तार से बताएं ताकि सदन को भी जानकारी हो सके?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मूल प्रश्न ट्रेनिंग व टैक्नोलौजी के व्यवसायीकरण से संबंधित है जबकि माननीय सदस्य का यह प्रश्न सी.ए.जी. की रिपोर्ट से संबंधित है। जहां तक सी.ए.जी. की रिपोर्ट का संबंध है, हमारा जो रिकार्ड रखा जाता है, उस पर क्या कार्यवाही हुई, इस बारे में जब प्रश्न आएगा तो मैं विस्तार से उसका उत्तर दे पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर इसी के साथ देना है तो मैं दे सकता हूं, लेकिन यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप डायरेक्ट रिप्लाई भेज देना।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस विषय में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि विज्ञान केन्द्र बने हैं। कृषकों को प्रशिक्षित तथा प्रेरित करना तथा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर पाना अकेले इन केन्द्रों के लिए मुश्किल है।

अत:, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पटसन, धान, गेहूं तथा गन्ना जैसी विभिन्न फसलों के बारे में जिला परिषद तथा पंचायती राज प्रणाली को शामिल करते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर संयुक्त रूप से तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? अन्यथा, एक कृषि विज्ञान केन्द्र किसी प्रसंग विशेष का ध्यान नहीं रख सकता। अन्य लोग अपने को इस कार्यक्रम से नहीं जोड़ सकते और अद्यतन जानकारी नहीं पा सकते।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि कृषि मेला एक महत्वपूर्ण आयोजन है जहाँ अधिकांश कृषक जा सकते हैं और विभिन्न चीजों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारें प्रत्येक ऐसे जिले में जहाँ जरूरी हो, कृषि मेले को प्रायोजित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, कृषि और सहकारिता राज्य के विषय हैं। हम केन्द्र से जो कुछ भी कार्रवाई करते हैं, वह राज्य सरकारों के सहयोग से ही करते हैं। जितने प्रकार के हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, वहां जो कुछ भी हमें उपलब्धि होती है, चाहे वह कृषि विभाग से संबंधित हो, मत्स्य पालन से संबधित हो या पशुपालन से संबंधित हो, राज्य सरकार के अधिकारियों को हम अपने संस्थान में बुलाते हैं। यह निरंतर प्रोसैस है। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह उनको बताते हैं। अब राज्य सरकार के अधिकारियों का दायित्व है कि हमसे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करें, वे आगे जाकर, ब्लॉक के कृषि प्रसार पदाधिकारी उस काम को किसानों तक पहुंचाएं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके तीन आस्पेक्ट्स हैं—पहला अनुसंधान, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा कृषि प्रसार एक्सटेंशन। हम जो अनुसंधान करते हैं, उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को, कृषि विज्ञान केन्द्र के संचालकों को और अन्य जो स्वयंसेवी संस्थान इससे जुड़े हैं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं और उनका काम आगे देश में जाकर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इसे करना है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम आगे इसे करेंगे, माननीय सदस्य की इस राय से हम सहमत हैं और पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं कि आगे राज्य सरकार के अधिकारियों से, पंचायतों से और राज्य सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके, वार्ता करके, पंचायत स्तर तक कैसे हम एक कृषि चेतना जागरण के अभियान को चला सकें, इसे चलाने का हम अवश्य प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। हालांकि मेरा प्रश्न सं. 668 जो महिलाओं और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के बारे में है, आज की प्रश्न सूची में है लेकिन स्वाभाविक रूप से चूंकि 12 बजे तक का समय प्रश्न पूछने का होता है, इसलिए उसमें मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन सप्लीमेंट्री में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि देश में कुल आबादी की आधी आबादी महिलाओं की है और अभी जो चर्चा हुई है और प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है, वह लघु किसान और सीमान्त किसानों के बारे में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि महिलाएं कृषि क्षेत्र से ज्यादा जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि महिला किसानों को नयी तकनीक अगर अच्छी तरह से सिखाई जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से महिला किसानों के बारे में जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा प्रशिक्षण उनके लिए अलग से चलाना चाहेंगे जिससे महिला

किसानों को विशेष लाभ मिले ताकि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वे ऊपर उठ सकें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह सही है कि भारत की कृषि में महिलाओं का सबसे अधिक योगदान है और जो हमारे लघु और सीमान्त किसान हैं, उनके घर की महिलाएं प्रमुख रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हैं। पशुपालन और घरेलू उद्योग के जितने भी काम हैं, वे सब उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से, जब से कृषि विज्ञान केन्द्र के हमारे सामने दृष्टिकोण आये थे और पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही, जब से कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई, तब से ही कृषि विज्ञान केन्द्रों और भारतीय अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र द्वारा महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उनको कृषि आधारित प्रसंस्करण के काम, जैसे घर में परम्परागत तरीके से खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसैसिंग का काम जो महिलाएं करती हैं, उनकी इस ट्रेडीशनल नॉलेज को कैसे हम साइंटिफिक नॉलेज के रूप में बदल सकें ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महिलाओं की अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है। पांच प्रतिशत भी नहीं हुई। अधिकारी लोग ऐसी रिपोर्ट कैसे आपको देते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन हमने जितना निरीक्षण किया है, दो प्रतिशत महिलाओं की भी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, हमारे यहां जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उन कार्यक्रमों के बारे में बतला रहा हूं। हमारे यहां जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं, उनमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा दासमुंशी जी ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय: उनके प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री जी जमीन के आदमी हैं। अधिकारी उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं कि दो प्रतिशत महिलाओं की भी ट्रेनिंग नहीं हुई है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, पिछले महीने राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश की महिला किसानों का एक सम्मेलन प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। विज्ञान भवन में भी देश भर की महिलाओं को एनजीओज द्वारा बुलाया गया था। दूसरी बात यह है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों में, जहां पर भी मैं जाता हूं, सभी विज्ञान केन्द्रों और अनुसंधान संस्थाओं को मैंने निर्देश दिया है कि उनके यहां अब तक जितनी भी महिलायें और पुरुष किसान ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनमें से 10 प्रतिशत लोगों के नाम व पते मंत्रालय को भेजें। लगभग एक हजार किसानों, महिलाओं और पुरुष किसानों को मैं स्वयं अपनी ओर से पत्र लिखकर पूछ चुका हूं कि आप इस ट्रेनिंग में गए थे, तो आपको क्या लाभ मिला, क्या फल मिला, क्या सुधार चाहते हैं और आपके विचार क्या हैं। उनके साथ सम्पर्क करके हम उन कार्यक्रमों में तेजी लाना चाहते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मुझे लम्बा-चौड़ा प्रश्न पूछना था, लेकिन अब समय नहीं है। मैं संक्षेप में प्रश्न पूछती हूं कि सारे देश में जिस तरह किसान आत्महत्या करते हैं, उनकी विधवाओं का जमीन पर क्या हक है? साथ ही बैंक वाले उन महिलाओं को कोलेट्रल लोन की सुविधा नहीं देते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन विधवाओं का उस जमीन पर क्या हक बनता है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, अधिकार का प्रश्न, जैसे नागरिक अधिकार या उत्तराधिकार का अधिकार, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बारे में हम जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इस संबंध में आप कृषि मंत्रालय से कोई मदद लेना चाहती हैं, तो आप मेरे पास विस्तार से पत्र लिखें। इस संबंध में हम संबंधित मंत्रालय को बोल सकते हैं और उस मंत्रालय से आपकी सिफारिश के साथ आग्रह कर देंगे।

श्री रामदास आठवले: महोदय, महाराष्ट्र हौर्टीकल्चर, अंगूर और हाफूज आम के उत्पादन में प्रगतिशील है। कोंकण में हाफुज आम का उत्पादन बढ़ा है और अंगूर का उत्पादन सांगली और शोलापुर में बढ़ा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसान और किसानों के जो लड़के इनकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या आप विशेष रूप से व्यवस्था करेंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, चाहे फल हो, सब्जी हो, आज हो, दूध हो, प्रसंस्करण हो या केला हो—हिन्दुस्तान में जितने भी प्रकार के फल हैं, उन सभी फलों के बारे में अलग-अलग अनुसंधान केन्द्र हैं और वहां हम ट्रेनिंग देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसानों के जो एजुकेटेड लड़के हैं, उन नौजवानों को नई तकनीक के बारे में ज्ञान दें, जिससे मार्डन टैक्नोलोजी के आधार पर वे खेती करें और विश्व के बाजार में, प्रतिस्पर्धा में सफल हों। इस ओर भारत सरकार प्रयत्नशील है और कार्यक्रम चला रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग

*662. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रतिवर्ष 10,000 हैक्टेयर से भी अधिक वन भूमि गैर-वन कार्यों में चली जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वन भूमि के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वन भूमि के उक्त इतर उपयोग के कारण वन्य जीवन के नुकसान/वन्य जीवों की संख्या में कमी की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) केवल स्थल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग को विनियमित करने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी वन भूमि के वनेतर प्रयोग की अनुमति प्रदान करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं इससे वासस्थल विखण्डन अथवा इसके गुणात्मक अवक्रमण पर इसका कोई ऐसा उल्लेखनीय प्रभाव न पड़े जो वन्यजीवों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

[हिन्दी]

भविष्य निधि की जमा राशि का पूंजी बाजार में निवेश

*664. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि की जमा राशि का पूंजी बाजार में निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कदम से सरकार को कितना लाभ मिलने की संभावना है और ऐसा जोखिम भरा कदम उठाए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने भविष्य निधि के निवेश के पैटर्न के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जिस निवेश का अनुसरण किया जा रहा है उसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं:

(1) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में 25 प्रतिशत।

(2) राज्य सरकार प्रतिभूतियों तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार की गारंटीशुदा प्रतिभूतियों में 15 प्रतिशत।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों या किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैन्ट फायनैन्स कंपनी लिमिटेड (आई डी एफ सी)।

(4) न्यासी मंडल के निर्णयानुसार उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में भी 20 प्रतिशत निवेश।

(5) न्यासी मंडल, जोखिम/आय की संभावनाओं के अपने मूल्यांकन के मद्देनजर, उपर्युक्त (4) में से 10 प्रतिशत तक उन निजी क्षेत्र के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है जिन्हें कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग मिली हो।

निवेश के उपर्युक्त पैटर्न में न्यास द्वारा निजी क्षेत्र के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश के लिए सक्षमकारी प्रावधान हैं और इस संबंध में निर्णय न्यासी मंडल पर छोड़ दिया गया है। सरकार भविष्य निधि जमा के निवेश से कोई लाभ प्राप्त नहीं करती।

वर्षा जल के संचयन हेतु विशेष तकनीक

*665. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्षा जल संचयन हेतु कोई विशेष तकनीक तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तकनीक के माध्यम से कितनी मात्रा में जल संचित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.डी.डब्ल्यू.बी.) ने वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे-जल पुनर्भरण गड्ढे, (पिट्स), पुनर्भरण नालियों (शॉफ्ट), पुनर्भरण खाई, इन्जेक्शन कुओं, पुनर्भरण तकनीकों, जल फैलाव पद्धतियों, उप-सतही-डायकों, चेक बांधों, परिश्रवण टैंकों तथा छत के वर्षा जल के संचयन जैसी अनेक पद्धतियों का प्रचालन तथा परीक्षण किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन की विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों की व्यवस्था करते हुए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल तथा दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं तथा उन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 36453 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिशेष मानसूनी वर्षा जल को भूमि जल के पुनर्भरण के लिए भूमिगत जलभृतों में संचित किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मंदिर/तीर्थस्थल केन्द्रों का विकास

***666. श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु कतिपय मंदिरों/तीर्थस्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कितनी निधियों का आवंटन किया है और राज्य-वार कितनी राशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्ष 1992 में पर्यटन वभाग, भारत सरकार द्वारा गठित तीर्थ पर्यटन पर समिति की सिफारिशों पर, उत्तर प्रदेश में दो परिपथों (इनमें से एक परिपथ अब उत्तरांचल राज्य में है) के साथ 12 राज्यों में 19 तीर्थ केन्द्रों पर पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया था।

(ख) तीर्थ पर्यटन पर समिति द्वारा अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों की एक सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 तक, देश के विभिन्न तीर्थ केन्द्रों में पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को 1683.88 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की और 746.37 लाख रुपए अवमुक्त किए। राज्य-वार स्वीकृत तथा अवमुक्त की गई राशि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

तीर्थ पर्यटन से संबंधित समिति द्वारा निम्नलिखित तीर्थ केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र
1.	असम	कामाख्या
2.	बिहार	बोधगया और पटना
3.	गुजरात	द्वारका, पालिटाना और ओडवाड़ (वापी के निकट)
4.	हिमाचल प्रदेश	पौंटा साहिब और ज्वाला जी
5.	जम्मू और कश्मीर	माता वैष्णव देवी
6.	केरल	गुरुवयुर
7.	कर्नाटक	गुलबर्ग और शृंगेरी
8.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9.	महाराष्ट्र	शिरडी, नांदेड़ ज्योतिबा (कोल्हापुर जिले में)
10.	उड़ीसा	जगन्नाथपुरी
11.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
12.	तलिनाडु	रामेश्वरम

दो पर्यटक परिपथों का अभिनिर्धारण किया गया है:

1. उत्तर प्रदेश राज्य में बरसाना-नंदगांव-वृन्दावन-गोवर्धन
2. उत्तरांचल राज्य में बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगौत्री-यमुनोत्री

विवरण II

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक विभिन्न पर्यटक तीर्थ केन्द्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1. कामाख्या, गुवाहाटी में तीर्थ केन्द्र	1998-99	25.75	08.00
		2. गोलपाड़ा असम में सूर्य पहाड़ तीर्थ केन्द्र का विकास	1999-2000	30.00	09.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. जेम्सथांग, तवांग में तीर्थ यात्रियों के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना	1998-99	69.66	19.90
3.	बिहार	1. कुण्डक्षेत्र राजगीर (नालंदा जिला) के पर्यटक केन्द्र का समेकित विकास भूदृश्यांकन और पुनर्विकास	1998-99	50.00	25.00
		2. बौद्धगया स्थित महाबोधि मन्दिर की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1998-99	24.00	12.00
		3. राजगीर हॉट स्प्रिंग का स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकास	1998-99	13.92	4.18
		4. नालंदा, वैशाली, पटना और राजगीर के बोधगया स्थलों पर प्रवेश द्वार/सूचना पट्ट आदि का प्रावधान	1998-99	13.32	4.00
		5. बोधगया में पर्यटक सूचना केन्द्र	1999-2000	15.00	4.50
		6. देवगढ़ स्थित वैद्यनाथ बिहार का नवीकरण	2000-2001	20.00	6.00
		7. पटना साहिब स्थित पटना बाईपास पर मार्गस्थ सुविधाएं	2000-2001	19.55	5.86
4.	दमन और दीव	1. सेन्टपाल चर्च की प्रकाश पुंज व्यवस्था	1998-99	100.00	50.0

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	1. ओल्ड गोवा स्थित वर्ल्ड हैरिटेड चर्चों और स्मारकों का अवसंरचना विकास	1998-99	25.57	08.00
		2. एसोलिना स्थित चर्च परिसर में उच्च शक्ति की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1999-2000	10.32	00.04
6.	गुजरात	1. सोमनाथ मन्दिर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	1998-99	93.77	05.14
		2. द्वारका डेवलपमेंट प्लान फेज-1	1998-99	47.80	23.90
		3. द्वारका डेवलपमेंट प्लान फेज-2	1999-2000	41.11	12.30
7.	हरियाणा	1. कुरुक्षेत्र का तीर्थ केन्द्र के रूप में समेकित विकास	1998-99	48.00	24.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1. कटरा स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र का नवीकरण	1999-2000	10.00	3.00
		2. पुरनामंडल, जम्मू स्थित तीर्थ स्थल का सुन्दरीकरण	2000-2001	23.37	7.00
9.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा में पर्यटक स्वागत केन्द्र	1999-2000	22.40	06.72
10.	केरल	1. सबरीमाला में तीर्थ यात्री सुविधा केन्द्रों का निर्माण	1998-99	104.89	31.45
		2. कानाकुन्नू पैलेस में ध्वनि एवं प्रकाश-प्रदर्शन	1998-99	53.50	4.00
11.	मध्य प्रदेश	1. खजुराहो में ध्वनि एवं प्रकाश-प्रदर्शन	1998-99	100.00	50.00
12.	नागालैण्ड	1. वांकोसुम स्थित तीर्थ पर्यटक केन्द्र का विकास	1999-2000	25.47	07.64
13.	उड़ीसा	1. कोणार्क (उड़ीसा) स्थित विद्यमान यात्री निवास में अतिरिक्त आवास की व्यवस्था (फेज-2)	1999-2000	48.00	14.40
14.	पंजाब	1. आनन्दपुर साहिब में पर्यटक स्वागत केन्द्र	1998-99	97.64	78.00

1	2	3	4	5	6
		2. केशगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1998-99	55.00	55.00
		3. किला आनन्दगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1998-99	14.00	14.00
		4. तेग बहादुर साहिब स्थित गुरुद्वारे की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1998-99	5.00	5.00
		5. गुरुद्वारा माई जितोजी की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1998-99	5.00	5.00
		6. आनन्दपुर साहिब में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	1998-99	61.65	61.65
15.	राजस्थान	1. पुष्कर रोड, अजमेर स्थित विश्राम स्थली का समेकित विकास	1998-99	40.70	23.35
		2. अजमेर स्थित तारागढ़ की सीढ़ियों का विकास	1999-2000	09.33	02.70
		3. दिगम्बर जैन पदमपुरा में तीर्थ केन्द्र	2001-2002	20.70	11.66
		4. जिला चुरु में सालासार धाम में तीर्थ केन्द्र	2001-02	12.79	07.50
16.	तमिलनाडु	1. तंजावुर पैलेस का सुन्दरीकरण	1999-2000	15.00	05.00
		2. मदुराई में यात्रीनिवास	1999-2000	38.10	00.10
17.	उत्तर प्रदेश	1. कुशीनगर में यात्रीनिवास का निर्माण	1998-99	39.93	12.00
		2. कुशीनगर स्थित स्मारक का सुन्दरीकरण	1998-99	12.00	3.60
		3. वाराणसी स्थित पर्यटक बंगले का उन्नयन	1998-99	12.73	3.60
		4. आगरा स्थित बटेश्वर मन्दिर की फ्लड लाईट व्यवस्था	1998-99	5.00	2.50
		5. फतेहपुर सीकरी में ध्वनि एवं प्रकाश-प्रदर्शन	1998-99	40.00	20.00

1	2	3	4	5	6
		6. वाराणसी में पर्यटक परिसर	1999-2000	40.00	12.00
		7. वृन्दावन (मथुरा) में यात्री निवास	1999-2000	40.00	12.00
		8. श्रावस्ती स्थित यात्री निवास के चारों ओर भू-सुन्दरीकरण और स्थल विकास	1999-2000	25.00	07.50
		9. वृन्दावन तीर्थ केन्द्र और यहां के पर्यटक केन्द्र का समेकित विकास	1999-2000	45.00	05.18
		10. चित्रकूट की आन्तरिक सड़कों और नालों की मरम्मत और निर्माण कार्य	1999-2000	14.00	00.01
18.	उत्तरांचल	1. हरिद्वार में योग एवं आयुर्वेद केन्द्र का निर्माण	1998-99	28.73	8.60
		2. गंगोत्री में 20 बिस्तरों वाले पर्यटक कुटीरों का निर्माण	1998-99	12.53	4.00
		3. हरिद्वार में विद्यमान पर्यटक बंगले का उन्नयन-सह-विस्तार	1998-99	42.30	12.69
		4. यमुनोत्री में 20 बिस्तरों वाले एफ आर पी कुटीरों का निर्माण	1999-2000	20.00	6.00
		कुल राशि		1683.88	746.37

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या - 51
वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक स्वीकृत कुल राशि - 1683.88 लाख रुपए
वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक अवमुक्त कुल राशिश - 746.37 लाख रुपए

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

***667. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 2002 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में ट्रांजिटिंग थ्रू एयरपोर्ट्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास किसी भी विमानपत्तन से गुजरने वाले यात्रियों के लिए ट्रांजिट सुविधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आगे की यात्रा करने वाले (ट्रांजिट) यात्री इन सुविधाओं का कितना उपयोग कर रहे हैं; और

(च) विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) जी हां। इंटरनेट कियोक्स, ड्यूटी मुक्त दुकानें, आरामदेह कुर्सियां, टेलीफोन सुविधा, रेस्टोरेंट, स्नेकबार, एक्जिक्यूटिव लाउंज आदि समेत विभिन्न सुविधाएं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रांजिट यात्रियों सहित सभी यात्रियों के लिए मुहैया की गई हैं। टर्मिनल भवन के विभिन्न हिस्सों में टेलीफोन रखे गए हैं, और इनं सुविधाओं का हाल ही में सुदृढ़ीकरण किया गया है। धूम्रपान के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए गए हैं केवल वहीं पर ही यात्रियों के लिए धूम्रपान की इजाजत है। इकाओ अपेक्षाओं के अनुरूप ही सुरक्षा प्रबंध-व्यवस्था है, सुरक्षा कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अत्यधिक नम्र-भाव से निर्धारित क्रियाविधियों/मार्गदर्शी-सिद्धांतों का अनुपालन करें। प्राप्त शिकायतों/सुझावों पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से चालू प्रयासों के भाग के बतौर आंतरिक आधार पर कार्रवाई की जाती है। मौजूदा सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने और अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने की भी योजना है।

महिलाओं और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

***668. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, गुजरात सहित देश में महिलाओं और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी महिलाएं और लड़कियां लाभान्वित हुई हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के तहत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) दस व्यवसायों में बुनियादी, उन्नत, उन्नत-पश्च व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा एक राष्ट्रीय एवं गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित दस क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं हेतु अनुदेशक प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। इन संस्थानों का स्थापना-स्थल एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (रा.व्या.प्र.सं./क्षे.व्या.प्र.सं.) में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	संस्थान	नियमित एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षु								
		1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		नियमित	अल्पावधि	योग	नियमित	अल्पावधि	योग	नियमित	अल्पावधि	योग
1.	क्षे.व्या.प्र.सं.-नोएडा	367	186	553	394	251	645	405	209	614
2.	क्षे.व्या.प्र.सं.-मुम्बई	188	24	212	192	11	203	175	115	290
3.	क्षे.व्या.प्र.सं.-बंगलौर	230	972	1202	187	243	430	238	190	428
4.	क्षे.व्या.प्र.सं.-त्रिवेन्द्रम	153	15	168	175	31	206	179	104	283
5.	क्षे.व्या.प्र.सं.-कलकत्ता	48	115	163	49	79	128	54	43	97
6.	क्षे.व्या.प्र.सं.-तुरा	22	0	22	33	0	33	44	0	44
7.	क्षे.व्या.प्र.सं.-इलाहाबाद	117	26	143	146	0	146	154	0	154
8.	क्षे.व्या.प्र.सं.-वड़ोदरा	45	18	63	79	26	105	89	0	89
9.	क्षे.व्या.प्र.सं.-जयपुर	97	360	457	181	269	450	209	287	496
10.	क्षे.व्या.प्र.सं.-इंदौर	68	59	127	88	97	185	70	138	208

टिप्पणी: नियमित पाठ्यक्रमों की अवधि 8 मास से 2 वर्ष है; शिक्षण के सिद्धांत (नियमित) पाठ्यक्रमों की अवधि 4 माह है।
अल्पावधि पाठ्यक्रमों की अवधि 1 सप्ताह से 8 सप्ताह है।

समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में एंटीबायटिक्स का उपयोग

***669. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग हेतु प्रतिबंधित ड्रग्स/एंटीबायोटिक्स का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अभी भी प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स में से कुछ का उपयोग समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में आंध्र प्रदेश सहित कतिपय राज्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण में, जिसमें समुद्री खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं, ड्रग्स/एंटीबायोटिक्स के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(ख) से (घ) समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में एंटीबायोटिक्स के उपयोग के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर अप्रयुक्त भूमि

***670. श्री तूफानी सरोज:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर पड़ी अप्रयुक्त भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विमानपत्तनों पर उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि और विमानपत्तनवार पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की भूमि को पट्टे पर देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हैंगरों, कार्गो वेयरहाउस, रिटेल पेट्रोल आउटलेट्स, होटलों, रिसॉर्टस, शापिंग प्लाजा आदि के निर्माण जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, जहां कहीं संभव हो, खाली भूमि का उपयोग करने के संबंध में कुछ योजनाएं हैं। विभिन्न हवाई अड्डों पर उपलब्ध खाली भूमि जिसका उपयोग इस तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है, के संबंध में परिकलन कर लिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई-43 एकड़, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली-267 एकड़, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकता-42 एकड़, चेन्नई हवाई अड्डा-6 एकड़, जुहू-6 एकड़, अहमदाबाद-4 एकड़, लखनऊ-3.5 एकड़, वडोदरा-22 एकड़, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल तथा विजयवाड़ा 0.5 एकड़ (प्रत्येक)।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नीति के अनुसार, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि का आवंटन केवल टेंडर आमंत्रित करके ही किया जा सकता है जिससे कि सौदे में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

आई ए आर आई में अनुसंधान परियोजना संबंधी फाइलों का रख-रखाव

***671. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई ए आर आई ने अनुसंधान परियोजना संबंधी फाइलों का रख-रखाव नहीं किया है जिसके कारण परियोजनाओं की कमियों का पता नहीं चलता;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने परियोजना संबंधी फाइलों का रख-रखाव नहीं किए जाने के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष 1994 से प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित रख-रखाव आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:

अनुसंधान परियोजना फाइल-1	-	211
अनुसंधान परियोजना फाइल-2	-	871
अनुसंधान परियोजना फाइल-3	-	178

अब, अनुसंधान परियोजना फाइलों का नियमित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है।

सोयाबीन तेल का आयात

***672. श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने आयातित सोयाबीन तेल को जैव-संवर्धित न किए जाने संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या परीक्षणों से जैव-संवर्धित सोयाबीन तेल और पारम्परिक (गैर-संवर्धित) सोयाबीन तेल के बीच भेद कर पाना मुश्किल है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों किस्मों के तेलों के बीच भेद का किस प्रकार पता लगाया जाता है;

(ङ) क्या आयातित जैव-संवर्धित सोयाबीन तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(च) यदि हां, तो सरकार इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(छ) इस प्रकार के तेल के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (छ) कृषि मंत्रालय ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन के तेल के आयात के संबंध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पाद का आयात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन तैयार किए गए नियमों से अधिशासित होता है जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देखता है। खतरनाक माइक्रो आर्गनिज्म/ जेनेटिकली इंजिनयर्ड आर्गेनिज्म अथवा सैल नियमावली 1989 का नियम 11, जिसे ई.पी. एक्ट, 1986 के अधीन अधिसूचित किया गया, में यह प्रावधान है कि खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों के घटक तथा जेनेटिकली इंजिनयर्ड आर्गेनिज्म अथवा सैल वाले अथवा जिनमें उपर्युक्त शामिल हो, सहित संयोजी (एडेटिव) का उत्पादन, बिक्री और उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि जैनेटिकल इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी का अनुमोदन प्राप्त न हो।

जब तेल का परिष्करण किया जाता है, तब उपलब्ध विश्लेषणात्मक प्रणालियों द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन तेल और गैर-आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन तेल में भेद करना संभव नहीं है। जब तेल अपरिष्कृत है तब बहुत ही उन्नत और संवेद्य प्रणालियां जैसे पोलीमेरेज चेन रिएक्शन भेद बता सकती हैं। परिष्कृत जी.एम. सोया तेल में आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रोटीन और डी.एन.ए. नहीं होता।

विमानपत्तनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट (सी.सी.टी.वी.) लगाया जाना

***673. श्री कोडीकुनील सुरेश:**
श्री एम. चिन्नासामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कौन-कौन से विमानपत्तनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) सैट लगाए गए हैं;

(ख) कौन-कौन से विमानपत्तनों पर यह सुविधा नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी विमानपत्तनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो सभी विमानपत्तनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट कब तक लगा दिए जाएंगे;

(ङ) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट लगाए जाने के बाद से विमानपत्तन की सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि हुई है और विमानपत्तन के अधिकारियों/ कर्मचारियों और दलालों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी सहायता मिली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट लगाए जाने के बाद से पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों और पता लगी ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी) निगरानी प्रणाली दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई हवाई अड्डों पर लगा दी गई है और कोलकाता, त्रिवेनद्रम, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, अहमदाबाद, बंगलौर, गोवा, कालीकट तथा हैदराबाद हवाई अड्डों पर लगाने का कार्य चल रहा है। सी सी टी वी उपर्युक्त हवाई अड्डों के अलावा और किन्हीं हवाई अड्डों पर उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सभी हवाई अड्डों पर सी सी टी वी लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) हवाई अड्डों पर सी सी टी वी, सुविधा तथा सुरक्षा उद्देश्यों से लगाई जाती है जबकि इससे अन्य बातों के साथ-साथ कदाचार तथा हवाई अड्डा के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। इससे न केवल टर्मिनल भवन के भीतर वरन् टर्मिनल के शहर की ओर के हिस्से पर भी संदिग्ध गतिविधियों की मानीटरिंग करने में सहायता मिली है।

(छ) लावारिस सामान, खोए हुए पासपोर्ट, स्टाफ द्वारा वाहन चेकिंग में कोताही जैसी छोटी-छोटी घटनाएं देखने में आई हैं। तथापि, अब तक कोई गम्भीर अपराध नहीं हुआ जिसके मामले में कोई शिकायत दर्ज की गई हो।

[हिन्दी]

जापान के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाया जाना

***674. श्री जयभान सिंह पवैया:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जापान के सहयोग से देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो जापान के साथ किए गए समझौतों के अंतर्गत ऐसी कितनी इकाइयां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और ये इकाइयां राज्य-वार किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) यह मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। वैसे सरकार विदेशी सहयोग से जिसमें जापान की कम्पनियाँ शामिल हैं, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन और अनुमति दे रही है।

[अनुवाद]

राजस्व वृद्धि हेतु विशेष पैकेज

***675. डा. ए.डी.के. जयशीलन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय एअरलाइनों के राजस्व में वृद्धि करने और विदेशी एअरलाइनों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए विश्व के विभिन्न स्थलों के लिए विशेष पैकेज घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास किसी भी विदेशी गंतव्य स्थान के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। यद्यपि, भारत से बाहर यात्रा के लिए पूर्ण भुगतान वाले टिकट पर एअर इंडिया एक सहयात्री के लिए नि:शुल्क टिकट ऑफर कर रही है। इंडियन एयरलाइंस में देश-विदेश नामक प्रोत्साहन योजना है। इस स्कीम के तहत अर्हक व्यक्ति कतिपय परिस्थितियों में सिंगापुर में पैकेज खरीदने के लिए भी योग्य हो सकता है। इन्हें निरंतर जारी रखने हेतु उपर्युक्त रणनीतियां बनाने के लिए ऐसी चुनौतियों का सतत मूल्यांकन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

नए पर्यटक सर्किट

***676. श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय बौद्ध सर्किटों को दक्षिण पूर्व और सुदूर पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास भारत को पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला "रामायण सर्किट" नामक एक नया सर्किट खोलने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी हां। दिनांक 15 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में हुए 51वें पाटा वार्षिक सम्मेलन 2002 के उद्घाटन भाषण के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा "कोई एक क्षेत्रीय बौद्ध परिपथ के बारे में भी सोच सकता है, जो भारत के अपने बौद्ध परिपथ को

दक्षिण-पूर्व तथा सुदूर पूर्व एशिया के देशों के साथ जोड़ सकता है। एक क्षेत्रीय रामायण परिपथ तथा भारत, पश्चिम एशिया, केन्द्रीय एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सूफी अध्यात्मवाद के केन्द्रों को जोड़ने वाले पैकेज विकसित करने की गुंजाइश भी है।''

भारत अब अपने पर्यटक गंतव्यों की मार्केटिंग में ''लुक ईस्ट'' की नीति अपना रहा है और इस प्रकार अपने बौद्ध केन्द्रों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने में यह अधिक बल देगा। भारत जियो-इकोनामिक ग्रुपिंग मेकोंग-गंगा को-आपरेशन (एमजीसी) का एक सदस्य है, जिसके अंतर्गत हम पर्यटक क्षेत्र में सहयोग में तीव्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं।

किसानों को जल सुलभ कराने हेतु नई योजना

*677. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को आसानी से जल सुलभ कराने हेतु एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी, हां। पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध भू-जल क्षमता का दोहन करने के लिए, भारत सरकार ने ''ऑन फार्म जल प्रबंध'' की एक नई स्कीम अनुमोदित की है जिसे वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू किया गया है ताकि पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, नाबार्ड के माध्यम से किसानों को क्षीण होते उथले नलकूपों/ला लिफ्ट इरिगेशन प्वाइंट्स, विद्युत/डीजल जल पंपिंग सेट लगाने और खोदे गए कुओं (केवल पठारी क्षेत्रों के लिए) वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। यह एक ऋण संबद्ध स्कीम है। स्कीम का वित्तपोषण प्रतिमान 20 : 30 : 50 आधार पर है अर्थात 20% लाभानुभोगियों से अंशदान के रूप में, 30% भारत सरकार की राजसहायता के रूप में सहायता से तथा शेष 50% वाणिज्यिक/राज्य सहकारी/ग्रामीण बैंकों से ऋण के रूप में। यह स्कीम दस राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। स्कीम को खासतौर से पूर्वी राज्यों में उपलब्ध भू-जल क्षमता के दोहन के लिए अनुमोदित किया गया है।

भारत और फ्रांस के बीच कृषि-खाद्य पदार्थों संबंधी समझौता

*678. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने कृषि-खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने कृषि क्षेत्रों में कोई ठोस कार्य योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के कृषि-खाद्य पदार्थों और कृषि-प्रसंस्करण में एक अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश होने के कारण दोनों देश इस क्षेत्र में भी मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) भारत और फ्रांस के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव है जिसमें कृषि खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र शामिल हैं। अब तक इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

बाघों और शेरों का बंध्याकरण

*679. **श्री रामदास आठवले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों की कमी को देखते हुए बाघों और शेरों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु उनके बंध्याकरण का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शेरों और बाघों को आहार उपलब्ध कराने के लिए ''बाघ परियोजना'' के लिए आबंटित निधियों में से वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) चूंकि बंदीगृह में पैदा हुए बाघों और शेरों को वन में छोड़ने के लिए अभी तक कोई भी प्रोटोकोल विकसित नहीं किया गया है, अत: इन प्रजातियों की स्वास्थ्य रक्षा को निर्धारित मानकों तक सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियाघरों में इनके प्रजनन को नियंत्रित करना होता है। चिड़ियाघरों में बाघों और शेरों की संख्या को नियंत्रित करने में बंध्यीकरण एक प्रभावी उपाय माना गया है।

(ग) से (ङ) चूंकि "बाघ परियोजना" के अंतर्गत निधियां केवल वनों में बाघों की संख्या को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत चिड़ियाघरों में पशुओं की संख्या के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

अमरीकी बीज उद्योग को लाइसेंस

*680. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी बीज उद्योग की किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे और इन कम्पनियों को ये लाइसेंस किस-किस तारीख को जारी किए गए थे;

(ख) क्या अमरीका ने विकासशील देशों पर अमरीकी बीजों को खरीदने के लिए दबाव बढ़ा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अगस्त, 1991 से फरवरी, 2002 तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा अनुमोदित विदेशी तकनीकी/ वित्तीय सहयोग के मामलों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कंपनियों के नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	अनुमोदन की तारीख	वर्णन की मद
1	2	3	4	5
1.	ई.आई.डी. पैरी, चेन्नई	डेकाल्ब प्लांट जेनेटिक्स, यू.एस.ए.	25.10.1991	संकर बीज
2.	प्रोएग्रो सीड्स कंपनी, नई दिल्ली	बायो-जेनेटिक्स, यू.एस.ए.	6.01.1992	अधिक उपज देने वाले संकर बीज
3.	गंगा एग्री सीड्स लि., नई दिल्ली	एग्री-जेनेटिक्स कार्पोरेशन, यू.एस.ए.	28.01.1992	संकर बीज
4.	प्रो-एग्रो सीड्स कंपनी, नई दिल्ली	कॉर्न स्टेट्स हायरबीड, यू.एस.ए.	8.8.1992	अधिक उपज देने वाले बीज
5.	सदर्न पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, चेन्नई	पायोनीयर ओवर्सीस कार्पोरेशन, यू.एस.ए.	5.3.1993	सब्जियों के संकर बीज
6.	माहिको, मुम्बई	मैसर्स अस्ग्रो सीड्स कंपनी, यू.एस.ए.	20.9.1995	सब्जियों के बीज
7.	माहिको, मुम्बई	सनसीड्स, यू.एस.ए.	16.4.1996	सब्जियों के संकर बीज प्याज, गाजर, टमाटर
8.	कारगिल एशियापैसीफिक लि., नई दिल्ली	कारगिल आई.एन.सी., यू.एस.ए.	15.4.1996	संकर बीज

1	2	3	4	5
9.	स्पेल बॉण्ड पेनिस्वला लि., बड़ोदा	बायो-पोनिक इंटरनेशनल केलिफोर्निया, यू.एस.ए.	18.10.1996	संकर और सिंथेटिक बीज
10.	मनसंटो (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई	मनसंटो (इंडिया) लि., यू.एस.ए.	15.12.1997	कपास रोपण बीज और अन्य संबंधित कार्यकलाप
11.	माहिको, मुंबई	मनसंटो (इंडिया) प्राई.लि., यू.एस.ए.	21.4.1998	संकर और उन्नत बीज
12.	ई.आई.डी. पेरी इंडिया लि. चेन्नई	मैसर्स डेकाल्बस जेनेटिक कारपोरेशन, यू.एस.ए.	15.5.1998	संकर बीजों का विकास
13.	मैसर्स नाथ स्लूइस लि., औरंगाबाद	सेमिन्स वेजिटेबल सीड्स, यू.एस.ए.	12.5.1998	गुणवत्ता वाले संकर बीज
14.	प्रो-एग्रो सीड कंपनी लि., नई दिल्ली	बायो-जेनेटिक टेक कंपनी, यू.एस.ए.	27.10.1998	मक्का, बाजरा, अनाज सौरगम, चारा सौरगम, सूरजमुखी और सब्जियों के संकर बीज
15.	प्रो-एग्रो सीड कंपनी लि. नई दिल्ली	बायो-जेनेटिक टेक कंपनी, यू.एस.ए.	27.1.1998	मक्का, बाजरा, अनाज सौरगम, चारा सौरगम, सूरजमुखी और सब्जियों के संकर बीज
16.	मन्संटो इंडिया लि., मुम्बई	पेरी मन्संटो सीड्स प्रा.लि., यू.एस.ए.	1.1.1999	बायो-टेक बीज
17.	माहिको, मुम्बई	दि स्क्रीप्स रिसर्च इंस्ट्यूट, यू.एस.ए.	10.5.1999	संकर बीज
18.	यू.एस. एग्री सीड्स आई.एन.सी., नई दिल्ली	यू.एस. एग्री सीड्स आई.एन.सी., यू.एस.ए.	28.6.1999	सब्जियों के बीज
19.	—	सनसीड्स, यू.एस.ए.	13.7.1999	प्याज, गाजर, टमाटर, काली मिर्च, खीरा और खरबूजे के बीज
20.	नाथ स्लूइस सीड्स लि., औरंगाबाद	सेमिन्स वेजिटेबल्स सीड्स, यू.एस.ए.	6.7.1999	क्वालिटी संकर बीज
21.	माहिको, मुम्बई	माहिको अमेरिकन आई.एन.सी., यू.एस.ए.	10.8.1999	संकर बीज
22.	नन्हेम्स प्रो-एग्रो सीड्स प्रा.लि., हैदराबाद	सन सीड्स, यू.एस.ए.	9.8.1999	सब्जी के संकर बीज
23.	स्पीक पी.एच.आई. सीड्स लि., नई दिल्ली	पायोनीयर ओवरसीस कार्पोरेशन, यू.एस.ए.		29.12.2000 संकर बीजों का उत्पादन
24.	पायोनीयर ओवरसीज कार्पोरेशन, नई दिल्ली	पायोनीयर ओवरसीस कार्पोरेशन, यू.एस.ए.		10.4.2001 मूल बीज और वाणिज्य के अनुकूल संकर बीज

1	2	3	4	5
25.	ऑलटेक आई.एन.सी. नई दिल्ली	ऑलटेक आई.एन.सी., यू.एस.ए.	21.5.2001	बीज विपणन और व्यापार
26.	मनसंटो होल्डींग्स प्रा.लि., मुम्बई	मनसंटो (इंडिया) प्रा.लि., यू.एस.ए.	19.6.2001	संकर और उन्नत बीज
27.	माहिको, मुम्बई	मनसटो सीड्स कंपनी, यू.एस.ए.	10.6.2001	संकर बीज
28.	सीडवर्कस इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद	यू.एस. एग्री सीड्स आई.एन.सी., यू.एस.ए.	13.11.2001	फल और सब्जी बीज

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर जमीनी संभलाई सेवाओं के संचालन हेतु लाइसेंस

6823. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नई और त्रिवेन्द्रम में जमीनी संभलाई सेवाओं के संचालन हेतु मई, 2001 में जारी किया गया डीनाटा का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो डीनाटा का लाइसेंस किन आधारों पर निलम्बित किया गया;

(ग) क्या लाइसेंस को निलम्बित करने से पहले कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या अनुवर्त्ती कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रचालन हेतु डी.एन.ए.टी.ए. को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि राशि का जमा न किया जाना

6824. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मासीयूटीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन से 1990-2001 की अवधि में काटी गई भविष्य निधि की राशि भविष्य निधि उपायुक्त कार्यालय में जमा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी भविष्य निधि कटौती की कितनी धनराशि भविष्य निधि उपायुक्त कार्यालय में जमा की जानी है;

(ग) कटौती की गई धनराशि को जमा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) यह प्रतिष्ठान अक्तूबर 1998 से जून, 2001 तक कर्मचारियों के केन्द्रीय भविष्य निधि अंशदान के हिस्से की राशि जमा न करने का दोषी है। जुलाई 2001 से यह प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया है।

(ख) कर्मचारियों के हिस्से की भविष्य निधि अंशदान की जमा न कराई गई राशि 54,41,389 रु. है. यह सारी राशि वसूल कर ली गई है।

(ग) और (घ) यह एक रुग्ण इकाई है जो कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रतिष्ठान के परिसमापन की सिफारिश की है। परिसमापन की कार्यवाही का मामला माननीय मुम्बई हाई कोर्ट में लम्बित है। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसके बैंक खाते जब्त कर लिये गये हैं।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6825. श्री विकास चौधरी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के 9.3.2 और 9.4.0 खंड के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कितने कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया;

(ख) समझौते के उपर्युक्त खंडों के क्रियान्वित न किये जाने से कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) समझौते के उपर्युक्त खंडों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) की धारा 9.3.2 तथा 9.4.0 के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में अनुकम्पा आधार पर नौकरी दिए गए कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

	1999-2000	2000-2001	2001-02
धारा 9.3.2	0	1	2
धारा 9.4.0	0	0	0

(ख) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) की धारा 9.3.2 के अंतर्गत 12 मामले लंबित हैं। एन.सी.डब्ल्यू.ए. की धारा 9.4.0 के अंतर्गत कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) की धारा 9.4.0 तथा धारा 9.3.2 के अंतर्गत ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जहां सभी संगत दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं।

[हिन्दी]

चने की भारी फसल

6826. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष चने की भारी फसल होने के आसार हैं लेकिन स्टाकिस्टों के कारण इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 हेतु खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चने का उत्पादन, जो वर्ष 1999-2000 में 5.12 कि.मी. टन से घटकर वर्ष 2000-01 में 3.52 मि.मी. टन हो गया था, उसके वर्ष 2001-02 के दौरान बढ़कर 5.07 कि.मी. टन होने की आशा है। वस्तुत: 27.4.2002 का थोक मूल्य सूचकांक पिछले माह के थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में 4.7% की गिरावट और पिछले वर्ष इसी सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में 0.2% की गिरावट दिखाता है।

बेरोजगारी पर विनिवेश का प्रभाव

6827. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को और अधिक अवसर पैदा करने हेतु अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों के संबंध में विनिवेश प्रक्रिया बंद करने और धनराशि का निवेश बंद करने के लिए विभिन्न श्रम संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सरकार की इक्विटी के विनिवेश के विरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश से पहले, जब भी आवश्यक हो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से उनकी शंका दूर करने के लिए तथा उन्हें यह आश्वस्त करने के लिए कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, विचार-विमर्श किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विनिवेश से प्राप्तियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को पुनर्गठन सहायता प्रदान करने, कामगारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने, ऋण-भार को कम करने एवं योजना हेतु मुख्यत: सामाजिक एवं मूल अवसंरचना क्षेत्रों में, अतिरिक्त बजटीय सहायता हेतु उपयोग किया जाना है।

(ग) सरकार के विनिवेश संबंधी सभी निर्णयों का संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के कर्मचारियों की आजीविका पर

स्वत: कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जब कम्पनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण के साथ किसी नीतिगत विक्रय का निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारियों संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस संबंध में विक्रय के निबंधन एवं शर्तों में उपयुक्त प्रावधान किये जाते हैं।

देश में बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा तथा इसे 10वीं योजना एवं उससे आगे के लिए एक प्रबोधनीय (मॉनिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उन क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया जाएगा, जहां उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसर सृजित किये जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाईयों के समाधान की सम्भावना है। अत्यधिक रोजगार संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष बल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना

6828. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र और थाईलैण्ड के बीच उड़ानें शुरू किये जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की सम्भावना खोजने की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने हेतु असम सरकार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। गुवाहाटी तथा बैंकाक के बीच एयर इंडिया उड़ान प्रारम्भ होने से विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यों में जाने में सहायता मिलेगी।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नौवीं योजना के दौरान सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 8314.77 लाख रुपयों के केन्द्रीय वित्तीय घटक के साथ 381 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। वर्ष 2002-2003 के लिए परियोजनाओं का अभी तक अभिनिर्धारण नहीं किया गया है।

एल्यूमीनियम का मूल्य

6829. श्री सुनील खां:
श्री विकास चौधरी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल्यूमीनियम के प्रारंभिक उत्पादकों ने एल्यूमीनियम के वैश्विक मूल्यों में बहुत अधिक गिरावट होने पर भी खान एवं अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से एल्यूमीनियम का मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाउन स्टीम एल्यूमीनियम के निर्माता संकट का सामना कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप शनै-शनै उपर्युक्त निर्मात्री इकाइयां बंद हो रही हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पहले ही प्राथमिक एल्यूमीनियम निर्माताओं के इशारे पर एल्यूमीनियम का देश को आयात बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) एल्यूमीनियम सेक्टर विनियंत्रित है और आयात एवं निर्यात के लिए एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) वर्ग के तहत रखा गया है। परिणामस्वरूप, एल्यूमीनियम पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं हैं। एल्यूमीनियम का मूल्य बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एल्यूमीनियम वेस्ट और स्क्रैप की कुछ श्रेणियों के आयात पर लगे प्रतिबंध को छोड़कर, एल्यूमीनियम तथा इससे बनी वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। देश में एल्यूमीनियम का आयात बन्द करने के संबंध में डी.जी.एफ.टी. ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

कार्बनिक खेती

6830. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन डी आर आई, करनाल में वैज्ञानिकों ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में कीटनाशी अवशेषों के नियंत्रण एवं उनकी स्थिति का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक आई पी एम, आई एन एम और कार्बनिक खेती की वकालत कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि अमूल सहित सहकारी समितियों के सभी दुग्ध उत्पादित उत्पादों एवं उनके द्वारा किए गए उत्पादों में खतरनाक कीटनाशी होते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्बनिक खेती को स्वीकार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में किये गये एक सीमित सर्वेक्षण ने यह दर्शाया है कि दूध तथा घी में डी डी टी तथा बी एच सी की मौजूदगी के इक्के-दुक्के मामले ही देखे गये हैं। सामान्य तौर पर जांचे गये ज्यादातर नमूनों में डी डी टी और बी एच सी की सीमा अधिकतम अवशिष्ट सीमा से कम पाई गई। घी के मामले में कीटनाशी अवशिष्ट का होना बहुत ही कम पाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) किसानों को जैव कीटनाशियों, फेरामोन्स तथा जैव नियंत्रण कारकों, खतरनाक सैन्थेटिक कीटनाशियों का विकल्प, कम्पोस्ट के उपयोग तथा वर्मी कम्पोस्ट की सिफारिश की जाती है।

(ङ) जी, नहीं अमूल और अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रसंस्कृत दूध, खाद्य मिलावट अधिनियम की रोकथाम के अधीन निर्धारित नाशीजीव अवशिष्ट की सीमाओं तक के अनुसार करने के लिए सावधिक विश्लेषित किया जाता है। निर्यात के लिए भी उत्पाद भारतीय निर्यात निरीक्षण एजेंसी और आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

(च) और (छ) जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए किसानों द्वारा आर्गेनिक कृषि को अपनाने की वकालत करने के लिए सरकार प्रस्ताव करती है। आर्गेनिक कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को खेतों, किसान मेलों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और गोष्ठियों आदि के प्रदर्शनों के द्वारा शिक्षित किया जा रहा है।

दसवीं योजना के दौरान देश में आर्गेनिक कृषि को और आगे प्रोन्नत करने के लिए एक नई स्कीम के लिए एक प्रस्ताव, 'आर्गेनिक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना'' कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा गठित किया जाने वाला है, जिसमें एक राष्ट्रीय आर्गेनिक कृषि बोर्ड (एन ओ ए बी) का गठन सम्मिलित है, जिसका कार्य देश में आर्गेनिक कृषि के विभिन्न पहलुओं को प्रोन्नत करने और सुविधा प्रदान करना होगा।

कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना

6831. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की सेवा करने के लिए कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निजी भागीदारी के आमंत्रण हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से एक नई स्कीम ''एग्री-क्लिनिक और एग्री बिजिनिस सेन्टर की स्थापना'' हाल ही में शुरू की गई है। इस स्कीम में स्व-रोजगार आधार पर नाबार्ड से पुन: वित्तपोषण सहित बैंक के वित्तपोषण से अभिज्ञात कार्यकलापों में प्रति वर्ष लगभग 5 हजार एग्री-क्लीनिक/एग्री-बिजनिस उद्यम की स्थापना में कृषि के संवर्गी विषयों में कृषि स्नातकों और स्नातकों को सहायता करना प्रस्तावित है। कार्यकलाप के चयनित क्षेत्र में उद्यमियता और व्यवसाय प्रबंध तथा साथ ही दक्षता उन्नयन के क्षेत्रों में 2-3 महीने तक का प्रारंभिक प्रशिक्षण उन कृषि स्नातकों को दिया जाएगा जो एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनिस उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं। स्नातक, जो स्कीम का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण शर्तों पर बैंक से धन दिया जाएगा। एकल उद्यम की औसत लागत लगभग 5 लाख रुपए है, प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है तथा 5 अथवा 5 से अधिक स्नातकों द्वारा उद्यम के लिए सामूहिक सीमा 50 लाख रुपए है। इस स्कीम में इन एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनिस केन्द्रों के जरिए किसानों के लिए विस्तार और परामर्शदात्री सेवाओं, मृदा और आदान परीक्षण सेवाओं तथा अन्य समर्थन सेवा के प्रावधान पर विचार किया गया है। एग्री-क्लिनिक और एग्री बिजनेस केन्द्र तभी कार्य करना शुरू करेंगे जब पात्र कृषि स्नातक बैंक से ऋण लेने में तथा अपना उद्यम स्थापित करने में समर्थ हो जाएंगे।

इस स्कीम का व्यापक प्रचार किया गया है और सभी राज्यों से इस स्कीम के प्रति अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही है। 8.5.2002 तक देश के विभिन्न भागों से इस स्कीम के अधीन 10860 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और सम्पूर्ण देश की विभिन्न संस्थाओं में इस स्कीम के अधीन प्रशिक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है।

[हिन्दी]

चूना पत्थर

6832. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध प्रत्येक श्रेणी के चूना-पत्थर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सर्वेक्षणों एवं खोजों से देश में विभिन्न श्रेणियों के चूना-पत्थरों के भण्डार की उपलब्धता का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान में उपर्युक्त सभी श्रेणियों का चूना-पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो इन भण्डारों के दोहन एवं उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का विचार है;

(च) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) देश में उपलब्ध चूना-पत्थर के ग्रेडवार-निक्षेपों का ब्यौरा निम्नवत है:

(हजार टन में)

	1.4.1995 को प्राप्ति योग्य निक्षेप			
	साबित	संभाव्य	संभव	कुल
अखिल भारत	12061132	16705201	46912557	75678890
ग्रेड से				
रसायनिक	134722	762103	1946644	2843469
स्टील मेल्टिंग शॉप (एस एम एस) (ओ एच)	354583	1214273	2907734	4476590
स्टील मेल्टिंग शॉप (एस एम एस) (एल डी)	148898	15604	62561	227063
स्टील मेल्टिंग शॉप (ओ एच) एवं एल टी मिक्स्ड	3773	43839	133724	181336
बी एफ	1570877	103297	2727534	5331008
बी एफ एवं स्टील मेल्टिंग शॉप (एस एम एस) मिक्स्ड	73035	100894	1149585	1323514
सीमेंट (पोर्टलैंड)	7720348	12473765	31886650	52080763
सीमेंट (व्हाइट)	30738	16118	24379	71235
सीमेंट (पोर्टलैंड एवं व्हाइट)	180731	30253	125588	336572
बी एफ एवं सीमेंट (मिक्स्ड)	354046	135591	422894	912531
स्टील मेल्टिंग शॉप, रासायनिक एवं पेपर	5099	4108	594455	603662
पेपर	1596	2354	–	3950
अन्य	38449	253101	1086935	1723485
अवर्गीकृत	371002	561480	2264690	3199874
अज्ञात	728235	56420	1579183	23633838

(ख) और (ग) सर्वेक्षण एवं गवेषण द्वारा देश में चूनापत्थर के विभिन्न श्रेणियों के भंडारों की उपलब्धता प्रमाणित की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राजस्थान राज्य में इस्पात मेल्टिंग शॉप (एस एम एस), सीमेंट एवं रासायनिक ग्रेड चूनापत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

(ङ) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, रेल विभाग द्वारा, जयसलमेर जिले में सानू क्षेत्र से चूना पत्थर की ढुलाई हेतु, मैसर्स राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड एवं मैसर्स राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा मिलकर, कुछ मासिक लक्ष्य पूरे कर लेने पर, भाड़े में 9% रियायत दी जा रही है।

(च) और (छ) राजस्थान राज्य सरकार की नीति के अनुसार एस एम एस ग्रेड चूना पत्थर हेतु खनन पट्टे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर हेतु सीमेंट के विनिर्माताओं को दिये जाते हैं। चूना पत्थर के विभिन्न ग्रेडों (एस एम एस, सीमेंट एवं रासायनिक के अलावा) हेतु खनन पट्टे राजस्थान गौण खनिज रियायत नियमावली, 1986 के तहत दिये जाते हैं। सरकार इसके ग्रेड तथा अंतिम प्रयोगों के अनुसार नीति को संशोधित करने पर विचार कर रही है।

विवरण

1.4.1995 की स्थिति के अनुसार चूना पत्थर के निक्षेपों का राज्यवार ब्यौरा

(हजार टन में)

राज्य	प्राप्ति योग्य निक्षेप			
	प्रमाणित	संभाव्य	संभव	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1465769	1213974	12379295	15059038
अरुणाचल प्रदेश	–	–	125459	125459
असम	180532	48550	488425	717507
बिहार	135314	18646	309855	453815
छत्तीसगढ़	3206617	733638	1062367	5002622
दमन एवं दीव	90069	–	–	90069
गुजरात	371512	1105838	7559987	9037337
हरियाणा	52229	2483	28765	83477
हिमाचल प्रदेश	1380640	106995	2158287	3645922
जम्मू एवं कश्मीर	35305	10095	695907	741307
झारखंड	159593	47954	303554	511102
कर्नाटक	839490	7169842	9431084	17439516
केरल	122072	27815	4489	154376
मध्य प्रदेश	1433178	705899	1486906	3625983
महाराष्ट्र	482051	231605	170897	884553

1	2	3	4	5
मणिपुर	472	6195	8118	14785
मेघालय	68061	634464	3819437	4521952
नागालैंड	825	–	308250	309075
उड़ीसा	392440	258902	539705	1191047
पाण्डिचेरी	5260	–	4180	9440
राजस्थान	1082989	3937578	4723372	9743939
सिक्किम	–	–	1785	1785
तमिलनाडु	242277	250107	313030	805414
उत्तरांचल	60964	157784	849356	1068104
उत्तर प्रदेश	257072	24700	124340	406112
पश्चिम बंगाल	6400	12146	16606	35152

संस्कृति का मानित विश्वविद्यालय

6833. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृति का एक मानित विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) संस्कृति विभाग, भारत सरकार सम विश्व-विद्यालयों की भांति कार्यरत दो पूर्णतया वित्त पोषित संस्थानों नामत: (1) राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान इतिहास का संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली, तथा (2) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को सहायता प्रदान करती है। कोई अन्य पृथक सम संस्कृति विश्व-विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पशु आक्रमण के शिकार हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

6834. श्री विष्णुदेव साय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संरक्षित वन्य पशुओं के आक्रमणों के कारण होने वाली मौत, लगने वाली चोट, होने वाली नि:शक्तता और होने वाले संपत्ति के नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) इन प्रावधानों के अंतर्गत कितनी राशि की क्षतिपूर्ति की जा रही है;

(ग) किन-किन तारीखों को क्षतिपूर्ति धनराशि में वृद्धि की गई है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार मध्य प्रदेश और छत्तसीगढ़ सहित क्षतिपूर्ति एवं राहत के तौर पर दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत सरकार वन्य प्राणियों द्वारा मानव-जीवन को पहुंचाए गए नुकसान/स्थायी अक्षमता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 1,00,000 रुपए तथा गहरी चोटें लगने की स्थिति में इस राशि का एक तिहाई हिस्सा बतौर मुआवजा प्रदान करती है।

(ग) भारत सरकार द्वारा मानव जीवन के नुकसान/स्थायी अक्षमता की स्थिति में दी जाने वाली मुआवजा राशि 22 दिसम्बर, 1999 को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई थी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला कंपनियों में कामगार

6835. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश की विभिन्न कोयला कंपनियों में कितने कामगार (पर्यवेक्षक स्टाफ के अतिरिक्त) कार्यरत थे;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों में कितने कामगार शारीरिक श्रम में लगे हुए थे; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान मानव श्रम एवं मशीनों से अलग-अलग कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की विभिन्न सहायक कंपनियों में पर्यवेक्षक स्टाफ को छोड़कर अन्य श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	122497	117025	104823
भारत कोकिंग कोल लि.	108466	102399	96956
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	73237	70374	67574
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	72481	70083	67145
साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	86376	85308	83243
महानदी कोलफील्ड्स लि.	19692	19338	18949
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	14068	14014	14070

उपर्युक्त श्रमशक्ति में से, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सहायक कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या (पर्यवेक्षक स्टाफ को छोड़कर) नीचे दी गई है:

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	86376	85308	*34224
महानदी कोलफील्ड्स लि.	8312	8206	8206
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	28970	27379	25687

*मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य का उदय नवम्बर, 2000 में हुआ।

(ख) विभिन्न कोयला कंपनियों में उक्त अवधि के दौरान शारीरिक कार्यों में नियोजित पीस-रेट के श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	35191	32898	30283
भारत कोकिंग कोल लि.	30436	28425	27367
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	17857	17159	15809
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11703	9998	8732
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9837	8788	8026
महानदी कोलफील्ड्स लि.	2450	2307	2127

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. में शारीरिक और यांत्रिक रूप से उत्पादित कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:

(आंकड़े लाख टनों में)

	1999-2000	2000-01	2001-02
शारीरिक रूप से किया गया उत्पादन*	284.71	249.58	223.40
मशीनीकृत उत्पादन :			
भूमिगत	238.53	255.96	268.95
ओपनकास्ट	2082.59	2175.85	2304.22
कुल	2321.12	2431.81	2573.17
समग्र जोड़	2805.83	2681.39	2796.57

*शारीरिक रूप से किए गए उत्पादन में पारम्परिक बोर्ड तथा पिलर पद्धति तथा अन्य शामिल हैं।

किसानों को सुविधाएं

6836. श्री टी. गोविन्दन:
डा. जसवन्त सिंह यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फल उत्पादकों के कल्याण हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2002-03 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को उनकी सब्जी और अन्य फलों के उत्पाद को थोक विक्रय केन्द्रों को देने से पहले, उनके संरक्षणार्थ कोई सुविधाएं प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने देश में खास तौर से फल उत्पादकों के कल्याणार्थ कोई स्कीम निरूपित नहीं की है। तथापि, सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" कार्यान्वित कर रही है, जिसमें फलों के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता क्रम दे सकती है। फल उत्पादक नर्सरियों के माध्यम से फल फसलों की अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्राप्त करके, क्षेत्र विस्तार हेतु सहायता, उत्पादकता सुधार कार्यक्रम एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान 736.86 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) किसानों को अपने बागवानी उत्पाद के परिरक्षण में सहायता देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से बागवानी उत्पादों हेतु शीतागार और भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अंतर्गत पार्श्वान्त राजसहायता (बैंक एण्डेड) के रूप में वर्ष 1999-2000 से सहायता दे रही है। अब तक देश में 521 शीतागार एककों की स्थापना करके 24.12 लाख मी. टन की भंडारण क्षमता सृजित की गई है।

पारिस्थितिकी-पर्यटन

6837. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 2002 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इज इको-टूरिज्म इकोनोमिकली वाइएबल इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पारिस्थितिकी-पर्यटन की आर्थिक संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 में पारिस्थितिकी पर्यटन पर अत्यधिक बल दिया गया है जिसके पैरामीटर्स केवल प्राकृतिक पर्यटन की तुलना में अधिक व्यापक होने चाहिए। यह गरीबी दूर करने, बेरोजगारी समाप्त करने, नए कौशल सृजन, महिलाओं का स्तर बढ़ाने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, जनजातीय और स्थानीय शिल्पों को उत्साहित करने तथा सम्पूर्ण वातावरण में सुधार करने एवं अधिकाधिक न्याय और बेहतर सामाजिक व्यवस्था में वृद्धि को अधिक सरल बनाने में अवश्य मदद करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित पर्यटन योजनाएं

6838. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए पर्यटन संबंधित अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं प्रस्तावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में पर्यटक रुचि के स्थलों/केन्द्रों का विकास और संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के आधार पर, प्रतिवर्ष पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य के लिए 256.37 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 11 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड

6839. श्री सुबोध मोहिते: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने कोयले का अधिक प्रयोग करने वालों द्वारा विनिमय दर में अस्थिरता के कारण कोयले के कम आयात को समक्ष रखते हुए अपनी आपूर्ति बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल ताप विद्युत स्टेशनों को कम राख वाला कोयला प्रदान करने की स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में इस प्रकार के कोयले की कितनी मांग है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा विभिन्न क्षत्रों को कोयले की आपूर्ति इसकी वार्षिक उठान योजना के अनुसार की जाती है जिसे सबंधित उपभोक्ताओं/विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। वर्ष 2001-02 में 282.2 मिलियन टन वास्तविक के मुकाबले 2002-03 के लिए सी.आई.एल. की कोयला उठान योजना 286.4 मिलियन टन निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा सी.आई.एल. ने अपनी उठान योजना से 4.2 मिलियन टन की वृद्धि की है।

(ग) से (ङ) सी.आई.एल. विद्यमान तापीय विद्युत संयंत्रों को जिन्हें कम राख वाले कोयले की आवश्यकता होती है, ऐसे कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में है। सी.आई.एल. प्रतिवर्ष ए, बी, सी तथा डी ग्रेडों के कम राख वाले 70 मिलियन टन से अधिक कोयले की आपूर्ति कर रहा है जो विद्युत क्षेत्र को प्रेषित किये जाने वाले कुल कोयले का लगभग 37% है।

पारिस्थितिकीय अनुकूल जोन

6840. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों और जन प्रतिनिधियों से माथेरान और उससे जुड़े क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय अनुकूल जोन घोषित किए जाने के हाल के फैसले के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त जोन में माथेरान-पनवेल रोड के लगभग 100 गांवों को सम्मिलित किये जाने के फैसले की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) माथेरान और उसके आस-पास के क्षेत्रों को पारि-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने संबंधी 6 फरवरी, 2002 को जारी प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में जनता, उनके प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों से बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ये सुझाव और आपत्तियां प्रस्तावित अधिसूचना के पक्ष और विपक्ष दोनों के संबंध में है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले इनकी जांच करना आवश्यक होगा।

दिल्ली दुग्ध योजना में कर्मचारियों की कमी

6841. श्री राम मोहन गाइडे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) बहुत लम्बे समय से कर्मचारियों विशेषकर रोकड़-लिपिकों की कमी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना को वर्तमान में स्टाफ की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस समय रोकड़ क्लर्कों के 110 स्वीकृत पदों में से 17 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती वाले पदों को भरने पर लगाई गई अधिकतम सीमा और दिल्ली दुग्ध योजना के संचालन में गिरावट के कारण इन पदों को भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं रखी जा सकती है।

महाराष्ट्र में डेक्कन-ओडिसी रेल

6842. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सुविधायुक्त डेक्कन-ओडिसी रेलगाड़ी के मुद्दे पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एमटीडीसी और टाटा कंसलटेंसी सर्विस ने बहुत पहले उनके मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्रियान्वित किए जाने पर पर्यटकों को किस सीमा तक आकर्षित किए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सुख-साधन युक्त रेलगाड़ी को चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को 8.49 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। टाटा परामर्शी सेवा द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन दर्शाता है कि एफ आई आर आर 22% है और यह अत्यधिक पर्यटक आकर्षण होगा।

उड़ीसा में मंदिरों का रख-रखाव

6843. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के क्योंझरगढ़ में स्थित भगवान बलदेवजी के मंदिर के संरक्षण और रख-रखाव हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में स्थित प्राचीन मन्दिरों के उचित संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) क्योंझरगढ़, उड़ीसा स्थित भगवान बलदेवजी मंदिर उड़ीसा सरकार द्वारा एक संरक्षित स्मारक है। अत: यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उड़ीसा राज्य में 73 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनमें मंदिर भी शामिल हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव एवं संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अच्छी हालत में परिरक्षित हैं।

[हिन्दी]

मृदा अपदंन

6844. श्री सुबोध राय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का बिहार में भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी द्वारा हो रहे मृदा अपदंन को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, भूमि कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन एवं उनके प्रचालन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया करायी जाती है। बिहार में भागलपुर एवं कहलगांव में गंगा नदी के कारण होने वाले भूमि कटाव को रोकने के रास्ते राज्य सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध कार्गो उड़ानें

6845. डा. अशोक पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पछले कई महीनों के दौरान दिल्ली और दुबई के बीच अवैध रूप से एक कार्गो विमान उड़ान भर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) जांच के निष्कर्षों के अनुसार दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) दिल्ली और दुबई के बीच बिना वैध अनुमति के कोई कार्गो विमान उड़ान नहीं करता रहा था। तथापि, दिल्ली पुलिस के नोटिस में एक मामला आया है जिसके अनुसार विदेश मंत्रालय ने फरवरी तथा मार्च 2002 के दौरान दुबई से 'जी.एस.टी. एयरो' द्वारा चार्टर्ड कार्गो उड़ानों के अवतरण के लिए कजाखस्तान के दूतावास के द्वारा 'प्रायोजित' मामलों को क्लियर किया था। जांच-पड़ताल से पता लगा है कि विदेश मंत्रालय को कजाखस्तान के दूतावास द्वारा जो फैक्स लेटर भेजा गया था वह जाली था और वह ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट 'साम-ऐविया' द्वारा की गई हेराफेरी थी। कजाखस्तान दूतावास ने सूचित किया है कि उन्होंने उस आधार पर पत्र नहीं भेजा था जिस आधार पर विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट स्वरूप नागर विमानन महानिदेशालय को प्राधिकार जारी किया था कि वह क्लीयरेंस जारी करें। दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन की जा रही है।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आर. में बकाया अग्रिम

6846. श्री अरुण कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वैज्ञानिक विभाग) की 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 102.06 लाख रुपए के बकाया अग्रिमों का उल्लेख किया गया है और आई.सी.ए.आर. ने अक्तूबर, 1994 में की गई कार्रवाई संबंधी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि बकाया राशि को निपटाने संबंधी कार्रवाई तत्परता से की गई लेकिन रिकार्डों की जांच से पता चला है कि आई.सी.ए.आर. अग्रिमों के भुगतान और बकाया अग्रिमों को रोकने में असफल रहा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2001 की रिपोर्ट संख्या 5 के अनुसार अधिकारियों, निजी पार्टियों और सरकारी संगठनों के विरुद्ध यही राशि 31 मार्च, 2000 तक जमा होकर 1013.61 लाख रुपए हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या अग्रिमों की वसूली संबंधी गलत आश्वासन देने के लिए मामले की जांच कर ली गई है ताकि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं; और

(घ) बकाए अग्रिमों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध राशि बकाया है और यह बकाया कब से है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक (सी ए जी) रिपोर्ट में की गई लेखा-परीक्षा टिप्पणियां भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। सी ए जी की वर्ष 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार जून, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय और विभागीय अधिकारियों से संबंधित 102.06 लाख रुपये के कुल अग्रिम भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के नामे बकाया थे। सभी सरकारी विभागों से जोर देकर कहा जा रहा है कि वे अपने समायोजन खातों को प्रस्तुत करें। विभागीय कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम का समायोजन सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है। लगातार मानीटरिंग करने के परिणामस्वरूप सी ए जी की वर्ष 1991 की रिपोर्ट में यथा उल्लिखित 102.06 लाख रुपये के जो अग्रिम भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के नामे दिखाए गए हैं उनका समायोजन किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के नामे वर्ष 2001 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित 1013.61 लाख रुपये के बकाया अग्रिम के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह राशि वर्ष 1995-96 से 1999-200 तक की अवधि से संबधित है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए कतिपय निर्माण कार्यों/भण्डारों आदि के निष्पादन/वसूली के लिए राशि को अग्रिम रूप से जमा करना अपेक्षित है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, सी पी एस, डी ए वी पी आदि जैसे सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ उठाने के प्रयोजन से परिषद एक पूर्व-जमा पक्ष (प्री-डिपोजिट पार्टी) है। इस प्रकार, विभिन्न सरकारी संगठनों को अग्रिम रिलीज करना और अपने कर्मचारियों को आकस्मिक खर्च, यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम प्रदान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि, इन अग्रिमों की संबंधित इकाई और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कड़ाई से मानीटरिंग की जाती है ताकि इनका शीघ्र निपटान/समायोजन हो सके। बकाया अग्रिमों की स्थिति का विवरण नियमित रूप से एस एफ सी/जी बी को प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से अधिकांश अग्रिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित है जो निर्माण कार्यों के लिए एक अधिकृत एजेंसी है। वर्तमान में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के नामे बकाया 1013.61 लाख रुपयों के अग्रिमों को कम करके 785.74 लाख रुपये कर लिया गया है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) विभिन्न पक्षों अर्थात् सरकारी विभागों/निजी पक्षों/विभागीय अधिकारियों आदि के नामे बकाया अग्रिमों और बकाया रहने की अवधि की मौजूदा स्थिति इस प्रकार से है:

(रुपये लाख में)

वर्ष	सरकारी विभाग (के.लो.नि.वि./ डी जी एस एंड डी	निजी पक्ष	विभागीय अधिकारी	यात्रा भत्ता	छुट्टी यात्रा भत्ता	जोड़
1995-96	232.64	–	0.51	22.00	–	255.15
1996-97	149.38	–	–	–	–	149.38
1997-98	24.35	6.89	–	–	–	31.24
1998-99	95.38	0.85	0.01	–	0.05	96.29
1999-00	251.71	1.27	0.52	0.12	0.06	253.68
कुल	735.46	9.01	1.04	22.12	0.11	785.74

[हिन्दी]

छोटे और सीमांत किसानों का उत्थान

6847. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विशेषकर राजस्थान के लघु और सीमांत किसानों के उत्थान हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति छोटे एवं सीमांत किसानों के उत्थान को उचित प्राथमिकता देती है। तदनुसार, सरकार राजसहायता प्राप्त आदानों, तकनीकी जानकारी के विस्तार, मूल्य समर्थन उपायों तथा समवर्गी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के रूप में छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देती है ताकि कृषि उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद की जा सके। राजस्थान में प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, पादप रक्षण रसायनों, कृषि यंत्रीकरण और बागवानी स्कीमों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सेटों की खरीद के अंतर्गत कृषि उपस्करों और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों जिसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, के मामले में राजसहायता अन्य की तुलना में अधिक है, को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

रासायनिक कीटनाशकों के कारण प्रभावित कृषि मजदूर

6848. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में करीब 500 कृषि श्रमिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक गहन स्वास्थ्य अध्ययन करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सितम्बर एवं अक्तूबर, 2001 के दौरान कीटनाशियों के विषाक्तन के 51 मामलों की सूचना दी गई है जिसमें कीटनाशियों के प्रभाव के कारण 13 मौतें शामिल हैं। कुछ अन्य राज्यों से भी कीटनाशियों के विषाक्तंन के कारण होने वाली कुछ मौतों की सूचना दी गई है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशियों को, मनुष्यों, पशुओं तथा पर्यावरण के लिए उनकी प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा के बारे में अपनी संतुष्टि के बाद ही उन्हें पंजीकृत करती है यदि कीटनाशियों का प्रयोग निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जाता है, तो वे मनुष्यों, पशुओं तथा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करते। इसके अतिरिक्त, सरकार रासायनिक कीटनाशियों की खपत को कम करने के लिए समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) को बढ़ावा दे रही है। किसानों के खेतों पर स्कूलों का आयोजन करके कीटनाशियों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कीटनाशियों के विषाक्तन से संबंधित मामलों के निदान एवं प्रभावकारी प्रबंध के बारे में डाक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा गहन स्वास्थ्य प्रबोधन अध्ययन करने का कोई विचार नहीं है।

भगवान महावीर की जयंती मनाया जाना

6849. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याणक वर्ष के दौरान जैन धर्म, जैन स्मारकों के संरक्षण और अन्य संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या शुरू की गई परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजनाओं पर व्यय की गई/व्यय की जाने वाली राशि सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) 2001-02 के दौरान भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याणक समारोह मनाने के लिए 45 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी। सरकार ने उक्त समारोह को मनाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की है।

(ग) शुरू की गई परियोजनाएं तथा प्रत्येक पर अब तक खर्च की गई राशि इस प्रकार है:

(1) नई दिल्ली में भगवान महावीर वनस्थली पर विकासात्मक कार्य के लिए 493 लाख रु.।

(2) मध्य प्रदेश में श्रेयंसगिरि, उर्वाहा, दीदवाना ओली, बावनगजा, सोनगिरि तथा गंधर्वपुरी, राजस्थान में विराटनगर, केसरिया, आमेर, जावर माइन्स, अचलगढ़, अमरसागर, श्री महावीरजी, लोद्रू-वापटन, दिलवाड़ा तथा रनकपुर, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर, दुधई, सिरोंजी, वेहलाना, हस्तिनापुर तथा बड़गांव, गुजरात में भिलोड़ा, उमटा तथा कुम्भरिया, पंजाब में लुधियाना, कर्नाटक में अर्सीकेरी तथा बिहार में वैशाली और पावापुरी में जैन तीर्थ स्थलों के आसपास विकास कार्यों के लिए 1788.92 लाख रु.।

(3) कोलकाता, हैदराबाद, पटना, वडोदरा, भोपाल, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, बेंगलूर, धारवाड़, त्रिसूर तथा लखनऊ सर्किलों में 54 स्थलों पर केन्द्रीय रूप से संरक्षित जैन स्मारकों के संरक्षण के लिए 1097 लाख रु.।

(4) कटक और पुरी में चार भिन्न-भिन्न स्थानों पर मूर्ति शेडों के निर्माण के लिए, चौद्धार में लघु स्थल संग्रहालय के लिए, जिला कटक में प्रताप नगरी में जैन दाय संग्रहालय के निर्माण के लिए 28 लाख रु.।

(5) गुजरात के भुज जिला में भूकम्प से नष्ट हुए दो गाँवों के विकास हेतु 50 लाख रु.।

(6) गौशालाओं पर विशेष ध्यान देते हुए पशु तथा पक्षियों की देखभाल के लिए 1000.00 लाख रु.।

(7) जैन तथा प्राकृत अध्ययनों पर सेमिनार आयोजित करने के लिए 3.00 लाख रु.।

(घ) से (च) भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याणक समारोह को मनाने के लिए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति ने 9 दिसम्बर, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित करने पर बल दिया था जैसे, नई दिल्ली में महावीर वनस्थली पार्क, वैशाली तथा पावापुरी में अपूर्ण कार्यों को पूरा करना, जैन स्मारकों के संरक्षण के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करना तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति का गठन करना। अब तक शुरू की गई सभी परियोजनाएं, राष्ट्रीय समिति तथा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों के अनुरूप हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जांच

6850. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मई, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एडवर्टाइजिंग राइट्स स्कैम कास्ट्स ए.ए.आई. रु. 21.6 करोड़' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने उस घोटाले की जांच कर ली है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित कंपनी की मिलीभगत से राजकोष को कई करोड़ का घाटा पहुंचाया है;

(ग) यदि हां, तो इस घोटाले की कार्यविधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक जांच पूरी कर लिए जाने और जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मैसर्स टी.डी.आई. इंटरनेशनल (आई) प्रा.लि. के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज की है। इस संबंध में और ब्यौरों का सी.बी.आई. से पता लगाया जा रहा है।

आई एफ सी आई और आई डी बी आई में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

6851. श्री वैको: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन प्रमुख चूककर्त्ता संस्थाओं में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश किया गया है;

(ख) इन चूककर्त्ताओं में से प्रत्येक से कुल कितनी राशि देय है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या स्वतंत्र भविष्य निधि न्यास ने भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में स्वतंत्र रूप से निवेश किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने हाल की दिल्ली बैठक में इस मामले पर चर्चा की थी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण की इस आसन्न संकट को केन्द्र सरकार के उच्च स्तर पर उठाने की योजना है; और

(झ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच एम टी) और इंडस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख चूककर्त्ता हैं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश किया गया है।

(ख) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार एच एम टी से देय अंकित मूल्य की राशि 25 करोड़ रुपये और आई एफ सी आई लिमिटेड ने 50.12 करोड़ रुपये है।

(ग) दिनांक 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार आई एफ सी आई और आई डी बी आई में कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निवेश की गई राशि क्रमश: 1,046.43 करोड़ रुपये और 3,442.57 करोड़ रुपये है।

(घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्राधिकार के अधीन कोई स्वतंत्र भविष्य निधि ट्रस्ट नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (झ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने दिनांक 12.4.2002 को हुई अपनी विशेष बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया था।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में सिंचाई परियोजनाएं

6852. श्री अम्बरीश: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का देश में और सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) अभी तक किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. की जांच

6853. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार और धनराशि एवं मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित मामलों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा अधिकांश सरकारी फाइलों और शिकायत रिकार्डों पर ध्यान नहीं दिया गया/ निपटाया नहीं गया और उन्हें महीनों लंबित रखा गया; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लंबित मामलों/फाइलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए गए निम्नलिखित मामलों की जांचों को अंतिम रूप दे दिया गया है:

1. आर सी 14(ए)/98-सी बी आई/बी एल आर, दिनांक 30.4.1998-बंगलौर मंडल के कुछ पूर्व और वर्तमान पदधारियों द्वारा सरकारी निधियों का दुरुपयोग।
2. पी ई 3(ए) 2000-एल के ओ, दिनांक 29.9.2000-लखनऊ मंडल के पूर्व एवं वर्तमान पदधारियों द्वारा सरकारी निधियों का दुरुपयोग।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए एक शिकायत निवारण क्रियाविधि विशेषत: निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक और बाल प्रशिक्षु

6854. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिक और बाल प्रशिक्षु के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया गया है; और

(ग) अब तक ऐसे कितने अवसर आए हैं जब बाल श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में ''बालक'' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी न की हो। दूसरी ओर शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार ''शिक्षु'' का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी शिक्षुता करार के अनुसार ''शिक्षुता'' प्रशिक्षण ले रहा हो। कोई व्यक्ति किसी भी नामोर्दिष्ट ट्रेड में एक शिक्षु के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने का पात्र नहीं होगा जब तक वह (क) चौदह वर्ष की आयु से अधिक न हो जाए, (ख) यथानिर्धारित मानक अथवा शिक्षा और शारीरिक उपयुक्तता पूरी न करता हो।

(ग) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन सी एल पी) और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम नामक दो योजनाएं चला रही है।

आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों तथा केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर समीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं की लगातार मानीटरिंग की जाती है। एन सी एल पी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय मानीटरिंग समिति का भी गठन किया गया है। बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यचालन की हाल ही में जनवरी, 2001 में हुए बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में समीक्षा की गयी है। हाल ही में चुनिंदा एन सी एल पी का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन भी आरम्भ किया गया है। किए गए मूल्यांकन से पता चला है कि परियोजनाओं द्वारा पुनर्वास उपायों के माध्यम से बाल श्रम समस्या की व्यापकता में काफी कमी की जा सकती है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया में निदेशकों की नियुक्ति

6855. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने नए निदेशकों की नियुक्ति की है जबकि पूरे विश्व में एयरलाइनें अपना आकार कम कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एअर इंडिया में निदेशक का कोई नया पद सृजित नहीं किया गया है। तथापि, पिछले पदाधिकारियों की अधिवर्षिता/स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप योग्य पदाधिकारियों की पदोन्नति करके कतिपय निदेशक स्तर के पदों को आंतरिक रूप से भरा गया। वस्तुत:, एअर इडिया में निदेशक स्तर के कुछ पदों की पदावनति/समाप्त भी कर दिया गया है।

कोयले का अवैध खनन

6856. श्री रामजी मांझी: क्या **कोयला और खान मंत्री** कोयले के अवैध खनन के बारे में 5 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सूचना एकत्र कर ली गई है और नीचे प्रस्तुत है:

राज्य	कंपनी	दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या		
		1998-99	1999-2000	2000-01 (अप्रैल-सितम्बर)
पश्चिम बंगाल	ई.सी.एल.	209	110	83
पश्चिम बंगाल	बी.सी.सी.एल.	-	-	-
कुल प. बंगाल		209	110	83
बिहार	ई.सी.एल.	54	45	20
बिहार	बी.सी.सी.एल.	2	2	1
बिहार	सी.सी.एल.	4	25	15
कुल बिहार		60	72	36

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल-प्रपात

6857. श्री विष्णुपद राय: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृष्णा नाला पर जल-प्रपात की मौजूदगी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जल-प्रपातों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन के दृष्टिकोण से जल-प्रपातों को विकसित करने का है; और इसके लिए कोई धनराशि नियत की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां रज्जू मार्ग की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) छोटे अंडमान में "व्हाइट सर्फ" और "व्हिसपर वेव" नाम के दो मुख्य जल-प्रपात हैं।

(ग) पर्यटक रुचि के स्थानों/केन्द्रों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे परामर्श करके प्रत्येक वर्ष पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान, कृष्णा नाला में जल-प्रपात के विकास के लिए किसी परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई।

(घ) वर्तमान में, जल-प्रपात क्षेत्र के लिए किसी रज्जुमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक का उपयोग

6858. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सामान्य रूप से प्रति हेक्टेयर 99 कि.ग्रा. उर्वरक का उपयोग किया जाता है जबकि चीन, जापान, इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका और यहां तक कि बांग्लादेश में भी अत्यधिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो कि प्रति हैक्टेयर क्रमश: 257, 290, 330, 248, 243, 110 और 141 कि.ग्रा. है;

(ख) क्या गहन खेती और अत्यधिक उर्वरता वाले बीजों के उपयोग के कारण पोषण भंडार (एन.पी.के.) जो कि हमारे कृषि

योग्य भूमि का मुख्य संघटक है, समाप्त हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरता घट रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमि की उर्वरता को बचाने के लिए सरकार एकीकृत पौध पोषण आपूर्ति प्रणाली अपनाने की योजना बना रही है जिसमें कृषि अनुसंधान और किसानों को प्रौद्योगिकीय अथवा अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण के साथ-साथ रासायनिक, कार्बनिक और जैविक उर्वरकों के उचित सम्मिश्रण की सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में पौध पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की औसत खपत लगभग 95 किलोग्राम/हेक्टेयर है। इस प्रकार यह चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका तथा बंगलादेश जैसे देशों में खपत की तुलना में कम है।

(ख) गहन खेती वाले क्षेत्रों में मृदा से पौध पोषक तत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से लुप्त होते हैं। ऐसे क्षेत्रों/राज्यों में पौध पोषक तत्वों की खपत 95 किलोग्राम की राष्ट्रीय औसत खपत से अधिक होती है। एन.पी.के. की खपत पंजाब में लगभग 185 किलोग्राम/हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 158 किलोग्राम/हेक्टेयर, तमिलनाडु में 163 किलोग्राम/हेक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश में 125 किलोग्राम/हेक्टेयर है।

(ग) से (ङ) सरकार समेकित पौध पोषक आपूर्ति प्रणाली की अवधारणा का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद जैसे ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, बायोगैस स्लरी एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस अवधारणा को राज्यों में विस्तार अभिकरणों तथा केन्द्र में किसानों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के माध्यम से लोकिप्रय बनाया जा रहा है। सरकार गैर-रासायनिक पौध पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जैव-उर्वरकों के विकास एवं उपयोग संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना की गयी। उर्वरकों के संतुलित व समेकित उपयोग से संबंधित स्कीम के अंतर्गत आठवीं तथा नौवीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई, ताकि खेती में उपयोग करने की दृष्टि से विघटनशील कूड़े-करकट से खाद बनाई जा सके। सरकार द्वारा पौध पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दसवीं योजना के दौरान एक नई स्कीम "राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना" प्रस्तावित है, जिसके तहत पौध पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों के उत्पादन एवं संवर्धन को बढ़ावा दिया जायेगा, जिनका उपयोग पोषक तत्वों के पूरक स्रोत के रूप में किया जायेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच

6859. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच के बारे में दिनांक 4 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जांच रिपोर्ट में उल्लेख की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा कार्यालय वाहनों के कथित दुरूपयोग से भी अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना में, विशेषकर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच का सामना कर रहे अधिकारियों के संबंध में नियमित स्थानान्तरण की नीति को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त में से कुछ अधिकारियों को हाल ही में प्रोन्नति दिए जाने की सूचना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यह जांच कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. आई पी सी एल ने 80 : 20 का अनुपात शुरू किया था और दिल्ली दुग्ध योजना ने भी इसे स्वीकार किया।
2. 80 : 20 का अनुपात संचालन की दृष्टि से व्यवहार्य है।
3. 80 : 20 का अनुपात अधिक लागत प्रभावी है क्योंकि एल एल डी पी ई का प्रति मी. टन मूल्य एल डी पी ई से कम है।

4. रिकार्ड यह स्पष्ट करते हैं कि 80 : 20 अनुपात को शुरू करना आम सहमति से लिया गया निर्णय है। संचालन अथवा तकनीकी आधार पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि इसे बंद कर दिया जाए।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना एक संचालनात्मक संगठन होने के कारण संगठन के अधिकारियों को गहन दौरा करना पड़ता है और लॉग बुक तथा प्रविष्टियों के माध्यम से वाहनों के आवागमन पर समुचित निगरानी रखी जाती है।

(घ) सी वी सी की सिफारिश पर किसी भी अधिकारी को आरोप-पत्र नहीं दिया गया है सिवाय एक अधिकारी के जिसके विरुद्ध कदाचार और ड्यूटी की अवहेलना के लिए सी वी सी के परामर्श से विभाग द्वारा विभागीय जांच शुरू की गई है। दिल्ली दुग्ध योजना में अधिकांश समूह ''क'' पद अलग-अलग हैं, अत: बारी-बारी से स्तानान्तरण करना संभव नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

6860. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रबंधनों द्वारा श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध विभिन्न पत्रकार संघों ने अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पत्रकारों को कम वेतन स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जाता है; और

(ग) ''चौथे स्तंभ'' की चिर लंबित शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित किए गए मणिसाना वेतन बोर्डों ने 25.7.2000 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं जिन्हें सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वयन के लिए सरकार ने दिनांक 5.12.2000 और 15.12.2000 के आदेशों द्वारा अधिसूचित किया था। तब से सरकार को वेतन बोर्डों की सिफारिशों के क्रियान्वयन न होने/आंशिक क्रियान्वयन के विरुद्ध विभिन्न समाचार-पत्र यूनियनों/संगठनों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

अधिनियम के अनुसार वेतन बोर्ड पंचाट और अधिनियम के बहुत से अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। अत: सरकार ने सभी राज्यों पर इस संबंध में पंचाट की सिफारिशों को पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए तत्काल कदम उठाने और विशेष रूप से त्रिपक्षीय क्रियान्वयन समिति/विशेष प्रकोष्ठों का गठन करने पर बारंबार जोर डाला है। श्रम मंत्रालय भी पंचाट के क्रियान्वयन में हो रही प्रगति की मानीटरिंग कर रहा है।

[हिन्दी]

मैक्सिको में भारतीय सभा भवन का निर्माण

6861. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत मैक्सिको में एक भारतीय सभा भवन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या अत्याधुनिक संचार माध्यमों के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की बजाय तीन अधिकारियों को मैक्सिको का विदेश दौरा करने के लिए कहा गया था लेकिन कुछ कारणों से उन्हें विमान पत्तन से ही लौटना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) राष्ट्रीय संग्रहालय ने 22,19,308 रु. की लागत से एक भारतीय संस्कृति सभागार स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति संग्रहालय, मैक्सिको में कुछ प्रदर्श भेजे थे।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति संग्रहालय, मैक्सिको में भारतीय संस्कृति सभागार में दीर्घा स्थापित करने की अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय के तीन संग्रहाध्यक्षों को मैक्सिको भेजा गया था। तथापि, उक्त संग्रहाध्यक्षों के प्रस्थान करने के बाद निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृति संग्रहालय, मैक्सिको से इस आशय का

एक संदेश प्राप्त हुआ कि सत्ता परिवर्तन होने के कारण वे भारतीय संस्कृति सभागार स्थापित करने के संबंध में कोई आतिथ्य-सत्कार और सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहे और इसलिए उक्त संग्रहाध्यक्षों को बिना कोई कार्य किए वापिस लौटना पड़ा।

(घ) 5,28,843 रु. का व्यय किया गया।

(ङ) चूंकि इस मामले में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई, अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान सुरक्षा

6862. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खतरनाक खनन कार्यों के लिए यंत्रीकृत विकल्प का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का खान सुरक्षा में श्रमिकों और स्थानीय आबादी को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की खानों में खनन प्रचालन का मशीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को खतरनाक स्थितियों में प्रभावन को कम करता है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) ने प्रारंभ से ही अपनी खानों में अत्यधिक उन्नत मशीनीकृत ओपनकास्ट खनन प्रौद्योगिकी का अपनाया है।

सी.आई.एल. ने 2001-02 (अनंतिम) में 257.32 मि.ट. (ओपनकास्ट 230.42 मि.ट. और भूमिगत 26.90 मि.ट.) के वर्तमान मशीनीकृत उत्पादन स्तर में 2006-07 (प्रक्षेपित) में 327.79 मि.ट. (ओपनकास्ट) 288.42 मि.ट. और भूमिगत 39.37 मि.ट.) वृद्धि करने की परिकल्पना की है जिसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रौद्योगिकी	2001-02 (अनंतिम)	2006-07 (प्रक्षेपण)
मशीनीकृत ओ.सी.	230.42	288.42
पारंपरिक लांगवाल	0.22	0.27
मशीनीकृत बोरड और पिलर (एसडीएल/एलएचडी)	24.13	31.31
मशीनीकृत लांगवाल	2.21	4.97
सतत श्रमिक	शून्य	2.33
विशेष प्रणाली और अन्य	0.34	0.49
कुल मशीनीकृत उत्पादन	257.32	327.79

मौजूदा प्रतिकूल भू-खनन स्थितियों जैसे ढालदार झुकाव, मोटाई में विभिन्नता केवेबिलिटी इत्यादि के कारण विद्यमान सभी भूमिगत खानों में मशीनीकरण व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) खान सुरक्षा के संबंधित स्थानीय लोगों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खान सुरक्षा के संवर्धन में श्रमिकों को शामिल किए जाने का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। खान में सुरक्षा मामलों के बारे में प्रबंधक को सलाह देने के लिए कामगारों के निरीक्षक (ऐसी खानों में जहां रोजगार प्रतिदिन कम से कम 500 है) की एक संस्था है। खानों में (जहां रोजगार प्रतिदिन न्यूनतम 100 है) सुरक्षा समितियां उपलब्ध कराना भी अपेक्षित हैं, जिनमें श्रमिकों के न्यूनतम 5 प्रतिनिधि शामिल हों। यह समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक करती है।

[हिन्दी]

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया धनराशि

6863. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों, अन्य मंत्रियों और अधिकारियों आदि ने एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर और पवन हंस द्वारा की गई यात्राओं के लिए सरकार की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उनके विरुद्ध बकाया राशि की कब तक वसूली कर लिए जाने की संभावना है और उनसे बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विमान रखने वाली कंपनियां

6864. श्री रामशकल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न विभागों/उपक्रमों के कब्जे वाले विमानों का रिकार्ड रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का ब्यौरा क्या है जिनके पास अपने विमान हैं;

(ग) ये विमान किस तिथि को खरीदे गए और उनके द्वारा अब तक कितनी उड़ानें भरी गई;

(घ) इन विमानों के खरीदने के उद्देश्य क्या थे; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विमानों के दुरुपयोग के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) सरकारी विभागों मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व में विमानों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) इन विमानों द्वारा भरी गई उड़ानों का रिकार्ड नहीं रखता है।

(घ) राज्य सरकार के विमान सामान्यतया मुख्यमंत्रियों, राज्य के अन्य उच्चपदाधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को ले जाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के विमान को संगठन/कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों/ अधिकारियों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विमान को अधिकारियों/सैन्य दलों, घायल कार्मिकों तथा शवों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर्स का सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर्स का ऑयल फील्ड तथा पाइपलाइन सर्वेक्षण के लिए अपने कार्मिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ङ) डीजीसीए के ध्यान में दुरुपयोग का कोई मामला नहीं आया है। तथापि डीजीसीए की मूल भूमिका विमान की संरक्षा तथा एयरवर्दीनेस को मानीटर करने की है।

विवरण

	पंजी. सं.	विमानों का किस्म	पंजी. तिथि	स्वामी/ऑपरेटर
	1	2	3	4
1.	बीएसए	बीच सुपर किंग	3.8.95	सीमा सुरक्षा बल
2.	ईक्यूएल	चीता एस ए 315	11.10.90	सीमा सुरक्षा बल
3.	ईबीए	चीता एस ए 315	6.1.97	सीमा सुरक्षा बल
4.	ईयूआई	चीता एस ए 315	19.10.95	जम्मू व कश्मीर सरकार
5.	ईयूवाई	चीता एस ए 315 बी	4.8.97	जम्मू व कश्मीर सरकार
6.	एपीजी	बेल 430	14.1.99	आंध्र प्रदेश सरकार
7.	सीएनके	पाइपर कब स्पेशल	15.2.85	उत्तर प्रदेश सरकार
8.	सीएनएम	पाइपर कब स्पेशल	15.2.85	उत्तर प्रदेश सरकार
9.	डीजीजे	पाइपर कब स्पेशल	19.10.87	उत्तर प्रदेश सरकार

1	2	3	4
10.	डीआईटी	पाइपर कब स्पेशल	19.10.87	उत्तर प्रदेश सरकार
11.	डीजेटी	पाइपर कब स्पेशल	12.10.85	उत्तर प्रदेश सरकार
12.	ईडीजे	बीच बैरन बी-55	9.5.74	बिहार सरकार
13.	ईडीएल	बीच बैरन बी-55	30.5.74	उत्तर प्रदेश सरकार
14.	ईडीटी	अलॉटि III	19.8.75	महाराष्ट्र सरकार
15.	ईईजे	बीचबैरन बी-58	25.3.76	उड़ीसा सरकार
16.	ईएफजी	बीच किंग एयर	30.4.77	बिहार सरकार
17.	ईजीके	अलॉटि III	13.2.80	कर्नाटक सरकार
18.	ईजीपी	अलॉटि III	12.11.81	आंध्र प्रदेश सरकार
19.	ईएचबी	बीच सुपर किंग	18.12.81	उड़ीसा सरकार
20.	ईएचआई	अलॉटि III	8.10.90	पश्चिम बंगाल सरकार
21.	ईएचवाई	बीच किंग एयर	24.12.82	पंजाब सरकार
22.	ईआईई	बीच सुपर किंग	29.12.83	उत्तर प्रदेश सरकार
23.	ईजेआर	बीच डचस 76	13.11.85	बिहार सरकार
24.	ईजेवाई	बीच बोनांजा	24.01.86	उत्तर प्रदेश सरकार
25.	ईएनयू	डाफिन एस ए 365 एन	23.8.89	बिहार सरकार
26.	ईएनवी	डाफिन एस ए 365 एन	15.9.89	बिहार सरकार
27.	ईएनएक्स	डाफिन एस ए 365 एन	30.10.87	गुजरात सरकार
28.	ईक्यूई	चीता एस ए 315	27.10.88	जम्मू-कश्मीर सरकार (राज्य वन निगम)
29.	ईक्यूएन	बीच किंग एयर	10.3.89	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल
30.	ईक्यूओ	बीच किंग एयर	21.3.89	उत्तर प्रदेश सरकार
31.	एफजेके	बेल-407	12.7.01	जम्मू व कश्मीर सरकार
32.	जीयूजे	बीच सुपर किंग	19.5.00	गुजरात सरकार
33.	एचवाईए	बीच किंग एयर	20.12.94	हरियाणा सरकार
34.	एमपीजी	बीच सुपर किंग	12.2.01	छत्तीसगढ़ सरकार
35.	एमपीएस	बेल-430	30.3.98	मध्य प्रदेश सरकार
36.	एसओके	डाफिन 365 एन3	01.02.99	कर्नाटक सरकार

1	2	3	4
37. टीएनए	बेल412 ईपी	14.7.95	तमिलनाडु सरकार
38. यूपीए	बीच सुपर किंग	25.4.94	उत्तर प्रदेश सरकार
39. यूपीबी	बेल 230	26.07.95	उत्तर प्रदेश सरकार
40. यूपीटी	जेनिथ सीएच2000	14.01.97	उत्तर प्रदेश सरकार
41. यूपीयू	जेनिथ सीएच2000	14.01.97	उत्तर प्रदेश सरकार
42. यूपीवी	जेनिथ सीएच2000	14.1.97	उत्तर प्रदेश सरकार
43. यूपीडब्ल्यू	जेनिथ सीएच2000	1.10.96	उत्तर प्रदेश सरकार
44. यूपीएक्स	जेनिथ सीएच2000	1.10.96	उत्तर प्रदेश सरकार
45. यूपीवाई	बीच बोनांजा	12.8.96	उत्तर प्रदेश सरकार
46. यूपीजैड	बीच किंग एयर	16.8.95	उत्तर प्रदेश सरकार
47. ईएलवाई	लामा एसए 315बी	19.9.86	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
48. ईजेजैड	बीच किंग एयर	1.5.86	हरियाणा सरकार
49. ईएफआई	ऑलिट 3	5.5.99	उत्तर प्रदेश सरकार
50. एलजेके	बेल-407	19.4.02	जम्मू व कश्मीर सरकार
51. एमपीटी	बीच बी 200	26.4.02	मध्य प्रदेश सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/स्वायत्त निकाय			
52. डीटीपी	पाइपर सुपर कब	6.1.65	आईआईटी कानपुर
53. डीयूएम	सेसना 182एच	28.10.65	आईआईटी कानपुर
54. डीडब्ल्यूए	पुष्पक एमके-I	8.3.67	भारतीय विज्ञान संस्थान
55. ईटीएल	पाइपर सरातोगा-II	27.10.93	आईआईटी कानपुर
56. बीएनके	बैल-206 एल4	3.2.98	भारत फोरज कंपनी
57. सीआईएल	बीच सुपर किंग	9.12.93	कोल इंडिया लिमिटेड
58. डीएमक्यू	बीच ट्वीन	28.9.60	आईआईएससीओ, बरनपुर
59. डीएमआर	बीच क्वीन एयर	27.10.60	आईआईएससीओ, बरनपुर
60. बीओक्यू	बीच क्वीन एयर	4.8.74	भारतीय स्टील प्राधिकरण
61. बीओआर	बीच ट्वीन	12.7.62	हिन्दुस्तान स्टील लि.

1	2	3	4
62.	डीवाईपी	बेल-206 ए	16.1.89	ऐर्गो एविएशन डिविजन
63.	ईएएन	आईसलैंडर बीएन-2ए	25.11.70	विशाखापत्तनम स्टील प्लांट
64.	ईबीबी	बीच सुपर किंग	24.01.97	नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेंसी
65.	ईआईवी	ऑलिटी III	4.4.85	ओएनजीसी नजिरा असम
66.	ईआईडब्ल्यू	ऑलिटी III	4.4.85	ओएनजीसी नजिरा असम
67.	ईआईजैड	ऑलिटी III	4.4.85	ओएनजीसी
68.	ईएलजैड	बीच किंग एयर	22.12.86	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
69.	ईक्यूडी	बीच सुपर किंग	12.7.88	बोकारो स्टील प्लांट
70.	ईक्यूवाई	चेतक एसए 316 बी	1.7.91	कोल इंडिया लिमिटेड
71.	ईआरवाई	चेतक एसए 316 बी	1.10.91	हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लि.
72.	एचएएच	स्वीजर 300 सी	23.12.98	हिंदुस्तन ऐरोनोटिक्स लि.
73.	केडीएन	स्वीजर 330 एसपी	5.1.99	हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लि.
74.	ईसीजे	आलिटी III	8.9.75	हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लि.
75.	ईएफक्यू	ऐवरो एचएस 748	21.8.86	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा.
76.	ईएफआर	ऐवरो एचएस 748	21.8.86	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा.
77.	ईएनके	डोरनियर 228-200	31.12.86	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा.
78.	ईपीयू	डोरनियर 228-201	4.4.89	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा.
79.	ईईवाई	आलिटी III	8.10.76	कुदरेमुख आयरन ओर

क्र.सं	रजि.	विमान का नाम	रजि. की तिथि
1	2	3	4
एअर इंडिया के पास विमान			
1.	ईएफयू	बोईंग 747-237	21.2.79
2.	ईजीए	बोईंग 747-237	6.7.79
3.	ईजीबी	बोईंग 747-237	6.7.79
4.	ईजीसी	बोईंग 747-237	6.7.79
5.	ईएचएन	एयरबस-ए-300बी4	30.4.82
6.	ईएचओ	एयरबस ए-300बी4	30.4.82

1	2	3	4
7.	ईएचक्यू	एयरबस-ए-300बी4	6.7.82
8.	ईजेजी	एयरबस-ए-310	13.1.86
9.	ईजेएच	एयरबस-ए-310	13.1.86
10.	ईजेआई	एयरबस-ए-310	13.1.86
11.	ईजेजे	एयरबस-ए-310	9.1.86
12.	ईजेके	एयरबस-ए-310	9.1.86
13.	ईजेएल	एयरबस-ए-310	9.1.86
14.	ईक्यूएस	एयरबस-ए-310	23.8.90
15.	इक्यूटी	एयरबस-ए-310	23.8.90
16.	ईपीडब्ल्यू	बोईंग 737-337-कॉम्बी	18.11.99
17.	ईपीएक्स	बोईंग 747-337-कॉमबी	17.7.2001
18.	ईएसएम	बोइंग 747-437	23.5.93
19.	ईएसएन	बोईंग 747-437	24.5.93
20.	ईएसओ	बोईंग 747-437	24.5.93
21.	ईएसपी	बोईंग 747-437	5.7.94
22.	ईवीए	बोईंग 747-437	29.10.96
23.	ईवीबी	बोईग 747-437	29.10.96
24.	ईवीके	एयरबस-ए-310-300	16.12.2000
25.	ईवीएफ	एयरबस-ए-310-330	16.2.01
26.	ईवीजी	एयरबस-ए-310	20.7.01
27.	ईवीएच	एयरबस-ए-310	30.6.01
28.	ईवीआई	एयरबस-ए-310	14.1.02
एलाइंस एयर के पास विमान			
1.	ईजीई	बोईंग-737-200	26.2.01
2.	ईजीएफ	बोईंग-737-200	26.2.01
3.	ईजीजी	बोईंग-737-200	1.6.99
4.	ईजीएच	बोईंग-737-200	1.6.99
5.	ईजीआई	बोईंग-737-200	1.6.99

1	2	3	4
6.	ईजीजे	बोईंग-737-200	26.2.01
7.	ईजीएम	बोईंग-737-200	26.2.01
8.	ईएचई	बोईंग-737-200	26.2.01
9.	ईएचएफ	बोईंग-737-200	26.2.01
10.	ईएचजी	बोईंग-737-200	1.6.99
11.	ईएचएच	बोईंग-737-200	1.6.99
इंडियन एयरलाइंस के पास विमान			
1.	ईडीवाई	एयरबस-ए300बी2	10.4.78
2.	ईएफवी	एयरबस-ए300बी2	7.9.79
3.	ईएफडब्ल्यू	एयरबस-ए300बी2	22.4.80
4.	ईएफएक्स	एयरबस-ए300बी2	22.4.80
5.	ईएचसी	एयरबस-ए300बी4	20.3.82
6.	ईएचडी	एयरबस-ए300बी4	20.3.82
7.	ईवीसी	एयरबस-ए300बी4	8.6.98
8.	ईवीडी	एयरबस-ए300बी4	21.12.98
9.	ईआईओ	डोरनियर-228-201	12.6.97
10.	ईजेएन	डोरनियर-228-201	12.6.97
11.	ईजेओ	डोरनियर 228-201	12.6.97
12.	ईपीबी	एयरबस-ए-320	8.5.89
13.	ईपीसी	एयरबस-ए-320	8.5.89
14.	ईपीडी	एयरबस-ए-320	8.5.89
15.	ईपीई	एयरबस-ए-320	8.5.89
16.	ईपीएफ	एयरबस-ए-320	8.5.89
17.	ईपीजी	एयरबस-ए-320	8.5.89
18.	ईपीएच	एयरबस-ए-320	8.5.89
19.	ईपीआई	एयरबस-ए-320	8.5.89
20.	ईपीजे	एयरबस-ए-320	18.10.99

1	2	3	4
21.	ईपीके	एयरबस-ए-320	18.10.99
22.	ईपीएल	एयरबस-ए-320	8.5.89
23.	ईपीएम	एयरबस-ए-320	7.12.99
24.	ईपीओ	एयरबस-ए-320	21.11.89
25.	ईपीपी	एयरबस-ए-320	21.11.89
26.	ईपीक्यू	एयरबस-ए-320	21.11.89
27.	ईपीआर	एयरबस-ए-320	21.11.89
28.	ईपीएस	एयरबस-ए-320	21.11.89
29.	ईपीटी	एयरबस-ए-320	21.11.89
30.	ईएसए	एयरबस-ए-320	19.5.93
31.	ईएसबी	एयरबस-ए-320	19.5.93
32.	ईएससी	एयरबस-ए-320	19.5.93
33.	ईएसडी	एयरबस-ए-320	18.5.93
34.	ईएसई	एयरबस-ए-320	18.5.93
35.	ईएसएफ	एयरबस-ए-320	18.5.93
36.	ईएसजी	एयरबस-ए-320	3.12.93
37.	ईएसएच	एयरबस-ए-320	19.4.94
38.	ईएसआई	एयरबस-ए-320	6.10.94
39.	ईएसजे	एयरबस-ए-320	27.10.94
40.	ईएसके	एयरबस-ए-320	30.11.94
41.	ईएसएल	एयरबस-ए-320	23.12.94
42.	ईवीओ	एयरबस-ए-320	15.5.01
43.	ईवीपी	एयरबस-ए-320	26.03.01
44.	ईवीक्यू	एयरबस-ए-320	19.12.01
45.	ईवीआर	एयरबस-ए-320	19.12.01
46.	ईवीएस	एयरबस-ए-320	24.4.02
47.	ईवीटी	एयरबस-ए-320	2.4.02

1	2	3	4
इग्लुआ के पास विमान			
1.	ईएमए	ट्रीनिडाड टीबी20	15.12.86
2.	ईएमबी	ट्रीनिडाड टीबी20	15.12.86
3.	ईएमसी	ट्रीनिडाड टीबी20	15.12.86
4.	ईएमई	ट्रीनिडाड टीबी20	6.2.87
5.	ईएमएफ	ट्रीनिडाड टीबी20	6.2.87
6.	ईएमजी	ट्रीनिडाड टीबी20	6.2.87
7.	ईएमएच	ट्रीनिडाड टीबी20	6.2.87
8.	ईएमआई	बीच किंग एयर सी90	31.3.97
9.	ईएमजे	बीच किंग एयर सी90	29.4.87
10.	ईएनओ	रोबिनसन आर22 बीईटीए	3.11.87
11.	ईएनपी	रोबिनसन आर22 बीईटीए	3.11.87
12.	आईजीए	ट्रीनिडाड टीबी20	4.3.99
13.	आईजीबी	ट्रीनिडाड टीबी20	4.3.99
14.	आईजीसी	ट्रीनिडाड टीबी20	4.3.99
15.	आईजीडी	ट्रीनिडाड टीबी20	15.4.99
16.	आईजीई	ट्रीनिडाड टीबी20	15.4.99
17.	आईजीएफ	ट्रीनिडाड टीबी20	15.4.99
18.	आईजीजी	ट्रीनिडाड टीबी20एनजी	26.4.01
पवन हंस लिमिटेड के पास विमान			
1.	एएसएम	एमआई 172	23.4.98
2.	ईकेजैड	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	8.5.87
3.	ईएलबी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	6.11.86
4.	ईएलसी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	6.11.86
5.	ईएलडी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	3.12.86
6.	ईएलई	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	3.12.86
7.	ईएलएफ	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	31.12.86
8.	ईएलजी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	31.12.86

1	2	3	4
9.	ईएलआई	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	13.2.87
10.	ईएलजे	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	13.2.87
11.	ईएलके	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	13.2.87
12.	ईएलएल	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	4.3.87
13.	ईएलएम	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	4.3.87
14.	ईएलएन	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	4.3.87
15.	ईएलपी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	3.7.87
16.	ईएलक्यू	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	8.5.87
17.	ईएलआर	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	12.8.87
18.	ईएलएस	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	15.9.87
19.	ईएलटी	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	12.8.87
20.	ईएनडब्ल्यू	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	4.5.98
21.	ईएनजैड	डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टर	29.5.95
22.	पीएचए	बैल 206एल4 हेलीकॉप्टर	13.4.93
23.	पीएचबी	रोबिन्सन आर 44 हेलीकॉप्टर	15.4.94
24.	पीएचसी	रोबिन्सन आर 44 हेलीकॉप्टर	25.8.94
25.	पीएचडी	बैल 206एल4 हेलीकॉप्टर	20.5.96
26.	पीएचई	बैल 206एल4 हेलीकॉप्टर	20.5.96
27.	पीएचएफ	एम आई 172	26.12.96
28.	पीएचजी	एम आई 172	26.12.96
29.	पीएचएच	बैल 407	27.1.98
30.	पीएचआई	बैल 407	27.1.98

[अनुवाद]

कृषि लागत

6865. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में धान से प्राप्त होने वाली सकल आय में वृद्धि हुई है और वर्ष 1996-97 में यह बढ़कर करीब 11,264 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गयी जबकि इस पर शुद्ध आय 379 रुपये प्रति हेक्टेयर निकलती है जो कि अत्यन्त दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की मदद के उद्देश्य से कृषि लागत कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दिनांक 9 अप्रैल, 2002

के इकॉनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से है।

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में धान से हुई प्रति हेक्टेयर सकल आय मे वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1996-97 में 6446 रुपये थी जबकि उक्त वर्ष के दौरान सकल आय 1275 रुपये थी। 11264 रुपये की राशि मध्य प्रदेश में 1996-97 में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन मूल्य दर्शाती है।

(ख) खेती की लागत में कमी लाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत कृषि विकास संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना है, ताकि उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम की जा सके। इसके अलावा खेती की लागत में वृद्धि पर रोक लगाने एवं इस प्रकार किसानों को मदद करने के लिए उर्वरकों, विद्युत, सिंचाई, पानी आदि जैसे प्रमुख आदानों की आपूर्ति राजसहायता प्राप्त दरों पर की जाती है।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी शिक्षा का विस्तार/विकास

6866. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि संबंधी शिक्षा प्राली के व्यापक विस्तार और विकास की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को अब तक प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों के आधार पर कोई सम्भावित योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां, डा. एम एस स्वामीनाथन समिति ने "ब्रिज टू ए सैन्चुरी ऑफ होप ऑन द फार्म फ्रन्ट (1997)" शीर्षक वाली रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और उत्कृष्ट स्नातकोत्तर केन्द्रों के बारे में मुख्य सिफारिशों का उल्लेख किया था ताकि राष्ट्रीय कृषि तालमेल और शिक्षा प्रणाली में विश्वव्यापी स्पर्धा में वृद्धि हो सके।

उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए गठित उप समितियों ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

* देश में कृषि शिक्षा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत लाया जाए।
* ऐसी कार्मिक नीतियां तैयार की जाए जिनसे प्रतिभावान व्यक्ति आकर्षित हों और वे अपने पदों पर बने रहें।
* कृषि कार्यक्रमों और पहुंच से बाहर वाले पाठ्यक्रमों का राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से व्यवसायीकरण।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले से ही परिदृश्य-2020 तैयार किया है तथा इसके आधार पर शिक्षा प्रभाग, कृषि शिक्षा योजना के विकास, प्रतिपादन और सांस्थानीकरण के लिए कार्य कर रहा है।

योजनाओं का मूल्यांकन

6867. श्री रामपाल सिंह:
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए विशेष मूल्यांकन दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) प्रत्येक मंत्रालय के पास उनके द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रबोधन हेतु अपना तंत्र है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति, आवधिक रूप से केन्द्रीय क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करती है। इसके अतिरिक्त, निवेश अनुमोदनों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं की जांच करने तथा सार्वजनिक एवं निजी निवेशों की प्रक्रिया को सरल एवं तीव्र बनाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति, विभिन्न

परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विशेष सुविधा दलों के गठन किये जाने के मामले की जांच कर रही है।

रज्जुमार्ग प्रणाली

6868. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान राजमार्ग प्रणाली का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली प्रस्तावित रज्जुमार्ग प्रणाली का स्थलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचनानुसार, निम्नलिखित स्थानों पर रज्जुमार्ग प्रणाली विद्यमान है:

1.	बिहार	1. राजगीर
2.	हिमाचल प्रदेश	1. होटल टिम्बर ट्रायल, परवानू से टिम्बर हाईट्स, जिला-सोलन
		2. सोलन जिले में जाबली से कौशाली
		3. बिलासपुर जिले में श्री नैनादेवी जी
3.	जम्मू और कश्मीर	1. केबल कार-गुलमर्ग
		2. रज्जुमार्ग-सनासर से पटनीटॉप
		3. चेयरलिफ्ट-गुलमर्ग
4.	उत्तरांचल	1. मंसूरी गनिहाल-रज्जुमार्ग
		2. जोशीमठ से औली रज्जुमार्ग
		3. नैनीताल से स्नोव्यू रज्जुमार्ग
		4. हरिद्वार-मंशादेवी रज्जुमार्ग
		5. हरिद्वार-चंडीदेवी रज्जुमार्ग

(ख) रज्जुमार्ग की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थानों का अभिनिर्धारण किया गया है:

* कैसर-क्यारी अम्बर-जयगढ़
* सावित्री मंदिर-पुष्कर
* तारागढ़ (अजमेर)
* मोतीमाग्री-सज्जनगढ़ किला (उदयपुर)
* स्काउट ऑफिस-गौमुख (माउंट आबू)
* जालोर किला (जालोर)
* कैलाना झील-मच्छिया किला (जोधपुर)
* मुसीरानी छतरी बाला किला-अलवर

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुम्भ मेले के लिए सहायता

6869. श्री चिंतामन वनगा: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 2003 में महाराष्ट्र के नासिक और त्रयंबकेश्वर में कुम्भ मेले का आयोजन होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मेले हेतु विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मेलों तथा उत्सवों के आयोजन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करता है। योजना आयोग ने वर्ष 2001-2002 के दौरान नासिक में कुम्भ मेले के लिए अवसंरचना के सुधार हेतु 50.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

वैज्ञानिक कृषि

6870. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषत: पिछड़े समुदायों के स्वरोजगार/उत्थान के लिए मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और सूअर पालन के उत्पादों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक कृषि को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रिम्प, अण्डज उत्पत्तिशाला और प्रसंस्करणों में कतिपय एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग पर रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार मछली उत्पादन बढ़ाने तथा तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन के जरिए मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ताजा जल जलकृषि का विकास तथा एकीकृत तटवर्ती जलकृषि नामक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसी प्रकार सरकार उन्नत और विदेशी नस्लों के जरिए कुक्कुट/सूअर कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता तथा सूअर पालन विकास के लिए सहायता नामक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। यह योजनाएं समाज के पिछड़े वर्ग की आय बढ़ाने में सहायता करती हैं जो प्रमुख रूप से इन गतिविधियों में लगे हुए हैं।

(ग) और (घ) 1995 में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार झींगा पालन गतिविधियों में एंटीबायटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दिनांक 17 अगस्त, 2001 की अपनी अधिसूचना के अनुसार समुद्री खाद्य उत्पादन में विभिन्न एंटीबायटिक्स के अधिकतम अवशिष्ट की सीमा निर्दिष्ट कर दी है। सरकार ने स्वास्थ्यकर आयात परमिट में एक शर्त भी लगाई है कि जलकृषि के लिए आहार एंटीबायटिक्स सहित किसी भी प्रकार के रसायनिक अवशिष्ट से मुक्त होगा।

(ङ) प्रतिबंधित एंटीबायटिक्स का प्रयोग न करने जैसे स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के लागू होने से भारत को प्रतिस्पर्धात्मक होने में सहायता मिलेगी।

नारियल बोर्ड में नियुक्ति

6871. श्री जी. पुट्टास्वामी:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों से नारियल बोर्ड बिना चेयरमैन के कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चेयरमैन की नियुक्ति कब तक किये जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) नारियल विकास बोर्ड अध्यक्ष के बगैर काम नहीं कर रहा है। नारियल विकास बोर्ड में अक्तूबर 2000 में नियुक्त अध्यक्ष द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिये जाने पर जनवरी, 2002 में कृषि एवं सहकारिता विभाग के बागवानी आयुक्त ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का प्रभार संभाला। अध्यक्ष की नियुक्ति नियमित आधार पर हाल ही में संशोधित नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 10 के अनुसरण में की जानी है।

सूखा राहत उपाय हेतु गुजरात के लिए धनराशि

6872. श्री रामसिंह राठवा:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक गुजरात सरकार को सूखा राहत उपाय के तौर पर कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य द्वारा उपयोग में लाई गई और अप्रयुक्त धनराशि कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) सूखा राहत हेतु गुजरात को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की राशि निर्गत करने के अलावा, वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 54.58 करोड़ रुपये की सहायता, वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 85 करोड़ रुपये तथा 2001-2002 के दौरान 27 करोड़ रुपये की सहायता निर्गत की गई।

(ख) और (ग) निचले स्तर पर राहत पहुँचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने खास तौर से सूखे के बारे में किए गए व्यय का ब्यौरा अब तक सूचित नहीं किया है।

[हिन्दी]

गोरखपुर विमानपत्तन से विमान सेवा की बहाली

6873. श्री बब्बन राजभर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बनी और कुशीनगर के बीच स्थित गोरखपुर विमानपत्तन से उड़ानें निलम्बित कर दी गई हैं जहां बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध के अनुयायी जाया करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों पर पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रख कर इस विमानपत्तन पर विमान सेवाएं बहाल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो गोरखपुर से विमान सेवाएं कब तक बहाल कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस मई, 1992 तक दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली सेक्टर पर सप्ताह में दो बार विमान सेवा प्रचालित कर रही थी। दिल्ली और गोरखपुर के बीच औसत यात्री आवाजाही प्रति उड़ान लगभग 20 यात्रियों की थी। अत: इस सेवा को अपर्याप्त यात्री मांग की वजह से बंद कर दिया गया था।

इस समय, इंडियन एयरलाइंस की क्षमता तंगी की वजह से इस सेवा को फिर से बहाल करने की कोई योजना नहीं है।

बोधगया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

6874. श्री पदमसेन चौधरी:
डा. अशोक पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल बोध गया से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और किन देशों के लिए उड़ानें शुरू होंगी; और

(ग) ये उड़ानें कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पास गया हवाई अड्डे से तुरंत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि हाल ही में श्रीलंका की अधिकारिक एयरलाइन्स से प्राप्त द्विपक्षीय वार्ता में 'गया' तक उड़ान शुरू करने पर सहमति हुई है। प्रचालनों को शुरू करने गया हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए 2002 के शीतकाल तक तैयार होने पर और दोनों सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में दी गई शर्तों के पूरा होने पर निर्भर है।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

6875. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर रोजगार संबंधी कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है और ये अनुषंगी कंपनी-वार कब से लम्बित हैं;

(ग) इस प्रकार से लम्बे समय तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार मुहैया कराना एक सतत प्रक्रिया है। मृतक के निकट संबंधी से दावा प्राप्त होने पर मामले पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। पिछले चार वर्षों से अधिक समय से सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों में 2885 मामले जांच-पड़ताल के विभिन्न स्तर पर लम्बित है। सहायक कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

कंपनी का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1412
भारत कोकिंग कोल लि.	72
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	673

1	2
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	477
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	53
नार्दन कोलफील्ड्स लि.	11
महानदी कोलफील्ड्स लि.	66
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	121
जोड़	2885

(ग) मामलों के लम्बित रहने के मुख्य कारण हैं:

1. अपूर्ण सूचना/आवेदन।
2. आश्रित के नाम, आयु, संबंध इत्यादि से संबधित सूचना में विभिन्नता, जिससे राज्य प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट सहित विभिन्न स्तरों से सत्यापन कराने में समय लग जाता है।
3. रोजगार के लिए एक से अधिक आश्रितों द्वारा दावा करना।
4. कुछ मामले न्याय-निर्णयाधीन हो जाते हैं।
5. कुछ मामलों में रोजगार उस आश्रित को प्रदान कर दिया जाता है जो बाद में खानों में काम करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य पाया जाता हैऔर दूसरा आश्रित रोजगार के लिए दावा करता है।
6. इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित होने में आश्रित द्वारा देरी करना।

(घ) यह एक सतत प्रक्रिया होने के कारण पूछताछ का अनुपालन हो जाने तथा संबंधित दस्तावेजों सहित आवेदन के क्रम में पाये जाने पर शीघ्रातिशीघ्र मामले को निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

प्रदूषण फैलाने वाली खानें

6876. श्री शिवाजी माने: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कई खान मालिक बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत कोयला खानों के परिचालन हेतु मानदंड व दिशा-निर्देशों अधिसूचित किए गए हैं जो उनके सम्मत प्रक्रम द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक खनन परियोजना के लिए मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है। खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इन शर्तों की मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियमित रूप से मानीटरी की जाती है। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के मामले में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नहरों से जल रिसाव

6877. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 37 मुख्य नहरों और बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वितरक नहरों से 15 टीएमसी फीट से 18 टीएमसी फीट तक पानी का रिसाव हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार युद्ध स्तर पर छिद्रों को भरने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 180 दिन की अवधि के लिए जल जारी रखने पर विचार करते

समय 19 सिंचाई परियोजनाओं के तहत शामिल 57 मुख्य नहरों तथा उनकी वितरिकाओं एवं खेत सिंचाई चैनलों (एफ आई सी) में 26 टी एम सी जल का रिसाव पाया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे रिसावों को रोकने के लिए नहरों को पक्का करने, ग्राउटिंग, स्लूइसों और नियामकों की मरम्मत तथा समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय करने जैसे कदम उठा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र संबंधी कार्यशाला

6878. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भोपाल में असंगठित क्षेत्र (श्रम) संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था जिसे विख्यात अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने सम्बोधित किया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) जी हां। "मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र" पर एक दो दिवसीय कार्यशाला मानव विकास संस्थान नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 1 से 2 अप्रैल, 2002 तक भोपाल में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यशाला के आयोजकों से औपचारिक तौर पर उन्हें अभी सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

कोयला जलने के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को घाटा

6879. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिगत आग के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का कुल कितना क्षेत्र प्रभावित है और इससे कितनी मात्रा में कोयला नष्ट हुआ और इसे बुझाने की परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई;

(ख) झरिया क्षेत्र में अभी भी कोयले का कितना भंडार है और आग के कारण कितना कोयला नष्ट हुआ;

(ग) अग्नि को नियंत्रित करने और झरिया शहर को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार झरिया शहर को स्थानान्तरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पुनर्वास पैकेज सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) वर्ष 1999 में सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा आयोजित एक अध्ययन के अनुसार लगभग 280 वर्ग कि.मी. के कुल पट्टाधारी क्षेत्र में से बी.सी.सी.एल. में आग से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 8.9 वर्ग कि.मी. है। आग से क्षतिग्रस्त हुए कुल भंडारों को लगभग 37 मिलियन टन आकलित किया गया है। 10 आगों को बुझा लिया गया है। बी.सी.सी.एल. में आग के फैलने को धीमा/नियंत्रित किया गया है, परन्तु समस्याओं के विशाल स्वरूप के कारण, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इन आगों पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है।

(ख) दिनांक 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार झरिया कोलफील्ड में जी.एस.आई. द्वारा आकलित 1200 मीटर की गहराई तक के कुल भू-गर्भीय भंडार 19.43 बिलियन टन है। आग के कारण नष्ट हुए भंडार लगभग 37 मिलियन टन हैं।

(ग) परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आग पर काबू पाने के लिए बी.सी.सी.एल. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- ब्लैंकेटिंग/सतह को सील करना/सील करना
- रेत का सम्प्रवाहन
- अक्रिय गैस को अंदर भरना
- खाइयां खोदना
- जल एकत्र करना, इत्यादि।

(घ) और (ङ) भारत कोकिंग कोल लि. के पट्टाधारी क्षेत्र मे आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने के लिए मार्च, 1999 में

एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। मास्टर प्लान में झरिया शहर के कुछ भागों सहित झरिया कोलफील्ड के अस्थिर और नियंत्रणातीत धंसाव प्रवण आवासीय क्षेत्रों के पुनर्वास को अभिकल्पित किया गया है। उपर्युक्त योजनानुसार इस प्रकार के पुनर्वास की कुल लागत 1981.14 करोड़ रु. (मार्च, 1999 के आधार पर) है।

[अनुवाद]

जैव विविधता कार्य योजना

6880. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने केन्द्र सरकार को कोई जैव विविधता कार्य योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो जैव विविधता के प्रयोग से होने वाले लाभ के संरक्षण, संतत उपयोग और बराबर सहभागिता के लिए बनी योजना के राष्ट्रीय स्वरूप में इसे शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय पारिक्षेत्रों, राज्य और उपराज्य स्तरों पर जैव विविधता के लिए विस्तृत कार्य योजना विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय जैव विविधता नीति और कार्य योजना (एन बी एस ए पी) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय योजना के प्रारूप के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाएं विचाराधीन हैं।

चीन से समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध

6881. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबंधित एण्टी-बायोटिक्स की उपस्थिति के कारण यूरोपीय संघ ने चीन से समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात करने वाले कई देश एशिया से आ रहे समुद्री खाद्य पदार्थों की प्रत्येक खेप की जांच कर रहे हैं क्योंकि समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया गया एण्टी बायोटिक्स मानव उपभोग के लिए हानिकारक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने सभी समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों को जलचर पालन फार्मों में एण्टी बायोटिक्स का उपयोग न करने की चेतावनी जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) थाईलैंड, वियतनाम तथा म्यांमार से आने वाली सभी झींगा खेपों की क्लोरैमफेनिकिल तथा बीटोफूरान्स के लिए जांच की जाती है। भारतीय झींगा के लिए इस प्रकार की जांच नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), जो समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है, ने सभी निर्यातकों, प्रसंस्करणों, कृषकों, आहार निर्माताओं, हैचरी स्वामियों इत्यादि को सजग किया है कि वे अपने जलकृषि आदानों में प्रतिबंधित एण्टीबायोटिक्स का उपयोग न करें।

असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याण कोष

6882. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश श्रमिक किसी भी कल्याण योजना/कोष में शामिल नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष बनाने और बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं के पुन: आरम्भ का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि श्रमिकों और बीड़ी क्षेत्र नामक उद्योग मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य फार्मों में कार्यरत लोगों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने की लगातार मांग हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999-2000 में एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार असंगठित क्षेत्र में लगभग 37 करोड़ कर्मकार नियोजित हैं।

(ख) से (च) सरकार ने बीड़ी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और कतिपय गैर-कोयला खान कर्मकारों जैसे असंगठित श्रम की कुछ श्रेणियों के लिए कल्याण निधि स्थापित की है। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, रोजगारोन्मुख योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि इसी प्रकार की कल्याण निधि व्यवस्था के गठन की संभावना का पता लगाकर नमक उद्योग, मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य-फार्मों आदि सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कर्मकारों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कृषि कर्मकारों के लिए कल्याण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु सरकार ने 50 चुनिंदा जिलों में तीन वर्ष की अवधि के भीतर 10 लाख कृषि कामगारों को कवर प्रदान करने के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 प्रारंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन-वापसी, पेंशन एवं अधिवर्षिता लाभ प्रदान करना है। कृषि श्रमिक के लिए 1 रु. प्रतिदिन अथवा 365 रु. प्रतिवर्ष का अंशदान करना अपेक्षित है और सरकार प्रति लाभार्थी 2 रु. प्रतिदिन अथवा 730 रु. प्रतिवर्ष का अंशदान करेगी।

[हिन्दी]

खनिज अनुसंधान केन्द्र

6883. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खनिज अनुसंधान केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में वर्तमान में हो रहे खनन कार्य का स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इससे कितनी मात्रा में खनिज निकाले गए?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में खनिज संबंधी अनुसंधान केन्द्रों/प्रयोगशालाओं की संख्या (राज्यवार) नीचे दी गई है:

राज्य	अनुसंधान केन्द्रों की संख्या
महाराष्ट्र	9
हरियाणा	1
उड़ीसा	3
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	3
झारखंड	5
गोवा	1
असम	1
आंध्र प्रदेश	4
तमिलनाडु	2
गुजरात	1
कर्नाटक	2
उत्तरांचल	1
जम्मू और कश्मीर	1
दिल्ली	2
राजस्थान	1
कुल	39

उक्त सूची में केन्द्र सरकार, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान, प्रमुख निजी प्रयोगशालाएं और अन्य के द्वारा चलाए जाने वाले हाई प्रीसिजन प्रयोगशालाएं और खनिज अनुसंधान केन्द्र शामिल हैं।

(ख) और (ग) देश के लगभग सभी राज्यों में खनिजों हेतु खनन कार्य किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान (जनवरी

2002 तक) खनिजों का उत्पादन एवं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थान नीचे दिये गये हैं:

खनिज	राज्यों के नाम	2001-2002 के दौरान उत्पादन (जनवरी, 2002 तक)
कोयला	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश	2,59,661 हजार टन
लिग्नाइट	तमिलनाडु और गुजरात	18,768 हजार टन
लौह अयस्क	छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा	68,493 हजार टन
ताम्र सांद्र	महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश	1,36,564 हजार टन
क्रोमाइट	उड़ीसा और कर्नाटक	17,97,697 टन
मैग्नीज अयस्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंद्र प्रदेश, झारखंड और गोवा	12,40,394 टन
स्वर्ण	गुजरात और कर्नाटक	8,226 कि.ग्रा.
बॉक्साइट	उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	65,60,499 टन
सीसा सांद्र	राजस्थान	42,361 टन
चूना पत्थर	आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक	1,05,794 हजार टन
फास्फोराइट	राजस्थान	8,45,662 टन
डोलोमाइट	उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड	24,98,494 टन
काओलिन	केरल और राजस्थान	6,65,750 टन
जिप्सम	राजस्थान	22,39,401 टन
मैग्नेसाइट	तमिलनाडु	2,37,402 टन
स्टीटाइट	राजस्थान	4,21,852 टन

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना

6884. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा, असम, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास के लिए विशेषत: छोटे वन उत्पादों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उड़ीसा, असम,

झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजना पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बागवानी फसल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

6885. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत केवल कुछ सालाना फसलों को ही शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बागवानी फसलों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने की भी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में केवल खाद्यान्न, तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें कवर की गई हैं। बारहमासी फसलें अभी कवर नहीं की गई हैं।

तथापि, विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए बारहमासी फसलों को कवर करने की सम्भावनाओं की जांच के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने कुछ चुनिन्दा बारहमासी फसलों को प्रायोगिक आधार पर कवर करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बागवानी फसलों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की मांग इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। दरअसल बागवानी फसलों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर ने अपने राज्य में बागवानी फसलों के लिए एक अलग प्रौद्योगिकी मिशन की मांग की है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को उत्पादन घाटा

6886. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को उत्पादन घाटा के बारे में 7.8.2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 2444 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक भारत कोकिंग कोल लि. में हुए कोयले के उत्पादन घाटे के लिए जिम्मेदार प्रत्येक कारकों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) में कोयले के उत्पादन में हुई हानि के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कारक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

उत्पादन में हानि

(आंकड़े '000 टन में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
बिजली का फेल होना	447295	292285	598788	422133
भूमि की अनुपलब्धता	42331	9378	212052	178331
वर्षा/जलमग्न होना	59690	11728	70633	48851

1	2	3	4	5
उपकरण का खराब होना	1175923	764774	1632429	1191684
निधियों की कमी	2730	2610	41541	63956
भू-खनन में बाधा	2636	18167	62991	192690
अन्य	1357332	798515	1421888	1265655
कुल हानि	3087937	1807457	4040322	3363300

(ख) उत्पादन की हानि को कम करने के लिए बी.सी.सी.एल. ने निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए हैं:

(1) विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि, महत्वपूर्ण व्यस्ततम घंटों में बिजली की लाइनों को पुनः व्यवस्थित करना और बिजली के उपकरणों की योजनाबद्ध तरीके से मरम्मत से संबंधित मामलों में सुधार के लिए दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना।

(2) भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या-जिला और राज्य प्राधिकारियों के साथ निरन्तर अनुवर्तन, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री तथा संबंधित सचिवों के साथ समन्वय बैठक, लम्बित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के अनुवर्तन हेतु राजस्व और वन अधिकारियों के साथ अक्सर विचार-विमर्श और ग्रामीणों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से भूमि की सीधे खरीद करना।

(3) खानों को जलाप्लावित होना-खानों में पम्पिंग क्षमता में वृद्धि करना, खानों में बाढ़ को रोकने के लिए मानसून की तैयारी के लिए विस्तृत कार्य योजना।

(4) निधियों की कमी-कोल इंडिया लि. से ऋण लिए जाने के द्वारा तथा अन्य सहायक कंपनियों के अधिशेष तथा अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग करना।

(5) उपकरणों का खराब होना-कल-पुर्जों का बेहतर प्रबंधन तथा सूची नियंत्रण।

[हिन्दी]

देश में दलहन उत्पादन

6887. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या दलहन की कुछ किस्में पूरी तरह से बदल गयी हैं और उनका उत्पादन बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो इन दलहन की किस्मों का नाम क्या है और किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन बढ़ा है; और

(घ) इसके उपभोग और उत्पादन में वर्तमान में कितना अन्तर है और आयात के लिए कितनी मात्रा आवश्यक है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) दालों का उत्पादन मांग से कुछ कम है। मानसून की स्थिति के कारण यह उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष भिन्न-भिन्न है।

(ख) और (ग) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत अन्य केन्द्रों द्वारा दलहनों पर अनुसंधान किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहनों की बहुत सी किस्में विकसित और निर्मुक्त की हैं। इन किस्मों की सूची विवरण में संलग्न है। निर्मुक्त की गई किस्मों की पैदावार क्षमता सफेद चना, गोल मटर एवं अरहर के मामले में 2.00 से 2.5 मीटरी टन/हैक्टेयर और मूंग एवं उड़द के मामले में 1.0 से 1.5 मीटरी टन/हैक्टेयर की रेंज में होती है। विभिन्न दलहन फसलों के पकने की अवधि भी कई दलहन फसलों में कम हो गई है जिससे विभिन्न फसलन प्रणालियों एवं मौसमों में दलहनों को उगाने में सहायता मिली है।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान दलहनों का अनुमानित उत्पादन 13.9 मिलियन मीटरी टन की खपत संबंधी मांग के मुकाबले 13.8 मिलियन मीटरी टन है। हालांकि, दलहनों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आता है और आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। घरेलू बाजार में दलहनों की विभिन्न किस्मों की मांग के आधार पर ही आयात किया जाता है।

विवरण

1999-2001 की अवधि के दौरान निर्मुक्त की गई दलहन फसलों की उन्नत किस्में

किस्म/संकर किस्म का नाम	निर्मुक्ति का वर्ष	पैदावार क्विंटल/हैक्टेयर	अनुकूल क्षेत्र	महत्वपूर्ण विशेषताएं
1	2	3	4	5
सफेद चना				
जीसीपी 101 (गुजरात चना-I)	1999	18-22	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात	मुरझान सहिष्णु
पूसा 1003 (काबुली)	1999	18-20	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	मोटे बीज वाली, मुरझान सहिष्णु
बीडीजी-72 (पूसा प्रगति)	1999	20	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	मोटे बीज वाली, मुरझान एवं जड़ विगलन रोधी, सूखा सहिष्णु
बीजी 1053 (पूसा चमत्कार)	1999	20	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश	मोटे बीज वाली तथा साधारणतया जड़ संबंधी रोग रोधी
जेजी-11	1999	18-22	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	फ्यूजेरियम मुरझान सहिष्णु
केएके-2	1999	18	दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	अधिक मोटे बीज वाली काबुली किस्म, साधारणतया फ्यूजेरियम मुरझान रोधी
जीसीपी 105	2000	18	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा	साधारणतया मुरझान रोधी
एसएकेआई 9516	2000	18-20	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	मुरझान रोधी एवं साधारणतया स्तम्भमूल संधि पिगलन, बीजीएम तथा विकास रोधी
अरहर				
एमए-3 (मालवीय विकल्प)	1999	20-22	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	साधारणतया मुरझान एवं पौड फ्लाई सहिष्णु
मूंग				
एचयूएम-1	1999	8-9	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	पीत मोजेक वाइरस रोधी
पीबीएम-2	2000	6	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा	पीत मोजेक वाइरस रोधी

1	2	3	4	5
पूसा 9531	2000	9	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	पीत मोजेक वाइरस रोधी तथा जेसिड एवं व्हाइट फ्लाई सहिष्णु
पूसा बोल्ड-1 (विशाल)	2000	11	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश	पीत मोजेक वाइरस रोधी तथा जैसिड एवं व्हाइट फ्लाई सहिष्णु
गंगा-8	2001	10.30	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ग्रीष्म तथा खरीफ मौसम, सिंचित तथा असिंचित परिस्थितियों एवं शीघ्र तथा विलम्ब से बुवाई स्थितियों के लिए उपयुक्त	सूखा सहिष्णु, साधारणतया वाई.एम.वी. एवं व्हाइट फ्लाई रोधी
उड़द				
टीयू 94-2	1999	15	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु	पीत मोजेक वाइरस रोधी, साधारणतया चूर्णी फफूंद (पाऊडरी माइल्ड्यू) रोधी एवं रबी मौसम के लिए उपयुक्त
आईपीयू 94-1 (उत्तरा)	1999	12	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा	पीत मोजेक वाइरस रोधी
केयू 92-1 (आजाद उड़द-1)	1999	10	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा	पीत मोजेक वाइरस रोधी, बसन्त मौसम के लिए उपयुक्त
आरबीयू 38 (बरखा)	1999	12.5	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा	मोटे बीज वाली, पर्णदाग (सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट) रोधी
डब्ल्यूबीजी-26	1999	9.5	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	चूर्णी फफूंद (पाउडरी माइल्डयू) एवं पीत मोजेक वाइरस रोधी
शेखर-2 (केयू-300)	2001	11.30	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, मध्य प्रदेश में बसंत ऋतु के दौरान	वाई.एम.वी., पर्ण मरोड़, जड़ विगलन तथा राजस्थान और उत्तरी सी.एल.एल. रोधी
मसूर				
जेएल 3	1999	14.5	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	मुरझान रोधी
आईपीएल 81 (नूरी)	2000	12.5	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	मोटे बीज वाली, रतुआ सहिष्णु

1	2	3	4	5
मटर				
एचयूडीपी 15 (मालवीय मटर 15)	1999	23-24	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा	चूर्णी फफूंद रोधी
डीडीआर 23	2000	15.5	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा	चूर्णी फफूंद रोधी
पूसा पन्ना (डीडीआर-27)	2001	17.60	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली	चूर्णी फफूंद रोधी
मोठ				
आरएमओ-225	1999	5-5.5	राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र	सूखा सहिष्णु, शीघ्र पकने वाली
आरएमओ-96	1999	5-6	सभी मोठ उत्पादक क्षेत्र	हल्के जलोढ़ से भारी मिट्टी के लिए एवं वर्षा सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त
सीएजैडआरआई	1999	5.5-6.5	सभी मोठ उत्पादक क्षेत्र	सूखा सहिष्णु, वाई.एम.वी. रोधी
मोठ-1				
कुलथी				
एके-21	1999	8-8.5	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश	एन्थ्रेक्नोज सहिष्णु, शीघ्र पकने वाली, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
पाइयूर-2i	1999	8-8.5	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु	मूंगफली में सितम्बर-अक्तूबर की वर्षा सिंचित परिस्थितियों के लिए और दक्षिण क्षेत्र में जिंजली सीक्वेंरा के लिए उपयुक्त

कृषि विपणन बोर्ड का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन

6888. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और विस्तार हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) कृषि विपणन बोर्डों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और विस्तार की मूल जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों की है, क्योंकि इन्हें संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियमन अधिनियमों के अधीन स्थापित किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रानी अवन्तिबाई सागर परियोजना

6889. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर रानी अवन्तिबाई सागर परियोजना के तहत नहर संबंधी कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ग) लक्ष्य से कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या मुख्य नहर के साथ सहायक सिंचाई नहरों का निर्माण किए जाने की भी संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता दल द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने नाबार्ड से प्राप्त निधियों से अनुमोदित परियोजना रानी अवन्तिबाई सागर (बारगी डाइवर्जन परियोजना) के दायां तट नहर के हेडवर्क्स से 16 कि.मी. तक के कार्य का कार्यान्वयन शुरू किया है। भारत सरकार ने 16 कि.मी. से 63 कि.मी. तक वितरिकाओं सहित नहर प्रणाली के निर्माण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-2002 के दौरान 98.03 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत घटक को एक वर्ष (दो कार्य मौसम) में पूर्ण किया जाना है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय जल आयोग को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजनाओं की निगरानी में गुणवत्ता नियन्त्रण पहलू को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण पार्क

6890. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत, सार्वजनिक/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को अन्य के साथ-साथ खाद्य पार्कों में आम सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। सहायता जारी करने के लिए, सभी तरह से पूर्ण और संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन या नामित नोडल एजेंसियों द्वारा विधिवत् संस्तुत प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता है। 31.3.2002 तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त 29 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं

6891. श्री जी.जे. जावीया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए गुजरात में कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की मांग की गई है; और

(ग) उक्त ऋण से सिंचाई परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं, केन्द्रीय जल आयोग को गत एक वर्ष के दौरान विश्व बैंक से सहायता के लिए गुजरात की कोई नई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भंडार में अप्रयुक्त पड़ी सामग्री

6892. डा. बलिराम : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के अनेक भंडारों में 270 करोड़ रुपए की सामग्री/सामान अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) यह सही नहीं है कि एन.सी.एल. अपने विभिन्न स्टोरों में पड़े हुए अप्रयुक्त कोयले की 270 करोड़ रु. की अनुपयोगी सूची तैयार कर रहा है।

एन.सी.एल. के संबंध में पिछले तीन वर्षों की सूची आंकड़े निम्नवत है:-

तिथि	कुल सूची (करोड़ रु. में)	महीने की खपत के संदर्भ में सूची
31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	374.03	7.56
31.3.2001 की स्थिति के अनुसार	343.65	6.19
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार	269.35	4.77

269.35 करोड़ रु. में से 213.35 करोड़ रु. की अधिकांश सूची ऐसी है जो प्रचालन तथा उपकरण के रख-रखाव के लिए अपेक्षित एक प्रचालनात्मक सूची है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गंगा नदी के बाढ़ के पानी में राजस्थान का हिस्सा

6893. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : **क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंगा के बाढ़ के पानी में राज्य के उस हिस्से के दावे के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग राज्य के सूखा क्षेत्रों में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या लम्बा समय गुजरने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप सूखा प्रभावित राजस्थान में लगातार जल संकट बना हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कब तक गंगा के अतिरिक्त बाढ़ के पानी से 12 एम.ए.एफ. जल की आपूर्ति करने हेतु सहमत हो जायेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राजस्थान सरकार ने 1984 में मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए हरिद्वार से आगे 1133 क्यूमेक गंगा नदी के जल तथा बिजनौर से आगे 566 क्यूमेक गंगा नदी के जल को मोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राजस्थान में उपयोग किये जाने के लिए गंगा के बाढ़ जल को मोड़ने की संभावना का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि राजस्थान में मोड़ने के लिए इन दो स्थानों के आस-पास वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक जल उपलब्ध नहीं है। तथापि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अध्ययनों के क्रम में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने सारदा-यमुना राजस्थान सम्पर्क का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया। एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा तैयार की गई पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, यमुना-राजस्थान सम्पर्क में राजस्थान की 2.44 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लाभ की योजना है। सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा शुरू किए गए और उसे 2007 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

पशुओं के कल्याणार्थ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

6894. श्री शंकर सिंह वाघेला : **क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पशुओं के कल्याण हेतु कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन्हें राज्य-वार प्रदान की गई सहायता/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। पशुओं के लिए आश्रय घर के प्रावधान की योजना; व्यथा में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा के प्रावधान की योजना; आवारा कुत्तों के संतति-नियंत्रण और प्रतिरक्षण की योजना तथा प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत की योजना नामक योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दी गई वित्तीय सहायता की राशि के साथ, प्राप्तकर्ताओं के नामों की राज्य-वार, योजना-वार और वर्ष-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वित्तीय सहायता अनुदत्त गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रुपए)
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
	वर्ष 1999-2000		
1.	ब्ल्यू क्रॉस ऑफ हैदराबाद	एबीसी	5,00,000.00
2.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी	2,00,000.00
3.	ब्ल्यू क्रॉस ऑफ हैदराबाद	एबीसी	5,00,000.00
4.	श्री गौ संरक्षण पुण्य आश्रम, गुंटूर	शेल्टर	4,70,250.00
5.	फ्रैन्डस ऑफ स्नेकस क्लब, सिकंदराबाद	शेल्टर	4,50,000.00
6.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एम्बुलेंस	90,000.00
7.	इन्टरनेशनल एनीमल एंड बर्डस सोसायटी, गूंटूर	एम्बुलेंस	3,50,000.00
	वर्ष 2000-2001		
1.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी स्कीम	4,81,740
2.	एसपीसीए, काकीनाडा	शेल्टर स्कीम	1,46,250
3.	ब्ल्यू क्रॉस ऑफ हैदराबाद	शेल्टर स्कीम	7,29,000
4.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	शेल्टर स्कीम	11,25,000
5.	रॉयल यूनिट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनीमल्स, उरनाकाडा, अनंतपुर	शेल्टर स्कीम	9,77,267
6.	श्री गौ संरक्षण पुण्य आश्रम सत्तरपोल्ली, गुंटूर	शेल्टर स्कीम	4,70,250
	वर्ष 2001-2002		
1.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी स्कीम	93,880
2.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी स्कीम	5,75,620
3.	एनीमल केयर लैंड, तिरुपति	एबीसी स्कीम	85,000
4.	पीएफए, सिकंदराबाद	एबीसी स्कीम	2,50,000
5.	श्री रघुवेन्द्रा संरक्षण संगम, कुड्डप्पा	एबीसी स्कीम	85,000
6.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी स्कीम	5,75,620
7.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एबीसी स्कीम	10,20,000

1	2	3	4
8.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	शेल्टर स्कीम	11,25,000
9.	एसपीसीए, काकीनाडा	शेल्टर स्कीम	1,46,250
10.	केअर फॉर एनीमल्स, सिकंदराबाद	शेल्टर स्कीम	9,48,201
11.	श्री रघुवेन्द्रा संरक्षण संगम, कुडप्पा	एम्बुलेंस स्कीम	3,99,600
12.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापट्टनम	एम्बुलेंस स्कीम	3,86,000
13.	एनीमल केअर लैंड, तिरुपति	एम्बुलेंस स्कीम	4,08,060
14.	ग्रीन मर्सी, विशाखापट्टनम	एम्बुलेंस स्कीम	3,61,631
असम			
वर्ष 1999-2000			
1.	पीएफए, असम	शेल्टर	11,25,000.00
वर्ष 2001-2002			
1.	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, काजीरंगा	शेल्टर स्कीम	10,68,750
2.	पीएफए, असम	शेल्टर स्कीम	1,90,600
3.	श्री गुवाहाटी गौशाला ट्रस्ट, गुवाहाटी	शेल्टर स्कीम	10,68,750
4.	पीएफए, असम	एम्बुलेंस स्कीम	2,16,391
5.	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया	एम्बुलेंस स्कीम	14,78,508
झारखंड			
वर्ष 1999-2000			
1.	महर्षि विश्वामित्र गौशाला परिषद न्याय, बक्सर	शेल्टर	11,25,000.00
2.	टाटा नगर गौशाला, जमशेदपुर	शेल्टर	5,26,500.00
वर्ष 2000-2001			
1.	महर्षि विश्वामित्र गौशाला परिषद न्याय, बक्सर	शेल्टर स्कीम	11,25,000
वर्ष 2001-2002			
1.	पीएफए, रांची	एबीसी स्कीम	85,000
दिल्ली			
वर्ष 1999-2000			
1.	फ्रेन्डीकोज, एसईसीए, नई दिल्ली	एबीसी	2,00,000.00

1	2	3	4
2.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी	2,00,000.00
3.	रुथ कोवैल फाउंडेशन, नई दिल्ली	शेल्टर	5,81,850.00
4.	रुथ कोवैल फाउंडेशन, (पीएफए, गौशाला), नई दिल्ली	शेल्टर	11,25,000.00
5.	एनीमल फार्म्स, महारानी बाग, नई दिल्ली	शेल्टर	11,25,000.00
6.	पीएफए (एनीमल हॉस्पीटल, गुड़गांव), महारानी बाग, नई दिल्ली	शेल्टर	5,31,900.00
7.	सर्कल ऑफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	शेल्टर	8,06,400.00
8.	रुथ कोवैल फाउंडेशन (पीएफए, गौशाला, बवाना), नई दिल्ली	शेल्टर	11,25,000.00
9.	सर्कल ऑफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	शेल्टर	5,04,000.00
10.	आचार्य काकसाहेब कालेलकर लोकसेवा, दिल्ली	शेल्टर	11,25,000.00
11.	सोसायटी फॉर एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, दिल्ली	शेल्टर	2,47,500.00
12.	एनीमल फार्म, नई दिल्ली	शेल्टर	11,25,000.00
13.	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली	शेल्टर	10,68,750.00
14.	आचार्य सुशील गौसदन, दिल्ली	शेल्टर	5,00,000.00
15.	एनीमल फार्म, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	3,14,000.00
16.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	3,50,000.00
17.	सोसायटी फॉर एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	3,94,000.00
18.	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	3,38,350.00
19.	फ्रेन्डीकोज-एसईसीए, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	4,14,000.00
20.	पैट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	एम्बुलेंस	3,66,740.00
21.	सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली	एम्बुलेंस	4,01,893.00
वर्ष	**2000-2001**		
1.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000
2.	पैट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	85,000
3.	रुथ कोवैल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर), नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000
4.	रुथ कोवैल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर), नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,47,500

1	2	3	4
5.	फ्रैन्डीकोज-एनईसीए, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	5,44,000
6.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000
7.	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	2,79,000
8.	फ्रैन्डीकोज-एसईसीए, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
9.	मानव गौसदन, दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
10.	वाइल्ड लाइफ एस.ओ.एस., नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	7,74,900
11.	सोसायटी फॉर एनीमल वैलफेयर आर्गेनाइजेशन, दिल्ली	शेल्टर स्कीम	2,47,500
12.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
13.	मानव गौसदन, दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
14.	सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,20,500
15.	रुथ कोवैल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर), नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	7,76,250
16.	डाबर हरे कृष्ण गौशाला, नजफगढ़	शेल्टर स्कीम	10,58,750
17.	जीव आश्रम फाउंडेशन, नई दिल्ली	एम्बुलेंस स्कीम	4,49,000
18.	मानव गौसदन, दिल्ली	एम्बुलेंस स्कीम	4,50,000
19.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एम्बुलेंस स्कीम	3,50,000
20.	रूथ कोवैल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर), नई दिल्ली	एम्बुलेंस स्कीम	4,50,000
21.	सर्कल फॉर एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एम्बुलेंस स्कीम	81,518
वर्ष 2001-2002			
1.	रुथ कोवैल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर), नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,47,500
2.	सर्कल ऑफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000
3.	सर्कल ऑफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000
4.	फ्रेन्डीकोज-एसईसीए, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	5,44,000
5.	पैट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	85,000
6.	संजय गांधी एनीमल केअर, राजा गार्डन, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	4,08,000
7.	सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	1,02,000

1	2	3	4
8.	सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,20,500
9.	सर्कल ऑफ एनीमल लवर्स	शेल्टर स्कीम	11,25,000
10.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
11.	डाबर हरे कृष्णा गौशाला, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	10,68,750
12.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	11,25,000
13.	संजय गांधी एनीमल केअर सेंटर, रुथ कोवैल फाउंडेशन, नई दिल्ली	शेल्टर स्कीम	7,76,250
14.	वाइल्ड लाईफ, एस.ओ.एस., नई दिल्ली	एम्बूलेन्स स्कीम	4,50,000
15.	एनिमल हैल्थफाउंडेशन, नई दिल्ली	एम्बूलेन्स स्कीम	3,50,000
वर्ष 2002-2003			
1.	सर्किल ऑफ एनिमल लवर्स	शैल्टर स्कीम	1,65,500
गोवा			
वर्ष 1999-2000			
1.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	ए.बी.सी.	2,88,000.00
2.	गोवा पशु कल्याण न्यास, मारगोवा, गोवा	ए.बी.सी.	1,53,000.00
3.	पी.एफ.ए., गोवा, पंजि	ए.बी.सी.	98,079.00
4.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	ए.बी.सी.	7,87,500.00
5.	पी.एफ.ए., गोवा	ए.बी.सी.	2,84,849.00
6.	पी.एफ.ए., गोवा	एम्बूलेंस	3,07,000.00
7.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	एम्बूलेंस	4,50,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	पी.एफ.ए., गोवा	ए.बी.सी. स्कीम	2,00,000
2.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	ए.बी.सी. स्कीम	2,88,000
3.	पी.एफ.ए., पंजि	ए.बी.सी. स्कीम	4,08,000
4.	गोवा पशु कल्याण न्यास, मारगोवा	ए.बी.सी. स्कीम	1,53,000
5.	पी.एफ.ए., गोवा	शेल्टर स्कीम	3,82,928
6.	ग्रीन क्रोस, मोपुसा	एम्बूलेन्स स्कीम	3,50,000
7.	ग्रीन क्रोस, गोवा	एम्बूलेन्स स्कीम	90,000

1	2	3	4
8.	पी.एफ.ए., पंजि	एम्बूलेन्स स्कीम	1,65,024
9.	गोवा पशु कल्याण न्यास, मारगोवा	एम्बूलेन्स स्कीम	4,00,500
वर्ष 2001-2002			
1.	पी.एफ.ए., गोवा	ए.बी.सी. स्कीम	4,08,000
2.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	ए.बी.सी. स्कीम	3,17,910
3.	एस.पी.सी.ए., गोवा	शेल्टर स्कीम	10,41,750
4.	इन्टरनेशनल एनिमल रेसक्यू, गोवा	शेल्टर स्कीम	7,87,500
5.	एस.पी.सी.ए., गोवा	शेल्टर स्कीम	10,41,750
गुजरात			
वर्ष 1999-2000			
1.	बड़ोदरा एस.पी.सी.ए., बड़ोदा	ए.बी.सी.	1,70,000.00
2.	श्री कुच मुंद्रा पंजरापोले एण्ड गोशाला, मुंद्रा	शेल्टर	6,21,000.00
3.	श्री वृन्दावन गोशाला जीव दया न्यास, राजकोट	शेल्टर	5,78,000.00
4.	श्री गोसेवा पंजरापोले न्यास, राजकोट	शेल्टर	6,42,157.00
5.	श्री गोधड़ा महाजन पंजरापोले एण्ड गोशाला न्यास, भावनगर	शेल्टर	5,85,000.00
6.	श्री बोताड़ महाजन पंजरापोले	शेल्टर	5,85,000.00
7.	श्री धरगंधरा पंजरापोले	शेल्टर	9,61,200.00
8.	श्री भावनगर पंजरापोले, भावनगर	शेल्टर	2,74,500.00
9.	राजकोट महाजन का पंजरापोले, राजकोट	शेल्टर	5,85,000.00
10.	भावनगर पंजरापोले, भावनगर	एम्बूलेन्स	3,50,000.00
11.	गाय सेवा पंजरापोले न्यास, राजकोट	एम्बूलेन्स	3,01,000.00
12.	एस.पी.सी.ए., भुज	एम्बूलेन्स	3,50,000.00
13.	बड़ोदरा एस.पी.सी.ए., बड़ोदा	एम्बूलेन्स	3,94,800.00
14.	श्री कुज मुंद्रा पंजरापोले एण्ड गोशाला, कच्छ	एम्बूलेन्स	3,50,000.00
15.	राजकोट महाजन का पंजरापोले, राजकोट	एम्बूलेन्स	4,33,810.00
16.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	एम्बूलेन्स	3,59,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	4,59,000

1	2	3	4
2.	एस.पी.सी.ए., अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	2,25,000
3.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	6,20,500
4.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	4,59,000
5.	अन्ध अपंग गो आश्रम न्यास, वानकनेर	शेल्टर स्कीम	9,90,000
6.	अन्ध अपंग गो आश्रम न्यास, वानकनेर	शेल्टर स्कीम	9,90,000
7.	श्री वृन्दावन गोशाला जीवदया न्यास, राजकोट	शेल्टर स्कीम	5,76,000
8.	श्री रामरति अन्नक्षेत्र आश्रम, वाधवन, सुन्दर नगर	शेल्टर स्कीम	9,33,750
9.	गोसेवा पंजरापोले न्यास, राजकोट	शेल्टर स्कीम	6,42,157
10.	श्री कच्छ मुंद्रा पंजारापोले एण्ड गोशाला, मुंद्रा, कच्छ	शेल्टर स्कीम	6,21,000
11.	श्री तेरा पंमजारापोले, तेरा, कच्छ	शेल्टर स्कीम	7,06,500
12.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अहमदाबाद	एम्बूलेन्स स्कीम	4,50,000
वर्ष 2001-2002			
1.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000
2.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	6,20,000
3.	पशु सहायता फांउडेशन	ए.बी.सी. स्कीम	10,20,000
4.	वड़ोदरा एस.पी.सी.ए.	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000
5.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	6,20,500
6.	स्वर्गीय सुभाष बतरा जीवदया न्यास, अदमदाबाद	ए.बी.सी. स्कीम	5,10,000
7.	श्री मोरबी पंजरापोले, मोरबी	शेल्टर स्कीम	7,96,050
8.	श्री धानागाधरा पंजरापोले	शेल्टर स्कीम	9,61,200
9.	श्री गोवंश पेजरापोले एण्ड गोशाला, जूनागढ़	शेल्टर स्कीम	3,85,650
10.	वनकानेर पंजरोपोले गोशाला	शेल्टर स्कीम	9,33,750
11.	एनिमल सेविंग ग्रुप, वालसाड	एंबुलैंस स्कीम	3,95,000
12.	गुजरात एसपीसीए, बड़ोदरा	एंबुलैंस स्कीम	3,58,000
वर्ष 2002-2003			
1.	वडोदरा एस पी सी ए	शेल्टर स्कीम	4,03,711

1	2	3	4
	हरियाणा		
	वर्ष 1999-2000		
1.	वाइल्ड एस.ओ.एस., डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली एनिमल रेसक्यू सेन्टर, गुड़गांव	शेल्टर	7,74,900.00
2.	राष्ट्रीय गोशाला, धरोली, जिंद	शेल्टर	6.75,000.00
3.	श्री गोशाला साला डेयरी, हिसार	शेल्टर	4.46,400.00
4.	श्री कृष्ण गोशाला, फेतहल	शेल्टर	7,37,000.00
5.	अर्ष महाविद्यालय गुरूकुल गोशाला, जिंद	शेल्टर	5,40,000.00
6.	अखिल भारतीय गोशाला, रोहतक	शेल्टर	8,68,500.00
7.	राष्ट्रीय गोशाला, जिंद	एंबुलैंस	90,000.00
8.	अर्ष महाविद्यालय गुरूकुल गोशाला, जिंद	एंबुलैंस	89,000.00
9.	श्री गोशाला साला डेयरी, हिसार	एंबुलैंस	3,50,000.00
10.	पी. एफ. ए., रोहतक	एंबुलैंस	3.49,057.00
11.	श्री कृष्ण गोशाला, टोहना	एंबुलैंस	3,10,500.00
	वर्ष 2000-2001		
1.	श्री कृष्ण गोशाला समिति, अम्बाला	शेल्टर स्कीम	4,55,850
2.	श्री गोशाला बाबा फुल्लू जिंद	शेल्टर स्कीम	5,34,346
3.	श्री सोमनाथ गोशाला, जिंद	शेल्टर स्कीम	4,38,750
4.	श्री गोशाला साला डेयरी, हिसार	शेल्टर स्कीम	4,46,400
5.	श्री बालाजी गोशाला, जिंद	शेल्टर स्कीम	5,20,200
6.	श्री स्वामी गुरू अक्षानन्द गोशाला, जुलना, जिंद	शेल्टर स्कीम	6,28,110
7.	आदर्श गोशाला इलाका सतनाली, महेन्द्र गढ़	शेल्टर स्कीम	6,39,000
8.	अखिल भारतीय गोशाला, रोहतक	शेल्टर स्कीम	8,68,500
9.	श्री गोपाल गोशाला, नारनोल	शेल्टर स्कीम	4,96,710
10.	अखिल भारतीय गोशाला, रोहतक	एंबुलैंस स्कीम	91,667
11.	श्री गोशाला साला डेयरी, हिसार	एंबुलैंस स्कीम	1,00,000
12.	श्री श्री 1008 बाबा निहाल गिरी गोशाला, करनाल	एंबुलैंस स्कीम	4,50,000
13.	श्री गोशाला सोसायटी, पानीपत	एंबुलैंस स्कीम	85,500

1	2	3	4
14.	आदर्श गोशाला इलाका सतनाली, महेन्द्रगढ़	एंबुलैंस स्कीम	3,50,000
15.	आदर्श गोशाला इलाका सतनाली, महेन्द्रगढ़	एंबुलैंस स्कीम	1,00,000
वर्ष 2001-2002			
1.	श्री सोमनाथ गोशाला, जिंद	शेल्टर स्कीम	4,38,750
2.	अखिल भारतीय गोशाला, रोहतक	शेल्टर स्कीम	3,37,500
3.	आदर्श गोशाला इलाका सतनाली	शेल्टर स्कीम	6,39,000
4.	राष्ट्रीय गोशाला, धरोली	शेल्टर स्कीम	9,00,000
5.	श्री लड्वा गोशाला, लड्वा, हिसार	शेल्टर स्कीम	10,94,490
6.	श्री स्वामी गुरू अक्षानन्द गोशाला, जिंद	शेल्टर स्कीम	6,28,110
7.	श्री गोशाला बाबा फुल्लू साद, जिंद	शेल्टर स्कीम	5,34,346
8.	श्री गोशाला, खिदवाली	शेल्टर स्कीम	6,50,250
9.	अखिल भारतीय महर्षि दयानन्द गोशाला, रोहतक	शेल्टर स्कीम	7,98,750
10.	पी.एफ.ए., सधराना, गुढगांवा (ऐनिमल होस्पिटल)	शेल्टर स्कीम	9,33,750
11.	श्री गोशाला, खिदवाली, रोहतक	शेल्टर स्कीम	6,50,250
12.	श्री लड्वा गोशाला, लड्वा, हिसार	शेल्टर स्कीम	10,94,490
13.	श्री गोशाला, खिदवाली, रोहतक	एंबुलैंस स्कीम	3,99,500
14.	पी.एफ.ए., रोहतक	एंबुलैंस स्कीम	3,87,500
जे. एण्ड के.			
वर्ष 1999-2000			
1.	एस.पी.सी.ए., जम्मू	शेल्टर	8,51,400.00
2.	एस.पी.सी.ए., जम्मू	शेल्टर	4,50,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	वन्य जीव संरक्षण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, डीयर पार्क, मांडा, नजदीक अशोक होटल, जम्मू	शेल्टर स्कीम	9,87,750
वर्ष 2001-2002			
1.	वन्य जीव संरक्षण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, डीयर पार्क, मांडा, नजदीक अशोक होटल, जम्मू	शेल्टर स्कीम	9,87,750

1	2	3	4
झारखण्ड			
वर्ष 1999-2000			
1.	पी.एफ.ए., रांची	एंबूलेन्स	4,50,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	महर्षि विश्वामित्र गोरक्षा परिषद् न्यास, बक्सर	शेल्टर स्कीम	11,25,000
वर्ष 2001-2002			
1.	पी.एफ.ए., रांची	ए.बी.सी. स्कीम	85,000.00
कर्नाटक			
वर्ष 1999-2000			
1.	बंगलौर एस.पी.सी.ए., बंगलौर	ए.बी.सी.	1,36,000.00
2.	एनिमल राइटस फण्ड, बंगलौर	ए.बी.सी.	59,000.00
3.	कम्पैशन अन लिमिटेड प्लस एक्शन, बंगलौर	ए.बी.सी.	2,00,000.00
4.	मैसूर पंजरापोले सोसायटी, मैसूर	शेल्टर	11,25,000.00
5.	कम्पैशन अन लिमिटेड प्लस एक्शन, बंगलौर	शेल्टर	11,25,000.00
6.	एस.पी.सी.ए., बंगलौर	शेल्टर	1,77,300.00
7.	पी.एफ.ए., बंगलौर	शेल्टर	10,51,155.00
8.	पी.एफ.ए., मैसूर	एंबूलेन्स	3,50,000.00
9.	पी.एफ.ए., बंगलौर	एंबूलेन्स	4,50,000.00
10.	पी.एफ.ए., मैसूर	एंबूलेन्स	1,00,000.00
11.	एनिमल राइटस फण्ड, बंगलौर	एंबूलेन्स	3,50,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	एनिमल राइटस फण्ड, बंगलौर	ए.बी.सी. स्कीम	59,000
2.	वाइल्ड लाईफ रसक्यू एण्ड रीहेबिलीटेशन सैन्टर, बंगलौर	शेल्टर स्कीम	10,22,175
3.	जू ओथर्टी ओफ कर्नाटक, बंगलौर	शेल्टर स्कीम	11,25,000
4.	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, कोलार	शेल्टर स्कीम	5,19,750
5.	इण्डियन वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ग्रुप, बंगलौर	एंबुलैंस स्कीम	4,50,000
6.	एनिमल राइटस फण्ड, बंगलौर	एंबुलैंस स्कीम	90,000

1	2	3	4
वर्ष 2001-2002			
1.	डू इट योर सैल्फ एक्टीविटीज (डीआईवाईए), बंगलौर	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000
2.	डीआईवाईए, बंगलौर	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000
3.	पी.एफ.ए., मैसूर	ए.बी.सी. स्कीम	2,04,000
4.	पी.एफ.ए., बंगलौर	शेल्टर स्कीम	10,51,155
5.	जू ओथर्टी ओफ कर्नाटक, बंगलौर	शेल्टर स्कीम	11,25,000
6.	सेव अवर वाइल्ड (एस ओ डब्ल्यू एल) बंगलौर	शेल्टर स्कीम	10,09,800
7.	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय न्यास, कोलर	शेल्टर स्कीम	5,19,750
8.	वन्यजीव उद्धार एवं पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर	शेल्टर स्कीम	10,22,175
9.	डी आई वाई ए, बंगलौर	एंबुलैंस स्कीम	4,44,500
10.	पशु अधिकारों के लिए संघर्ष, बंगलौर	एंबुलैंस स्कीम	2,94,650
11.	एस ओ डब्ल्यू एल, बंगलौर	एंबुलैंस स्कीम	3,28,024
वर्ष 2002-2003			
1.	डू इट यूअर सैल्फ एक्टीविटीज	ए.बी.सी. स्कीम	6,80,000
मध्य प्रदेश			
वर्ष 1999-2000			
1.	पी.एफ.ए., ग्वालियर	ए.बी.सी.	1,70,000.00
2.	पी.एफ.ए., ग्वालियर	ए.बी.सी.	1,70,000.00
3.	पी.एफ.ए., ग्वालियर	शेल्टर	5,00.000.00
4.	श्री गोपाल कृष्ण गोशाला विधिशा सेवा न्यास, विधिशा	शेल्टर	4,50,000.00
5.	पी.एफ.ए., ग्वालियर	शेल्टर	6,25,000.00
6.	ब्रिज मोहन रामकली गो समरक्षण, गोपाल	शेल्टर	4,05,000.00
7.	जीवजन्तु कल्याण संगठन, भोपाल	शेल्टर	4,05,000.00
8.	पी.एफ.ए., भिलाई	शेल्टर	4,50,000.00
9.	गौ समरक्षण सेवा समिति, विधिसा	शेल्टर	3,60,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	पी.एफ.ए. ग्वालियर	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000

1	2	3	4
2.	श्री गोपाल इपतिखार गोशाला, जाठरू	शेल्टर स्कीम	1,12,500
3.	संत श्री रोतीराम जी गोशाला, मंदसोर	शेल्टर स्कीम	3,48,300
4.	ब्रिज मोहन रामकली गो समरक्षण, गोपाल	शेल्टर स्कीम	3,37,500
5.	आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केन्द्र, सागर	शेल्टर स्कीम	7,20,000
6.	श्री गोपाल कृष्ण गोशाला, विधिशा सेवा न्यास, विधिशा	शेल्टर स्कीम	4,50,000
वर्ष 2001-2002			
1.	पी.एफ.ए. ग्वालियर	ए.बी.सी. स्कीम	1,70,000
2.	दैवादया गौसेवा जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन, सागर	शेल्टर स्कीम	7,20,000
3.	संत श्री रोतीराम जी गौशाला	शेल्टर स्कीम	3,48,300
4.	पी.एफ.ए., ग्वालियर	शेल्टर स्कीम	3,17,000
5.	पी.एफ.ए., मुरैना	एंबुलैंस स्कीम	3,65,500
6.	पी.एफ.ए., उज्जैन	एंबुलैंस स्कीम	4,14,900
महाराष्ट्र			
वर्ष 1999-2000			
1.	ब्लू क्रॉस सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	ए.बी.सी.	2,00,000.00
2.	ए एच आई एम एस ए, मुम्बई	ए.बी.सी.	2,50,000.00
3.	पी.एफ.ए., मुम्बई	ए.बी.सी.	1,63,200.00
4.	पी.एफ.ए. मुम्बई	ए.बी.सी.	2,00,000.00
5.	इन डिफैंस ऑफ एनिमल, मुम्बई	ए.बी.सी.	1,20,700.00
6.	ब्लू क्रॉस, पुणे	ए.बी.सी.	4,00,000.00
7.	ब्लू क्रॉस, पुणे	शेल्टर	7,90,425.00
8.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर	11,25,000.00
9.	पी.एफ.ए., चन्द्रपुर	शेल्टर	7,50,000.00
10.	नागपुर, एसपीसीए	शेल्टर	9,28,755.00
11.	उज्जवल गौरक्षा ट्रस्ट, नागपुर	शेल्टर	11,25,000.00
12.	इंडियन हर्पीजालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	एंबुलैंस	3,50,000.00
13.	पी.एफ.ए., चन्द्रपुर	एंबुलैंस	4,50.000.00
14.	आल इंडिया एनिमल वैलफेयर एसोसियशन, मुम्बई	एंबुलैंस	94,087.00

1	2	3	4
वर्ष 2000-2001			
1.	आल इंडिया एनिमल वैलफेयर सोसायटी एसोसियशन, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	2,00.000
2.	दी वैलफेयर ऑफ स्टे डॉग्स, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	2,00.000
3.	ब्लू क्रॉल सोसायटी आफ पुणे, पुणे	ए.बी.सी. स्कीम	4,00,000
4.	आल इंडिया एनिमल वैलफेयर एसोसियशन, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	4,25,000
5.	बाम्बे एसपीसीए, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	2,55,000
6.	इन डिफैंस ऑफ एनिमल, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	3,06,000
7.	ब्लू क्रॉस सोसायटी आफ पुणे, पुणे	शेल्टर स्कीम	4,000
8.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	11,25,000
9.	पी. एफ. ए., चन्द्रपुर	शेल्टर स्कीम	7,50,000
10.	बाम्बे एस पी सी ए	एम्बूलेन्स स्कीम	4,50,000
11.	बाम्बे एस पी सी ए	एम्बूलेन्स स्कीम	4,46,000
वर्ष 2001-2002			
1.	आल इंडिया एनिमल वैलफैयर एसोसिएशन, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	2,44,800
2.	दी वैलफेयर ऑफ स्ट्रेडॉग्स, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	4,25,000
3.	ब्लू क्रॉल सोसायटी आफ पुणे, पुणे	ए.बी.सी. स्कीम	3,15,360
4.	आस इंडिया एनिमल वैलफेयर एसोसिएशन, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	2,50,000
5.	बाम्बे एसपीसीए, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	4,00,000
6.	इन डिफैंस ऑफ एनिमल, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	3,06,000
7.	ब्लू क्रॉस सोसायटी आफ पुणे, पुणे	ए.बी.सी. स्कीम	1,02,000
8.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	ए.बी.सी. स्कीम	2,55,000
9.	पी.एफ.ए., चन्द्रपुर	ए.बी.सी. स्कीम	3,40,000
10.	बोम्बे एसपीसीए	ए.बी.सी. स्कीम	1,72,800
11.	जालना, एसपीसीए, जालना	ए.बी.सी. स्कीम	2,00,000
12.	ए आई ए डब्ल्यू ओ, मुम्बई	ए.बी.सी. स्कीम	4,25,000
13.	दी बाम्बे एस.पी.सी.ए. बोम्बे	शेल्टर स्कीम	2,98,350
14.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	9,45,225

1	2	3	4
15.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	5,85,000
16.	दी बाम्बे ह्यूमनटेरीयन लीग, मुम्बई	शेल्टर स्कीम	5,85,000
17.	श्री रामरोत्ती अन्नक्षेत्र आश्रम, मुम्बई	शेल्टर स्कीम	9,33,750
18.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	5,85,000
19.	इंडियन हर्पीटालॉजिकल सोसाइटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	9,45,225
20.	बाम्बे एसपीसीए, मुम्बई	शेल्टर स्कीम	2,98,350
21.	ब्लू क्रॉल सोसायटी, पुणे	शेल्टर स्कीम	3,90,425
22.	एस.पी.ए.एन., ठाणे	एम्बूलेन्स स्कीम	3,37,498
23.	ब्लू क्रॉल पुणे	एम्बूलेन्स स्कीम	3,50,000
24.	दी प्लांट एण्ड एनिमल वैलफेयर सोसायटी (पीएडब्लयूएस)	एम्बूलेन्स स्कीम	3,50,000
25.	अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ, मुम्बई	नेचुरल केलमटीज स्कीम	10,00,000
मणिपुर			
वर्ष 1999-2000			
1.	नाओडखांग यूथ सपोर्टिंग एंड कल्चरल एसोसिएशन, बिशनपुर	शेल्टर	3,91,000.00
2.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, इम्फाल	शेल्टर	3,55,050.00
3.	वोलेंटरी एनीमल वैलफेयर आर्गेनाईजेशन, थोबल	एम्बुलेंस	1,84,000.00
4.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, इम्फाल	एम्बुलेंस	4,06,000.00
5.	कम्यूनिटी डवलपमैंट आर्गेनाइजेशन, बिशनपुर	एम्बुलेंस	3,92,441.00
वर्ष 2000-2001			
1.	एजुकेशन एंड टेक्नोलाजी डवलपमैंट रूरल सर्विस आर्गनाइजेशन, नान्जिंग	शेल्टर स्कीम	1,57,500
2.	वोलेंचकी एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, थोबल	शेल्टर स्कीम	4,95,000
3.	नाओडखांग यूथ सपोर्टिंग एंड कल्चरल एसोसिएशन, बिशनपुर	शेल्टर स्कीम	3,91,000
4.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैलफेयर सोसायटी, इम्फाल	शेल्टर स्कीम	3,55,050
वर्ष 2001-2002			
1.	एजुकेशन एंड टेक्नोलाजी डवलपमैंट रूरल सर्विस आर्गनाइजेशन, नान्जिंग	शेल्टर	1,57,500
2.	पीएफए., इम्फाल	शेल्टर स्कीम	9,57,575

1	2	3	4
3.	पीएफए, थोबल	शेल्टर स्कीम	10,42,921
4.	पीएफए, इम्फाल	एम्बूलेंस स्कीम	2,18,226
5.	पीएफए, चदेंल	एम्बूलेंस स्कीम	3,15,000
6.	पीएफए, थोबल	एम्बूलेंस स्कीम	3,94,100
उड़ीसा			
वर्ष 1999-2000			
1.	पीएफए, भुवनेश्वर	एबीसी	4,00,000.00
2.	पीएफए, भुवनेश्वर	शैल्टर	11,25,000.00
3.	कलिंग एनीमल केयर, भुवनेश्वर	एम्बुलैंस	3,70,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	असुरेश्वर गौ मंगल समिति, कटक	शैल्टर स्कीम	5,00.000
2.	कलिंग एनिमल केयर एंड शैल्टर, भुवनेश्वर	शैल्टर स्कीम	6,96,465
3.	उड़ीसा स्टेट काउंसिल फार एनिमल वैलफेयर, भुवनेश्वर	एंबुलैंस स्कीम	3,50,000
4.	पी एफ ए, बरहमपुर	एंबुलैंस स्कीम	4,50,000
वर्ष 2001-2002			
1.	पीएफए, गंजन	शैल्टर स्कीम	8,77,500
2.	पीएफए, राउरकेला	एंबुलैंस स्कीम	4,23,000
3.	पीएफए, भुवनेश्वर	नैचुरल कलैमिटी स्कीम	4,00,000
पांडिचेरी			
1999-2000			
1.	पांडिचेरी पीसीए एंड वैलफेयर एसोसिएशन, पांडिचेरी	शेल्टर	3,15,000.00
2.	पांडिचेरी पीसीए एंड वैलफेयर एसोसिएशन, पांडिचेरी	एम्बुलेंस	4,50,000.00
पंजाब			
वर्ष 1999-2000			
1.	एसपीसीए, अमृतसर	एबीसी	1,02,000.00
2.	एसपीसीए, अमृतसर	शेल्टर	8,67,150.00
3.	श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी, संगरुर	शेल्टर	6,14,250.00
4.	महावीर गौशाला, मलौत	शेल्टर	8,77,500.00

1	2	3	4
5.	बाबा बोहरीवाला गौशाला सेवा समिति, अमृतसर	शेल्टर	6,37,380.00
6.	पीएफए, जांलधर	एम्बूलेंस	4,50,000.00
7.	एसपीसीए, अमृतसर	एम्बूलेंस	4,40,000.00
8.	एसपीसीए, जांलधर	एम्बूलेंस	4,05,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	अनंत गौ आश्रम रामपुरा, फुल, भटिंडा	शेल्टर स्कीम	2,72,250.00
2.	महावीर गौशाला, मुक्तसर	शेल्टर स्कीम	8,77,500
3.	अनंत गौ आश्रम रामपुरा, फुल, भटिंडा	एम्बुलेंस स्कीम	4,50,000
वर्ष 2001-2002			
1	पीएफए, लुधियाना	एबीसी स्कीम	51,000
2.	पीएफए, लुधियाना	शेल्टर स्कीम	11,25,000
3.	श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी, संगरुर	शेल्टर स्कीम	6,14,250
4.	श्री गोपाल गौशाला, पटियाला	शेल्टर स्कीम	8,55,950
5.	अपाहिज गौसेवा आश्रम, बरनाला	शेल्टर स्कीम	8,04,250
6.	पीएफए, लुधियाना	शेल्टर स्कीम	11,25,000
वर्ष 2002-2003			
1.	अनंत गौ आश्रम, रामपुरा फुल, भटिंडा	शेल्टर स्कीम	2,72,250
2.	पीएफए, जांलधर	एबीसी स्कीम	36,000
राजस्थान			
वर्ष 1999-2000			
1.	हैल्प-इन-सफरिंग, जयपुर	एबीसी	2,00,000.00
2.	श्री कल्याण भूमि गौसेवा सदन, पदनपुर	शेल्टर	2,29,815.00
3.	श्री गोपाल गौशाला, बाड़मेर	शेल्टर	10,00,000.00
4.	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट, पाली	शेल्टर	5,13,000.00
5.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शेल्टर	4,46,400.00
6.	श्री राम गौशाला ट्रस्ट, उम्मेदनगर	शेल्टर	6,54,210.00
7.	श्री ब्रह्मचारी रामकुमार जी, पन्नालाल जी गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, जोधपुर	शेल्टर	8,34,750.00

1	2	3	4
8.	श्री कृष्ण गौशाला, पाली	शेल्टर	5,85,000.00
9.	गौरी शंकर गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शेल्टर	4,46,400.00
10.	पीएफए, भीलवाड़ा	एम्बुलेंस	3,98,000.00
11.	सिवांचीगेट गौशाला, जोधपुर	एम्बुलेंस	4,04,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	श्री जनकल्याण गोपाल गौशाला, नागौर	शेल्टर स्कीम	4,71,330
2.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागौर	शेल्टर स्कीम	5,48,910
3.	श्री गुलाब गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, जोधपुर	शेल्टर स्कीम	7,53,750
4.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जयपुर	शेल्टर स्कीम	10,09,485
5.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागौर	शेल्टर स्कीम	5,48,910
6.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शेल्टर स्कीम	4,46,400
7.	श्री कल्याण भूमि गौसेवा सदन, श्रीगंगानगर	शेल्टर स्कीम	2,29,815
8.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	एंबुलेंस स्कीम	3,28,177
9.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागौर	एंबुलेंस स्कीम	4,38,580
वर्ष 2001-2002			
1.	हैल्प-इन सफरिंग, जयपुर	एबीसी स्कीम	6,12,000
2.	श्री कपिल कृष्ण गौशाला, बीकानेर	शेल्टर स्कीम	6,44,400
3.	श्री ब्रह्मचारी रामकुमार जी पन्नालाल जी गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, जोधपुर	शेल्टर स्कीम	8,34,750
4.	पूज्यपाद संत जी आसारामजी गौशाला समिति, टोंक	शेल्टर स्कीम	11,25,000
5.	दुष्कल गौसेवा समिति	शेल्टर स्कीम	7,20,000
6.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जयपुर	शेल्टर स्कीम	10,09,485
7.	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्था गौशाला, उदयपुर	शेल्टर स्कीम	3,40,050
8.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, जसवंतगढ़	शेल्टर स्कीम	4,50,000
9.	श्री गोपाल गौशाला, बाड़मेर	शेल्टर स्कीम	10,00.000
10.	संत श्री आसारामजी समिति, जयपुर	शेल्टर स्कीम	11,25,000
11.	श्री गिरिधर गौसेवा समिति, कोटा	शेल्टर स्कीम	6,91,690
12.	श्री गोपाल गौशाला समिति, जोधपुर	एंबुलेंस स्कीम	4,40,000
13.	संत श्री आसारामजी गौशाला, जयपुर	एंबुलेंस स्कीम	4,50,000

1	2	3	4
वर्ष 2002-2003			
1.	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट, पाली	शेल्टर स्कीम	5,13,000
तमिलनाडु			
वर्ष 1999-2000			
1.	पी.एफ.ए., चेन्नई	एबीसी	2,50,000.00
2.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी	2,00,000.00
3.	ब्लू क्रास, चेन्नई	एबीसी	2,00,000.00
4.	पी.एफ.ए., (चेन्नई) चेरिटेबल ट्रस्ट,	एबीसी	2,50,000.00
5.	ब्लू क्रास ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी	5,00,000.00
6.	पी.एफ.ए., चेन्नई, चेरिटेबल ट्रस्ट	शेल्टर	11,25,000.00
7.	ब्लू क्रास ऑफ इंडिया, चेन्नई	शेल्टर	6,00,000.00
8.	श्री मरुधर केसरी जैन गौशाला, चेन्नई	शेल्टर	6,75,000.00
9.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एंबुलेंस	2,32,000.00
10.	पी,एउ,ए., वेल्लोर	एंबुलेंस	3,43,000.00
11.	पी.एफ.ए., कोयम्बतूर	एंबुलेंस	1,00,000.00
12.	बुलक कार्ट वकर्स डवलपमेंट एसोसिएशन, विल्लीपुरम	एंबुलेंस	4,50,000.00
13.	सेंचुरी फॉर एनीमल वेटेरीनरी एकसीलेंस, चेन्नई	एंबुलेंस	4,50,000.00
14.	भारतीय प्राणिमित्र संघ, चेन्नई	एंबुलेंस	3,51,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	5,00,000
2.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	7,50,000
3.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	2,25,000
4.	पीएफए (चेन्नई) चेरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	4,00,000
5.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	2,25,000
6.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	7,50,000
7.	पी.एफ.ए. (चेन्नई), चेरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	4,00,000
8.	गोस्वामी मैडम, टी नगर, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	3,17,236

1	2	3	4
9.	श्री सतसई प्राणी सेवा शेल्टर, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	2,40,098
10.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	11,25,000
11.	गोस्वामी मैडम, टी नगर, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	3,17,236
12.	श्री सतसई प्राणी सेवा शेल्टर, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	2,40,098
13.	सांई राधव शेल्टर फॉर एनीमल, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	11,25,000
वर्ष 2001-2002			
1.	एनीमल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	3,00,000
2.	एसपीसीए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	1,70,000
3.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,12,000
4.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	10,20,000
5.	पीएफए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,00,000
6.	एफपीसीए, कांचीपुरम	एबीसी स्कीम	85,000
7.	एनीमल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	3,00,000
8.	ब्लयू क्रॉस ऑफ चेन्नई	एबीसी स्कीम	10,20,000
9.	पीएफए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,00,000
10.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	9,45,000
11.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शेल्टर स्कीम	9,45,000
12.	पीएफए, चेन्नई चेरिटेबल ट्रस्ट	शेल्टर स्कीम	2,73,800
13.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एंबुलेंस स्कीम	3,50,000
14.	श्री सतसई प्राणीसेवा शेल्टरस, चेन्नई	एंबुलेंस स्कीम	3,03,209
15.	ब्लयू क्रॉस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एंबुलेंस स्कीम	1,00,000
16.	एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई	नेचुरल कैलेमिटीज स्कीम	50,00,000
त्रिपुरा			
वर्ष 1999-2000			
1.	पीएफए अगरतला	शेल्टर	3,24,900.00
2.	पीएफए अगरतला	एंबुलेंस	3,81,000.00
वर्ष 2001-2002			
1.	एनीमल रेसक्यू डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, त्रिपुरा	शेल्टर स्कीम	11,25,000

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
वर्ष 1999-2000			
1.	श्री पिंजरापोल गौशाला, पीलीभीत	शेल्टर	7,30,750.00
2.	करूणा गौशाला समिति, गौंडा	शेल्टर	5,00,000.00
3.	पीएफए, लखनऊ	शेल्टर	9,45,000.00
4.	जय श्री कृष्ण गौशाला समिति, झांसी	शेल्टर	5,76,900.00
5.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	शेल्टर	7,42,410.00
6.	गोरखपुर एसपीसीए	एंबुलेंस	90,000.00
7.	पीएफए, मेरठ	एंबुलेंस	3,32,000.00
8.	पीएफए, फिरोजाबाद	एंबुलेंस	4,50,000.00
9.	दयोदया पशु गौरक्षण केन्द्र, ललितपुर	एंबुलेंस	3,50,000.00
वर्ष 2000-2001			
1.	श्री गौशाला कथार जंगल, बस्ती	शेल्टर स्कीम	8,56,035
2.	आदर्श गौशाला समिति, भाजिआबल	शेल्टर स्कीम	7,23,600
3.	श्री कृष्ण गौशाला, कुशीनगर	शेल्टर स्कीम	8,46,900
4.	श्री पिंजरापोल गौशाला, पीलीभीत	शेल्टर स्कीम	7,30,350
5.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजंहापुर	शेल्टर स्कीम	7,42,410
6.	पीएफए, फिरोजाबाद	शेल्टर स्कीम	7,29,000
7.	पीएफए, ज्योतिबा फुले नगर	शेल्टर स्कीम	10,36,057
8.	पीएफए, फिरोजाबाद	शेल्टर स्कीम	3,93,750
9.	एसपीसीए, पीलीभीत	शेल्टर स्कीम	6,30,000
10.	पीएफए, जे.पी. नगर	एंबुलेंस स्कीम	4,50,000
11.	पीएफए, गाजियाबाद	एंबुलेंस स्कीम	3,52,500
वर्ष 2001-2002			
1.	डाक्टर पैटस क्रैश एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट, लखनऊ	एबीसी स्कीम	17,000
2.	एसपीसीए, गोरखपुर	एबीसी स्कीम	61,200
3.	श्री गौशाला कथार जंगल, बस्ती	शेल्टर स्कीम	8,56,035
4.	पीएफए, आगरा	शेल्टर स्कीम	11,16,000

1	2	3	4
5.	कवि पति राम शिक्षा इवाम विकास समिति, आगरा	शेल्टर स्कीम	8,32,500
6.	पीएफए, जे.पी. नगर	शेल्टर स्कीम	10,36,058
7.	एनीमल केयर ऑरगनाईजेशन, लखनऊ	शेल्टर स्कीम	5,31,000
8.	दयोदया पशु संगठन केन्द्र (गौशाला), ललितपुर	शेल्टर स्कीम	7,20,000
9.	पीएफए, देहरादून	शेल्टर स्कीम	9,19,165
10.	एसपीसीए, नोएडा	शेल्टर स्कीम	11,25,000
11.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	शेल्टर स्कीम	5,13,180
12.	पीएफए, फिरोजाबाद	शेल्टर स्कीम	11,22,750
13.	पीएफए, फिरोजाबाद	शेल्टर स्कीम	11,25,000
14.	श्री कृष्ण गौशाला, कुशीनगर	शेल्टर स्कीम	8,46,900
15.	पीएफए, आगर	एंबुलेंस स्कीम	3,95,000
16.	डाक्टर पैटस एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट, लखनऊ	एंबुलेंस स्कीम	3,85,573
17.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजंहापुर	एंबुलेंस स्कीम	4,50,000
पश्चिम बंगाल			
वर्ष 1999-2000			
1.	एसपीसीए, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	एबीसी	2,20,000.00
2.	लव एंड केयर फार एनिमल, कलकत्ता	एबीसी	45,000.00
3.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा	एबीसी	4,00,000.00
4.	कम्पैशनेट क्रू सेडर ट्रस्ट, कलकत्ता	एबीसी	2,00,000.00
5.	पीएफए, कलकत्ता	एबीसी	2,00,000.00
6.	बर्दवान सोसायटी फॉर एनीमल वेलफेयर	एबीसी	8,100.00
7.	लन एंड केयर फार एनिमल, कलकत्ता	एबीसी	45,000.00
8.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा	शेल्टर	8,28,450.00
9.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा	शेल्टर	8,28,450.00
10.	कम्पैशन क्रूसेजर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	शेल्टर	1,46,250.00
11.	पीएफए, कलकत्ता	शेल्टर	8,55,000.00
12.	लव एन केअर फॉर एनीमल, कलकत्ता	शेल्टर	8,18,100.00

1	2	3	4
13.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा	शेल्टर	8,28,450.00
14.	कम्पैशनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	शेल्टर	11,29,694.00
15.	हैटलजोर किशोरीबाला दत्तामलया चिकित्सालय, मिडनापौर, कलकत्ता	शेल्टर	90,774,00
16.	कलकत्ता एसपीसीए, कलकत्ता	एम्बुलेंस	3,50,000.00
17.	हावड़ा एनीमल वेलफेयर ओरगैनाइजेशन, हावड़ा	एम्बुलेंस	4,44,000.00
18.	साऊथ कलकत्ता एनीमल सोसायटी, कलकत्ता	एम्बुलेंस	3,76,000.00
19.	लव ''ए'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एम्बुलेंस	1,00.000.00
20.	कलकत्ता एसपीसीए, कलकत्ता	एम्बुलेंस	1,00,000.00
21.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा	एम्बुलेंस	95,310.00
22.	भाव नगर सोशल सर्विस वेलफेयर, कलकत्ता	एम्बुलेंस	1,98,077.00
वर्ष 2000-2001			
1.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,02,000
2.	कलकत्ता एसपीसीए, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,20,000
3.	दार्जीलिंग गुडविल एनीमल शेल्टर, दार्जीलिंग	एबीसी स्कीम	1,63,200
4.	बर्दवान सोसायटी ऑफ एनीमल वेलफेयर	एबीसी स्कीम	71,900
5.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,02,000
6.	पीएफए, कलकत्ता	शेल्टर स्कीम	5,40,000
वर्ष 2001-2002			
1.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसायटी, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,00,000
2.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,44,500
3.	हावड़ा एनीमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हावड़ा	एबीसी स्कीम	85,000
4.	पीएफए, हुगली	एबीसी स्कीम	4,000
5.	पीएफए, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,00,000
6.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसायटी, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,00,000
7.	कम्पैशनेट क्रूसडर्स ट्रस्ट, कोलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,53,000
8.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,44,500
9.	पीएफए, हुगली	एबीसी स्कीम	4,000
10.	हावड़ा एनीमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हावड़ा	एबीसी स्कीम	85,000

1	2	3	4
11.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	शेल्टर स्कीम	8,18,100
12.	विवेकानन्द आदर्श सेवाश्रम	शेल्टर स्कीम	9,55,094
13.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसायटी, कलकत्ता	शेल्टर स्कीम	6,35,745
14.	लव ''एन'' केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एंबुलेंस स्कीम	4,40,900
चण्डीगढ़			
वर्ष 2001-2002			
1.	एसपीसीए, चण्डीगढ़	एबीसी स्कीम	57,000
2.	पीएफए, चण्डीगढ़	एबीसी स्कीम	1,63,200
3.	चण्डीगढ़ एनीमल वेलफेयर एंड इको-डेवलपमेंट सोसायटी (सीएडब्ल्यूईडीएस)	शेल्टर स्कीम	9,15,750
4.	पीएफए, चण्डीगढ़	एंबुलेंस स्कीम	4,50,000
वर्ष 2002-2003			
1.	एसपीसीए, चण्डीगढ़	एबीसी स्कीम	57,000
उत्तरांचल			
वर्ष 2001-2002			
1.	पीएफए, देहरादून	एम्बुलेंस स्कीम	3,07,895
2.	पीएफए, देहरादून	एम्बुलेंस स्कीम	1,00,000
नागालैंड			
वर्ष 2001-2002			
1.	नागा, एसपीसीए, कोहिमा	शैल्टर स्कीम	9,67,500
2.	नागा, एसपीसीए, कोहिमा	एम्बुलेंस स्कीम	3,80,870
सिक्किम			
वर्ष 2001-2002			
1.	सिक्किम एसपीसीए, गंगटोक	एबीसी स्कीम	34,000
2.	सिक्किम एसपीसीए	शैल्टर स्कीम	11,25,000
अरूणाचल प्रदेश			
वर्ष 2001-2002			
1.	वाइल्डलाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया	शैल्टर स्कीम	10,46,250
केरल			
वर्ष 2000-2001			
1.	पीएफए, तिरूवनन्तपुरम	एम्बुलेंस स्कीम	4,50,000

गोल्डन चावल और बी.टी. चावल के हस्तांतरण संबंधी विशेषज्ञता

6895. श्री एस. मुरूगेसन :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइसेंज हैब्बल और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपिंस के बीच समझौता ज्ञापन और गोल्डन चावल और बी.टी. चावल के संबंध में विशेषज्ञता के हस्तांतरण हेतु स्विट्जरलैण्ड सहयोग के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि गोल्डन चावल और बी.टी. चावल दो वर्षों में उपभोग हेतु उपलब्ध हों?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में वैज्ञानिक रूप से यह संभव नहीं है कि दो वर्ष की अवधि के अन्दर गोल्डन चावल और बी.टी. चावल की वाणिज्यिक खेती की जाए। तथापि, बीटा कैरोटीन ट्रेट का जैपोनिका ट्रांसजेनिक चावल लाइन्स से ''इंडिका'' चावल में अंतरित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार एक ''कोई जीन्स'' से ज्यादा वाले बी.टी. चावल और आई.आर. 64 की पृष्ठभूमि में एक्स ए 21 जीन्स, करनाल स्थानीय और पूसा बासमती 1 और आई आर 72 को विकसित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन सामग्रियों की नियंत्रित अवस्थाओं में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बॉक्साइट खानें

6896. श्री सोहन पोटाई : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बॉक्साइट खानें पट्टे पर दी जाती हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले के 163 ग्रामों में बॉक्साइट भंडारों को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के लिए आरक्षित कर लिया है, और इसके बाद के केन्द्र सरकार से इसकी स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश खनिज निगम न तो स्वयं बॉक्साइट का कोई खनन कर रहा है और न ही ऐसा करने में उसकी रुचि है;

(ङ) क्या उक्त निगम ने बस्तर जिले की एक खान खनन और विक्रय हेतु ठेके पर दी थी जो निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर है;

(च) यदि हां, तो क्या ठेकेदार और उक्त निगम अवैध खनन में लगे हुए हैं और इस संबंध में कांकेर न्यायालय में तीन मामले चल रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के तहत् आने वाले क्षेत्रों में बॉक्साइट के लिए खनन पट्टा प्रदान कर सकती हैं।

(ख) और (ग) 1998 में, मध्य प्रदेश सरकार ने, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, बस्तर जिले के ऐसे क्षेत्रों के आरक्षण हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ एक प्रस्ताव रखा था जो बॉक्साइट के खनन हेतु किसी भी पूर्वेक्षण लाइसैंस अथवा खनन पट्टे के अधीन पहले से ही मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के अधिकार में नहीं थे। बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा रही है।

(घ) से (छ) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि. अपने स्तर पर खनन कर रहा है। कलेक्टर कांकेर के न्यायालय में अवैध खनन के तीन मामले दर्ज किए गए थे और उनका निपटान कर दिया गया है। एक मामले में जुर्माना लगाया गया जिसे संबंधित पार्टी ने जमा भी कर दिया है। अन्य दो मामलों में अपील बस्तर डिवीजन के आयुक्त के न्यायालय में लम्बित है।

निधियों का आवंटन

6897. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में कलपुर्जों, मशीनरी और अन्य सामान की खरीद हेतु वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में कलपुर्जों और मशीनरी की खरीद हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ अनुषंगी कंपनी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार ने कलपुर्जों की खरीद के बारे में कुछ सुझावों को प्राप्त और स्वीकार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों में कलपुर्जों तथा मशीनरी सहित सभी सामग्रियों की अधिप्राप्ति, 1986 की खरीद नियम-पुस्तिका तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार की जा रही है। इस खरीद नियम-पुस्तिका के अनुरूप निम्नलिखित नियमों/पद्धतियों का अनुपालन किया जा रहा है:-

(1) निविदाएं आमंत्रित करना (विज्ञापन द्वारा, सीमित निविदा जांच द्वारा अथवा एकल निविदा द्वारा)-सामान्यत: वे सभी मांगें, जहां अनुमानित मूल्य 5 लाख रु. अथवा उससे अधिक है, उन्हें प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। तथापि, मानक उपकरण/कोई अन्य मदें, जिनके लिए प्रमाणित गुणवत्ता तथा क्षमता वाले स्थापित निर्माता है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात् मांग-पत्र के मूल्य पर ध्यान दिए बिना सीमित निविदाओं के माध्यम से अधिप्राप्त किया जाता है।

(2) राजस्व मदों अथवा भारी मांग और आवर्ती स्वरूप हेतु कोल इंडिया लि. तथा सहायक कंपनियों द्वारा निष्पादित दर/चालू संविदाओं अथवा डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर संविदाओं को लागू किया जा रहा है।

(3) प्रमुख हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी निर्माताओं के साथ किए गए डिपो करार को लागू किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों हेतु संयंत्र तथा मशीनरी और कलपुर्जों के लिए आवंटित सहायक कंपनी-वार निधि नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु. में)

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02
ईसीएल	163.47	200.65	216.16
बीसीसीएल	268.84	268.87	266.89
सीसीएल	355.19	358.10	285.65
डब्ल्यूसीएल	343.29	259.27	316.26
एसईसीएल	658.95	396.81	376.90
एमसीएल	277.02	190.83	176.46
एनसीएल	1218.60	1069.05	995.55
एनईसी	1.75	1.67	2.09
सीएमपीडीआईएल	4.16	4.76	4.06

(ग) पिछले तीन वर्षों में सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी और कलपुर्जों पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02
ईसीएल	151.47	168.28	192.31
बीसीसीएल	288.55	216.47	220.06
सीसीएल	270.87	228.94	244.80
डब्ल्यूसीएल	346.64	216.57	273.66
एसईसीएल	788.75	388.13	399.12
एमसीएल	337.12	193.49	149.41
एनसीएल	1282.24	476.77	389.70
एनईसी	1.54	1.27	1.54
सीएमपीडीआईएल	3.61	4.71	2.02

(घ) से (च) कलपुर्जों की खरीद के संबंध में कोल इंडिया लि. से इस मंत्रालय में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। सीआईएल बोर्ड को सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों हेतु कलपुर्जों

की अधिप्राप्ति पर नीतियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए शक्ति प्राप्त है।

बिहार में विमानपत्तनों का निर्माण

6898. श्री राजो सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में कुछ और विमानपत्तनों की स्थापना करने हेतु बिहार के अनेक राजनीतिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) बिहार में नालन्दा राजगीर में एक हवाई अड्डा बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) हवाई अड्डा संरचना नीति के अनुसार साधारण मौजूदा हवाई अड्डे से 150 किलोमीटर की सीधी दूरी (एरियल डिस्टेंस) के अंतर्गत कोई भी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। राजगीर पटना हवाई अड्डे से केवल 75 किलोमीटर तथा गया हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर है।

अपराध में शिक्षित युवक

6899. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बेरोजगारी के कारण शिक्षित युवक अपराध की दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने और इस स्थिति का उपचार करने के लिए महानगरों में सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक कारणों से अपराध किए जाते हैं तथा यह शिक्षित बेरोजगार युवाओं तक ही सीमित नहीं हैं। यह समाजार्थिक सत्य है कि रोजगार के अभाव में शिक्षित युवा अनेक गतिविधियों, जिनमें अपराध भी शामिल हैं, की ओर उन्मुख हो जाते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास अग्रिम धनराशि

6900. श्री रघुनाथ झा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने समय-समय पर विभिन्न निर्माण कार्य करने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपए की अग्रिम धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास अग्रिम धनराशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अपनी अग्रिम धनराशि के समायोजित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस धनराशि पर कितना ब्याज लगेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आई.ए.आर.आई. और इसके केन्द्रों के बड़े और छोटे कार्यों को पूर्व जमा आधार पर निर्धारित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और कार्य के पूरा होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर समायोजन किया जाता है। धनराशि, कार्य की प्रगति के आधार पर फेज तरीके से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास जमा की जाती है। इमारतों के निर्माण और मरम्मत जैसे बड़े कार्यों में समय लगता है और अग्रिमों का समायोजन दी गई अवधि के अनुसार समायोजित नहीं हो पाता है।

(घ) पिछले दो वर्षों में पूर्व-जमा अग्रिमों की अच्छी खासी राशि समायोजित की गई है और लगभग 19.00 करोड़ रुपये समायोजित करने के प्रयास जारी हैं। तथापि, संचालन दो सरकारी विभागों के बीच है अत: ऐसे मामलों में कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

पर्यटन सर्किटों का विकास

6901. श्री बी.बी.एन. रेड्डी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नए पर्यटन सर्किटों को विकास हेतु विदेशियों के लिए खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार ब्यौरा कौन-कौन से पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, नहीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग, भारत सरकार वार्षिक आधार पर देश में 6 पर्यटक परिपथों के विकास का प्रस्ताव करता है। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान, 6 परिपथों के एकीकृत विकास के लिए 41.50 करोड़ रुपए की राशि चिन्हित की गई है। इन परिपथों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ गहन समन्वय और भागीदारी करके, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अंतिम रूप दिया जाना है, और विकास किया जाना है।

[हिन्दी]

कोयले की तस्करी

6902. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य-वार कोयला तस्करी के कितने मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए हैं; और

(ख) कोयले की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को तस्करी का कोई मामला नहीं सौंपा गया है।

(ख) तस्करी की रोकथाम के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) आसूचना का संग्रहण;

(2) चेक पोस्ट/चेक दरवाजा (गेट) को अधिष्ठापित करना;

(3) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित पेट्रोलिंग/औचक जांच किया जाना;

(4) राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क रखना।

जल संसाधनों का दोहन

6903. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली और डीजल पर दी जा रही राज सहायता के कारण देश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावकारी योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कोई बैठक इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में कृषि क्षेत्र को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर कुल मिलाकर छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार विद्युत की छूट प्राप्त दरों के साथ विद्युत के लिए एक समान मूल्य निर्धारण के उपयोग से भूजल का निकाला जाना तेज हुआ है जिससे इसका अत्यधिक दोहन हुआ है। भूजल सहित जल राज्य का विषय है और इसलिए इसकी आयोजना, विकास और प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

सरकार ने भूजल के अति-दोहन को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, इनमें निम्न शामिल हैं:-

(1) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल बिल का परिचालन करना ताकि वे भूजल निकासी के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून लागू कर सकें।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को तैयार कर सकें।

(4) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के वास्ते "प्रायोगिक आधार" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र

स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। अन्य गंभीर व डार्क क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) संशोधित राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पांचवीं बैठक 1 अप्रैल, 2002 को आयोजित हुई। परिषद के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझावों सहित संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया और परिषद द्वारा इस आशय का एक संकल्प सर्वसम्मति से जारी किया गया। विद्युत पर छूट दिए जाने का मुद्दा विचार-विमर्श की परिधि से बाहर था।

[अनुवाद]

बेरोजगारी संबंधी अध्ययन

6904. श्री जार्ज ईडन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा पांच वर्षों में एक बार रोजगार तथा बेरोजगारी पर राष्ट्रव्यापी विस्तृत सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण 1999-2000 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर जो कि 1993-94 के दौरान 1.90% के लगभग थी वह 1999-2000 के दौरान बढ़ कर 2.23% हो गई।

कृषि फसलों में मुनाफा

6905. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कृषि फसलों के मुनाफे में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ राज्यों में गेहूं, धान, चना और गन्ने से प्राप्त कुल आय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ राज्यों में गेहूं, धान, चना और गन्ने से प्राप्त कुल आय दर्शाने वाला विवरण

(रुपये/हैक्टेयर)

फसल	राज्य	वर्ष			
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
गेहूं	पंजाब	9473.24	7366.61	14909.71	11940.23
	हरियाणा	11152.23	11815.66	15549.11	15091.85
धान	पंजाब	10936.99	9045.34	11282.80	13806.40
	हरियाणा	8811.91	उपलब्ध नहीं	11394.68	11550.35
चना	हरियाणा	6277.24	5689.40	9273.91	8033.86
	राजस्थान	5032.21	5281.39	5646.29	5669.35
गन्ना	उत्तर प्रदेश	24924.98	21910.87	24285.65	30112.57
	महाराष्ट्र	20671.15	19208.72	16485.75	25201.21

कृषि थोक बाजार

6906. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि थोक बाजारों के बारे में संविधान के 73वें संशोधन में क्या उपबंध उपलब्ध हैं;

(ख) देश में कृषि उपज के थोक बाजारों के लिए क्या मानदंड और मानक निर्धारित किये गये हैं;

(ग) उपर्युक्त मानदंडों और मानकों के आधार पर विभिन्न आकार के कितने कृषि उपज के थोक बाजारों की देश में आवश्यकता है;

(घ) अगले पांच वर्षों में अपेक्षित और उपलब्ध बाजारों के बीच के अंतराल को किस प्रकार पूरा किया जाएगा;

(ङ) विशाल कृषि थोक बाजार के घटकों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन बाजारों में कृषि उपज पर ली गई दो प्रतिशत उगाही से इन बाजारों का निर्माण करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी राज्य की विधान सभा कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान कर सकती है जिससे वे स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हों तथा ऐसे कानून में निम्नलिखित के संबंध में पंचायतों को समुचित स्तर पर शक्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरण के प्रावधान होंगे:-

(1) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना;

(2) ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु उन्हें सौंपी गई स्कीमों का कार्यान्वयन।

''बाजार तथा मेले'' ग्यारहवीं अनुसूची में मद संख्या 22 में सूचीबद्ध हैं।

(ख) से (घ) देश में थोक कृषि मण्डियों के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड अथवा मानक नहीं हैं। अतएव, ऐसी मण्डियों, जो देश में अपेक्षित हैं, की सही संख्या ज्ञात कर पाना कठिन है। आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसी मण्डियों की स्थापना का दायित्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों का है।

(ङ) थोक कृषि मण्डियों संबंधी घटक उनमें आने वाली जिन्सों के प्रकार तथा मात्रा, प्रचलित विपणन विधियों एवं मण्डी उपयोगकर्त्ताओं की संख्या व प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी बड़ी थोक कृषि मण्डी के प्रमुख घटक सामान्यत: निम्नवत हैं:-

(1) व्यापारियों व एजेन्टों की दुकानें

(2) भण्डारण/पकाने की सुविधा

(3) उत्पादकों के साझा नीलामी केन्द्र

(4) सड़कें तथा पार्किंग

(5) गलियां

(6) विद्युतीकरण

(7) पेयजल सुविधाएं

(8) चाय व जलपान की दुकानें

(9) शौचालय ब्लॉक

(10) मण्डी प्रशासन कार्यालय, एवं

(11) बैंक/डाकघर/दूरभाष/कार्यालय

(च) मण्डियों में लगाई जाने वाली लेवी तथा थोक कृषि मण्डियों की स्थापना एवं रखरखाव राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के दायरे में आता है। भारत सरकार के पास इस समय थोक कृषि मण्डियों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लंबित जल संसाधन परियोजनाएं

6907. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों के विकास से संबंधित कुछ परियोजनाएं नेपाल सरकार की सहमति की प्रत्याशा में लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने और इन्हें पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) इस प्रकार की कोई भी परियोजनाएं नेपाल सरकार की सहमति की प्रत्याशा के लिए लंबित नहीं हैं। तथापि, भारत तथा नेपाल की विभिन्न साझी नदियों की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर,) भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से पहले से ही तैयार की जा रही है। सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजना तथा सनकोसी भण्डारण सह-डायवर्जन की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिससे क्षेत्र अन्वेषण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने का रास्ता खुल गया है। दोनों देशों के मध्य बागमती तथा कमला बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित कुछ तकनीकी मदों के निपटाने के लिए नेपाल एवं भारत सरकार के बीच संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

निजी कम्पनियों से ए.टी.एफ. की खरीद

6908. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम अपने विमानन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) के लिए ऊंची कीमतें वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उपक्रमों के बजाए निजी कम्पनियों से ए.टी.एफ. प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयर लाइन्स को निजी कम्पनियों द्वारा बेहतर मूल्य की पेशकश की गई है;

(घ) इंडियन एयर लाइन्स द्वारा एक वर्ष में औसतन कितनी मात्रा में ए.टी.एफ. की खरीद की गई; और

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निजी तेल कंपनियों के सस्ता ए.टी.एफ. खरीदकर कुल कितनी धनराशि की बचत किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विमानन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की कीमतों को 1.4.2001 से विनियंत्रित किया गया है। इस तरह, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बाजार प्रतिफल के अनुसार इस उत्पाद की कीमतें चार्ज कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) ज्ञातव्य है कि मैसर्स रिलायंस पैट्रोलियम एकमात्र प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसको अभी तक ए.टी.एफ. की आपूर्ति संबंधी लाइसेंस दिया गया है और वे भंडारण सहित आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 6 से 9 माह का समय लेंगे। अत: प्राईवेट सप्लायरों के प्रवेश से तथा तत्संबंधी होने वाली प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप ए.टी.एफ. मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का तत्काल परिकलन नहीं किया जा सकता। एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस अपने चालू प्रचालन स्तर के अनुसार घरेलू हवाई अड्डों से वर्ष में लगभग 5 लाख कि. लीटर ए.टी.एफ. लेती है।

वन पर्यटन

6909. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन पर्यटन को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा वन पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से किसी धनराशि की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वन पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि वन पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में "पर्यटन और मनोरंजन तथा संरक्षण हेतु वन" नामक एक योजना का प्रस्ताव किया है। योजना अभी अनुमोदित होनी है।

छोटे विमानों की दुर्घटनाएं

6910. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 15 अप्रैल, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''स्माल प्लेन्स, चोपर्स प्रोन टू मिशैप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा चलाये जाने वाले वायुयानों की तुलना में भारत में चलने वाले छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना होने की अधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 1992 से अब तक हुई 70 विमान दुर्घटनाओं में से 52 दुर्घटनाओं में छोटे विमान और हैलीकॉप्टर शामिल थे;

(घ) यदि हां, तो इसके कौन-कौन से मुख्य कारण बताये गये हैं;

(ङ) क्या जांच से यह पता चलता है कि अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण घटिया प्रशिक्षण था; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमान चालकों को उचित प्रशिक्षण तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और छोटे विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या कम-से-कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1992 से भारत में पंजीकृत सिविल हवाई जहाजों की दुर्घटनाओं के 70 मामले थे। जिनमें से 52 दुर्घटनाएं छोटे फिक्सड विंग एयरक्राफ्टों तथा हेलीकाप्टरों की बाबत घटित हुई।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा किए गए छोटे फिक्सड एयरक्राफ्टों/हेलीकाप्टरों की 48 दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण से पता चलता है कि 33 विमान दुर्घटनाएं पायलट हैंडलिंग तथा प्रचालनात्मक निर्णयों की वजह से हुई थीं। जबकि अन्य कारणों में खराब मौसम, इंजीनियरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तथा विविध कारक तथा इंट्रूजन इनटु एक्टिव रनवे, इन एडवर्टेंट वाकिंग इनटु रोटेटिंग रोटोर ब्लेडज आदि शामिल हैं जिनकी वजह से विमान दुर्घटनाएं हुई।

(च) सरकार ने छोटे विमानों की खरीद, रखरखाव तथा प्रचालन संबंधी पद्धतियों एवं क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशें उड़नयोग्यता तथा विमान प्रचालनों की संरक्षा के लिए लागू है और इसमें निगरानी जांच, सेफ्टी ऑडिट पायलटों का प्रशिक्षण, फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान विमानों की खरीद आदि शामिल हैं। सिफारिशें लागू किए जाने की प्रक्रिया में है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा उड़ानें रद्द किया जाना

6911. श्री बीर सिंह महतो : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी ऑपरेटरों द्वारा रद्द की गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ानें रद्द किए जाने के लिए कोई नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी ऑपरेटर इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रद्द की गई उड़ानों की संख्या इस प्रकार है:-

एयरलाइन	1999-2000	2000-2001	2001-2002
जेट एयरवेज	1936	1032	2381
सहारा एयरलाइंस	740	1001	567

उड़ानों के रद्द होने के मुख्य कारण खराब मौसम, तकनीकी रुकावट, विमानों की अनुपलब्धता, बंद, हवाई अड्डे का बंद होना इत्यादि थे।

जेट एयरवेज ने यह सूचित किया कि प्रत्येक वर्ष के दौरान रद्द की गई संयुक्त रूप से चलाई गई उड़ानों की संख्या उनके द्वारा प्रचालित की जाने वाली अनुसूचित उड़ानों की कुल संख्या का केवल 2.5% बैठता है।

सहारा एयरलाइंस ने सूचित किया है कि जो उड़ानें रद्द की गई हैं उनकी संख्या उनके द्वारा 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान प्रचालित की जाने वाली अनुसूचित उड़ानों की कुल संख्या का क्रमश: 6.91%, 7.04% तथा 3.98% था।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी आपरेटरों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्रेणी III के सेक्टरों पर अपनी क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत लगाएं जो उनके द्वारा श्रेणी I के मार्गों पर लगाई गई है। इस तरह श्रेणी-II के मार्गों पर अपेक्षित तैनात की जाने वाली कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता की तैनाती केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप में प्रचालित सेवाओं अथवा तत्संबंधी संघटकों पर तैनात करनी होगी। आपरेटर से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह उसके द्वारा श्रेणी-I के मार्गों पर तैनात की गई क्षमता के कम से कम 50% क्षमता की तैनाती श्रेणी-III में भी करे। सभी आपरेटर उक्त आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। इस आदेश का अनुपालन की नियमित रूप से डीजीसीए द्वारा कड़ाई से मानिटरिंग की जा रही है। जहां कहीं श्रेणी-I, II तथा III के मार्गों के प्रचालन में कोई उड़ान रद्द की जाती है/पर उड़ान में कमी की जाती है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तिरूवअनंतपुरम विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं

6912. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'प्रे फॉर पेसेन्जर्स इन गॉड्स ओन कन्ट्री' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या तिरूवअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डे पर कन्वेयर बेल्ट, उड़ानों के जमघट, स्नैक बार सुविधाएं, प्रसाधन कक्ष, इंटरनेट सुविधाएं, प्रिपेड टैक्सी काउंटर आदि से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया है। अनेक यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है तथा ये स्तर के अनुरूप है। बैगेज सुपुर्दगी को दो लम्बी कन्वेयर बेल्टों के प्रावधान द्वारा बेहतर किया गया है। दो आने वाली या जाने वाली उड़ानों के बीच न्यूनतम 40 मिनट का अंतर रखा जाता है। स्नैक बार तथा इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध है। प्रसाधन कक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। यात्री काउंटर से प्रिपेड टैक्सी किराये पर ले सकते हैं जिसका राज्य यातायात पुलिस द्वारा प्रबंध किया जाता है।

(ग) और (घ) यात्री सुख-सुविधाओं में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा दो एयरोब्रिज समेत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का विस्तार, एक नई रंगीन एक्सरे मशीन को चालू करना, प्रसाधन कक्षों का नवीनीकरण तथा साइनेज को बेहतर बनाने के लिए प्रदीप्ति (इलुमिनिटेड) पिक्टोग्राफ्स की योजना है।

तटवर्ती क्षेत्रों के निकट दीवारों का निर्माण

6913. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खारे पानी के अन्दर आने से रोकने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों के निकट दीवारों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, समुद्री एवं नदी कटाव से कमजोर तटीय खंडों की सुरक्षा के लिए दो स्कीमें भारत सरकार के विचाराधीन है जिसमें (1) तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुद्री कटाव से कमजोर तटीय खंडों की सुरक्षा के वास्ते राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) शामिल हैं। यह परियोजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव विभिन्न चरणों में है इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राप्त संशोधित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। (2) समुद्री कटाव तथा नदी कटाव कार्यों से नाजुक खंडों की सुरक्षा के वास्ते एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

हिमनद संबंधी संकट

6914. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेजी से पिघलती हिमनद झीलों के परिणामस्वरूप हिमालय में आयी बाढ़ के आसन्न खतरे का आकलन

करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है जैसा कि 22 अप्रैल, 2002 के 'पायनीर' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस महाविपत्ति को नियंत्रित करने और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। परन्तु कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ये हिमनद प्रतिसार के दौर से गुजर रहे हैं। हिमनदों का प्रतिसार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है और विश्व औसत तापमान (जिसे विश्व उष्णता कहा जाता है) में वृद्धि होने से हिमनद पिघलते हैं जिनका स्तर उनके स्थान व मौसमों के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

(ग) हिमालय के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में प्रतिसार की दर भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न पाई गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आगामी 10 वर्षों में प्रतिसार की दर उस सीमा तक नहीं पहुँचेगी जिसके फलस्वरूप पानी की कमी हो सकती है। हिमनदों पर मानवीय हस्तक्षेपों के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय उठाए गए हैं उनमें वनीकरण, कचरा हटाना और सतत् पारि-पर्यटन संवर्द्धन जैसे संरक्षण कार्यकलाप शामिल हैं।

हांगकांग और सऊदी अरब को इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

6915. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का प्रस्ताव हांगकांग और सऊदी अरब को अपनी सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इन उड़ानों को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस को सऊदी अरब के लिए प्रचालित करने हेतु नामित किया गया है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस को हांगकांग के लिए सेवाएं प्रचालित करने के लिए नामित किया गया है और उसे अभी प्रचालन सेवाएं शुरू करनी हैं। एअर इंडिया पहले से ही हांगकांग के लिए सेवा प्रचालित कर रही है।

कोयला खानों के भविष्य निधि कार्यालय में अनियमितताएं

6916. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय, नागपुर में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) नागपुर स्थित सी.एम.पी.एफ. के कार्यालय के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की सूचना हाल ही में नहीं मिली है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की धनराशि का भेजा जाना

6917. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर काटी गई कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का 60 प्रतिशत भाग तथा इतनी ही अपनी ओर से धनराशि का भुगतान सदस्य के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में नहीं कर रहे हैं तथा लाखों कर्मचारियों को अंशदान पर्चियां (विवरण) जारी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2001 और 31 मार्च, 2002 के अंत तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) पिछले 50 वर्षों में भविष्य निधि बकायों की तुलनात्मक स्थिति तथा 31 मार्च, 2001 और 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कायिक निधि का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वसूलनीय बकाया	कुल अवसूलनीय बकाया	कुल बकाया	क.भ.नि.सं. की कुल कायिक निधि
2000-2001	239	945	1,184	90,404
2001-2002	303	1,033	1,336	1,02,163

वसूली न की जा सकने वाली बकाया वह राशि है जो विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन और बी.आई.एफ.आर. में प्रतिष्ठान के पंजीकृत होने के कारण बाधित है और इसी कारण उस राशि की वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए, वसूलनीय श्रेणी की बकाया राशि का प्रतिशत 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए क्रमश: 0.26% तथा 0.29% है। यहां तक कि कुल बकाया भी निवेश की संपूर्ण कायिक निधि के क्रमश: 1.31% तथा 1.30% ही है।

पिछले दो वर्षों में अंशदाताओं को जारी खाता पर्चियों की वार्षिक स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	जारी खाता पर्चियों की संख्या
2000-01	338.17 लाख
2001-02	374.84 लाख

(ग) चूक का माहवार पता लगाने और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक नई कंप्यूटरीकृत ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करके देश भर में कार्यान्वित की गई है। दायरे में लाए गए सभी प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है।

कोलकाता और दिल्ली विमानपत्तनों पर एयरो-ब्रिज सुविधा

6918. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमदम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कोलकाता और दिल्ली में घरेलू विमानपत्तन पर कोई एयरो-ब्रिज सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विमानपत्तनों पर कब तक एयरो-ब्रिज सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर एक एयरोब्रिज बनाने का काम चल रहा है जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थानों एवं आगमन दोनों टर्मिनलों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह एयरोब्रिज मई, 2002 के अंत तक काम करने लग जाएगा। जहां तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल का संबंध है, यहां एयरोब्रिज सुविधा मुहैया करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि एयरसाइड पर स्थान की कमी है तथा साथ ही बिल्डिंग में किसी प्रकार का विस्तार करने से घरेलू टर्मिनल के टैक्सी पथ के लिए अड़चन पैदा होगी।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) और कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) को स्वायत्तता

6919. श्री अधीर चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) और कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में भी कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सी.बी.टी. का पुनर्गठन करने और उसे और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये;

(ग) सी.पी.एफ.सी., ई.पी.एफ.ओ. का सी.ई.ओ. पद किस तिथि को सृजित किये गये और केन्द्र सरकार सेवाओं में इनके स्तर/श्रेणी की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सी.पी.एफ.सी. पद का कभी उन्नयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पद का कब तक उन्नयन किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के संबंध में एक त्रिपक्षीय निकाय, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ई.पी.एफ.) द्वारा निर्णय लिये जाते हैं, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यास; अध्यक्ष, कार्यकारी समिति और कर्मचारी

भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रयोग की जाने वाली समुचित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां विद्यमान हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5 ''घ'' में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद 18,400-22,250 रुपये के वेतनमान में ग्रेड ''ए'' राजपत्रित, गैर-सचिवीय है।

(घ) जी हां। इस पद को 1991 में निदेशक के रैंक से संयुक्त सचिव के रैंक में उन्नत किया गया था।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

बाल मजदूरी से मुक्त गांव

6920. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश सहित देश में बाल मजदूरी से मुक्त घोषित किये गये गांवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): भारत सरकार ने देश के किसी भी गांव को ''बाल श्रम मुक्त गांव'' घोषित नहीं किया है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से किसी जिले विशेष में बाल श्रम के मामलों को कम करने के लिए खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने एवं उनके पुनर्वास के कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रम बहुल जिलों में विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफे, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था की गई है। 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में 2.11 लाख बच्चों को दायरे में लेने के लिए अब तक 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 1.38 लाख बच्चों को पहले ही औपचारिक शिक्षा (स्कूल) प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

[हिन्दी]

पानी की कमी

6921. श्री सुकदेव पासवान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत कुछ वर्षों के दौरान सीमेन्ट उद्योग द्वारा की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप वनों की क्षति के कारण पानी की कमी से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से विमान चालकों का पलायन

6922. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान चालक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और अन्य राज्यों के स्वामित्व वाली एयरलाइनों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पलायन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पलायन को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2000 से अब तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस के केवल दो पायलेट तथा एयर इंडिया के एक पायलेट ने व्यक्तिगत आधार पर त्यागपत्र दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में मछली पालन को बढ़ावा

6923. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 1998 के पश्चात् राजस्थान में मछली पालन और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मछली पालन प्रशिक्षण और विस्तार इकाइयों को परियोजनावार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इससे कौन-कौन सी सफलताएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या राज्य में मछली पालन उद्योग की क्षमता से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राजस्थान में मात्स्यिकी पर तीन केन्द्रीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, नामत:

(1) ताजा जल जलकृषि पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(2) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

(3) मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

(ख) गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान की उक्त तीनों योजनाओं के तहत प्रदान की गई कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जयपुर में एक जागरुकता केन्द्र की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। 46 प्रगतिशील मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) से (च) मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, करनाल (भारत सरकार) द्वारा राजस्थान में मात्स्यिकी क्षमता का सर्वेक्षण करने संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

विगत चार वर्षों के दौरान राजस्थान को मात्स्यिकी पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत जारी की गई वर्षवार राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजा	शून्य	2.10	शून्य	10.00
2.	मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के जरिए ताजा जल जलकृषि विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना	शून्य	शून्य	शून्य	17.26
3.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना	7.00	8.00	6.75	8.40

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय-सह-जनांककीय सर्वेक्षण

6924. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए उनकी विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में कोई सांख्यिकीय-सह-जनांककीय सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा एक सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। असंगठित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए स्कीमें और कार्यक्रम सामान्यत: दस वर्षीय जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर किये गये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

विमानपत्तनों पर बम निरोधक दस्ता

6925. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) ने महत्वपूर्ण विमानपत्तनों पर बम का पता करने और बम निरोधक दस्ते स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चैन्नई हवाई अड्डों पर बम खोजी एवं निपटान दस्ते (बी.डी.डी.एस.) लगाए हैं।

(ख) सरकार ने त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बम खोजी एवं निपटान दस्ते लगाने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बी.टी. कपास के परीक्षण से संबंधित रिपोर्ट

6926. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने बी.टी. कपास के खेतों में किये गये परीक्षणों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. ने संबंधित अन्तर्मंत्रालयीय समिति से अतिरिक्त समय की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो आई.सी.ए.आर. द्वारा कब तक इन रिपोर्टों को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) जी, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, प्रश्न नहीं उठता।

बाल्को की बीधनबेग इकाई

6927. श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसनसोल, पश्चिम बंगाल के निकट स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) की बीधनबेग इकाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार बाल्को के प्रबंधन कार्य को स्टरलाइट कम्पनी को सौंपते समय बाल्को की बीधनबेग इकाई को बंद करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) में अपनी 51 प्रतिशत इक्विटी का विक्रय करके दिनांक 2.3.2001 से कम्पनी का प्रबंधन मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड को सौंप दिया। बालको की बिधानबाग इकाई की वर्तमान स्थिति यह है कि चूंकि विगत कई वर्षों से इसे निरंतर हानि हो रही थी इसलिए बालको के नए प्रबंधन से बिधानबाग इकाई पर उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया और इसकी व्यवहार्यता का पता लगाया। प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिधानबाग में पुराने उपस्कर और एल्यूमिनियम फॉयल के उत्पादन के लिए देश में आधुनिक सुविधाओं की अतिरिक्त क्षमता को देखते हुए बिधानभाग इकाई को चलाना न तो आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा और न ही विवेकपूर्ण। परिणामस्वरूप, जून, 2001 से बिधानबाग इकाई में उत्पादन रोक दिया गया है परन्तु (1.4.2002 की स्थिति के अनुसार 476) कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में वस्तुसूची प्रबंधन की समीक्षा

6928. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998 की अपनी रिपोर्ट संख्या 5 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था में

वस्तुसूची प्रबंधन की समीक्षा की है और बहुत-सी गंभीर अनियमितताओं और त्रुटियों को प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अनियमितताओं और त्रुटियों को ठीक करने के लिए इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या संस्थाएं वस्तुसूची और क्रय प्रणाली का भली-भांति पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998 की रिपोर्ट सं. 5 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 11 संस्थानों नामत: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार और केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर के संबंध में वस्तुसूची प्रबंध (इन्वेंटरी मैनेजमेंट) के बारे में टिप्पणियां दी है। इन सभी संस्थानों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैरे में जो मुख्य मुद्दे उठाए हैं उनका संबंध भंडारों के अधिग्रहण, भंडारों के प्रयोग, खुली निविदा आमंत्रित किए बिना खरीद, उपकरणों के अधिष्ठापन में विलंब, इस्तेमाल न हो रहे उपकरणों, बुनियादी सुविधाओं का उपलब्ध न होना, सम्पत्ति रजिस्टरों और भंडार, निपटान हेतु पड़े बेकार भंडार आदि से है।

(ग) संबंधित संस्थानों ने उपयुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट के पैरे के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित नोट में खरीद के बारे में यह औचित्य दिया है कि खरीद आवश्यक प्रकृति की थी और इसलिए खरीद एक समिति का गठन करके की गई थी।

संस्थानों ने यह भी सूचित किया था कि प्रक्रिया की अनुपालना, भंडार के इस्तेमाल, अधिष्ठापना के विलंब, प्रयोग न हो रहे उपकरणों आदि के बारे में लेखा परीक्षा ने जो भी टिप्पणियां दी हैं, उन्हें भविष्य में कड़ी अनुपालना करने के लिए नोट कर लिया गया। भौतिक सत्यापन और सम्पत्ति रजिस्टर न रखे जाने के बारे में संस्थानों ने सूचित किया है कि लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ/पूरी कर दी गई है।

इसके अलावा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के पैरों के बारे मे नियंत्रक और महालेखा परीक्षा/वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार की गई कार्रवाई का नोट 31.12.98 को पी.डी.ए.(एस.डी.), नई दिल्ली के कार्यालय में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था और इस नोट में तथ्यात्मक स्थिति और उपचारात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। लेखा परीक्षा कार्यालय ने उपयुक्त की गई कार्रवाई संबंधी नोट की जांच अपने दिनांक 19-12-2002 के पत्र सं. रिपोर्ट 6 (49/आर.सी.ए.आर./3-97/306-308 द्वारा की थी)। इसके पश्चात् की गई कार्रवाई संबंधी नोट की 40 प्रतियां पी.डी.ए. की जांच टिप्पणियों सहित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के मानीटरिंग सैल को दिनांक 28-2-2002 को भेजी गई थी।

(घ) और (ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सितम्बर, 1997 में अपने सभी ईकाई प्रमुखों को एक अर्द्धशासकीय पत्र भेजा जिसमें भंडार खरीद के बारे में दिशा-निर्देश/सामान्य हिदायतों का उल्लेख था। इस पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि खरीद के संबंध में पारदर्शी प्रक्रिया और वस्तु खरीद और खरीद पद्धति की सही मायने में अनुपालना की जानी आवश्यक है। प्रमुख लेखा परीक्षा निदेशक (वैज्ञानिक विभाग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों की सालाना सांविधिक लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा, संबंधित संस्थान का वित्त और लेखा अधिकारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निरीक्षण ईकाई भी आवधिक रूप से संस्थानों का निरीक्षण करती है। बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वस्तुसूची प्रबंध प्रणाली में जो प्रमुख अनियमितताएं सूचित की जाती है उन पर तुरन्त गौर किया जाता है और नियमों/पद्धतियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सिंचित भूमि में कपास की पैदावार

6929. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचित भूमि में कपास की घटती पैदावार दृष्टिगत हुई है जिससे कपास उत्पादकों और उपभोक्ता उद्योग की क्षति हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-से कारक उत्तरदायी पाये गये हैं और सरकार द्वारा वर्तमान कम पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदमों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में कपास की पैदावार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है, जैसाकि निम्न तालिका में देखा जा सकता है, तथापि पिछले मौसम में कपास की फसल को कृमियों के हमले एवं रोगों के कारण बहुत नुकसान पहुंचा है। इस समस्या से निपटने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत, प्रदर्शन एवं कृषकों को प्रशिक्षण आदि के जरिए समेकित कृमि प्रबंधन (स.कृ.प्र.) को बढ़ावा देने के लिए इन राज्यों की सरकारों को सहायता दी जा रही है।

(कि.ग्रा. प्रति है.)

राज्य	वर्ष		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
पंजाब	180	340	480
हरियाणा	255	408	424
राजस्थान	230	287	268

संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों/मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय

6930. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों/मजदूरों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कल्याणकारी उपायों के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और इसके अन्तर्गत बने नियमों में सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की व्यवस्था है। ये स्कीमें अंशदायी प्रकृति की हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से उन पहचान किये जाने योग्य समूहों, जो इस समय कवर नहीं है, को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने की सम्भावनाओं का भी सरकार पता लगा रही है।

मछली पालन प्रशिक्षण और विस्तार इकाई की स्थापना

6931. श्री अम्बरीश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तटवर्ती राज्यों विशेषकर कर्नाटक से मछली पालन प्रशिक्षण और विस्तार इकाई की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी सहायता की मांग की गई और इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी सहायता राशि जारी की गई है;

(घ) स्वीकृत किए गए और अभी जो प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने हैं उन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार (1) मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के जरिए ताजा जल जलकृषि का विकास (एफ.एफ.डी.ए.) (2) खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (बी.एफ.डी.ए.), तथा (3) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत मत्स्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र और जागरुकता केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता देती थी। इनके अलावा, विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के तहत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र प्रदान किए गए थे। कर्नाटक राज्य को कुल 5 प्रशिक्षण यूनिट - एफ एफ डी ए तथा बीएफडी के तहत एक-एक तथा मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 3 इकाइयां प्रदान की गई हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रशिक्षण और विस्तार यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, प्रशिक्षण और विस्तार यूनिट स्थापित

करने की 80 प्रतिशत लागत केन्द्र द्वारा दी जाती है। प्रशिक्षण और विस्तार यूनिटों के अलावा, प्रति राज्य एक जागरुकता केन्द्र को भी 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। एफ.एफ.डी.ए. और बी.एफ.डी.ए. के तहत, प्रशिक्षण केन्द्र एक बारगी वित्त पोषण प्रणाली के साथ स्थापित किए जाते हैं।

(घ) राज्यवार स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत स्थापना/उन्नयन के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों का तटवर्ती राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ताजा जल जलकृषि	खारा जल जलकृषि	मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	2	–	4
2.	गोवा	–	1	1	–	2
3.	गुजरात	–	1	2	–	3
4.	कर्नाटक	1	1	3	–	5
5.	केरल	1	1	1	–	3
6.	महाराष्ट्र	1	1	–	–	2
7.	उड़ीसा	1	1	–	1	3
8.	तमिलनाडु	1	1	4	–	6
9.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	1	4
10.	अंड. नि. द्वीप समूह	–	–	–	–	–
11.	दमन और दीव	–	–	–	–	–
12.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
13.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–
	कुल	7	9	14	2	32

टी.यू.-154 विमान को पट्टे पर दिया जाना

6932. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा टी.यू.-154 विमान को पट्टे पर दिए जाने के समय, अभिलेखों का रख-रखाव करने में साफतौर पर की गई लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी उच्च-स्तरीय जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या निकला और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। जांच की गई और प्रत्यक्षत: इंडियन एयरलाइंस

के चार अधिकारियों को अपनी ड्यूटी की अवहेलना के लिए उत्तरदायी पाया गया।

विस्तृत जांच के पश्चात, इंडियन एयरलाइंस इस नतीजे पर पहुंची कि मैसर्स एरोफ्लोट के साथ हुए बातचीत के बाद हुए समझौते के कारण वे किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं उठा रहे थे। अत: एक अधिकारी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की सिफारिश की गई।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस की सिफारिशों को स्वीकार करने का और इस विषय को समाप्त हुआ मानने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

विट्ठल-रूकुमाई मंदिर को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करना

6933. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र स्थित पंढरपुर को एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े पैमाने पर तीर्थयात्री पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी के तट पर स्थित विट्ठल-रूकुमाई मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं, किन्तु वहां मूलभूत जन-सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थान का एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटक केन्द्रों/तीर्थ केन्द्रों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष उनसे परामर्श करके पर्यटन से संबंधित अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र में तीर्थस्थल के रूप में पंढरपुर के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

रिंग-कूपों का निर्माण

6934. श्री विष्णु पद राय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रिंग-कूपों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रिंग-कूपों के कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) कितने रिंग-कूपों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए उपयुक्त पाया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से एकत्र की गई सूचना के अनुसार संघशासित क्षेत्र का लोक निर्माण विभाग स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए द्वीप समूह में रिंग कूपों का निर्माण कर रहा है और यह विभाग इस कार्य पर किए गए व्यय का अलग से रखरखाव नहीं कर रहा है। संघ शासित क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक निर्मित 919 रिंग कूपों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के उपयुक्त पाया गया है।

सरकारी विमान यात्राओं से एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की आय

6935. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान संसद-सदस्यों और भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा सरकारी तौर पर की गई विमान यात्राओं/दौरों से इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को वर्षवार कितनी आय हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य पालनार्थ की गई विमान यात्राओं से इन विमान सेवाओं का वर्षवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस सहित सभी एयरलाइनों की बहुत ज्यादा बिक्री और मार्ग नेटवर्क है। वर्तमान में एयर टिकटों की बिक्री रिफंड और उनके उपयोग का सरकारी या व्यक्तिगत रूप में अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में अलग-अलग विवरण नहीं रखा जाता है और इसलिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक परंपराओं के क्षेत्र में अनुसंधान

6936. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पूर्वी क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं पर अनुसंधान करने के आशय से प्रकाशित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी प्रकृति क्या हैं;

(ख) इस हेतु गठित चयन-बोर्ड का संघटन क्या है और इसके सदस्यों के चयन हेतु क्या अनुभव और पात्रता रखी गई;

(ग) कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और उनका चयन/निरस्ति किस आधार पर की गई;

(घ) क्या प्रत्येक आवेदक को परिणाम संबंधी सूचना दी गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चयन के सम्बन्ध में ऐसी संदिग्ध प्रक्रिया न रखे जाने और नये सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू किये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी-आवास गृहों का निर्माण

6937. श्री अरूण कुमार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं मड़ालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 4 सिविल में उल्लिखित किया है कि 1.54 करोड़ रु. की लागत से 185 कर्मचारी-आवास गृहों और 160 टाइप-2 आवास गृहों का निर्माण, 1991 से अब तक लम्बित ही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस विषय में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अहमदाबाद में रहने वाले अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए नवम्बर, 1968 में वसना, अहमदाबाद में भूमि खरीदी थी। आरम्भ में 52 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। कर्मचारियों के अनुरोध पर और अधिक स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की आवश्यकता की वर्ष 1982 में समीक्षा की गयी और 185 स्टाफ क्वार्टरों (टाइप-I-8, टाइप-II-160, टाइप-III-8, टाइप-IV-8 और टाइप-V-1) के सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दे दी गयी। उस समय तैनात स्टाफ और क.रा.बी. निगम द्वारा बनाए गए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के प्रतिमानकों के संदर्भ में अतिरिक्त आवश्यकता की गणना की गयी थी। आवश्यकता और साथ ही प्रतिमानकों को ध्यान में रखते हुए मकानों का निर्माण कराया गया। अत: इन स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के मामले में किसी प्रकार की जांच करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। स्टाफ क्वार्टरों की मांग में कमी होने और उससे 160 टाइप-II स्टाफ क्वार्टरों का उपयोग में न आने का कारण कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में वृद्धि होना था।

अंगुल जिले में त्वरित जल आपूर्ति प्रणाली

6938. श्री के.पी. सिंहदेव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के अंगुल जिले में वर्ष 2002-2003 के दौरान त्वरित जल आपूर्ति प्रणाली शुरू करने के बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहेगी; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि-विकास संबंधी कानूनों में संशोधन

6939. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीन के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चीनी शिष्टमंडल ने हाल के दशकों में कृषि-विकास संबंधी कानूनों का अधिनियम करने के

क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन ने 1993 में एक कृषिगत विधान बनाया था;

(घ) यदि हां, तो क्या कृषि के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन और विविधीकरण की दृष्टि से भारत द्वारा अपने कानूनों में संभावित संशोधन करने के लिए प्रेरणा ग्रहण करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) शिष्टमंडल ने सूचित किया कि वर्ष 1993 में चीन ने एक कृषि विधान अधिनियमित किया था।

(घ) और (ङ) भारत में, कृषि राज्य का विषय है तथा कृषि से संबंधित अधिकतर कानून राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। राज्य कानूनों के साथ-साथ केन्द्रीय कानूनों में संशोधन उसकी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर किए जाते हैं। फिलहाल चीनी कृषिगत विधान, 1993 के आधार पर भारतीय कानूनों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्व-हानि

6940. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एशियाटिक सोसाइटी' ने कोलकाता नगर निगम के अधिकाराधीन न्यू मार्केट की प्रस्तावित जगह पर प्रकाशन विभाग को शुरू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण किये बगैर, जुलाई 1994 में इसे पट्टे पर ले लिया - और यह जगह 72 महीनों तक अप्रयुक्त ही रही, जिससे 20.95 लाख रु. का निरर्थक व्यय तो हुआ ही साथ में 26.61 लाख रु. के ब्याज की हानि भी हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई है और राज्य के राजस्व में हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी-कार्मिक और सरकारी कार्यालयों को लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कोई जवाबदेही तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ताजमहल की सुरक्षा

6941. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "उच्चतम न्यायालय ने ताज की सुरक्षा का खाका मांगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ताजमहल की सुरक्षा सरकारी एजेंसियों के जिम्मे करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ताजमहल की सुरक्षा को किस प्रकार का खतरा है जिसके विषय में उच्चतम न्यायालय ने ब्यौरा मांगा है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल को नष्ट करने की धमकी का एक ई-मेल संदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को ताजमहल की सुरक्षा हेतु विस्तृत प्रासंगिक योजना प्रस्तुत करने के अनुदेश जारी किए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, 1 मई, 2002 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त बल लगाकर ताजमहल की सुरक्षा एवं संरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति जल-उपलब्धता

6942. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति-व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है;

(ख) देश में जल की न्यूनतम तथा उच्चतम औसत उपलब्धता कितनी है और यह किन-किन जगहों/क्षेत्रों में है;

(ग) अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रति-व्यक्ति, जल-उपलब्धता कितनी होनी चाहिए; और

(घ) राज्यवार किन-किन क्षेत्रों/जिलों में जल की प्राप्ति बहुत कम है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम आकलन (1993) के अनुसार देश की नदी-प्रणालियों में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1820 घन मीटर प्रति वर्ष है। देश में जल की प्रति व्यक्ति न्यूनतम औसत उपलब्धता साबरमती बेसिन में प्रति वर्ष 298 घन मीटर आंकी गई है तथा देश में प्रति व्यक्ति अधिकतम औसत उपलब्धता बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाले लघु नदी बेसिनों में प्रति वर्ष 16,990 घन मीटर और ब्रह्मपुत्र-बराक उप बेसिन में प्रति वर्ष 13,636 घन मीटर आंकी गई है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रति वर्ष 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता से कम की कोई भी स्थिति जल की कमी वाली स्थिति मानी जाती है।

(घ) जल उपलब्धता का आकलन नदी-बेसिनवार किया जाता है। तद्नुसार, साबरमती बेसिन; राजस्थान के रेगिस्तान में अंतर्देशीय जल निकाय क्षेत्र, पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पेन्नार लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, कावेरी बेसिन, महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां तापी और माही नदी-बेसिनों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम है। नदी बेसिन-वार जल उपलब्धता और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नदी-बेसिनवार जल उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

नदी बेसिन	औसत वार्षिक सतही जल उपलब्धता (बिलियन क्यूबिक मीटर)	वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर)
1	2	3
राजस्थान मरुस्थल में अंतरदेशीय जल निकास का क्षेत्र	नगण्य	
साबरमती	3.81	298
पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.46	301
पेन्नार	6.32	535
लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15.1	562
कावेरी	21.36	599
महानदी एवं पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52	784
तापी	14.88	826
माही	11.02	863
कृष्णा	78.12	1056
सुवर्णरेखा	12.37	1082

1	2	3
गंगा-ब्रह्मपुत्र-बराक बेसिन		
(क) गंगा उप-बेसिन	525.02	1202
(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक उप-बेसिन	585.60	13636
सिंधु	73.31	1438
गोदावरी	110.54	1683
महानदी	66.88	2067
ब्राह्मणी एवं वैतरणी	28.48	2388
नर्मदा	45.64	2552
तापी से ताप्ती तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.41	2785
ताप्ती से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53	2862
बंगलादेश एवं म्यांमार में गिरने वाले लघु नदी बेसिन	31.00	16990
कुल (राष्ट्रीय)	1869.35	1820

नोट : कुल जोड़, पूर्णांक बनाने के कारण भिन्न हो सकता है।

[हिन्दी]

ग्रामों में जल की कमी

6943. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों ने जल की भारी कमी के कारण अपने कुछ ग्रामों को जल-अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने राज्य स्थित लगभग चार हजार ग्रामों को जल-अभाव पीड़ित क्षेत्र घोषित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहरों से राजस्थान को पर्याप्त जल नहीं प्राप्त हो रहा और विभाग ने सिंचाई-कार्य हेतु इंदिरा गांधी नहर से जल जारी न करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कुछ राज्य सरकारों ने 2001-02 की अवधि के दौरान कम वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति की सूचना दी है।

(ख) राजस्थान सरकार ने फरवरी, 2002 में तीन जिलों में 3940 गांवों को जल की कमी से प्रभावित घोषित किया है।

(ग) भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड के अनुसार राजस्थान ने भाखड़ा-नांगल बांध से निकलने वाली नहर से 31.5.2001 से 30.4.2002 की अवधि के दौरान पंजाब और हरियाणा के माध्यम से कम जल आपूर्तियाँ प्राप्त की हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि रावी-व्यास नदियों का जल प्राप्त करने वाली इंदिरा गांधी नहर 9.4.2002 से केवल पेयजल की आपूर्ति कर रही है क्योंकि राजस्थान सिंचाई जल के अपने हिस्से का उपयोग कर चुका है।

(घ) भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड के अनुसार जब कभी भी राजस्थान को कम जल की आपूर्ति की जाती है तब यह बोर्ड पंजाब और हरियाणा के सिंचाई विभागों से राजस्थान को सही

मात्रा में जल की आपूर्ति करने का अनुरोध करता है। राजस्थान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 29.4.2002 को आयोजित अपनी बैठक में इंदिरा गांधी नहर से 21.5.2002 से सिंचाई के लिए पुन: जल देने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

पशुधन और पशु चारे की उपलब्धता

6944. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितना पशुधन है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार, पशुचारे की प्रति इकाई-उपलब्धता कितनी है; और

(ग) देश में विशेषकर गुजरात में, पशुधन की वृद्धि-दर के सापेक्ष पशुचारे की राज्यवार उपलब्धता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1992 तथा 1997 के दौरान राज्य-वार पशुधन संख्या की तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान चारे की प्रति इकाई उपलब्धता लगभग 1.8 मी. टन प्रति वर्ष थी।

(ग) गुजरात सहित राज्य-वार चारा उत्पादन की वृद्धि दर विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

वर्ष 1992 व 1997 में कुल पशुधन राज्य-वार

(मिलियन सं.)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	1992	1997(अ)	1992 से 1997 तक वार्षिक वृद्धि दर % में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.911	37.331	2.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.842	1.188	7.13
3.	असम	16.062	13.753	-3.06
4.	बिहार*	47.930	38.389*	-4.34
5.	गोवा	0.243	0.325	5.99
6.	गुजरात	18.598	20.969	2.43
7.	हरियाणा	9.143	11.062	3.88
8.	हिमाचल प्रदेश	5.106	5.013	-0.37
9.	जम्मू व कश्मीर	8.703	9.609	2.00
10.	कर्नाटक	29.568	30.688	0.75
11.	केरल	5.834	6.964	3.60
12.	मध्य प्रदेश	46.744	48.918	0.91
13.	महाराष्ट्र	36.404	39.638	1.72

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	1.290	1.199	-1.45
15.	मेघालय	1.182	1.607	6.34
16.	मिजोरम	0.203	0.256	4.75
17.	नागालैंड	1.074	1.299	3.88
18.	उड़ीसा	22.742	24.263	1.30
19.	पंजाब	10.222	9.857	-0.72
20.	राजस्थान	48.441	56.348	3.07
21.	सिक्किम	0.385	0.294	-5.25
22.	तमिलनाडु	25.007	25.030	0.73
23.	त्रिपुरा	1.591	2.251	7.19
24.	उत्तर प्रदेश	64.799	66.327	0.47
25.	पश्चिम बंगाल*	35.090	36.711*	0.91
26.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.154	0.218	7.20
27.	चण्डीगढ़	0.031	0.044	0.00
28.	दादर व नगर हवेली*	0.071	0.043*	-9.54
29.	दमन व दीव	0.013	0.012	-1.59
30.	दिल्ली	0.315	0.393	4.52
31.	लक्षद्वीप	0.019	0.012	0.00
32.	पाण्डिचेरी	0.142	0.135	-1.01
	अखिल भारत	470.9	491.1	0.84

नोट : अ-अनंतिम
*-अनुमानित

विवरण II

कुल चारा उत्पादन-राज्य-वार

(मिलियन मीटरी टन)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	1992-93	1997-98	1992-93 से 1997-98 तक वार्षिक वृद्धि दर % में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	45.49	40.53	-2.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.18	8.20	0.05

1	2	3	4	5
3.	असम	8.53	8.94	0.94
4.	बिहार	21.50	27.44	5.00
5.	गोवा	0.43	0.45	0.91
6.	गुजरात	75.18	76.79	0.42
7.	हरियाणा	37.44	35.29	-1.18
8.	हिमाचल प्रदेश	5.69	5.85	0.58
9.	जम्मू व कश्मीर	8.61	8.55	-0.14
10.	कर्नाटक	41.66	38.38	-1.63
11.	केरल	3.35	2.99	-2.25
12.	मध्य प्रदेश	98.66	98.73	0.01
13.	महाराष्ट्र	94.12	84.86	-2.05
14.	मणिपुर	1.30	1.41	1.64
15.	मेघालय	1.64	1.71	0.84
16.	मिजोरम	2.15	2.90	6.17
17.	नागालैंड	1.78	1.75	-0.34
18.	उड़ीसा	17.94	19.09	1.25
19.	पंजाब	55.11	56.61	0.54
20.	राजस्थान	153.82	144.38	-1.26
21.	सिक्किम	0.70	0.71	0.28
22.	तमिलनाडु	35.60	34.61	-0.56
23.	त्रिपुरा	1.56	1.66	1.25
24.	उत्तर प्रदेश	128.87	140.16	1.69
25.	पश्चिम बंगाल	19.68	22.19	2.43
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.09	1.09	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.08	0.08	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	0.22	0.16	-6.17
29.	दमन व दीव	0.01	0.00	-17.72

1	2	3	4	5
30.	दिल्ली	0.24	0.09	-17.81
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	0.16	0.13	-4.07
	अखिल भारत	870.69	865.72	-0.11

नोट : 1. हरे चारे के उत्पादन का वन क्षेत्र प्रति है. 1.5 टन स्थायी चरागाहों तथा चराई भूमि से 0.75 टन और जोते गए क्षेत्र से 40 टन होने का औसतन अनुमान लगाया गया है।

2. सूखे चारे के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन का अनुमान वृद्धि प्रवृत्तियों का उपयोग करके तथा फसल अवशेष उत्पादन का आकलन अनाजों, दालों और तिलहनों के लिए मानक परिवर्तन अनुपात का उपयोग करके किया जाता है।

3. कुल चारा सूखें और हरे चारे के उत्पादन का योग है।

विमानन उद्योग को घाटा

6945. श्री ए. वेंकेटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के 'द हिन्दू' समाचारपत्र में "एवियेशन सेक्टर स्टिल नि द रैड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 11 सितम्बर, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक, विमानन उद्योग को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या विमानयात्रियों की संख्या में कमी को दूर करने के लिए "पैसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन" ने कोई संयुक्त कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तथा सहारा एयरलाइंस ने अप्रैल 2002 के अंत तक क्रमश: 140 करोड़ रुपए तथा 20 करोड़ रुपए के अपने घाटे का अनुमान लगाया है। एयर इंडिया को अक्तूबर 2001 से जनवरी 2002 की अवधि के दौरान 9.41 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। यद्यपि जेट एयरवेज द्वारा घाटे को आर्थिक रूप से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका उन्होंने सितम्बर-नवम्बर 2001 के दौरान यातायात तथा लाभ में क्रमश: 13.5% तथा 9% की गिरावट के विषय में सूचित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग में लगे कामगारों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु उप-समिति

6946. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग के कामगारों के लिए राष्ट्रीय पारिश्रमिक ढांचा तय करने की दृष्टि से एक उप-समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है;

(घ) क्या इस समिति में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय श्रमिक संघों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) चीनी उद्योग में मजदूरी सशोधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु 17.7.2000 को उप-समिति गठित की गई थी। इस उप-समिति की अंतिम बैठक 31.1.01 को हुई थी। चूंकि मजदूरी में

संशोधन के लिए एक समान दिशानिर्देशों के प्रयोग पर आम राय नहीं बन सकी, अत: कर्मकारों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व कर रहे इसके सदस्यों के अनुमोदन से इस उप-समिति को समाप्त कर दिया गया।

(घ) और (ङ) इस उप समिति का गठन चीनी उद्योग संबंधी औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों पर किया गया था। सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ जिनका त्रिपक्षीय समिति में प्रतिनिधित्व है, इस उप-समिति के भी सदस्य थे।

[अनुवाद]

विनियामक प्रणाली को आरम्भ करना

6947. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र में कीमतों और प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया आदि की निगरानी करने के उद्देश्य से सरकार का एक विनियामक प्रणाली लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) कोयला खनन क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में, वर्ष 1997 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की भारतीय कंपनियां को देश में कोयले तथा लिग्नाइट के अन्वेषण हेतु तथा कोयला तथा लिग्नाइट के नए ब्लाकों के आवंटन के लिए प्रस्तावों के प्रबोधन और संसाधन संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए एक स्वतन्त्र निकाय गठित किया जाए। चूंकि प्रस्ताव का विचार कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन के संदर्भ में किया गया था, अत: इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई केवल कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद ही की जा सकती है। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच कीमत संबधी विवादों का समाधान करने वाले एक नियामक निकाय ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया क्योंकि यह विनियमित कीमतों के ढाँचे के साथ असंगत पाया गया।

कृषि क्षेत्र के श्रमिक

6948. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या राज्यवार कितनी है और कुल जनसंख्या में उनकी संख्या की प्रतिशतता कुल कितनी है;

(ख) उनके कल्याणार्थ राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना कार्य हुआ है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6949. श्री नरेश पुगलिया : क्या **कोयला और खान मंत्री** "वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड" के बारे में 15 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड" (डब्ल्यू.सी.एल.) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्राय: सभी प्रचालनगत-क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है किन्तु लाभ की मात्रा वर्ष 1998-99 में 476.58 करोड़ रु. से बहुत अधिक गिरकर वर्ष 2000-2001 में केवल 28.23 करोड़ रु. रह गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान डब्ल्यू.सी.एल. को कितना लाभ/हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) में कोयला उत्पादन वर्ष 1998-99 में 317.45 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 352.00 लाख टन हो गया है। 1998-99 में 476.58 करोड़ रु. से घटकर वर्ष 2000-01 में इसका लाभ 28.23 करोड़ रु. हो गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 में लाभ में हुई कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-IV के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.7.96 से वेतन बकायों और अधिकारियों के लिए दिनांक 1.1.97 से वेतन संशोधन के प्रावधान के कारण हुई। वेतन बकायों के लिए किए गए प्रावधान वर्ष 1999-2000 में 80 करोड़ रु. तथा 2000-01 में 375 करोड़ रु. के थे।

(ग) डब्ल्यू.सी.एल. के वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, डब्ल्यू.सी.एल. के लाभ और हानि के प्रमाणित आंकड़े इसके लेखाओं की लेखा-परीक्षा होने तथा उन्हें वार्षिक आम बैठक में अंगीकृत किए जाने के बाद उपलब्ध होंगे।

(घ) से (च) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और डब्ल्यू.सी.एल. सहित इसकी अनुषंगी कंपनियों ने लेखाकरण नीतियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जो कि लेखाकरण मानदण्डों तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण प्रक्रियाओं के अनुपालन में हैं और जिनके आधार पर सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के एक भाग के रूप में वित्तीय विवरण की कंपनी अधिनियम के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा नियमित रूप से लेखा-परीक्षा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 618 के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी अनुपूरक लेखा-परीक्षा की जाती है। अतः सरकार द्वारा किसी जांच समिति का गठन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

6950. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" के बारे में 19 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" की दामोदा कोयला-खान के 137 व्यक्तियों के मामले में अधिनिर्णय के संबंध में बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत आवेदन की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 39 कार्मिकों के प्रकरण में बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को 28 अगस्त, 2001 को ही खारिज कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोल इंडिया लि. की रिपोर्ट के अनुसार "भारत कोकिंग कोल लि." की दामोदा कोयला खान के 137 व्यक्तियों के मामले में अधिनिर्णय के संबंध में बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अभी भी लम्बित हैं।

(ख) जी, नहीं। 39 व्यक्तियों को मिलाकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के सुरक्षा कर्मियों का मामला बी.आई.एफ.आर. द्वारा रद्द नहीं किया गया है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम-कानूनों का यौक्तिकीकरण

6951. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार श्रम-कानूनों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कुशलता-संबंधी मानकों को नियंत्रित करने और प्रशिक्षण-कार्यक्रम बनाने तथा उनका प्रत्यायन करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार ने (1) संगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी मौजूदा कानूनों के यौक्तिकीकरण; और (2) असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने का सुझाव देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है। आयोग द्वारा 15.6.2002 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अर्ध-शुष्क क्षेत्र की फसलें

6952. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अर्ध-शुष्क क्षेत्र वाली फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नया अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दलहन के अनुसंधान एवं विकास के लिए भी एक नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उच्च पैदावार देने वाली किस्मों तथा बारानी परिस्थितियों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास, बेहतर प्रबंध, फसल अनुक्रम, अंत: फसल द्वारा उत्पादकता वृद्धि तथा संरक्षण तथा भंडारण के लिए कारगर विधियों के विकास, वर्षा जल के संग्रहण तथा उपयोग के लिए अर्धशुष्क फसलों पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। संसाधनों के दक्ष प्रबंध तथा कीटनाशी एवं रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित पोषण, नाशी जीव तथा खरपतवार प्रबंध संबंधी कार्य भी शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) दलहनी फसलों नामत: चना, अरहर, मूलार्प (मूंग, उड़द, लेथाइरस, मसूर, राजमा, मटर) पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर तथा शुष्क फलिगों पर चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। प्रमुख नाशीजीव सहिष्णु/रोधिता वाली उत्कृष्ट किस्मों तथा संकर किस्मों (अरहर) के विकास, फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकीय औजारों के उपयोग, पादप आनुवंशिक संसाधनों के कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण, जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रबंध के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, समेकित पोषण तथा नाशीजीव प्रबंध पर मुख्य रूप से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। विभिन्न अंत:फसलीय प्रणाली और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकास को और भी गहन किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में बेहतर परिणाम प्राप्ति को सुकर बनाने के लिए दलहन अनुसंधान को प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाया गया है।

दलहनी फसलों का दीर्घकालिक उद्देश्य विभिन्न स्थितियों तथा कृषि मौसम परिस्थितियों के अंतर्गत दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा कर इस क्षेत्र में स्वावलम्बन का लक्ष्य प्राप्त करना है।

मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं

6953. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): इस समय मात्स्यिकी विकास के लिए अनन्य रूप से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, मात्स्यिकी चालू विश्व बैंक परियोजना अर्थात् असम ग्रामीण बुनियादी ढांचा तथा कृषि सेवा परियोजना की घटक है जो असम राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

चावल जीनोम की मैपिंग

6954. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों का एक दल चावल जीनोम की मैपिंग पर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कोई सफलता मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सूचना का लाभ उठाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक किस सीमा तक तैयार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमिक कार्यक्रम नामक सहायता-संघ का साझेदार बनने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत के अलावा इस सहायता संघ के दस अन्य सदस्य देश हैं जो वर्ष 2003 तक चावल के सम्पूर्ण जीनोम को अनुक्रम करने के लिए वचनबद्ध हैं। चावल जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए भारतीय पहल को पादप आण्विक जीव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस तथा राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले से ही चावल जीनोम का आनुवंशिक रूप से ''ऐंकर्ड'' एक भौतिक मानचित्र करने में योगदान दिया है। एक लाख से भी अधिक अनुक्रमित प्रतिक्रियाएं निष्पादित करके 4.5 मिलियन आधारों (बेसिस) के लिए आंकड़े तैयार किए

गए हैं तथा एकत्र करने के बाद 3.2 मिलियन आधारों को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस को प्रस्तुत किया जा चुका है। भारतीय आंकड़ों सहित विश्वभर में तैयार किए जा रहे आंकड़ों का हमारे वैज्ञानिक द्वारा जीन खोज और फसल सुधार के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) क्षेत्र का एक भौतिक मानचित्र अर्थात् गुणसूत्र का लम्बा दायरा 11 (57.3 सेंटी मोर्गन (सी.एम.) से 110.1 सी.एम.) तैयार किया गया है। चावल जीनोम का सम्पूर्ण अनुक्रम, चिन्हित सहायता चयन या आनुवंशिक परिवर्तन के माध्यम से चावल में सुधार लाने के लिए सूचना के एक बृहत पूल का प्रतिनिधित्व करेगा। बहुत-से नए जीनों की पहचान की गई है। इन जीनों को कृषि महत्व के कार्य सौंपे जा रहे हैं। सूचना की इस प्रचुरता का भरपूर प्रयोग करने के लिए हमें अनुक्रमित डी.एन.ए. द्वारा ''इंकोडिड'' जीव विज्ञान संबंधी कार्यों को समझना पड़ता है।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

6955. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश को दरकिनार कर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उत्पादन की लागत में वृद्धि और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु किसानों को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर सरकार ने 2001-02 फसल वर्ष के गेहूं, जिसे 2002-03 मौसम में विपणित किया जाना है, का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत 610 रु. प्रति क्विंटल की तुलना में 620 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

मध्य प्रदेश में डायनासोर के जीवाश्म का पाया जाना

6956. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कई वर्षों से अनैतिक लोगों द्वारा डायनासोर के जीवाश्म को खुदाई कर बाहर निकालकर उन्हें लगातार विदेशों को भेजा जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बेरोकटोक अवैध खुदाई के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अवैध खुदाई को रोकने और देश की बहुमूल्य विरासत की संरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ, प्राचीन जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों के जीवाश्मों का जीवाश्म-वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यह सूचित किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश के अनैतिक व्यक्तियों द्वारा विदेशों को निर्यात किए जा रहे डायनासोर के जीवाश्मों के किसी उत्खनन की कोई जानकारी नहीं है। न ही उपमहानिरीक्षक (सी.आई.डी.), भोपाल को ऐसे कार्य की कोई जानकारी है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वे भूवैज्ञानिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और जीवाश्मों के उत्खनन कार्य को और उनके आवागमन को रोक सकें। तथापि, 1995 में, बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 के अधीन ''डायनासोर जीवाश्मों की अवैध खुदाई, बिक्री और चोरी के लिए जिला खेड़ा स्थित रहिओली में डायनासोर जीवाश्म स्थल को निषिद्ध क्षेत्र'' घोषित किया था।

[हिन्दी]

एन.सी.एल. की जयंत परियोजना

6957. डा. बलिराम : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जयंत परियोजना में ओ.आई.टी.डी.एस. पर 50 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.आई.टी.डी.एस. कोल इंडिया लिमिटेड की किसी अन्य परियोजना पर भी काम कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ओ.आई.टी.डी.एस. के परिणामस्वरूप मशीनों की उपयोगिता और अनुपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) ओ.आई.टी.डी.एस. चलाने हेतु किस स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ज) ओ.आई.टी.डी.एस. को देखने के लिये कितने अति विशिष्ट व्यक्ति वहां गये और उनकी यात्रा पर कितनी धनराशि व्यय हुई?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। एन.सी.एल. को 601 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के मुकाबले आपरेटर इन्डिपेंडेन्ट ट्रक डिसपैच सिस्टम (ओ.आई.टी.डी.एस.) के कारण अभी तक 5.20 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

(ग) और (घ) ओ.आई.टी.डी.एस., एन.सी.एल. की जयन्त परियोजना के अतिरिक्त सी.आई.एल. की किसी अन्य परियोजना में प्रचालन नहीं कर रहा है।

इस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ओ.आई.टी.डी.एस. का एन.सी.एल. की जयन्त परियोजना में परीक्षण किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है।

(छ) ओ.आई.टी.डी.एस. प्रचालन के लिए इक्कीस (21) अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अधिकारियों की संख्या	कार्य-स्थल	स्तर	श्रेणी (ग्रेड)
6	पूर्वी सैक्शन	प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए पाली प्रभारी	ई.3/ई 4/ई 5
6	पश्चिमी सैक्शन	तदैव	तदैव
1	सामान्य पाली पश्चिम सैक्शन	एस.ओ.एम.	ई 5
1	सामान्य पाली पूर्वी सैक्शन	एस.ओ.एम.	ई 5
1	डम्पर रख-रखाव पश्चिमी क्षेत्र कार्यशाला	इंजीनियर इन्क	ई 5
1	डम्पर रख-रखाव पूर्वी क्षेत्र कार्याशाला	इंजीनियर इन्क	ई 3
1	डम्पर रख-रखाव आधार कार्यशाला	इंजीनियर इन्क	ई 5
2	शावेल रख-रखाव पूर्वी तथा पश्चिमी सैक्शन	इंजीनियर इन्क	ई 4
2	ओ.आई.टी.डी.एस. की संपूर्ण निगरानी	प्रणाली समन्वयक	ई 4/ई 5

(ज) ऐसे अति विशिष्ट व्यक्ति जो जयंत के दौरे पर आते हैं और यदि वे इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन्हें ओ.आई.टी.डी.एस. का प्रचालन दिखाया जाता है। इस खाते से कोई फालतू व्यय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में भूमिगत जल स्तर में गिरावट

6958. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों विशेषकर राजस्थान में भूमिगत जल स्तर में तेजी से आ रही गिरावट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों में पानी के भारी संकट से बचने के लिए कृत्रिम रूप से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में कृत्रिम भूमिगत जल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वर्ष 2002-2003 के दौरान कितनी धनराशि जारी किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। राजस्थान राज्य सहित देश के कुछ

भागों में भूजल के स्तरों में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। राजस्थान के चुरू, झुनझुनू के पश्चिम भाग, बीकानेर के दक्षिणी भाग, जोधपुर के उत्तरी भाग, बारमेड़ के दक्षिणी भाग और पाली तथा सिरोही जिलों के भागों में 2 मीटर से कम तथा 20 मीटर से अधिक की जल स्तरों में गिरावट आयी है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन संवर्धन संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और उनके क्रियान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर "प्रायोगिक आधार" पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन संबंधी अपने केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत राजस्थान के विभिन्न भागों में छत के वर्षा जल के संचयन और पुनर्भरण के लिए 18 प्रायोगिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

(ग) "प्रायोगिक आधार" पर भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए केन्द्रीय भू जल बोर्ड की स्कीम के तहत पुनर्भरण संबंधी कार्यों के लिए आबंटित निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस स्कीम के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को 73.26 लाख रुपये मुहैया कराया गया है। इस स्कीम के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य को 31.08 लाख रुपये की राशि मुहैया किए जाने की संभावना है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए केन्द्रीय भू जल बोर्ड की स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00
3.	असम	50.00
4.	बिहार	9.84
5.	चंडीगढ़	64.23
6.	दिल्ली	87
7.	गुजरात	20.05
8.	हरियाणा	72.86
9.	हिमाचल प्रदेश	81.65
10.	जम्मू व कश्मीर	78.96
11.	झारखण्ड	25.73
12.	कर्नाटक	28.75
13.	केरल	75.43
14.	मध्य प्रदेश	53.85
15.	महाराष्ट्र	81.63
16.	मेघालय	20.32
17.	मिजोरम	28
18.	नागालैण्ड	90.96
19.	उड़ीसा	679.50
20.	पंजाब	272.94
21.	राजस्थान	81.72
22.	तमिलनाडु	145.55
23.	उत्तर प्रदेश	75.97
24.	उत्तरांचल	2.00
25.	पश्चिम बंगाल	130.27
26.	लक्षद्वीप	8.00
27.	अंडमान व निकोबार	8.39
	कुल	2348.15

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा

6959. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि को अब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि को उद्योग का दर्जा देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार का कृषि व्यापार उद्योगों तथा प्रभावी आपूर्ति प्रणालियों के विकास एवं कृषि उत्पाद के मुक्त संचलन हेतु विनिर्माण के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ऋण तथा अन्य आदानों की आसानी से उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं जैसे लाभों को जितना अधिक से अधिक संभव हो, कृषि के क्षेत्र में प्रदान करने का विचार है।

[अनुवाद]

राजस्थान में बागवानी का विकास

6960. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बागवानी विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार अक्तूबर, 2000 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि का वृहत् प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के तहत बागवानी विकास के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। यह स्कीम 2002-2003 के दौरान जारी रखी जा रही है और राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार बागवानी विकास के लिए 5.75 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता क्रम दे सकती है।

इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान बागवानी में मानव संसाधन विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम का कार्यान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत बागवानी विकास में कार्यरत स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजना हेतु राज्य सरकार को 2.00 लाख रुपये प्रदान किए गए और पर्यवेक्षक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमू (जयपुर) को 17.57 लाख रुपये प्रदान किए गए।

जल संचयन प्रणाली की स्थापना

6961. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री पी.आर. किन्डिया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डेडलाइन फॉर इन्सटालिंग रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम एक्सपार्यस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उन संपत्ति मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है जिन्होंने अपने भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना नहीं की है:

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी की गई उन अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ मदों के संबंध में है जिनमें दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में स्थित भवनों में 31 मई, 2001 तक वर्षा जल संचयन प्रणाली के संस्थापन की सलाह दी गई थी, इस तिथि को बाद में 21 मार्च, 2002 तक बढ़ा दिया गया था।

(ग) दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणाली के स्थापन की अंतिम तारीख को पुन: आगे बढ़ा दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मछली पकड़ने वाली यंत्रचालित नौकाओं के चालक

6962. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश यंत्रचालित मछली पकड़ने वाली नौका-चालकों से सितम्बर, 2001 में डीजल जिसकी खपत हुई हो पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने, मासिक नौका खड़ी करने के किराए में कमी करने और भारत के एकमात्र अधिकार वाले समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली विदेशी पोतों का प्रवेश बंद करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश यांत्रीकृत मत्स्यन नौका प्रचालक संघ, विशाखापत्तनम से सितम्बर, 2001 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे:-

1. यह मांग की गई थी कि 20 मीटर से कम लम्बाई वाले छोटे यांत्रीकृत यानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति को 0.32 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.25 रुपए प्रति लीटर कर दी जाए।
2. यह अनुरोध किया गया था कि छोटे यांत्रीकृत मत्स्यन नौका प्रचालकों से लिए जाने वाले ठहराने की मासिक दर को कम किया जाए जिसे 230 रुपए प्रति मत्स्यन यान से बढ़ाकर 2069 रुपए प्रति मत्स्यन यान कर दिया गया था।
3. यह भी अनुरोध किया गया था कि तटरक्षक तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए विदेशी मत्स्यन यानों द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ने को प्रभावी ढंग से रोका जाए।

(ग) उक्त (1) के संबंध में 20 मीटर से कम लम्बाई वाले यांत्रीकृत मत्स्यन यानों को आपूर्तित एच.एस.डी. तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को नौवीं योजना से आगे जारी रखने पर भारत सरकार सहमत नहीं हुई है।

उक्त (2) के मुद्दे को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के अध्यक्ष के साथ उठाया गया है।

उक्त (3) के संबंध में 1996 से भारत सरकार द्वारा विदेशी मत्स्यन यानों को कोई नया लाइसेंस अथवा परमिट जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर अवैध मत्स्यन को रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा तट रक्षकों सहित सभी संबंधित के साथ परामर्श से एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

मदुरै हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

6963. श्री एस. मुरूगेसन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मदुरै से दुबई और शारजाह समेत विभिन्न स्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्लभ प्राणियों और पक्षियों का लुप्त होना

6964. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 2002 को "दि हिन्दू" में "रेयर एनीमल्स, बर्डस फेसिंग एक्सटिंक्शन इन एन ई" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राणि अंगों के निर्यात और दुर्लभ प्राणियों और पक्षियों के मांस की खपत के कारण उक्त प्राणि और पक्षी लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंधित राज्यों के साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे दुर्लभ प्राणियों और पक्षियों को लुप्त होने से रोकने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) भारत की आयात-निर्यात नीति के तहत जंगली जानवरों और उनके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध है। वन्यजीवों के अवैध

शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार से जुड़े कुछ मामलों संबंधी रिपोर्टें समय-समय पर मिलती रहती हैं।

(ग) से (ङ) भारत के प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वन विभागों में रिक्तियों को भरने तथा फील्ड फार्मेशन्स की बेहतर मोबिलिटी, उन्नत संचार सुविधाएं और आधुनिक हथियार प्रदान करवाए जाने के संबंध में एक पत्र लिखा है। भारत सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत धनराशियां निर्धारित की हैं।

श्रम कानूनों का उल्लंघन

6965. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फैक्ट्री मालिकों और निर्माण कंपनियों के ठेकेदारों द्वारा अर्जित लाभ की तुलना से संबंधित कंपनी के आय व्यय के ब्यौरों की समीक्षा करती है ताकि उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम कानूनों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधायें दिलाई जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी मालिकों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी कुछ मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे कितने मामले पकड़े गये; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनन संबंधी गतिविधियों के कारण वनों का विनाश

6966. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ रही खनन गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार खनन गतिविधियों के कारण कुल कितने वन क्षेत्र का विनाश हुआ; और

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र के खनन उद्योग/प्रत्येक कंपनी द्वारा विनाश किये गये क्षेत्र के ऐवज में आस-पास वन लगाने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केवल ऐसे खनन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करता है जो स्थल विशिष्ट होते हैं। ऐसी अनुमति प्रदान करते समय शर्तें लगाई जाती हैं जिनसे खनन प्रभाव न्यूनतम सुनिश्चित हो सके।

(ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त वानिकी मंजूरी के लिए 20 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि के वनेतर प्रयोग वाले मामले, जिनमें मौजूदा खनन पट्टों के नवीकरण सहित बड़े खनन के लिए प्रयोग हेतु दी गई वन भूमि की राज्यवार सीमा दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) विवरण में उल्लिखित खनन हेतु दी गई वन भूमि के बदले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खनन उद्योगों द्वारा किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	4549.6000
2.	छत्तीसगढ़	15	7415.1790
3.	गोवा	1	36.3800
4.	गुजरात	1	31.2000
5.	हिमाचल प्रदेश	3	345.5770
6.	झारखंड	9	2253.7650
7.	कर्नाटक	12	770.9250
8.	मध्य प्रदेश	15	2631.0940
9.	महाराष्ट्र	7	2447.4400

1	2	3	4
10.	उड़ीसा	18	4271.2281
11.	राजस्थान	30	5095.7666
12.	तमिलनाडु	1	177.9600
13.	पश्चिम बंगाल	1	296.0000
	जोड़	126	30322.1147

[हिन्दी]

श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी

6967. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों में कितने श्रमिक काम कर रहे थे; और

(घ) श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान लघु तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में कामगारों की अनुमानित संख्या क्रमश: 171.58 लाख, 178.50 लाख और 185.64 लाख है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नारियल की फसल की बर्बादी

6968. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नये कीटनाशक ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में नारियल की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस रोग पर काबू पाने हेतु कृषि वैज्ञानिकों का कोई दल वहां भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा फसल के नुकसान और इस रोग पर काबू हेतु नारियल की खेती करने वालों को मुआवजा देने हेतु उठाए गये कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा के तटीय जिलों में नारियल की कुटकी द्वारा पहुंचाई गई क्षति की सीमा का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था, जहां यह आपतन 20-30 प्रतिशत के बीच पाया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) अनुसंधान की उपलब्धियों के आधार पर किसानों के लिए नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए उड़ीसा में कुटकी के नियंत्रण हेतु नारियल विकास बोर्ड द्वारा 16.00 लाख रुपये की धनराशि मुहैया की गई है।

श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय नीति

6969. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कार्यस्थल पर श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दसवीं योजना के दौरान समग्र राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा;

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में, कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के विद्यमान ढांचे की समीक्षा करने, विद्यमान ढांचे की कमजोरी का मूल्यांकन करने और इसमें सुधार के लिए सुझाव देने तथा अभी तक शामिल न किए गए कार्यबल के बड़े वर्गों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए भी सुझाव देने आदि के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक कार्यकारी दल का गठन किया था।

कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि त्रिपक्षीयता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए। कार्यकारी दल ने योजना अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में खानों, कारखानों, पत्तनों और गोदियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और असंगठित क्षेत्र में कृषि, निर्माण, बीड़ी और सिगार विनिर्माण दुकान और प्रतिष्ठान, गृह आधारित कार्य, भोजन स्थल और अपशिष्ट प्रबन्धन क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) कार्यकलाप के इस क्षेत्र के लिए दसवीं योजना में अभी तक आबंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण

6970. श्री रामजी मांझी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राणि संसाधन का सर्वेक्षण और उनकी खोज के लिए निर्धारित समयावधि तक भौगोलिक क्षेत्र का प्राणि सर्वेक्षण कार्य पूरा करने हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण/भारतीय जन्तुविज्ञान सर्वेक्षण को कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण को देश में प्राणिजात संसाधनों के सर्वेक्षण और वर्गिकी अध्ययनों को पूरा करने के लिए निर्धारित प्राथमिकताएं दी गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का अधिकार क्षेत्र वन आवरण का मूल्यांकन करना है और इसके कार्य प्राणिजातीय सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है।

(ख) से (घ) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर तथा कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों, जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और जहां प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है, को छोड़कर 12 पारि प्रणालियों और अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में अनुसूची के अनुसार सर्वेक्षण, सूची तैयार करने और वर्गिकी अध्ययन पूरे किए हैं।

(ङ) और (च) नौवीं योजना अवधि के दौरान वेतन, सर्वेक्षण आधारिक संरचना विकास आदि पर 20.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विशेष रूप से सर्वेक्षण कार्य के लिए कोई अलग से खाता नहीं रखा गया है। सरकार ने वर्गिकी में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित अनेक कदम उठाए हैं ताकि गैप क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके।

दक्षिणी राज्यों को कावेरी जल

6971. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने गर्मी के मौसम के दौरान दक्षिणी राज्यों को कावेरी जल के वितरण/जारी किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडिचेरी राज्यों के बीच चल रहा कावेरी जल विवाद जून, 1990 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेजा गया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस समय कावेरी जल विवाद अधिकरण विवाद के अधिनिर्णय के वास्ते लगातार सुनवाईयां कर रहा है।

जागरुकता शिविर

6972. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने गत दो वर्षों के दौरान देश में जागरूकता शिविर आयोजित किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिविरों से लोगों को क्या लाभ हुआ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर 61 जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। प्राधिकरण द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों के स्थानों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन से स्थानीय लोगों को भूजल से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे इसके स्तरों में गिरावट, गुणवत्ता में खराबी और जल में लवणता के प्रवेश तथा भूजल संरक्षण और भविष्य में इसकी सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी समझने में सहायता मिली है।

विवरण

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2000 से मार्च, 2002 के दौरान आयोजित किए गए जन जागरूकता कार्यक्रमों के स्थानों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	मिदजिल मण्डल (महबूब नगर जिला), सोमाला मंडल (चित्तूर जिला), हनुमकोंडा, (वारंगल जिला), राजाहमुंडरी (पूर्व गोदावरी जिला)
2.	असम	गुवाहाटी तेकेलाजुम (कारवी अंगलांग जिला)
3.	बिहार	फायर ब्रिगेड ग्राउंड, कांग्रेस मैदान कदमखर, गोलपाड़ा और ब्लू बर्ड सोसाइटी (पटना)
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर, साल खरोडा, डोगरगढ़ और खैरागढ़
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	हौज खास, जामनगर हाउस, अशोक विहार और कालकाजी (दिल्ली)
7.	गोवा	गोवा
8.	गुजरात	प्रांतीज, साबरकांठा जिला
9.	हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत
10.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
11.	झारखंड	डिस्को ग्रोथ सेन्टर (जमशेदपुर) और रांची
12.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर
13.	कर्नाटक	धारवाड़ और गुलबर्गा
14.	केरल	कसारगोड, एर्नाकुलम और कन्नानोर
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर, सिहोर और रतलाम
16.	महाराष्ट्र	नहावी संडुस (पुणे), वरूड (अमरावती जिला), चौहट्टा बाजार (अकोला जिला) और सेलू (वर्धा जिला)

1	2	3
17.	मेघालय	शिलांग
18.	उड़ीसा	नीलगिरी, पुरी, राज बेहरामपुर एवं सजनागढ़ (बालासोर जिला) और बिदीपुर (भद्रक जिला)
19.	राजस्थान	अलवर, पुष्कर (अजमेर जिला), पाली
20.	तमिलनाडु	सनारपट्टी (डिंडीगुल जिला), मरिकौंडु गांव (थेनी जिला), वनुर (विल्लीपुरम) और रासिपुरम (नम्मक्कल जिला)
21.	उत्तर प्रदेश	नंदपुर अनवेषणात्मक स्थल (पौडी जिला) और कल्याणपुर ब्लाक कम्पाउंड (कानपुर जिला)
22.	उत्तरांचल	थानो (देहरादून)
23.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, बारासात (उत्तर 24 परगना), बालागढ़ ब्लाक (हुगली जिला) एवं रानी नगर-1 बनाव (मुर्शिदाबाद जिला)

विमानपत्तनों के आस-पास हरित क्षेत्र बनाने संबंधी परियोजनाएं

6973. श्री सुबोध मोहिते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के आस-पास हरित क्षेत्र बनाने संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान विमानपत्तनों का और विकास करने के लिए अग्रिम विमान शुल्क लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान में सरकार के विचाराधीन हरित क्षेत्र संबंधी विमानपत्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में जारी हवाई अड्डा अवसंरचना नीति में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को प्रोन्नत करने की नीति निहित है। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। हाल ही में सरकार ने निजी क्षेत्र को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में भागीदारी हेतु छूट दे संबंधी पैकेज की भी घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इनलैंड एअर ट्रैवल टैक्स से छूट प्रदान करने और प्रस्थान करने वाले यात्रियों को फॉरेन ट्रैवल टैक्स से छूट जिनकी परियोजनाएं उन राज्यों में है, जहां राज्य एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर केन्द्रीय बिक्री कर पर से बिक्री कर नए हवाई अड्डों के विकास हेतु वर्तमान हवाई अड्डों पर एडवांस डेवलपमेंट शुल्क लगाना और नए हवाई अड्डों पर यूजर डवैलपमेंट शुल्क लगाने से छूट प्रदान करना है।

(च) हैदराबाद के पास शमशाबाद और बंगलौर के पास देवनहाली में स्थित नए हवाई अड्डे संयुक्त उद्यम के रूप में बिल्ड आन ऑपरेट आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के नीतिगत पार्टनर को 74 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारें या उनकी अधिकृत एजेंसियां 13 प्रतिशत इक्विटी रखेंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रत्येक परियोजना में 13 प्रतिशत इक्विटी 50 करोड़ रु. की पूंजी की सीमा तक रखेगा। चुने गए प्राथमिक बोलीकर्ता में शमशाबाद की परियोजना के लिए जी एम वोसावी कन्सोर्टियम के नेतृत्व में और मलेशियन एयरपोर्ट होल्डिंग बेरहर्ड हैं। देवनहाली परियोजना के लिए नीतिगत संयुक्त पार्टनर जर्मनी का सीमेंस के नेतृत्व में स्वीटजरलैंड के डयूरिक और कंसोर्टिया के अन्य सदस्य लार्सन एण्ड टर्बो इंडिया लि. है। देवनहाली हवाई अड्डा परियोजना के लिए शेयर होल्डर करार पर 23 जनवरी 2002 को हस्ताक्षर किए गए। आगे की कार्यवाही और विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर और वित्तीय सहमति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। सरकार ने गोवा के मोपा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दी है।

मत्स्यन जेटी का निर्माण

6974. श्री विष्णु पद राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 अप्रैल, 2002 को अंडमान में जुगली घाट डेयरी फार्म पर मत्स्यन जेटी के निर्माण हेतु आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। शिलान्यास 6 अप्रैल, 2000 को किया गया था न कि 6 अप्रैल, 2002 को।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए डेयरी फार्म जंगलीघाट, अंडमान में मात्स्यिकी जेट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन को प्रोत्साहन

6975. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि नियत/जारी की गई है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अधिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के लिए 415.54 लाख रुपए के केन्द्रीय वित्तीय घटक के साथ 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इन 19 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं अब झारखण्ड राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए परियोजनाओं को अभी तक अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) इस अवधि के दौरान 19 परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किए 129.57 लाख रुपए में से, 3.85 लाख रुपयों की 2 परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं।

[अनुवाद]

पल्लव वंश के मंदिर

6976. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री ए.के. मूर्ति :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाबलीपुरम में पल्लव वंश के सात मंदिरों में से छह मंदिर समुद्र में डूबे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उन छह मंदिरों के अवशेष का पता लगाने हेतु प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चेंगलपुट्टु जो पल्लव वंश की कलाओं और प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, में एक पुरातात्विक अनुसंधान केन्द्र को स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) महाबलीपुरम में कथित सात मंदिरों (पगोडाओं) का अस्तित्व एक स्थानीय परम्परा है जिसे प्रारंभिक यूरोपीय यात्रियों द्वारा रिकार्ड किया गया था और अब तक ऐसा कोई तात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जो 6 मंदिरों का डूब जाना सिद्ध कर सके जैसा कि दावा किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1996-97 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और इसके बाद 2001-2002 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अकेले एक अन्य सर्वेक्षण किया गया, जब पुरातत्वीय अवशेष जैसे मृदभाण्डों, ईंट के टुकड़ों, इत्यादि को प्रलेखबद्ध किया गया।

यह उपलब्ध सूचना छः मंदिरों के डूबने संबंधी किंवदन्ती को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस का पैकेज

6977. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने आंध्र प्रदेश सरकार को किसी पैकेज का प्रस्ताव किया है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पैकेज की मौजूदा स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने पहले ही समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। समझौता-ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसके बाद इंडियन एयरलाइंस तथा आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होलीडे पैकेज शुरू कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

सिंचाई विभाग में घोटाला

6978. श्री सुबोध राय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंगा नहर सिंचाई विभाग में 20 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त घोटाले की सी.बी.आई. से जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन तथा रखरखाव राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। इसलिए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के निष्पादन में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उस पर राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्रवाई की जानी होती है।

[अनुवाद]

परिसम्पत्तियों और देयताओं का स्थानांतरण

6979. श्री रामसिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की परिसम्पत्तियों और देयताओं के स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की परिसम्पत्ति और देयताएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरण करने का प्रस्ताव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से परामर्श करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परीक्षाधीन है।

शो केस की खरीद में अनियमितताएं

6980. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 2002 के 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र में ''पांच हजार का शो केस 75 हजार में खरीदा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में प्रकाशित मामले के तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किस एजेन्सी से खरीद की गई थी और इस खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की खरीद सिर्फ निविदाओं के खुले आमंत्रण के माध्यम से ही हो?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। इन शो केसों को मुद्रा दीर्घा की प्रदर्शन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए डिजाइन तथा तैयार किया गया था। इन शो केसों को बढ़िया किस्म की सागौन की लकड़ी के साथ उससे मिलती जुलती तन्तुरचना से बनाया गया है। सभी 31 केसों में प्रदर्शन फलकों में हाथ से बुना रेशम तथा प्रकाश की व्यवस्था के साथ-साथ विशेष ताले तथा सुरक्षा अलार्म भी लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है।

(ङ) मैसर्स ऑस्ट्रोलिंकस, नई दिल्ली को पांच विशिष्ट फर्मों की निविदा का कार्य सौंपा गया था जिसने सीमित आधार पर शो केसों के लिए निविदाएं आमंत्रित की।

(च) राष्ट्रीय संग्रहालय को निदेश दिए गए हैं कि खुले आमंत्रण के आधार पर वित्तीय सक्षमता एवं कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित ठेकेदारों का एक पैनल तैयार करे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय में भ्रष्टाचार

6981. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रशासन निर्धारित नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) निर्धारित नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा और हैदराबाद विमानपत्तनों के विरुद्ध संपत्ति कर की बकाया धनराशि

6982. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्नावरम ग्राम पंचायत और सिकन्दराबाद छावनी परिषद की क्रमश: विजयवाड़ा और हैदराबाद विमानपत्तनों के विरुद्ध संपत्ति कर की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) बकाया धनराशि किस अवधि से लंबित है; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की अदायगी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) विजयवाड़ा हवाई अड्डे के संबंध में गन्नवरम ग्राम पंचायत पर कोई संपत्ति कर देय नहीं है।

तथापि, सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (एस.सी.बी.) ने 1995-2000 की अवधि के लिए सम्पत्ति कर, विद्युत प्रभार के रूप में हैदराबाद (बेगमपेट) हवाई अड्डे के लिए 6.63 करोड़ रुपए का एक बिल प्रस्तुत किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने कर पर पुनर्विचार हेतु एस.सी.बी. को प्रतिवेदन दिया। क्योंकि एस.सी.बी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अभियुक्ति से सहमत नहीं थे। इसलिए सिटी सिविल कोर्ट में एक अपील तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिटी पिटीशन दायर की गई। माननीय न्यायालय ने एक अंतरिम रोक आदेश जारी किया तथा याचिकादाता (पिटीशनर) को चार सप्ताह की अवधि के भीतर बिल का एक तिहाई जमा कराने का आदेश दिया। तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एस.सी.बी. को 2.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मामला , वर्तमान में न्यायाधीन है।

जल स्रोत के रूप में वर्षा जल संचयन को मान्यता

6983. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल स्रोत के रूप में वर्षा जल संचयन को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसे बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में वार्षिक जल संचयन संभावना कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) देश में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "प्रायोगिक आधार" पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को क्रियान्वित किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में इस स्कीम के तहत 174 स्कीमों को अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण देश में जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, वार्षिक रूप से 36453 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिशेष मानसूनी वर्षा जल को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए भूमिगत जलभृत्तों में संचित किया जा सकता है।

विश्व बैंक सहायता

6984. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए चक्रवात प्रवण राज्यों से केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार मौजूदा स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सिंगापुर एयरपोर्ट अथॉरटी के बीच समझौता

6985. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में सहायता देने और प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों के प्रथम बैच ने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विमानपत्तन प्रबंधन में सुधार करने हेतु अन्य देशों के अनुभवों का भी लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए नई प्रबंधन प्रणाली/तकनीक मुहैया कराने के लिए किसी अन्य देश से सीधे सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एयरपोर्ट डी पेरिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं जिससे कि संरक्षा एवं सुरक्षा संहित हवाई अड्डा प्रबंधन और हवाई अड्डा प्रचालनों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा सकें।

आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

6986. डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजना में चूकें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के कई वन अधिकारियों ने सार्वजनिक धन को निजी भूमि के विकास पर खर्च किया है जो कि वनरोपण हेतु विश्व बैंक के मानदंडों का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और मानदंडों का उल्लंघन कर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा विभिन्न जिलों में कितने क्षेत्रफल भूमि ऐसे वनरोपण के अंतर्गत है; और

(च) उक्त चूकों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और जिन कार्यक्रमों के लिए उक्त धनराशि आवंटित की गई उसके अंतर्गत निधियों के उचित उपयोग हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात

6987. श्री अरूण कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) में वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के बीच कर्मचारियों की संख्या के अनुपात को बनाकर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995-2002 के दौरान 574 से 835 की संख्या तक फालतू सहायक कर्मचारियों पर करोड़ों रुपये फालतू खर्च हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस अनुपात को नहीं बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (छ) कर्मचारियों की संख्या का मौजूदा अनुपात चार श्रेणियों अर्थात् वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं सहायक में है जो 1 : 1.65 : 1.11 : 3.39 है।

उपर्युक्त अनुपात निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं है क्योंकि विगत में परिषद के कई संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ही बनाये गये हैं। इसके चलते भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिक स्टाफ का नये संस्थानों में स्थानांतरण हुआ है जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में रोका गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कर्मचारियों के अनुपात के असन्तुलन को ठीक करने के लिए पहले ही कदम उठाये हैं।

कृषि उत्पादन संबंधी तृतीय अग्रिम प्राक्कलन

6988. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 के लिए किए गए कृषि उत्पादन संबंधी तीसरे अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार खरीद सत्र में खाद्यान्नों और दलहनों का अब तक रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे गरीबों को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के लिए कृषि उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, अनाज और दलहन सहित खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन अब तक का उच्चतम उत्पादन 109.51 मिलियन मी. टन होने की संभावना है। बहरहाल, वर्ष 2001-02 में संभावित 5.50 मिलियन मी. टन से अधिक उत्पादन केवल खरीफ दलहन के मामले में पहले रिकार्ड किया गया है। अधिक प्रत्याशित उत्पादन के मुख्य कारण हैं, सभी स्थानों पर वर्षा का समान वितरण, वृहद् प्रबन्ध पद्धति के अंतर्गत प्लान स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्यों को दी गई अधिक सुविधा तथा इस क्षेत्र का बेहतर प्रबंध।

(ग) और (घ) उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबों सहित सभी लोगों को खाद्यान्नों की उपलब्धता यथा सम्भव

बेहतर हो जाएगी। तथापि सरकार, बाजार मूल्यों की तुलना में कम मूल्य पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

काजू क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण योजना

6989. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल और अन्य राज्यों में काजू क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) केरल सरकार ने केरल राज्य के काजू कामगारों के कल्याण के लिए केरल काजू कामगार सहायता और कल्याण निधि अधिनियम, 1979 (1984 का अधिनियम 19) के अधीन एक काजू कामगार सहायता और कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है। जुलाई, 2001 तक निधि के अधीन लगभग 1.8 लाख कर्मचारी पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ, जिनमें पेंशन अनुग्रह भुगतान, प्रसूति लाभ, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आदि शामिल है, से संबंधित कल्याण योजनाएं बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अन्य राज्य सरकारें काजू कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं तैयार करने अथवा केरल माडल के आधार पर योजनाओं का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कामगारों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा

6990. श्री सुकदेव पासवान :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामगारों को प्रदान की गई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा विश्व मानक के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी सुविधाओं को विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुरूप प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व में विभिन्न क्षेत्रों/व्यवसायों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित श्रमिक संरक्षण के क्षेत्रों में अभिसमयों, सिफारिशों, व्यवहार संहिता आदि के रूप में विश्व मानक निर्धारित करने के कार्य में लगा हुआ है। भारत ने अभी तक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी वातावरण के क्षेत्र में 2 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन समझौता श्रम मानकों से संबंधित नहीं हैं और सदस्य देशों के श्रम मानकों के अनुपालन के अधिदेश नहीं देता है।

कर्नाटक सरकार को विश्व बैंक की सहायता

6991. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को राज्यों में जल की कमी को ठीक करने हेतु विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक की सहायता से कितनी जल परियोजनाएं चल रही हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस उद्देश्य हेतु कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राज्यों में जल की कमी को कम करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक सहायता के वास्ते विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक सहायता से कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत करोड़ रु. में	वर्तमान स्थिति
	बिहार		
1.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना फेज-II	811.55	राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
2.	कोसी कमान क्षेत्र-बिहार के लिए सहभागी खेत संबंधी विकास परियोजना	304.90	राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
	गुजरात		
3.	गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना	724.00	2.5.2000 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विश्व बैंक ने विचार करने में असमर्थता जाहिर की है।
4.	गुजरात लवणता रोकथाम परियोजना	1160.00	जनवरी 2001 में विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। विश्व बैंक ने विचार करने में असमर्थता जाहिर की है।
	हरियाणा		
5.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना-II	880.00	डीईए द्वारा फरवरी, 2002 में संकल्पना पत्र विश्व बैंक को भेजा गया।
	कर्नाटक		
6.	कर्नाटक टैंक सुधार परियोजना	946.47	विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना
	महाराष्ट्र		
7.	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना	1433.20	7.2.2002 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।
	मध्य प्रदेश		
8.	सिंध परियोजना फेज-II मध्य प्रदेश	1074.40	राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
	पंजाब		
9.	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना-III	1483.00	राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
	तमिलनाडु		
10.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना फेज-II	3915.00	राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
	त्रिपुरा		
11.	त्रिपुरा सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्य	475.65	7.3.2001 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समझौता/ पूरा होने की तिथि	31.3.2002 को सहायता राशि/ उपयोग मिलियन डीसी	प्राप्त प्रति पूर्ति (मिलियन अमेरिकी डालर में) 1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश-III सिंचाई परियोजनाएं	3.6.1997 / 31.1.2003	325 अमेरिकी डालर क्रेडिट 131.505 अमेरिकी डालर ऋण : शून्य	13.71	27.10	23.14

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	30.1.1999 31.3.2004	142 अमेरिकी डालर 62.99 अमेरिकी डालर	36.74	12.63	10.62
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	5.1.1996 30.9.2002	290.90 अमेरिकी डालर 179.627 अमेरिकी डालर	28.67	29.26	16.63
4.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	27.3.2002 31.3.2008	143 अमेरिकी डालर 5.00 अमेरिकी डालर	–	–	–
5.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	22.3.2002 31.10.2007	149.2 अमेरिकी डालर 5.00 अमेरिकी डालर	–	–	–
6.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	22.9.1995 31.3.2003	282.90 अमेरिकी डालर 150.059 अमेरिकी डालर	57.50	32.34	20.36
7.	*हरियाणा जल संसाधन समेकन	24.6.1994 31.12.2001	258 अमेरिकी डालर 258 अमेरिकी डालर	32.93	41.50	52.93

*परियोजना पूर्ण

कन्याकुमारी विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय दर्जा

6992. डा. ए.डी.के. जयशीलन :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों का उन्नयन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में कब तक किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कोई हवाई अड्डा नहीं है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन आधारित उद्योग

6993. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में वन आधारित उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में कच्चे माल अर्थात् वन उत्पाद की सामान्य कमी के कारण इस समय नए वन आधारित उद्योगों की स्थापना करना सामान्यत: व्यवहार्य नहीं है। भविष्य में कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वन और गैर वन भूमियों पर पौधरोपण किया जा रहा है।

श्रम कानूनों के विरुद्ध श्रमिकों की हड़ताल

6994. श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राज्य संचालित कंपनियों के 10 मिलियन से ज्यादा कर्मचारियों ने 16 अप्रैल, 2002 को एक दिन की

हड़ताल की थी जिससे वस्तुत: वित्त बाजार और पत्तग पंगु बन गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हड़ताल से विभिन्न क्षेत्रों में किस सीमा तक कामकाज प्रभावित हुआ और इससे कितना वित्तीय घाटा हुआ है;

(घ) कर्मचारियों और कामगारों की क्या मांगें हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी हड़ताल को टालने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) श्रमिक संघों द्वारा दिनांक 16.4.2002 को आह्वान की गयी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में संगठित क्षेत्र के मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं, कोयला और पत्तनों व गोदियों के लगभग 10.5 लाख कामगारों ने भाग लिया। हड़ताल के कारण हुए वित्तीय नुकसान का आकलन नहीं किया गया है।

(घ) इस हड़ताल का आह्वान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, श्रम कानूनों में संशोधन और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों का आकार घटाने और उनकी बंदी के विरोध में किया गया था।

(ङ) और (च) सरकार ने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए श्रम सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की है। तथापि, सरकार कामगारों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। संगठित क्षेत्र के श्रम संबंधी विद्यमान कानूनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विधान का सुझाव देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है।

कृषि व्यापार सुधार

6995. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कृषि व्यापार सुधारों से अनाजों की कीमतों के अन्य खाद्यान्नों की तुलना में बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सर्वेक्षण पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउंसिल आफ सप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च) ने गरीबों के उपयोग व्यय पर कृषि व्यापार सुधारों के सम्भावित प्रभाव संबंधी एक अध्ययन आयोजित किया है।

वर्ष 1998 में प्रकाशित एक अध्ययन में उपयोग किए गए मामूली संरक्षण या प्रभावी संरक्षण गुणांकों पर आधारित, वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष में एक यह है कि कृषि में व्यापार उदारीकरण से अनाजों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और दलहन खाद्य तेल व अरहर की कीमतें कम हो सकती हैं।

बहरहाल, अध्ययन के सार निम्नलिखित मान्यता पर आधारित हैं:-

1. जिंसों के खपत व्यय का वितरण वर्ष 1994-95 की अवधि का है।
2. मामूली या प्रभावी संरक्षण गुणांक वर्ष 1998 में प्रकाशित एक अध्ययन से लिए गए हैं; तथा
3. परिणाम आंशिक साम्य फ्रेमवर्क पर आधारित हैं जिसमें उदारीकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त आय को नहीं लिया गया है।

सर्वेक्षण की अन्य मुख्य निष्कर्ष यह है कि इस परिदृश्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

जैसा कि स्पष्ट है यह अध्ययन प्रेक्षणागत मान्यताओं के कारण अपने निष्कर्षों में बाधक है।

कृषि उत्पादों के आयात को सरकार द्वारा नजदीक से मानिटर किया जाता है ताकि व्यापार उदारीकरण उपभोक्ताओं या उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण न बन सके। सरकार अनाजों, दलहन तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें चलाती रही है।

रेशम कीट पालन को प्रोत्साहन

6996. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेशम कीट पालन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। रेशम कीट पालन के संवर्धन हेतु हाल में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि रेशम कीट पालन के अभिवृद्धि क्षेत्र पहले से ही ज्ञात हैं।

पाउडर का दूध और घी बनाने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

6997. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल वाले क्षेत्रों में पाउडर का दूध और दूध से घी बनाने हेतु स्थानवार कौन-कौन सी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) उन पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) प्रत्येक इकाई की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में दूध और घी की कमी को पूरा करने हेतु कोई नई इकाई स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने महाराष्ट्र सहित आदिवासी और अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में दुग्ध पाउडर तथा घी बनाने के लिए कोई औद्योगिक डेयरी यूनिट स्थापित नहीं किया है।

(घ) से (च) जी, नहीं। नए डेयरी यूनिट की स्थापना अधिकता वाले मौसम के दौरान पाउडर और घी में परिवर्तित करने के लिए उस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, महाराष्ट्र में दूध और घी की कोई कमी नहीं बताई गई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई मामले

6998. श्री अधीर चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध मुंबई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को पट्टे पर देने के लिए मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) पीछे हाल ही में सीबीआई ने मुंबई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को पट्टे पर देने संबंधी कोई मामला दर्ज नहीं किया है। तथापि, सीबीआई ने पीछे ही मुंबई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को (1) मैसर्स इंडिया होटल कारपोरेशन लिमिटेड को पट्टे पर देने, (2) मैसर्स मैस्को एयरलाईंस को हैंगर स्थान को पट्टे पर देने; (3) मैसर्स रीजेंसी कंवेंशन सेंटर व होल को कंवेंशन सेंटर तथा पंचतारा होटल के निर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर देने संबंधी मामला; और (4) मुंबई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को कपटपूर्ण बिक्री के एक मामले की छानबीन की थी। पहले मामले में, सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कसूरवार अधिकारियों के खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। दूसरे मामले में सीबीआई ने पाया कि कोई आरोप दमदार नहीं थे और इन्होंने मामले को बंद करने की सिफारिश की थी। तीसरे मामले में, सीबीआई अभी तक अपनी छानबीन की तह तक नहीं पहुंच पाई है। चौथे मामले में, एक सहायक एयरोड्रम अधिकारी जो मामले में लिप्त था, को पहले ही सेवा से निकाल दिया गया है।

बांधों के निर्माण के लिए तमिलनाडु को सहायता

6999. श्री एस. मुरूगेसन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सरकार को विरुदुनगर जिले में कोटाईयारु, केरियारु, अलगार बांधों और मदुरै जिले में थेरापनपति बांधे के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से विरुदुनगर

जिला के कोडईयारू, किरीयारू बांध, अलगर बांध तथा मदुरई जिला के थेराप्पांपट्टी बांध के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) सिर्फ ऐसी अनुमोदित चल रही वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दी जाती है जो इस कार्यक्रम की शर्तों को पूरा करती हैं।

[हिन्दी]

वनस्पति उद्यान

7000. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनस्पति उद्यानों की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक राज्य ने वनस्पति उद्यानों और स्थायी पादपों की दुर्लभ प्रजातियों का चयन करने के उपरान्त भारतीय वनस्पति उद्यान और संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वनस्पति उद्यानों को प्रोत्साहित करने और पादपों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) दुर्लभ स्थानीय पादपों के स्थान-वाह्य संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने मौजूदा वनस्पति उद्यानों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु उपयुक्त परियोजनाओं के बारे में सलाह और सिफारिश देने के प्रयोजन से एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। वनस्पति उद्यानों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विचार करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ने विभिन्न पादप-भौगोलिक प्रदेशों के दुर्लभ स्थानीय पादपों को संरक्षण और संवर्धन के लिए अभिनिर्धारित किया है और देश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग में सहायता देता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय वनस्पति उद्यान से वित्त पोषण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मछली उत्पादन

7001. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में मछली उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई राज्यों में विशेषकर तटवर्ती राज्यों में मछली उत्पादन में वृद्धि करने की व्यापक संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर उड़ीसा में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1998-99 की तुलना में 2000-2001 के दौरान मछली उत्पादन में अधिक गिरावट नहीं आई है। तथापि, 1998-99 की तुलना में 2000-2001 तक उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में मछली उत्पादन में मामूली गिरावट हुई है।

(घ) और (ङ) मछुआरों की उत्पादकता तथा मत्स्यन उद्योग के साथ-साथ मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तटवर्ती राज्यों सहित राज्यों में मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

7002. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ठेकेदारों द्वारा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईब घाटी और तालचेर में कितने श्रमिकों को काम पर लगाया गया है;

(ख) क्या इन ठेका श्रमिकों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि जैसे आवश्यक सांविधिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम सांविधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उड़ीसा के सम्बलपुर, देवगढ़, अनगुल और ढेंकानाल जिलों को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए कितनी राशि दी गई है;

(च) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए कतिपय संहिताकृत कोलफील्ड्स नियमों का अनुपालन करती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विज्ञापन, प्रेस और प्रचार पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(झ) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा इस संबंध में अपनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) विभिन्न ठेकेदारों द्वारा महानदी कोलफील्ड्स लि. में लगाये गए मजदूरों के दैनिक औसत नियोजन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

ईब घाटी क्षेत्र	3332
तलचर क्षेत्र एम.सी.एल. मुख्यालय को मिलाकर	3422
एम.सी.एल. (जोड़)	6754

(ख) ठेकेदारों के पात्रता प्राप्त कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इन मामलों में लागू नहीं होता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ङ) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) की खानें तथा मुख्यालय वर्तमान में उड़ीसा राज्य के 4 (चार) जिलों, नामत: आंगुल, झरसुगुदा, सुन्दरगढ़ तथा सम्बलपुर में स्थित है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के ऊपर उल्लिखित जिलों में सामुदायिक विकास के लिए एम.सी.एल. द्वारा खर्च की गई कुल राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	झरसुगुदा	सुन्दरगढ़	आंगुल	सम्बलपुर	कुल
1999-2000	12.94	76.66	164.26	36.06	289.92
2000-01	114.27	51.54	154.11	49.66	369.58
2001-02	88.06	27.59	104.79	40.18	260.59

उड़ीसा के देवगढ़ और धेनकनाल जिलों में परिधीय विकास कार्य नहीं किए गए हैं क्योंकि ये कोयला खानों के आसपास के 8 (आठ) किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं हैं।

(च) और (छ) उड़ीसा सरकार के आदेशों के आधार पर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों हेतु निधियों का आवंटन अब एक समिति द्वारा किया जा रहा है जिसमें राजस्व मंडल आयुक्त (अध्यक्ष के रूप में), सम्बद्ध क्षेत्र के स्थानीय सांसद तथा विधायक, जिलाधीश और एम.सी.एल. के सी.एम.डी. शामिल हैं। ये कार्य मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं-जलापूर्ति, हैंड पम्प लगाए जाने जैसी व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण/सुधार, स्कूलों की इमारतों का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण आदि। परिधीय विकास कार्य सामान्यत: कोलफील्डस (मुख्यालय) यूनिट से 8 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर किया जाता है।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन, प्रेस तथा प्रचार पर महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) द्वारा खर्च किया गया वर्ष-वार कुल धन निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	विज्ञापन पर खर्च	प्रेस तथा प्रचार पर खर्च
1999-2000	244.94	39.54
2000-01	192.22	48.55
2001-02	221.41	26.53

(झ) समाचार पत्रों में प्रचार के लिए किए गए कार्य में शामिल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कार्य का मूल्य	समाचार पत्र के प्रकार
5.00 लाख रु. से 50.00 लाख रु.	एक स्थानीय, एक क्षेत्रीय तथा एक हिन्दी समाचार पत्र
50.00 लाख से 1.00 करोड़ रु.	किसी महानगर से निकलने वाला एक स्थानीय, एक क्षेत्रीय, एक हिन्दी तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र
1.00 करोड़ तथा इससे अधिक	नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई से निकलने वाले एक स्थानीय, एक क्षेत्रीय, एक हिन्दी और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा साप्ताहिक पत्रिका

उपरोक्त समाचार पत्रों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय निविदा के लिए, विज्ञापन, भारतीय व्यापार जर्नल (इण्डियन ट्रेड जर्नल) में भी दिया जाता है।

जैव कृषि संबंधी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

7003. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय जैव कृषि संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा देश में ऐसे संस्थानों को पहले ही स्थापित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में सतत् कृषि के लिए तकनीक उपलब्ध है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जैव कृषि के राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने, इसके प्रत्यायन, जांच तथा नियमन पर जोर देते हुए देश में जैव कृषि के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए दसवीं योजना के दौरान एक राष्ट्रीय जैव कृषि मण्डल की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में लोक नृत्य को प्रोत्साहन

7004. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के, विशेषकर ढेंकानाल के कठपुतली नृत्य की लोकप्रियता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के कठपुतली नृत्य को दिखाने वाले सरकार से उचित सहयोग के अभाव में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उड़ीसा के लोक नृत्यों विशेषकर धेनकनाल के कठपुतली नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संगीत नाटक अकादमी, कठपुतली कला के समूहों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करके, उत्सव तथा कार्यशालाएं आयोजित करके, प्रलेखन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों प्रकाशनों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों आदि के माध्यम से कठपुतली कला के परंपरागत रूपों को सहायता प्रदान करती है। धेनकेनाल की ''रावण छाया'' से छाया कठपुतली को अकादमी और पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र, कोलकाता के विभिन्न उत्सवों तथा समारोहों में प्रस्तुत किया गया है। कठपुतली का नाच दिखाने वो उड़ीसा के दो विख्यात व्यक्तियों को संगीत नायक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर आगमन पर वीजा देने हेतु जगह की व्यवस्था

7005. श्री ए. कृष्णैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों को ''वीजा आन एराइवल'' देने हेतु उचित जगह देने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर खाद्य और पेय के लिए दुकानों को विशाल क्षेत्र आवंटित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने उन निर्णयों की समीक्षा करने जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन को यात्रियों के लिए अनुकूल नहीं बनाता है क्या कदम उठा रहा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) उप-महाद्वीप में चल रहे सुरक्षा परिदृश्य के कारण कुछ समय के लिए ''आगमन पर वीजा'' योजना को स्थगित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न खान-पान की सुविधाओं जैसे कि रेस्टोरेंट, स्नैक बार, चाय/काफी बेचने की मशीनें तथा कोल्ड-ड्रिंक बेचने की मशीने लगाने के लिए स्थान आवंटित किया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यात्रियों की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है।

गन्ना उत्पादक

7006. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन के प्रोटोटाइप और तकनीकी ज्ञान के अभाव में और खेतों और फसलों की खराब दशाओं के कारण गन्ना उत्पादक अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पहलुओं पर किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले में चीनी उद्योग को भी इसमें शामिल करने के संबंध में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) ऐसे बहुत से कारण हैं जो गन्ना उत्पादकों के लिए आर्थिक आय का निर्धारण करते है। गन्ना उत्पादकों सहित किसानों के उपयोग के लिए देश में जुताई, इन्टर-कल्चर, पादप रक्षण और सिंचाई कार्य हेतु कृषि उपकरण वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं। कृषि में वृहत् प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीद के लिए किसानों को राजसहायता भी उपलब्ध है। पौध-रोपण और पेड़ी की छंटाई (स्टबल शेविंग) के लिए विशेष उपकरण का भी विकास किया गया है। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत दो परियोजनाओं नामत: कृषि उपकरणों के प्रोटोटाईप निर्माण और गन्ना उत्पादन हेतु गहन सिंचित कृषि के यंत्रीकरण का अनुमोदन किया गया है। ये परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में चल रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने चीनी उद्योग के साथ संपर्क विकसित किया है। विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी के चयन, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जा रहा है। कुछ चीनी मिलों ने देश में परीक्षण, मूल्यांकन और उसे लागू करने के उद्देश्य से शुगर-केन हारवेस्टर का आयात किया है।

पर्यटन को प्रोत्साहन

7007. श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के ''द इकोनोमिक टाइम्स'' में ''रिवाईविंग टूरिज्म द ब्रिटिश वे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश तरीके, जिसे कि देश में केरल और राजस्थान ने तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सिंगापुर, थाइलैण्ड और मलेशिया द्वारा अपनाया गया है, को अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) विदेशी बाजार में भारतीय पर्यटन उत्पादन का संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेकर, सेमीनारों का आयोजन और विभागीय स्टोर संवर्धन, विज्ञापन सहायता, आतिथ्य कार्यक्रम के तहत मीडिया और व्यापार प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके, वेबसाइट और ब्रोशरों आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करके पूरा किया जाता है। वर्तमान में, विपणन

नीति डेमोग्राफिक प्रोफाइल की तुलना में भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पाद की स्थिति और प्रत्येक मार्किट की आवश्यकतायें हैं। सरकार ने अदृश्य घटनाओं को, बताने के लिए जो भारत के लिए अधिकाधिक पर्यटक आगमन में बाधक बन सकते हैं, संकट प्रबंधन योजना का विकास किया है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन

7008. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में यात्रियों और कार्गो की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विमानपत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन करने संबंधी कोई प्रस्ताव तैयार किया है/ किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त उन्नयन कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) यात्रियों तथा कार्गो की भावी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों पर विविध सुविधाओं का विकास तथा उन्नयन एक निरंतर प्रक्रिया है तथा यातायात मांग, प्रयोग किए जाने वाले विमान की किस्में, भूमि की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों के आधार पर इसको चरणबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है। इनफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्रमुख हवाई अड्डों पर, जहां आवश्यक हो, नए अंतरराष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय भवनों, कार्गो टर्मिनलों, नए तकनीकी ब्लॉक तथा नियंत्रण टावर का निर्माण, मौजूदा टर्मिनल भवनों का विस्तार एवं रूपांतर, धावनपथ का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, एयरोब्रिज की प्रतिष्ठापना, अत्याधुनिक एरिया निगरानी रडार, कन्वेयर बेल्ट, सामान जांच, एक्सरे मशीनें, बेहतर साइनेजिज, प्रसाधन कक्षों का नवीनीकरण, सीसीटीवी मॉनीटर जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इससे व्यस्ततम घंटों में संभालने की क्षमता में वृद्धि होगी। कुछ कार्य योजना स्तर पर है। परियोजना/साध्यता रिपोर्ट की तैयारी तथा मंजूरी होने पर आरंभ होने तथा पूरा हो की तिथि निर्धारित की जाएगी।

नागपुर विमानपत्तन पर धावन पथ का निर्माण

7009. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर विमानपत्तन के धावन पथ का उन्नयन किया जा रहा है ताकि वह बोइंग 747 विमान का भार वहन कर सके;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) इस विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और इससे किन-किन देशों को जोड़ने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) नागपुर हवाई अड्डे का वर्तमान रनवे बोइंग 747 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। तथापि, बी-747 किस्म के विमानों की हैंडलिंग के लिए एप्रन और टैक्सी ट्रेक को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) ये सभी कार्य अगस्त 2002 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक और प्रचालन व्यवहार्यता के आधार पर अपनी प्रचालन सेवाओं की योजना बनाती हैं। इस समय, किसी एयरलाइन ने नागपुर हवाई अड्डे से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने संबंधी मांग की योजना नहीं बनाई है।

[अनुवाद]

अल्माटी बांध विस्थापितों का पुनर्वास

7010. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में अल्माटी बांध के निर्माण के कारण कितने लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी है;

(ख) क्या इन भू-विस्थापितों का पुनर्वास कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो पुनर्वास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के

अनुसार अलमट्टी बांध के निर्माण के कारण 154100 लोग भूमिहीन हो गए। इस परियोजना में दो बांध हैं। नारायणपुर बांध के मामले में जहां वर्ष 1982 से जल का भंडारण किया जा रहा था वहां लगभग 40,000 लोग प्रभावित थे। इन लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया तथा पुनर्वास केन्द्रों में उनको पुनर्वासित किया गया। अलमट्टी बांध, जिसे चरणों में ऊपर उठाया जा रहा है, वहां 100 प्रभावित गांवों में से 65 गांवों को पूरी तरह दूसरे स्थान पर बसाया गया तथा पुनर्वास केन्द्रों में उन्हें पुनर्वासित किया गया, सितंबर, 2002 तक 35 गांवों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसके लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी प्रकार की देनदारी का भुगतान एक वर्ष पहले ही कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीटी कपास के वाणिज्यीकरण पर आपत्तियां

7011. श्री सुबोध राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों और विशेषज्ञों ने बी.टी. कपास के वाणिज्यिक प्रयोग की केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति को तुरन्त वापस लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव से छोटे किसानों को हानि और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो किसानों और विशेषज्ञों द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) जी, नहीं। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी (एम.ए.एच.वाई.सी.ओ.) द्वारा बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती के लिए सशर्त अनुमोदन का स्वागत कृषक संगठनों सहित विभिन्न रुचि रखने वाले समूहों ने किया है। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें कीटनाशकों के प्रयोग में कमी, लक्षित कीटनाशकों का नियंत्रण और अधिक उपज के फलस्वरूप बीटी कपास की खेती से अधिक आर्थिक लाभ है।

[अनुवाद]

निधियों का अन्यत्र प्रयोग

7012. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वर्ष 1992-97 के दौरान विदेशी एजेंसियों से 84.58 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है और उसने इसमें से 21.25 करोड़ रुपए को अपने सामान्य व्यय में व्यय कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को व्यय हेतु कम धन प्राप्त हुआ जिसके कारण वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तारण परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का उसे अन्यत्र उपयोग करना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992 से आज की तिथि तक विदेशों से प्राप्त राशि और इसे किन प्रयोजनों हेतु व्यय किया गया और किस प्रकार व्यय किया गया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी धन को जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया उसी उद्देश्य के लिए उसके व्यय को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) की स्थापना वर्ष 1987 में वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग को प्रारम्भ करने, सहायता, संवर्द्धन और समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। इस परिषद को जून, 1991 में स्वायत्तता मंजूर की गई थी और इस समय यह देश में विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थिति इसके 8 संस्थानों और तीन केन्द्रों के माध्यम से काम करती है। परिषद अपने अनुसंधान और अन्य सामान्य गतिविधियों को चलाने के लिए भारत सरकार से बजटीय सहायता पर निर्भर करती है।

परिषद ने एक विश्व बैंक सहाय्यित परियोजना को 181.04 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया है जिसे "वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार (एफ.आर.ई.ई.)" परियोजना के नाम से जाना जाता है। परियोजना का कार्यान्वयन सितम्बर, 1994 से प्रारम्भ हुआ था और दिसम्बर, 2001 में पूरा किया गया। निधियां प्लांट स्थापना, रिसर्च ग्रांट फंड्स, प्लांटिंग स्टॉक सुधार कार्यक्रम, विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण, कंसल्टैंसीज़, सिविल निर्माण कार्यों, उपकरण, वाहनों और आवर्ती व्यय आदि पर खर्च की गई। वर्ष 1991-92 से 1997-98 तक के दौरान आई.सी.एफ.आर.ई. का

योजना गतिविधियों पर व्यय वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान इसके द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों की तुलना में 18.96 करोड़ रुपए अधिक था। 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान एफ.आर.ई.ई. परियोजना के संबंध में विश्व बैंक परियोजना से संबंधित 80 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त की थी और व्यय 54.52 करोड़ रुपए का था। परियोजना अवधि के दौरान परियोजना के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निधियों के आबंटन में कोई कमी नहीं आई है। विश्व बैंक की संतुष्टि के अनुसार आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा हर तरीके से परियोजना पूरी कर ली गई है।

ग्लास हाऊसों का निर्माण

7013. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय ग्लास हाऊसों का निर्माण किया जाना था लेकिन निधियां उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी उनका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन ग्लास हाऊसों के निर्माण में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्लास हाऊसों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए है और इन्हें कब तक निर्मित किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार के पास कृषि मंत्रालय द्वारा ग्लास हाऊसों के निर्माण का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। बहरहाल, सरकार कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पादप घरों (ग्रीन हाऊस) के निर्माण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना से किसानों को सहायता उपलब्ध कराती आ रही है। वर्ष 1999-2000 तक 497 हैक्टेयर क्षेत्र को पादप घरों के अधीन कवर किया गया है। इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 तक कार्यान्वित किया गया। इसके पश्चात् उपर्युक्त स्कीम को कृषि में वृहत् प्रबंधन-कार्य योजना के जरिये राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया था। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को यथा आवश्यकता कार्यक्रम चलाने के लिए लचीलापन दिया गया है।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

7014. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भ्रम पैदा करने में लगा हुआ है जैसा कि दिनांक 26 मार्च 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान के समाचार पत्र ''विहंगम'' के हाल के प्रकाशित अंक में कई भ्रामक सूचनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे भ्रमों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के समाचार पत्र ''विहंगम'' के जनवरी-फरवरी के अंक में ''दुर्लभ अथर्ववेद की पाण्डुलिपियाँ सी-डी रोम में स्वदेश वापस आई'' शीर्षक से एक लेख छपा था। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अनुसार इस अंक में यह उल्लेख किया गया है कि अथर्ववेद की कतिपय ऋचाओं की मूल पाण्डुलिपि का काल-निर्धारण 900 ई. पूर्व किया गया है। वास्तव में उल्लिखित तारीख अथर्ववेद की रचना की तारीख है न कि वास्तविक पाण्डुलिपि के उद्भव की तारीख है।

इस मामले को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है और इसका स्पष्टीकरण 'विहंगम' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहारा जिसने 26.3.2002 को इस मामले की रिपोर्ट की थी उसने भी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का स्पष्टीकरण 25 अप्रैल, 2002 को अपने समाचार-पत्र में प्रकाशित किया था।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर शिकायत फार्म

7015. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों पर यात्रियों के लिए शिकायत फार्म उपलब्ध कराता है;

(ख) वर्ष 2001-2002 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऐसी शिकायतों को दर्ज किया जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विभिन्न विमानपत्तनों पर शिकायतों को प्राप्त करने की उपयोगिता की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां। टर्मिनलों में विभिन्न स्थानों पर तथा ड्यूटी एयरपोर्ट मैनेजर के कार्यालय में लगी शिकायत/सुझाव पेटियों पर शिकायत/सुझाव फार्म/बुक उपलब्ध है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान 434 शिकायतें प्राप्त हुई और जो शिकायतें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित पाई गई उन पर कार्रवाई की गई। दूसरे मामलों में, शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों/विभागों को भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सामान्यत: इन शिकायतों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया जाता है तथा उन्हीं के द्वारा इनका उत्तर भी दिया जाता है और इस अवधि के दौरान उन्होंने 56 प्रशस्ति-पत्र भी प्राप्त किए।

झींगा प्रजनन

7016. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में अमरीकी स्वेत झींगा जैसी बीमारी प्रवण प्रतिबंधित झींगा मछलियों का प्रजनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रजननकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कुछ झींगा हैचरियों द्वारा झींगा की विदेशी किस्म अर्थात् पेनयूस वन्नामेई (अमरीकी सफेद झींगा) को अवैध रूप से शामिल करने संबंधी अपुष्ट रिपोर्टें ही प्राप्त हुई है।

(ग) तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे रिपोर्टों की प्रमाणिकता का पता लगाएं तथा हैचरियों के निरीक्षण के बाद यदि झींगा किस्म का ब्रूड स्टाक पाया जाता है तो उसे नष्ट करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत उच्च प्रीमियम दर

7017. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा की प्रीमियम दरें किसानों को अधिक लग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त दरों को घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक प्रीमियम की निश्चित दरें वसूल की जाती हैं। ये दरें प्रीमियम की वाणिज्यिक दरों से बहुत कम हैं। हालांकि, वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों, जिनके संबंध में वाणिज्यिक दरें वसूल की जाती हैं, के लिए प्रीमियम की अधिक दरें वसूल किए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं, मानक प्रणाली विज्ञान नामत: सामान्य वितरण/केन्द्रीय सीमा प्रमेय के सिद्धान्तों के आधार पर वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की बीमांकिक/वाणिज्यिक दरों का मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों की पैदावार में अस्थिरता पर विचार करते हुए शुद्ध जोखिम प्रीमियम का आकलन किया जाता है। इस प्रकार परिकलित प्रीमियम की दरों को मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता।

कृषि आयात

7018. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गत वर्ष में कृषि आयात के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन 5 मिलियन किसानों द्वारा क्रेडिट कार्डों के प्रयोग में खामियों का पता चला है जिन्होंने इस सुविधा को अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि उत्पादों का कुल आयात वर्ष 1998-99 में 2919 मिलियन अमरीकी डालर था जो घटकर वर्ष 1999-2000 में 2858 मिलियन अमेरिकी डालर रह गया है और वर्ष 2000-01 में और भी घटकर 1858 मिलियन अमेरिकी डालर रह गया है। देश के कुल आयात में कृषि आयात का अंश भी वर्ष 1998-99 के 6.9% से घटकर वर्ष 2000-2001 में 3.7% रह गया है। यह गिरावट मुख्यत: अनाजों और चीनी के आयात में कमी का परिणाम है।

(ग) और (घ) किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम तीन वर्षों की वैद्यता सहित फसल ऋणों के वितरण के लिए एक बाधामुक्त तंत्र है। इस स्कीम को प्रयोक्ताओं के बीच अधिक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। स्कीम के क्रियान्वयन में किसी विशिष्ट कमी की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं देखी गई हैं। बाधाएं और उनके समाधान के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:-

* कुछ बैंकों खासकर सहकारी बैंकों ने कार्ड धारकों के लिए बार-बार आहरित करने की सुविधा अब तक नहीं दी है, इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अधीन दी गई मूल सुविधा को भी कम कर रहे हैं। जहां कहीं भी ऐसे उदाहरण की रिपोर्ट मिली है, नाबार्ड द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में इस तथ्य को लाया गया।

* कुछ राज्य सरकारें किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन ऋणों के लिए स्टैम्प शुल्क लगा रही है न कि सामान्य फसल ऋणों के लिए। यह मामला राज्य स्तरीय बैंकर समिति के जरिए संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

* कुछ स्थानों पर यह रिपोर्ट मिली है कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर जोर देते रहे हैं। नाबार्ड ने बैंकों को यह सलाह दी है कि वे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सख्ती से पालन करें।

नागपुर-मुम्बई नागपुर मार्ग पर एयरबस सेवा

7019. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बोइंग 737 के स्थान पर नागपुर-मुम्बई-नागपुर मार्ग पर एयरबस 300 या 320 को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर इस समय मुंबई-नागपुर-मुंबई सेक्टरों पर रोजाना सायंकालीन ए-320 विमान सेवा तथा रोजाना प्रात:कालीन बी-737 विमान सेवा प्रचालित कर रही हैं।

पर्यटक गंतव्यों/स्मारकों का नवीकरण

7020. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुराने स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों सहित 81 पर्यटक गंतव्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में कुल कितनी लागत लगेगी और किन-किन राज्यों में इन्हें कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारें इस परियोजना के कार्यान्वयन में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटक स्थलों के विकास के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां प्रदान की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने देश में प्राचीन जैन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के 84 पर्यटक गंतव्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरण तथा विकास कार्य कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें होने वाले व्यय की कुल लागत 3406.92 लाख रुपए है। वे राज्य, जहां ये परियोजनाएं कार्यान्वित होंगी, नीचे दिए गए हैं:-

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल।

(घ) ये सभी परियोजनाएं केन्द्रीय एजेंन्सियों, अर्थात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, सिवाय दो के, जिनका कार्यान्वयन उड़ीसा राज्य सरकार तथा आई.एन.टी.ए.सी.एच (गैर-सरकारी संगठनों) के माध्यम से किया जा रहा है।

(ङ) सरकार ने 6 अप्रैल, 2001 से 6 अप्रैल, 2002 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मनाए गए भगवान महाबीर के 2600वें जन्म कैयानक के समारोह के एक भाग के रूप में, भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जैन मन्दिरों, तीर्थस्थलों के आस पास विकास कार्य आरंभ किया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान केवल उड़ीसा की राज्य सरकार को 28.00 लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मत्स्य पालन कॉलेजों की स्थापना

7021. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किन-किन राज्यों में मत्स्य पालन कॉलेजों की स्थापना की गई है; और

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान कौन-कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मत्स्य पालन के कॉलेजों की स्थापना करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, गुजरात, केरल, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।

(ख) कृषि विज्ञान के तहत संस्थानों की स्थापना एक राज्य का विषय है। परिषद को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई राज्य 2002-03 के दौरान मत्स्य पालन कॉलेजों की स्थापना कर रहा है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में खनिज भंडार

7022. श्री रामदास आठवले : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में, विशेषकर गुजरात में उक्त खनिजों के गवेषण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय जिलों में उपलब्ध खनिजों का ब्यौरा निम्नवत है-

राज्य/जिला	खनिज
1	2
1. आंध्र प्रदेश	
आदिलाबाद	मैग्नीज अयस्क, कोयला, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर
पूर्व गोदावरी	कोयला, ग्रेफाइट
पश्चिम गोदावरी	बॉल क्ले, कोयला, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, ग्रेफाइट
खम्माम	तांबा, सीसा, कोयला, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट के अयस्क
श्रीकाकुलम	ग्रेफाइट
विशाखापत्तनम	ऐपेटाइट, मैग्नीज अयस्क, ग्रेफाइट
वारंगल	कोयला, ग्रेफाइट
2. अरुणाचल प्रदेश	
कमेंग पूर्व एवं कमेंग पश्चिम	तांबा, सोना एवं पाइराइट, डोलोमाइट
लोहित	चुना पत्थर, ग्रेफाइट
सुबानसिरि लोअर सुबानसिरि अपर	तांबा, सोना, पाइराइट, ग्रेफाइट
3. असम	
गोलगोरा	मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट
कामरूप	मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट
कारबी	चूना पत्थर, काओलिन, सिलिमेनाइट
एनलोंग	चूना पत्थर, काओलिन, सिलिमेनाइट
लखीमपुर	कोयला, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, काओलिन

1	2
नौगांव	चूना पत्थर
उत्तर चचार हिल	कोयला, चूना पत्थर
सिबसागर	कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर
4. गुजरात	
भरूच	अगेट, लिग्नाइट, सिलिका सैंड
साबरकंठा	काओलिन
वडोदरा	फ्लोराइट, चॉक
वालसाद	फायरक्ले
5. कर्नाटक	
चिकमंगलूर	बाक्साइट, लौह अयस्क
दक्षिण कन्नाड	बाक्साइट
मैसूर	सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, काला ग्रेनाइट
6. केरल	
कोझिकोड	लाइमशैल, इल्मेनाइट, मोनोजाइट, बीचसैंड, लौह अयस्क
इरनाकुलम	ग्लाससैंड, लाइमशैल
मल्लापुरम	लाइमसैल, इल्मेनाइट एवं मोनोजाइट बीचसैंड, लौह अयस्क
पालघाट	चूना पत्थर लाइमशैल, लौह अयस्क
थिरूअन्नतपुरम	चाइनाक्ले, इल्मेनाइट एवं मोनोजाइट बीचसैंड
7. मध्य प्रदेश	
बालाघाट	तांबा, डोलोमाइट, मैंग्नीज अयस्क
बेतुल	कोयला, काओलिन
छिंदवाड़ा	कोयला, डोलोमाइट, मैंग्नीज अयस्क
धार	चूना पत्थर, स्टीटाइट, ओकर
जबलपुर	बॉक्साइट, डोलोमाइट, काओलिन, चूना पत्थर, स्टीटाइट, ओकर
मांडला	बॉक्साइट, डोमोमाइट, ओकर

1	2
झबुआ	डोलोमाइट
मुरैना	चूना पत्थर
शहडोल	कोयला, बॉक्साइड, चूना पत्थर, ओकर
सिवनी	डोलोमाइट
सिधि	कोयला, बाक्साइट, काओंलिन
8. महाराष्ट्र	
चंद्रपुर	कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाइट, वॉलफ्रेमाइट स्कीलाइट
नंदेड	चूना पत्थर, डोलोमाइट
यवतमाल	कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट
9. मणिपुर	
चंदेल	क्रोमाइट
ऊखराल	क्रोमाइट
10. मेघालय	
जयनटिंस	सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, रसायन ग्रेड चूना पत्थर
पूर्व एवं पश्चिम गोराहिल, पूर्व खासी हिल	सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर
पश्चिम खासी हिल	सिलिमेनाइट
11. झारखंड	
पलामू	बेराइट्स, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फैल्सपर, फायरक्ले, ग्रेफाइट, मैनेटाइट, क्वार्टज सिलिका सैंड, टाल्क स्टीटाइट, रॉक फास्फेट, एडालुसाइट
रांची	चाईना क्ले, फायर क्ले, चूना पत्थर, क्वार्टज, सिलिका सैंड, इल्मेनाइट/रूटाइल
सिंहभूम	एपटाइट, एसबैस्टस, बेराइट्स, चाइना क्ले, क्रोमाइट, तांबा, फायर क्ले, स्वर्ण अयस्क, ग्रेनाइट, हेमेटाइट, कायोनाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, क्वार्टज/ सिलिका सैंड टाल्क/स्टीटाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट निकिल

1	2
12. नागालैंड	
मोन	कोयला
फेक	चूना पत्थर
ट्यूनसांग	निकलीफेरस, मैग्नेटाइट
13. उड़ीसा	
बालेश्वर	वेनाडिफेरस, मैग्नेटाइट
गंजम	बीचसैंड
कालाहांडी	बाक्साइट, ग्रेफाइट
क्योंझर	बाक्साईट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, वैनाडिफेरस मैंग्नेटाइट
कोरापुट	बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क
मयूरभंज	लौह अयस्क, निकिल अयस्क, वैनेडीफेरस मैग्नेटाइट, सिलिमेनाइट
फूलबनी	बाक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट
संभलपुर	बाक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, सिलिमेनाइट
सुंदरगढ़	बाक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, सीसा अयस्क, सिलिमेनाइट
14. राजस्थान	
बासबाड़ा	फास्फोराइट, स्टीटाइट
चित्तौडगढ़	काओलिन, चूना पत्थर, तांबा अयस्क
डुगरपुर	एसबेस्ट्स, फैल्सपर, फासफोराइट, स्टीटाइट, तांबा अयस्क
सिरोही	कैल्साइट, फैल्सपर, चूना पत्थर, तांबा अयस्क
उदयपुर	एसबैस्टस, कैलसाइट, काओलिन, सीसा जस्ता, अयस्क, चूना पत्थर, अभ्रक, फास्फोराइट, पाइरोफेलाइट, स्टीटाइट तांबा अयस्क

1	2
15. सिक्किम	
दक्षिण जिला	कोयला
पूर्वी जिला	तांबा, सीसा, जस्ता
पश्चिम जिला	डोलोमाइट, सिलिमेनाइट, मैग्नेसाइट, टाल्क, रॉक फास्फेट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट
16. तमिलनाडु	
उत्तर आरकाट	ग्रेफाइट, वरमीकोलाइट
दक्षिण आरकाट	लिग्नाइट
सेलम	बाक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट
17. त्रिपुरा	
उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम त्रिपुरा	ग्लाससैंड, प्लास्टिक क्ले, शैल, आम, बालु
18. पश्चिम बंगाल	
बांकुरा	कोयला, टंगस्टन
दार्जिलिंग	कोयला
जलपाईगुडी	कोयला, डोलोमाइट
पुरूलिया	कोयला, ऐपेटाइट
19. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	डाइटोमीटरस अर्थ, सोना, चूना पत्थर, निकिल, सैलेनाइट एवं सल्फर

(ग) सर्वेक्षण और गवेषण एक सतत प्रक्रिया है। गवेषण कार्य करने वाली एजेंसियां हैं–भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज गवेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.), राज्यों के खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 ने घरेलू एवं विदेशी खनिज क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया है। मैसर्स मैटमिन फाइनेन्स एंड होल्डिंग लिमिटेड के पक्ष में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना तथा अन्य संबद्ध खनिजों के बारे में गुजरात में दो पूर्वेक्षण लाइसैंस मंजूर किए गए थे।

[अनुवाद]

कोयला खानों की स्थापना

7023. श्री एस. मुरूगेसन : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में जयमुकंदम में कोयला खान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जयमकोण्डम लिग्नाइट खनन-सह-विद्युत परियोजना को निजी-क्षेत्र की कंपनियों के एक संघ के माध्यम से मैसर्स तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि., जो कि तमिलनाडु सरकार का एक उद्यम है, के द्वारा संवर्धन किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के प्रथम चरण में प्रति वर्ष 3.5 मिलियन टन लिग्नाइट की खनन क्षमता तथा 500 मै.वा. विद्युत उत्पादन क्षमता होने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. द्वारा खर्च की गई राशि

7024. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा है;

(ख) इस संबंध में विद्यमान नियम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में सहायक कंपनियों को अपने पास जीवन रक्षक औषधियों को रखने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सहायक कंपनियों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण पर किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कम्पनी	1999-2000			2000-01			2001-02		
	शिक्षा	चिकित्सा	पर्यावरण	शिक्षा	चिकित्सा	पर्यावरण	शिक्षा	चिकित्सा	पर्यावरण
ईसीएल	1.16	9.63	0.37	0.66	11.72	0.54	1.45	11.35	1.74
बीसीसीएल	2.82	12.39	0.50	1.14	11.30	0.50	2.28	12.84	0.18
सीसीएल	3.45	9.99	1.91	4.20	9.65	2.25	4.58	8.91	1.88
डब्ल्यूसीएल	3.08	12.55	6.19	3.21	14.49	4.60	3.55	11.88	3.38
एसईसीएल	7.36	15.70	4.25	7.17	17.33	4.00	7.95	18.02	4.50
एमसीएल	3.64	4.17	1.35	2.88	5.29	4.95	2.70	4.42	1.79
एनसीएल	3.93	10.74	7.2	4.36	13.66	13.22	3.85	13.15	14.98

*ई.सी.एल. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
बी.सी.सी.एल. भारत कोकिंग कोल लि.
सी.सी.एल. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
डब्ल्यू.सी.एल. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
एस.ई.सी.एल. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
एम.सी.एल. महानदी कोलफील्ड्स लि.
एन.सी.एल. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

(ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सहायक कंपनियां इस संबंध में किए गए बजट प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त शीर्षों पर व्यय करती है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने सूचित किया है कि उन्हें इस संबंध में जारी ऐसे किसी सूचना के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, सी.आई.एल. ने सूचित किया है कि सी.आई.एल. की सहायक कंपनियां अपने अस्पतालों/औषधालयों में जीवन रक्षक दवाइयों का स्टॉक रख रही हैं।

आई.बी. अधिकारियों द्वारा विमानपत्तन पहचान पत्रों का दुरुपयोग

7025. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.एस.) के अधिकारियों ने हाल ही में किए गए अपने निरीक्षण के दौरान पाया है कि विभिन्न विमानपत्तनों पर तैनात आसूचना ब्यूरो के कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने विमानपत्तन पहचान-पत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा योजना

7026. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि कामगारों के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 नामक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए चयन किए गए 50 जिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां 31 मार्च, 2002 तक उक्त योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक कृषि कामगारों को लाभान्वित किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 को 50 चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 3 वर्ष की अवधि के दौरान 20,000 कामगार प्रति जिलों के हिसाब से 10 लाख कृषि श्रमिकों को कवर किए जाने का आशय है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31.3.2002 तक 34 जिलों में इस स्कीम के अंतर्गत 1.01 लाख से अधिक कृषि कामगारों को कवर किया जा चुका है।

विवरण

कृषि कामगारों के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 नामक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए चुने गए 50 जिलों के नाम

क्र.सं.	जिले का नाम
1	2
1.	पूर्वी गोदावरी
2.	पश्चिम गोदावरी
3.	गुनतूर
4.	कृष्णा
5.	पूर्वी सियांग
6.	नागांव
7.	सहरसा
8.	मधेपुरा
9.	गया
10.	बिलासपुर
11.	रायपुर
12.	उत्तरी गोवा
13.	खेडा
14.	सूरत
15.	हिसार
16.	कांगड़ा

1	2
17.	जम्मू
18.	सिंहभूम पश्चिम
19.	पलामू
20.	रायचूर
21.	धारवाड
22.	पलक्कड
23.	उज्जैन
24.	जबलपुर
25.	पश्चिम निमार (खारगान)
26.	शोलापुर
27.	जलगांन
28.	यावतमल
29.	धुले
30.	इम्फाल
31.	पूर्वी खासी हील्स
32.	आइजॉल
33.	कोहिमा
34.	कोरापुट
35.	सम्बलपुर
36.	अमृतसर
37.	उदयपुर
38.	श्रीगंगानगर
39.	सिक्किम पूर्वी
40.	त्रिचिरापल्ली
41.	कुड्डालूर
42.	तंजावर
43.	मदुरै
44.	प. त्रिपुरा
45.	इलाहाबाद
46.	बदायूं
47.	नैनीताल
48.	देहरादून
49.	प. मेदिनीपुर
50.	बर्द्धवान

लेबर फोरम

7027. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिमला और चंडीगढ़ से लेबर फोरम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो इस फोरम की भूमिका और कार्य क्या है;

(ग) क्या लेबर फोरम वही कर्म करती है जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान करता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उदारीकरण के युग में इसकी भूमिका और दर्जा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रम ब्यूरो जिसके मुख्यालय शिमला और चंडीगढ़ दोनों स्थानों पर है, मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। यह ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े एकत्र करने, उसके संकलन, विश्लेषण और विस्तार के कार्य में लगा हुआ है। यह औद्योगिक कर्मकारों और कृषि/ग्रामीण श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी संकलित करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो मंत्रालय का स्वायत्तशासी निकाय है, को श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा विभाग का कार्य सौंपा गया है।

विमानों में सुविधाओं का स्तर बढ़ाना

7028. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया द्वारा लंदन, न्यूयार्क और शिकागो सेक्टरों में चलने वाले अपने विमान बोइंग 747-400 में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का स्तर बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एअर इंडिया ने अपने विमान-बेड़े में सभी बी 747-400 विमानों में पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर युक्त 180 डिग्री स्लीपट सीटों के स्थान पर प्रथम श्रेणी की सीटें लगाने का निर्णय लिया है। इस किस्म के विमान लंदन, न्यूयार्क तथा शिकागो सेक्टरों के लिए ही प्रचालन करते हैं।

जूट का उत्पादन

7029. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में जूट के उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार का जूट के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा के जूट उत्पादकों के लिए क्या प्रोत्साहनकारी उपाय किए जाने/योजनाएं चलाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है कि उड़ीसा में वर्ष 1998-99 से 2000-01 में पटसन उत्पादन में गिरावट आई है:-

	1998-99	1999-2000	2000-2001
उत्पादन (180 किलोग्राम प्रत्येक की '000 गांठे)	41.6	39.2	36.7
क्षेत्र ('000 हेक्टेयर)	5.3	4.1	3.9
पैदावार दर (किलोग्राम/हेक्टेयर)	1413	1721	1694

(ख) उत्पादन में गिरावट का कारण राज्य में पटयन के क्षेत्र कवरेज में गिरावट आना है।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने एवं पटसन रेशे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उड़ीसा सहित पटसन की खेती वाले राज्यों में 100% केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम विशेष पटसन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत, बीज/रोपण सामग्री के वितरण उपस्करों, फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी (कच्चे/पक्के सडनटैंक, फफूंद संवर्धन पैकेट, डिकॉर्टिकेटर, डीगमिंग यूनिट) के रूप में किसानों को सहायता दी गई। कृषक प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आदि का भी आयोजन किया गया।

अक्तूबर, 2000 से विशेष पटसन विकास कार्यक्रम को वृहत प्रबंध स्कीम में मिला दिया गया है, जिसमें राज्य सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सुविधा प्रदान की गई है। इससे पटसन का उत्पादन बढ़ने की आशा है।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

7030. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष किए जाने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी 29 फरवरी, 2000 को सेवानिवृत्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को अभी तक उनकी बकाया राशियों और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जस्टिस मोहन सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, ताकि उसे बाद की तारीख से लागू करके बकाया राशि और संशोधित पेंशन के भुगतान को टाला जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 58 वर्ष तक रोलिंग बैक करने के परिणामस्वरूप 29 फरवरी, 2000 को इंडियन एयरलाइंस के 823 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए।

(ख) और (ग) वेज अनुबंध में यह करार किया गया था कि फंड उपलब्ध होने पर समझौते से बनने वाले बकाया का भुगतान उचित किस्तों में किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी की रोकड़

स्थिति के आधार पर कार्यरत के साथ-साथ सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइंस की पेंशन योजना एक स्व अंशदान योजना है जिसका प्रबंध इंडियन एयरलाइंस के स्वामित्व में एक न्यास द्वारा किया जाता है। अंशदान सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 रुपए तक सीमित है। यद्यपि यह योजना 1 अप्रैल, 1994 से आरंभ की गई थी लेकिन कर्मचारियों ने मई, 1998 से मासिक अंशदान देना आरंभ किया। योजना के आरंभ होने के समय सदस्यों का अंशदान लगभग एक करोड़ रुपए प्रतिमाह था तथा 1550 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के पात्र थे। इन सभी कर्मचारियों की आजीवन वार्षिक वृत्ति के लिए अपेक्षित अनुमानित धनराशि लगभग 55 करोड़ रुपए थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, फंड एकत्र होने पर चरणों में पेशन दी जाएगी।

अप्रैल, 1998 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में आजीवन वार्षिक वृत्ति खरीदी गई तथा सभी अपेक्षाओं की पूर्ति की गई।

जुलाई, 2000 से एल.आई.सी. द्वारा आजीवन वार्षिक वृत्ति में बढ़ोत्तरी करने तथा न्यास के साथ अस्थिर फंड स्थिति के कारण न्यासधारियों ने यह निर्णय लिया कि योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए संशोधन होने तक कोई आजीवन वार्षिक वृत्ति खरीदी नहीं जाएगी। तदनुसार योजना में कुछ संशोधन किए गए तथा उक्त को आयकर विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया।

इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने इस योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए दीर्घकालिक हल निकालने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जो कि विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) जस्टिस मोहन कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशें इंडियन एयरलाइंस के विचाराधीन है।

नीम के लिए नई निष्कर्षण प्रक्रिया

7031. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) ने नीम के लिए नई निष्कर्षण प्रक्रिया की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी मात्रा का निष्कर्षण किया गया और कुल कितनी बिक्री तथा निर्यात किया गया;

(ग) क्या आई.ए.आर.आई. का विचार अपने निष्कर्षों को किसानों तथा लाभ न कमाने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को पहुंचाने का है।

(घ) यदि हां, तो क्या आई.ए.आर.आई. ने कोई कार्यक्षेत्र परीक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परीक्षणों का ब्यौरा और परिणाम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में वाणिज्यीकरण के लिए प्रक्रिया को लाइसेंसबद्ध किया गया है। उत्पादन अभी प्रारम्भ होना है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास ऐसी व्यवस्था है कि वे निष्कर्षों पर आपसी चर्चा करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए वाणिज्यीकरण से पूर्व एक 'पायलट प्लांट' की आवश्यकता के साथ-साथ बड़े स्तर पर खेत परीक्षण किए जाने अपेक्षित हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार से दलहन की खरीद

7032. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बिहार से दलहन खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कितनी दाल की खरीद की गई; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को दालों की खेती करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार दालों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय सहायता की 75:25 की पद्धति पर देश के 30 राज्यों/संघ शासित

प्रदेशों के 350 जिलों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रमाणित बीज, मिनिकिटों, रिजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों/स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत फार्म उपकरणों, पौध संरक्षण उपकरणों आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते है। इसके अलावा, किसानों के लिए क्षेत्र प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं।

कोयला, लोहा तथा अन्य वस्तुओं की चोरी

7033. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सिलवाडा उप-क्षेत्र में वलानी और पिपल कोयला खानों के बंद होने के पश्चात् कोयला, लोहा और अन्य तकनीकी साधनों की चोरी/हेराफेरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चोरी/दुरूपयोग अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है अथवा कराने का प्रस्ताव है अथवा मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) दिनांक 19.5.2000 को वलानी खान के बन्द होने के पश्चात् उस स्थान से कोयला, लोहा तथा अन्य वस्तुओं की चोरी/हेरा फेरी की कोई घटना नहीं घटी है। डब्ल्यू.सी.एल. के सिलवाड़ा उपक्षेत्र (नागपुर क्षेत्र) की पिपला खान अभी भी प्रचालनरत है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेहरू लोक के लिए सहायता

7034. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मैसूर में चामुण्डी पर्वतमाला की तलहटी में नेहरू लोक नामक स्वप्न लोक की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को पुन: अमल में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

7035. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) ने आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो ऋण की कितनी राशि की मांग की गई है; और

(घ) इस ऋण से वित्तपोषित की जानी वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 12 वृहद, 19 मध्यम तथा 5 विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने गत एक वर्ष के दौरान विश्व बैंक से सहायता के लिए आंध्र प्रदेश की कोई नई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुरारी समिति की रिपोर्ट को लागू करना

7036. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मरीन फिशिंग रेगूलेशन एक्ट के संबंध में मुरारी समिति की रिपोर्ट को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करने के लिए श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1996 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन में विलम्ब

7037. श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' में ''मिनिस्ट्री डिग्स इंटू ए.एस.आई. डिलेज'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें वर्णित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) पुरातत्वविदों द्वारा किए गए उत्खनन के बारे में अपनी रिपोर्ट पूरी न करने और उसे पुरातत्व संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् को प्रस्तुत न कर पाने के क्या विशिष्ट कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उन उत्खनन कार्यों पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है जिनके बारे में पुरातत्वविदों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। (ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लि. का लाभ

7038. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को 2000-01 के दौरान 1414 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.आई.एल. को 2001-02 के दौरान 1400 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सी.आई.एल. द्वारा अर्जित अप्रत्याशित लाभ के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की कोयला क्षेत्र में उल्लेखनीय लाभ और विकास के लिए जिम्मेदार कारकों और प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को वर्ष 2000-2001 के दौरान 1414.47 करोड़ रु. का घाटा हुआ है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान हुआ घाटा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI के अन्तर्गत दिनांक 1.7.96 से कर्मचारियों के लिए बकाया देयताओं सहित वेतन संशोधन तथा दिनांक 1.1.97 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के भारी प्रभाव के कारण हुआ। वर्ष 2000-2001 में वेतन बकायों के लिए 3031.66 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था।

(ग) से (च) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान सी.आई.एल. ने लगभग 1400 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है। (यह एक अनंतिम आंकड़ा है। प्रमाणित आंकड़े सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा होने और उन्हें वार्षिक आम बैठक में अंगीकृत किए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे)। वर्ष 2001-02 में भी उत्पादन, उठान तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। सरकार उत्पादन में वृद्धि तथा कोयला क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2000-01 में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI के अन्तर्गत किए गए 2,300 करोड़ रुपये के वेतन बकाया में पूर्व अवधि समायोजन की वर्ष 2001-02 में करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-01 में हुए उत्पादन की तुलना में वर्ष 2001-02 में समग्र कोयला उत्पादन में 11 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई। इसने 2001-02 के लाभ में 460 करोड़ रु. का सीधा योगदान किया। कोयला कंपनियों के कार्यकरण में सुधार के अतिरिक्त, वर्ष 2001-02 के लाभ में ये दोनों प्रमुख योगदायी कारक थे। कुल मिलाकर उपर्युक्त कारकों तथा व्यय में वृद्धि के लेखाकरण तथा प्रावधानों आदि को ध्यान में रखते हुए 2001-02 में 1400 करोड़ रुपये का अनंतिम लाभ हुआ है।

[हिन्दी]

विकासात्मक परियोजनाओं और नहरों के लिए निधियां

7039. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विकासात्मक परियोजनाओं और नहरों के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी निधियां आवंटित की गई;

(ख) अभी तक किए गए कार्यों और उन पर खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी.) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाने के बाद की जाती है जबकि ए.आई.बी.पी. के मामले में केन्द्रीय ऋण सहायता की अगली किस्त, केन्द्र सरकार द्वारा पहले जारी की गई राशि के साथ-साथ राज्य के अंशदान के उपयोग के बाद ही जारी की जाती है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत खेत चैनलों के अंतर्गत 15.34 मि. हैक्टे., खेत, नालों के तहत 1.05 मि. हैक्टे., वाराबंदी के तहत 9.92 मि. हैक्टे. और भूमि समलन/उसको आकार देने के तहत 2.17 मि.है. क्षेत्र शामिल किया गया है। ए.आई.बी.पी. के तहत राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 149 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना से मार्च, 2001 तक 1.09 मि. है. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने का समय राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पर्याप्त बजटीय परिव्ययों और दोनों कार्यक्रमों के तहत निधियों की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा ए.आई.बी.पी. के लिए निर्धारित धन की सीमा पर निर्भर करता है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निम्न वर्षों के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता			निम्न वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता		
		1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.015	95.020	104.990	0.000	0.000	0.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.500	7.500	15.000	0.100	0.040	0.350
3.	असम	14.540	24.077	14.521	0.000	0.340	0.350
4.	बिहार	129.695	148.440	3.420	0.000	0.000	3.000
5.	छत्तीसगढ़	10.520	13.930	48.200	–	–	0.460
6.	गोवा	3.500	61.650	58.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	272.700	421.850	487.690	6.500	0.190	0.000
8.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	8.420	5.030	23.220
9.	हिमाचल प्रदेश	11.047	18.015	3.244	0.160	0.680	1.560
10.	जम्मू व कश्मीर	4.680	10.460	11.070	2.490	1.650	1.710
11.	झारखण्ड	14.345	9.050	10.820	–	–	–
12.	कर्नाटक	157.140	171.000	492.500	8.850	18.640	34.240
13.	केरल	0.000	22.400	11.275	7.880	7.460	5.080
14.	मध्य प्रदेश	95.325	151.328	117.380	1.670	1.230	0.160
15.	महाराष्ट्र	49.875	97.020	39.100	6.600	4.610	7.440
16.	मणिपुर	21.810	1.500	9.360	1.280	1.130	0.000
17.	मेघालय	2.694	5.512	4.470	0.180	0.000	0.000
18.	मिजोरम	1.433	1.433	2.000	0.000	0.050	0.070
19.	नागालैण्ड	2.730	5.000	5.000	0.150	0.000	1.330
20.	उड़ीसा	90.250	100.320	104.045	3.650	10.360	5.050
21.	पंजाब	42.000	55.620	113.690	33.520	21.340	0.000
22.	राजस्थान	106.665	78.467	96.315	27.000	15.920	26.550
23.	त्रिपुरा	34.653	13.883	21.063	0.000	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	23.370	16.770	13.360
25.	उत्तर प्रदेश	286.000	315.900	314.960	28.050	32.470	22.740
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	–	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	25.000	26.825	38.608	3.060	4.250	0.000
28.	सिक्किम	1.360	0.000	2.400	–	–	0.060
	कुल	1450.477	1856.200	2129.121	162.930	142.160	146.730
				472.96			
	कुल योग			2601.981			

2129.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, वर्ष 2001-2002 के दौरान फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत 13 वृहद/मध्य परियोजनाओं के लिए 472.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

बकिंघम नहर परियोजना

7040. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चेन्नै में बकिंघम नहर परियोजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय का चेन्नई में बकिंघम नहर परियोजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भूतल परिवहन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा को तमिलनाडु में मारकौनम से जोड़ने वाली एकीकृत जलमार्ग प्रणाली, जिसमें काकीनाड़ा नहर, इलूर, नहर, कॉमामूर नहर और बकिंघम नहर तथा गोदावरी और कृष्णा नदियां शामिल हैं, का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

कृषि क्षेत्र में विशाखीकरण और निवेश

7041. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध भारी खाद्य भंडारों के मद्देनजर, किसान कृषि क्षेत्र में खाद्य फसलों से नकदी फसलों और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों यथा पशुधन तथा मत्स्यपालन इत्यादि की ओर उन्मुख हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अनाजों तथा दालों का उत्पादन गिरा है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश में भी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि देश में कृषि क्षेत्र में विशाखीकरण तथा कम निवेश से खाद्यान्नों के उत्पादन पर कुप्रभाव न पड़े?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार ने किसानों तथा समग्र कृषि क्षेत्र के हित को देखते हुए फसल विविधिकरण पर काफी बल दिया है। खाद्यान्न, फलों एवं सब्जियों के अलावा, दूध, अण्डों एवं ऊन के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि का रूख देखा गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 (त्वरित अनुमान) के दौरान कृषि में सकल पूंजी निर्माण क्रमश: 26111 करोड़ रुपये तथा 27038 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें गिरावट का रूख परिलक्षित नहीं होता।

(ङ) सरकार ने खाद्यान्न सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता मे वृद्धि के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रोत्साहन पर बल देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु उपाय, मण्डी आसूचना नेटवर्क तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अतिरिक्त सरकार मूल्य नीति के माध्यम से भी कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा खरीद कार्य शामिल हैं। इनके अलावा, सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए परम्परागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर नवम्बर, 2000 से वृहद् प्रबंध पद्धति लागू की है। वृहद् प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद एवं सहायता करने के लिए 27 स्कीमों को एक स्कीम में समाहित कर दिया गया है। इससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर आने वाली विशिष्ट समस्याओं से निपटने में सुविधा होगी, विभिन्न स्कीमों की विषय-वस्तु के दोहराव से बचा जा सकेगा एवं कृषि के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य हासिल होगा।

कर्नाटक में ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण

7042. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में उन प्राचीन स्मारकों की पहचान की है जो जीर्ण-शीर्ण और दयनीय स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्राचीन स्मारकों का पुनरूद्धार/परिरक्षण करने के लिए उठाये गए कदमों/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास कर्नाटक में 508 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इन स्मारकों का रख-रखाव पुरातत्वीय

मानदण्डों के अनुसार किया जाता है और वे अच्छी हालत में परिरक्षित हैं। संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव और संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार को उन अन्य स्मारकों के हालात के बारे में जानकारी नहीं है जो उसके नियंत्रण में नहीं है।

कन्याकुमारी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं

7043. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कन्याकुमारी से हेलीकॉप्टर सेवा प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन फिक्सड विंग विमान के प्रचालन की तुलना में महंगा है। तथापि यह एयरलाइनों/हेलीकॉप्टर आपरेटरों पर निर्भर है कि वे वाणिज्यिक व्यवहार्यता और यातायात मांग के आधार पर किन्हीं विशेष स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया करायें।

किसानों के लिए कल्याण कोष की स्थापना

7044. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक ने किसान कल्याण कोष हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

तकनीकी पद

7045. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग में रिक्त पड़े तकनीकी पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) पशुपालन और डेयरी विभाग में इस समय रिक्त पड़े तकनीकी पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ग	रिक्त पदों की संख्या
समूह ''क''	25
समूह ''ख''	8

(ख) भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार समूह ''क'' तथा समूह ''ख'' के तकनीकी पदों को संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाना होता है। इसलिए उन्हें भरने की समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है। विभाग में रिक्त तकनीकी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

7046. श्री वाई.वी. राव : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की दो इकाइयों का एक अलग कंपनी में विलय करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना पूर्व-निर्णय निरस्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने, 1999 में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का विनिवेश दो चरणों में करने का निर्णय लिया। विनिवेश के प्रथम चरण में राजस्थान स्थित खेतड़ी कॉपर कम्पलेक्स और महाराष्ट्र स्थित तलोजा ताम्र परियोजना को मिलाकर एक पृथक कम्पनी बनाने का निर्णय लिया गया था। विनिवेश का प्रथम चरण

विफल हो गया क्योंकि प्रस्तावित नई कम्पनी के कारोबार की सम्भावनाओं का आकलन करने के पश्चात् क्वालिफाइड इंटरस्टिड पार्टियों की रुचि कम हो गई। सरकार ने अब हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में अपनी समस्त शेयरहोल्डिंग को, बिक्री के माध्यम से, रुचि प्रकट करने वाले क्रेता के पक्ष में डाइवेस्ट करने का निर्णय लिया है।

उड़ीसा में राहत कार्यों में अनियमितताएं

7047. श्री के.पी. सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट में उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य में अनियमितताओं का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि निचले स्तर पर राहत वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, इसलिए उड़ीसा सरकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

कोष में पड़ी भविष्य निधि

7048. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोष में दावा-विहीन निधि सहित केन्द्रीय भविष्य निधि का कुल कितना कोष है;

(ख) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि न्यास के निर्णय को दर किनार करते हुए इस कोष की निधि के मनमाने निवेश के परिणामस्वरूप ब्याज दर में गिरावट आई है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सरकार का प्रतिवर्ष अंशदान कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन और केन्द्रीय भविष्य निधि के निर्णयों को लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की समग्र निधि की कुल राशि 59,988.44 करोड़ रुपये है और 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार दावा न की गयी कुल राशि 351.62 करोड़ रुपये है।

(ख) से (च) जहां तक भविष्य निधि की समग्र निधि का संबंध है, सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 60 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज का निर्धारण केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार भविष्य निधि में अंशदान नहीं करती।

विमान किरायों में कमी

7049. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतर और अन्य खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा खाड़ी क्षेत्र से भारत के लिए विमान किरायों में कमी करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) कतर, कुवैत तथा युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावासों को भारत खाड़ी सेक्टरों पर एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रभारित अधिक किरायों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) उन विभिन्न सेक्टरों के लिए हवाई किरायों के निर्धारण के संबंध में टैरिफ समन्वय कांफ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें एयरलाइनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन किरायों पर संबंधित मार्गों पर प्रचालन कर रही सभी एयरलाइनों की एक मत से सहमति होती है तथापि बाजार उतार-चढ़ाव तथा उत्पाद विशेषताएं यथा आवृत्ति, समय-मान, सीधे/गैर सीधे प्रचालन, यातायात-स्वरूप तथा सीजन-एबिलिटी आदि का भी हवाई किराए पर प्रभाव पड़ता है। अत: एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारत-खाड़ी सेक्टरों पर प्रभारित किए जा रहे किराए बहुत प्रतियोगी हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 16(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए गुजरात राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 17(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए दमण और दीव तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 18(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 19(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 20(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केरल राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(छह) का.आ. 21(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(सात) का.आ. 22(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पांडिचेरी तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(आठ) का.आ. 23(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(नौ) का.आ. 24(अ) जो 24 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(दस) का.आ. 25(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 26(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(बारह) का.आ. 27(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(तेरह) का.आ. 28(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अण्डमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंधन

प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(चौदह) का.आ. 163(अ) जो 5 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या 88 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 988(अ) जो 3 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5668/2002]

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5669/2002]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5670/2002]

(3) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5671/2002]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5672/2002]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): महोदय, मैं सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5673/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोयला विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5674/2002]

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5675/2002]

(तीन) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5676/2002]

(चार) कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5677/2002]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्षजी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236(अ) जो 28 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रक) आदेश, 1985 को उक्त आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए अपराधों का उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों में संक्षेपत: विचारण करने के प्रयोजन के लिए एक विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5678/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5679/2002]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5680/2002]

(ग) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5681/2002]

(घ) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5682/2002]

(ङ) (एक) जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1985-1986 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1985-1986 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5683/2002]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम शून्य काल लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुख्य विपक्षी दल के एक सदस्य ने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* श्री पवन कुमार बंसल ने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है उसकी बात सुनी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मुझे कृपया बोलने की अनुमति दी जाये। मैंने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सारा देश चिंतित हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी नोटिस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों से संबधित हैं। मैं एक-एक करके उन पर विचार करूंगा। यदि आप सभी सहयोग देंगे, तो प्रत्येक को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, आपको श्री पवन कुमार बंसल को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, श्रमजीवी ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही थी, उसके बारे में हमें बोलना है। *...(व्यवधान)*

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जलेसर के सैंकड़ों गांवों में दूषित भूगर्भ जल के पीने से उत्पन्न बीमारियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र एटा जनपद के गांवों महापुर, एरई, रजापुर, कुतुबपुर, नंगलापार, सिकंदरपुर, चिलासनी, रामगढ़, उमरगढ़, भरकना कैलाशपुर तथा फिरोजाबाद जनपद की टूंडला विधान सभा के मिलक कायथा, नंगला-बंसी, नंगला अखई, नंगला नौजी आदि। मतलब यह है कि मेरे क्षेत्र की पांचों तहसील एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, अखई, नंगला नौजी आदि। मतलब यह है कि मेरे क्षेत्र की पांचों तहसील एतमातपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद, निधौली कला के सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां जमीन का पानी अत्यंत दूषित है। पानी में अयस्क, कैमिकल्स, मिनरल्स का अनुपात बिगड़ गया है और फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक हो गयी है कि 35 साल के जवान आदमी के दांत उस पानी को पीने से गिर जाते हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। हालात यहां तक हैं कि कुछ गांव में इस दूषित पानी के कारण लोग कुबड़े होने लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां अगर चिड़ियां पानी पी लें तो चिड़िया भी मर जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह दूषित पानी इंसान को कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा। उस दूषित पानी को पीने वालों को पांच-पांच बार दिन मे शौच के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भूजल सर्वक्षण विभाग या जो भी विभाग इससे संबंधित हो, वह वहां मीठे जल के स्रोतों का पता करे, और टैंक बनाकर उसकी सप्लाई करें जिससे लोगों को मीठा जल मिल जाए। राज्य सरकार के पास इस संबंध में कोई सुविधा नहीं है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि ग्रीष्मकाल में लोग अपनी पशुओं को अपने रिश्तेदारों के यहां भेज देते हैं और जब वर्षा आती है तो पशुओं को वापस लाते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं, ऐसे विषय नहीं उठाना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण न हों। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुख्य विपक्षी दल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई है और आपने उसे सब के सामने रखा। अभी श्री सी.एन. सिंह बोलेंगे।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लोग गर्मियों में पशुओं को अपने रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं यानी पशुओं का माइग्रेशन हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सारी बात बतायी। अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, बरसात शुरू होने पर उन्हें वापस बुला लिया जाता है। यह एक गम्भीर मसला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.एन. सिंह, यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे वाला नाम बुला लूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: वहां खून पानी से सस्ता है। पानी को लेकर झगड़े, कत्ल और हत्याएं हो रही हैं। वहां मीठे जल स्रोतों का पता लगाना चाहिए। वहां केन्द्र की कोई भी टीम जाए लेकिन वह जल्दी जानी चाहिए जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सके। वहां आठ रुपए किलो दूध मिल रहा है। दूध इतना सस्ता है कि पानी मिलाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। ...*(व्यवधान)* पानी 10 रुपए लीटर से 15 रुपए लीटर है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हो गई है। अब आप बैठ जाएं।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे इस शेर में सारा दर्द छिपा है।

खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है,

रात फिर गांव में एक कत्ल हुआ पानी पर।

मेरा इतना ही कहना है कि वहां शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जाए। केन्द्र या राज्य की सरकार यदि लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का भी अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया मुझे अवसर प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आरोप लगाने संबंधी मामले नहीं उठाये जा सकते। परन्तु फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हमें देश के ज्वलंत मुद्दे को इस सभा में 'शून्य काल' के दौरान उठाने का अधिकार है ...*(व्यवधान)* यह मामला न्याय-निर्णयाधीन नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो आवर में एलिगेशन लगाने वाली बात नहीं रख सकते।

[अनुवाद]

परन्तु मैं फिर भी आपको अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह आरोप वित्त मंत्री महोदय के विरुद्ध लगाया गया है। उन्हें इसे सभा में उठाने का अधिकार है। आप उन्हें इंकार किस प्रकार कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे आपकी टिप्पणी पर खेद है। ...*(व्यवधान)* यह अनुचित है ...*(व्यवधान)* महोदय, यह फिर एक पूर्वोदाहरण बन जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति प्रदान करूंगा। मैं श्री सी.एन. सिंह को अनुमति दे चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल और श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको मामला उठाने की अनुमति दूंगा। वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप लगाया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, कृपया मेरी बात सुनिए। आमतौर पर यदि आप शून्य काल के दौरान मामला उठाना चाहते हैं, तो आपको नोटिस देना चाहिए और वह नोटिस नियमों के अनुसार उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके विरुद्ध आरोप लगाया जाना है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभी भी मेरे विचार से आपको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि मुझे प्राथमिकता प्रदान की जाये क्योंकि प्राथमिकता का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। पीठासीन अधिकारी पहले ही प्राथमिकता का निर्णय कर चुके हैं। अत:, कृपया इंतजार करें। मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, आज भारतीय संसद की 50वीं वर्षगांठ है। कम से कम आज तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति कुछ आदर दिखायें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, कल खेतासराय-मेहरावॉ सैक्शन में मनीहाल्ट के पास जौनपुर जिले में श्रमजीवी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए जिससे 12 लोग मर गए और सौ लोग घायल हो गए। रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार घटना स्थल पर गए और उन्होंने कहा कि इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी अराजक तत्व का इस दुर्घटना में हाथ है। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, आप माननीय अध्यक्ष हैं। यहां उपस्थित हम भी वरिष्ठ सदस्य है जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि *...(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, यदि आप उन्हें अनुमति देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता *...(व्यवधान)* हम सत्तापक्ष के इशारों पर नहीं चल सकते *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सरकार और संदेहास्पद चरित्र वाले लोगों में सांठगांठ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.एन. सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की परंपरा नहीं है। यही प्रथा है। अत:, मैं आपसे 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न न उठाने का अनुरोध करता हूं। मैंने आपको अनुमति देने का निर्णय किया है। जब आपको बुलाया जाये, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.एन. सिंह, कृपया अपना भाषण समाप्त करे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वामी चिन्मयानंद जी कह रहे हैं कि उनका क्षेत्र है। जौनपुर मेरा भी जनपद है। नीतीश कुमार जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन घटना स्थल पर गये थे। उन्होंने कहा है कि इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी अराजक तत्वों का इस घटना में हाथ हो। यह इतना गंभीर मामला है कि अगर अराजक तत्वों ने रेल की पटरी तोड़ी है, इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति रेलगाड़ी पर चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर इस तरह से अराजक तत्वों द्वारा पटरी तोड़ी गई है तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर रेल मंत्री जी को यहां उपस्थित रहकर बयान देना चाहिये था और पूरे सदन को अवगत कराना चाहिए था ...

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, मेरे पास रेल मंत्री जी की सूचना आ चुकी है कि वे आज 2 बजे इस पर अपना बयान देंगे। वे आज सुबह ही वहां से आये हैं और अथंटीकेट करके ही बयान करना है। इसलिए आज 2 बजे सदन के सामने अपना बयान देंगे।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस दुर्घटना में 12 लोग मर गये और 100 से ज्यादा घायल हो गये हैं। हम टी.वी. पर देख रहे थे कि किस तरह से दिल्ली, लखनऊ और पटना तथा देश के तमाम हिस्सों में अफरा-तफरी मची हुई थी। उनके परिवार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लोग व्याकुल थे। उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि उनके परिवार के लोग मर गये हैं या बच गये हैं या किस रूप में घायल हुये हैं। सही जानकारी देने के लिए कोई रेल अधिकारी उपलब्ध नहीं था। उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग टेलीफोन मिलाते थे लेकिन टेलीफोन उठाने वाला कोई नहीं होता था। पैसेंजर्स के घर के लोग परेशान थे। इतनी अव्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी। पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार की तरफ से बहुत लापरवाही बरती गई है।

अध्यक्ष महोदय: जब मंत्री जी का स्टेटमेंट आयेगा, तब आप सुनियेगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, मंत्री जी इन्कार कर रहे हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। या तो यह दुर्घटना रेल की पटरी अराजक तत्वों द्वारा तोड़ने से हुई है या पुल कमजोर था और अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने इस विषय पर एडजर्नमेंट नोटिस दिया हुआ है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सप्लायर्स होते हैं, उन्होंने घटिया सामान लगाया था। पुल इतना कमजोर था कि गाड़ी की स्पीड 20 कि.मी. प्रति घंटा रही और पटरी पहले से खराब थी। अधिकारियों को पहले से सूचना दी गई थी कि रेल की पटरी खराब है, इसलिए गाड़ी 20 कि.मी. की स्पीड से चल रही थी। इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाये, यह सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सरकार इस बात की घोषणा करे कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई हैं, उन्हें तत्काल निलम्बित करे। उन पर कार्यवाही की जाये और ऐसे अधिकारियों को वहां एक मिनट भी न रखा जाये। मैं यह मांग कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में जिन लोगों की डैथ हुई है, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाये, घायलों का पूरा उपचार किया जाये और चोट के हिसाब से घायलों को मुआवजा दिया जाये। जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, ट्रेन दुर्घटना से संबंधित मेरा एडजर्नमेंट मोशन था। आपने शुरू में कहा था कि मुझे मौका देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन को बतायें कि भविष्य में रेल की पटरियों को सुरक्षित रखने के लिए ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारा एडजर्नमैन्ट का नोटिस है, उसका निष्पादन होना चाहिए। हमने नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय रघुवंश जी, आप बैठिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय मंत्री जी सदन में बताये कि भविष्य में रेल की पटरियों की अराजक तत्वों से वह कैसे सुरक्षा करेंगे, ताकि कोई तोड़फोड़ न हो। बार-बार इस तरह की दुर्घटनाओं से पैसेंजर्स को बहुत असुविधा हो रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा काम रोको प्रस्ताव का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, मैं आपसे कहूंगा कि आपके एडजर्नमैन्ट नोटिस को मैंने अलाऊ नहीं किया है, लेकिन अभी आप इस विषय पर बोल सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की विफलता स्पष्ट है। यह रीसेन्ट घटना है और लोक महत्व का मामला है। काम रोको प्रस्ताव की मंजूरी के लिए जो नियम कहता है, उन सारी शर्तों को पूरा करते हुए मैंने नोटिस दिया है। इसलिए उस पर पुनर्विचार किया जाए और उस पर बोलने की हमें इजाजत दी जाए। इसमें हमारे क्षेत्र पटना के तमाम लोग मारे गये हैं। ये लोग श्रमजीवी एक्सप्रैस में दिल्ली से पटना जा रहे थे। इसमें हमारे एरिया के लोग मारे गये हैं। जिस रास्ते से ट्रेन जानी चाहिए, उस रास्ते को बदलकर ट्रेन को ले जाया गया। उसमें पुल चौपट था। 1989 में रिपोर्ट दी गई थी कि पुल दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें छानबीन से पता चलता है कि यह सरकार की विफलता है। घटना लोक महत्व की, रीसेन्ट और स्पेसिफिक है। एडजर्नमैन्ट मोशन के लिए चार शर्तों का नियम पालन होना चाहिए और उन चारों शर्तों को हमारा नोटिस पूरा करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करके काम रोको का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने एक ट्रेन दुर्घटना में रिजाइन किया था, लेकिन तब चुनाव करीब आ गये थे। अभी चुनाव दूर हैं और वे रिजाइन नहीं दे रहे हैं। वह त्यागपत्र क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम सदन में उनके त्यागपत्र की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: चिन्मयानन्द स्वामी, आप इनसे एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर आपका भी नोटिस है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना मेरे संसदीय क्षेत्र में घटी है। श्रमजीवी एक्सप्रैस प्राय: लखनऊ से सुल्तानपुर, जौनपुर होकर जाया करती थी। लेकिन इस रूट पर एक

मालगाड़ी के पलट जाने के कारण रूट में परिवर्तन हुआ था और ट्रेन फैजाबाद होकर जा रही थी। शाहगंज पार करके मानीकला एक हाल्ट पड़ता है, उसके आगे मेहरावां स्टेशन और खेतासराय के बीच में यह दुर्घटना रात को 3 बजकर 35 मिनट पर हुई है। उसके पहले एक ट्रेन पास हुई थी, उस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यह ट्रेन पास हुई तो देखा गया कि वहां फिश प्लेटें खुली हुई थीं। जहां फिश प्लेटें खुली हुई थी वहीं ट्रेन डिरेल हुई है, वहीं पर डिब्बे पटरी से उतरे हैं। जहां तक उस रूट का स्पीड का प्रश्न है, यह ट्रेन उस रूट पर पहली बार पास हो रही थी। उसकी स्पीड एक्चुअल में क्या थी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जो संदेह व्यक्त किया गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने वहां तोड़फोड़ की होगी। मुझे लगता है कि यह राष्ट्रदोही तत्वों की हरकत है। क्योंकि वह पूरा एरिया बहुत संवेदनशील है। पहले भी वहां ऐसे लोग पकड़े गये हैं जो पांच सौ रुपये के नकली नोट बनाते थे। वहां कछ ऐसे लोग भी पकड़े गये हैं जिनका दाऊद से संबंध था। वह क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि इसकी किसी उच्च स्तरीय एजेन्सी से जांच कराई जाए, रेलवे की सुरक्षा इकाई इसकी जांच न करे। इस दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु हुई है और मृतकों को एक-एक लाख रुपया दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): चार-चार लाख रुपये दिये गये हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: अभी तक की सूचना एक लाख रुपये प्रति मृतक के परिवारजनों को देने की है।

श्री मदन लाल खुराना: यह रेडियो में आया है और घायलों को 25-25 हजार रुपये दिये गये हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: मेरी मांग है कि मृतकों को पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं। यदि चार लाख अब कर दिये गये हों तो दूसरी बात है तथा जो घायल हुए हैं उन्हें 25 हजार रुपये तथा माइनर घायलों को पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाना चाहिए। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज शाहगंज, जौनपुर तथा बनारस के हैरिटेज अस्पताल में हो रहा है। सभी लोगों का आइडेन्टिफिकेशन हो चुका है। दुर्घटनास्थल पर रेलवे सहायता चार घंटे के अंदर लखनऊ से पहुंच गई थी। डाक्टर्स भी पहुंच गये थे। यहां तक कि मिनिस्टर भी दुर्घटना घटने के 12 घंटे के अंदर मौके पर पहुंच गये। रेलवे के चेयरमैन भी पहुंच गये। इसलिए यह कहना कि इसमें सरकार की लापरवाही है, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन घटना बहुत संवेदनशील है और यह हो सकता है कि यह आतंकवादी गतिविधियों के कारण हो। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश रामराव यादव।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से अनुरोध कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: उनकी बात पूरी होने पर मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जादव (परभनी) अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आपकी अध्यक्षता में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं शून्य काल में एक अति संवेदनशील मामला उठा रहा हूं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई प्राइवेट अस्पतालों को इस शर्त पर कौड़ियों के भाव जमीन दी थी कि इन अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 10 मई, 2002 के दैनिक जागरण के संपादकीय पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस प्रकार के निजी अस्पताल गरीबों का कैसे खून चूस रहे हैं। यहां तक कि वल्लभगढ़ की एक गरीब महिला की एक मृत बच्ची का शव तक नहीं दिया गया क्योंकि वह दिल्ली के अपौलो अस्पताल में इलाज पर हुए खर्च का भुगतान नहीं कर पाई इस अस्पताल के अधिकारी वल्लभगढ़ के उस घर तक पैसा वसूल करने के लिए गए। यहां तक कि पुलिस चौकी में पैसे की वसूली के लिए भी शिकायत दर्ज कराई गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के निर्दयी और अमानवीय व्यवहार तथा वादाखिलाफी के लिए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनके अस्पतालों का लाइसेन्स रद्द कर उनको कौड़ियों के भाव दी गई करोड़ों रुपये की जमीन वापस ली जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय एस. जयपाल रेड्डी, कुछ निवेदन करना चाहते थे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, आमतौर पर आप जैसे विद्वान अध्यक्ष के रहते कार्य प्रक्रिया पर बोलने से मैं नफरत करता हूं। परंतु इस अवसर पर मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं इस सभा की परंपराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न काल के तत्काल बाद स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को प्राथमिकता दी जाती है। स्थगन प्रस्ताव के पश्चात् प्राथमिकता प्रदान करने की दृष्टि से विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाता है। उसके पश्चात् 'शून्य काल' आता है और सिर्फ इसलिए कि

'शून्य-काल' में आरोप लगाने संबंधी नहीं अपितु उस आरोप का उल्लेख किया गया है, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। अत:, मेरा माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि वह श्री पवन कुमार बंसल द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द न करें क्योंकि उस नोटिस में आरोप नहीं लगाया गया है। यह 'शून्य काल' में उठाया जाने वाला विषय है। वह एक विशेष मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से तत्काल और अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. जयपाल रेड्डी, मैंने नियम 353 का अध्ययन किया है परंतु चूंकि दोनों माननीय सदस्यों ने मुझसे अनुरोध किया है अत:, मैं उस नियम के अनुसार नहीं चल रहा हूं। परंतु यदि मैं नियम 353 का पूर्ण रूप से पालन करूं तो इस नोटिस पर भी अनुमति देने में मुश्किल हो सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं गहराई में नहीं जाना चाहता यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं उन्हें अनुमति दूंगा परन्तु उन्हें थोड़े धैर्य का परिचय देना चाहिए और मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बस एक मिनट। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैंने आपका अनुरोध स्वीकर कर लिया है और मैं निश्चित रूप से उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: परंतु महोदय, उन्हें अभी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती?

अध्यक्ष महोदय: उस मामले में नियमों में स्पष्ट व्यवस्था है कि अनुमति कब दी जाये, इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जब निश्चित आरोप लगाया जाये और उसके समर्थन में दस्तावेजी और साखान प्रमाण दिए जाएं तो उस नियम को उद्धृत किया जा सकता है। जब किसी समाचार के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाये जिसमें आरोप लगाया गया हो, तो उस समय यह नियम लागू नहीं होता *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष जी, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह दूंगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, दो-तीन अन्य नियम भी है जिनके तहत इसे रद्द किया जा सकता है। परंतु मैंने इसे उठाने की अनुमति दे दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में तो शून्य काल वास्तव में ही शून्य हो जायेगा? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके दिशानिर्देश अनुसार, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सभा में शून्य काल के लिए कोई नियम नहीं है। महोदय, 'शून्य काल' किसी नियम नहीं बल्कि परंपरा के अनुसार चलाया जाता है। नियम पुस्तिका के किसी भी भाग में 'शून्य काल' नाम का कोई नियम नहीं है। अत: मैं सम्मानपूर्वक यह अनुरोध करना चाहता हूं कि परंपरा यह रही है कि सभा में विपक्ष सहित किसी भी सदस्य द्वारा उठाये गये किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार सुनती है और फिर उनका उत्तर देती है। उसमें इससे अधिक कुछ नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री वैको: हमें शून्यकाल के दौरान मामले उठाने के लिए सूचनाएं देने के लिए कहा गया है। यदि हमने यही प्रक्रिया अपनानी है तो फिर सदस्यों से सूचनाएं देने का अनुरोध क्यों किया जाता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैं आपसे सहमत हूं परन्तु साथ ही प्रत्येक सदस्य के लिए उसका मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। मुझे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निपटाने दीजिए और उसके पश्चात् मैं उनको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति तो *...(व्यवधान)* स्वामी जी, आपको पास तो बहुत काम हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, मेरी आपसे विनती है कि आपने जो स्पेसिफिक विषय दिया है, कृपया उसी पर बोलिए। इसे और विषयों के साथ मत मिलाइये।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, गुजरात की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वहां के मुख्य मंत्री के सुरक्षा सलाहकार श्री के.पी.एस. गिल बनाए गए हैं। उनकी जवाबदेही के प्रति देश में एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है। श्री गिल मुख्य मंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही मुख्य मंत्री के प्रति होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में देश में भ्रम बना हुआ है कि उनकी जवाबदेही भारत सरकार के प्रति है। मैं नहीं समझता कि इसमें

हौच-पौच का माहौल रहना चाहिए। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। होना तो गृह मंत्री जी को चाहिए था।

श्री प्रमोद महाजन: गृह मंत्री को यहां क्यों होना चाहिए?

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद महाजन जी बताएं कि श्री गिल की जिम्मेदारी किसके प्रति है? वे मुख्य मंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं तो गुजरात सरकार के प्रति जवाबदेह हैं या भारत सरकार के प्रति? श्री गिल ने अभी पंजाब से 1000 जवान मांगे थे। वे भी उनको नहीं मिले। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्री के.पी.एस. गिल के क्या अधिकार हैं, उनका दायरा कितना बड़ा है, क्या उनका दायरा गुजरात के मुख्य मंत्री तक सीमित है या भारत सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही है, मैं यह जरूर जानना चाहता हूं? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): नियम 355 में बताइए उनकी क्या जवाबदेही है?

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रमोद महाजन जी से पूछना चाहता हूं कि नियम 355 में उनकी जवाबदेही किस के प्रति है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मंत्री जी विद्यमान हैं। सरकार स्पष्ट करे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप तो जानते हैं कि यदि सरकार जरूरत समझेगी, तो उत्तर देगी।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, श्री प्रमोद महाजन तो आपके गोल के आदमी हैं। आप कहेंगे, तो वे जरूर उत्तर देगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर मालूम है, आप ही इनकी सबसे पहली पसन्द थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, आप हमारे अध्यक्ष भी हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: मैं तो राज्य सभा का सदस्य हूं। मेरा स्पीकर तो हो ही नहीं सकता। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, पूरे देश में घूम-घूम कर भोजपुरी भाषा के विकास के लिए संगठन बनाया जा रहा है और भोजपुरी भाषा को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देने तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आन्दोलन होते रहे हैं। पटना में भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या ज्यादा है।

महोदय, 3 अप्रैल, 2002 से आकाशवाणी केन्द्र, पटना से जो भोजपुरी भाषा में प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल था, उसे केन्द्र निदेशक पटना के आदेश के अनुसार बन्द कर दिया गया। 8 अप्रैल, 2002 को पटना के प्रमुख समाचारपत्रों में इस आशय की खबर प्रकाशित हुई तथा सभी राजनीतिक और सामाजिक दल के लोगों ने चौपाल कार्यक्रम से भोजपुरी भाषा को हटाए जाने के विरोध में आन्दोलन की घोषणा की। श्रम सेवी संगठनों ने भी सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक द्वारा अन्य भाषाओं के उद्घोषकों द्वारा भोजपुरी भाषा की उद्घोषणाओं को कराने का प्रयास कराया गया और भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम चौपाल से जुड़े हुए आकस्मिक उद्घोषकों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्यक्रम से निकाल दिया गया है। पटना आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक, सहायक निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध स्वेच्छाचारिता एवं जनविरोधी कार्य करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए तथा आकाशवाणी पटना से प्रति दिन 10 मिनट का एक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाए।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री, श्री प्रमोद महाजन जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले से चौपाल कार्यक्रम प्रसारित होता रहा है, लेकिन 3 अप्रैल, 2002 से आचनक उस कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है। भोजपुरी भाषा के लोगों में इसके कारण आक्रोष एवं गुस्सा है तथा आन्दोलन की स्थिति बनी हुई है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और पटना आकाशवाणी केन्द्र निदेशक को निर्देश दे कि भोजपुरी भाषा में जो चौपाल कार्यक्रम चल रहा था वह पूर्व की भांति चले तथा भोजपुरी भाषा में एक 10 मिनट का बुलेटिन प्रतिदिन आकाशवाणी केन्द्र पटना से प्रसारित किया जाए। यही मेरी सरकार से मांग है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: अध्यक्ष जी, मैं अपने को भी श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है आप उनको बोलने के लिए पहले बुलाये और उसके बाद आप अन्य सदस्यों को जिस ढंग से चाहें, बुला सकते

हैं। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपके कक्ष में भी इस मामले की तात्कालिता के बारे में आपको बताया था।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं श्री किरीट सोमैया के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा।

श्री सईदुज्जमा, आप अवसर गंवा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार मानता हूं कि चेयर की तरफ से मुझे किरीत सोमैया न कहकर किरीट सोमैया बोला जा रहा है। आप भी मुम्बई-महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसलिए आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुम्बई और महाराष्ट्र में को-आपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ, उसमें 600 करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गये हैं। होम ट्रेड के संजय अग्रवाल को महाराष्ट्र सरकार ने 14 दिन तक अरैस्ट नहीं किया। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक और स्टेट को-आपरेटिव मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स ने अलग-अलग बैंक को जिला सहकारी बैंक और उस्मानाबाद सहकारी बैंक को नोटसेस दिये थे कि इन बोड्र्स को डिजाल्व करो तो बोर्ड और वहां के आफिसर्स ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि यह नियम क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी 14 अलग-अलग एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी, प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर, लेबर मिनिस्ट्री, इकोनोमिक आफेन्सिस ऑफ गुजरात गवर्नमैंट, इकोनोमिक आफेन्सिस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमैंट, गुजरात गवर्नमैंट, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि। ये 14 अलग-अलग एजेंसीज इसकी इंक्वायरी कर रही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टीगेशन नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच सी.बी.आई. को देनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टेक्नीकल एक्सपर्ट नॉलेज है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्वेस्टीगेशन में को-आर्डिनेट करना चाहिए। इसमें एक लाख तक के डिपॉजिटर्स हैं और उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन के अंतर्गत सिक्योर्ड है, इस प्रकार की घोषणा केन्द्र सरकार, आर.बी.आई और वित्त मंत्रालय को करनी चाहिए। मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक 19 बैंकों के नाम आये हैं लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी सैकड़ों को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज हैं जिन्होंने गवर्नमैंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमैंट किया है। उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। आज पता चला है कि पब्लिक सैक्टर के एक बैंक ने भी अपना पैसा होम ट्रेड को थ्रू डिपाजिट किया है। प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर ने बताया कि प्रॉविडेंट फंड के 92 करोड़ रुपये होम ट्रेड के घोटाले में फंस चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार से यह कहा जाये कि वह महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत करके उसको निर्देश दे कि सभी कागज-पत्र जांच के लिए सी.बी.आई. को सुपुर्द किये जायें। मेरा कहना है कि 24 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स हैं और वे आज चिन्ता कर रहे हैं कि उनके डिपॉजिट का क्या होगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके डिपॉजिट को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को बदनाम फ्लेक्स इंडस्ट्रीज द्वारा लाखों रुपए की चुनाव सामग्री छाप कर भेजने संबंधी खबर सामने आई है। यह खबर इतनी परेशान करने वाली है कि इसे सरकार की योग्यता सरकार की इच्छा शक्ति और यहां तक कि नई दिल्ली के तत्कालीन मुख्य उत्पाद आयुक्त श्री सोमेश्वर मिश्र, जिन्हें फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जैसे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सरकार द्वारा ईमानदारी से की गई कोशिश के खिलाफ एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। तत्पश्चात्, उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि श्री प्रभात कुमार जो झारखंड के राज्यपाल थे, को भी त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि यह बात सामने आई कि उसी व्यक्ति ने अर्थात् फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने ही श्री प्रभात कुमार, जब वे मंत्रिमंडल सचिव थे, के निवास पर आयोजित हुई कई पार्टियों का बिल चुकाया था।

महोदय, यह मामला जो कि आज उजागर हुआ है। वास्तव में भ्रष्टाचार की एक गन्दी दलदल और सरकार में बैठे माननीय व्यक्तियों तथा संदिग्ध चरित्र वाले व्यापारियों के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश करने वाला है।

महोदय, इस बात के सबूत मिले हैं कि अगस्त माह में ही किसी समय फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री यशवंत सिन्हा के सरकारी आवास पर गए थे जो उस समय वित्त मंत्री भी थे और उन्हें महत्वपूर्ण ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: क्या आप जो कह रहे हैं उसे साबित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: हां महोदय, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं।

समाचार पत्र के पास उन बिलों की फोटो प्रतियां हैं। मैं जो कह रहा हूं, यदि वह गलत है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं ...*(व्यवधान)* मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं।

महोदय, दि इंडियन एक्सप्रेस में तो यहां तक किया है कि उन्होंने नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर जाकर सामग्रियां इकट्ठी की है। उन्होंने यह पाया कि चुनाव सामग्री को श्री यशवंत सिन्हा के कार्यालय में कार्यरत किसी वैयक्तिक सहायक या किसी अन्य व्यक्ति ने निर्वाचन स्थल के किसी व्यक्ति के नाम से बुक किया था, और वह सामग्री वहां प्राप्त भी कर ली गई थी।

मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल हुआ या नहीं या फिर किस हद तक हुआ। परन्तु यह परेशानी उत्पन्न करने वाला है। वास्तव में मेरा मतलब इस बात से नहीं है कि किसी ने किसी के लिए कोई सामग्री छापी। अब, प्रश्न यहां है। फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के सीएमडी के आचरण पर ही प्रश्न उठता है।

महोदय, इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। जब वह मुकदमा दर्ज हुआ, एक श्री कैलाश सेठी जो केन्द्रीय उत्पाद आसूचना ब्यूरो में दूसरे नम्बर के अधिकारी थे, को अचानक हटा दिया गया। उनके विरुद्ध यह आरोप था कि वह कतिपय दूरभाष नम्बरों को टैप करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे थे जहां से वह व्यापारियों और अधिकारियों के बीच संबंधों के बारे में सूचना एकत्र कर सकते थे। इसी कारण से उन्हें हटा दिया गया। उस समय, हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परन्तु आज यह एक गंभीर विषय है। ऐसा इसलिए है कि उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने श्री सेठी के बहाल करने से मना कर दिया।

दूसरा मुद्दा सी.बी.आई. की दिल्ली इकाई के चीफ श्री एम.एस.बाली जो फ्लेक्स इंडस्ट्रीज से संबंधित मामले को देख रहे थे, का माननीय मंत्री जी को किये गये अनुरोध को ठुकरा दिया जाना था कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाए।

महोदय, इन दोनों मामलों पर हम निश्चित रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि जब इतना बड़ा मामला उठाया जाता है, तब हममें से किसी को—और हममें से अधिकांश को—यदि भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति की उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की सांठ-गांठ हो रही हो, तो यह उसके ऊपर है कि अपने को ईमानदारीपूर्वक सामने आकर स्वयं यह कहे कि "किसी समय अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में आया था।" परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि हम तो यह देख रहे हैं कि सरकार फाइलों के ऊपर जम कर बैठी है और जांच कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।

ये सब ऐसे मामले हैं जिनका प्रभाव अब दिखने लगा है। यह सरकार के कार्यकरण को ही शक के दायरे में ले जाता है। यह सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है कि क्या सरकार वास्तव में फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के सीएमडी श्री चतुर्वेदी से सबंधित मामलों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाना चाहती है। इस संदर्भ में, यह रहस्योद्घाटन जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

अब राज्यपाल त्यागपत्र दे सकता है; जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, हम तुरन्त यह अपेक्षा करते हैं कि माननीय मंत्री को सभा में आना चाहिए और इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए तथा स्वयं को एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए। एजेंसी को उनसे सवाल पूछना चाहिए। फ्लेक्स इंडस्ट्रीज से संबंधित मामले की जांच कर रही एजेंसी द्वारा उस अवधि के दौरान उनकी भूमिका में सवाल उठाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपका भाषण पूरा हो गया। क्योंकि आपका भाषण पूरा होने के बाद मैं माननीय ससंदीय कार्य मंत्री से बोलने के लिए, यदि वे चाहें तो, कहूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सार्वजनिक जीवन को साफ करने और उसमें ईमानदारी बनाए रखने की बात करते हैं तो इस समय माननीय वित्त मंत्री कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वह नैतिक आधार पर तुरंत त्यागपत्र दे दे।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं केवल तीन छोटी बातें कहना चाहूंगा। मैं उन बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा जो समाचार पत्र ने कही थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनके समर्थन में कोई नहीं आया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, यदि मैं किसी के लिए खड़ा हुआ तो मुझे मेरे लिए खड़ा होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सक्षम हूं और मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए।

महोदय, पहली बात यह कि इस बात की कोई भी सराहना करेगा कि फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के विरुद्ध कार्रवाई इसी सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: वह आपके समय में पकड़ा गया। मुझे समझ नहीं आती कि आप इस बात का श्रेय क्यों लेना चाहते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: क्या श्रेय आप लेना चाहते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं, बिल्कुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बहस नहीं करें।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, दूसरी बात यह कि मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ की गई कार्रवाई; जांच और मुकदमा एक तार्किक नतीजे पर पहुँचेंगे। जब मैं कल समाचार पत्र में वह समाचार देखा तो मैं भी स्वाभाविक रूप से परेशान हो गया जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल जी हो गए। जैसा कि मैंने कहा मेरे लिए इस समय यह बड़ा ही मुश्किल काम है कि मैं रविवार को रेलवे स्टेशन जाकर इन सब बातों का पता लगाऊँ। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि वे इस सदन में आएं और इस विषय में एक वक्तव्य दें। उन्हें भी समय चाहिए ताकि संगत कागजात आदि उन्हें उपलब्ध हो सकें। निर्वाचन आयोग भी इसमें शामिल है। इसलिए, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे परसों 15 तारीख को आएं और अपना वक्तव्य दें।

यह वक्तव्य विस्तृत होगा या संक्षिप्त, यह उन पर निर्भर है। परन्तु वह 15 तारीख को उपयुक्त समय पर वक्तव्य अवश्य देंगे जिससे आशा है कि श्री पवन कुमार बंसल द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सभा के समक्ष इस मामले को रखते समय माननीय सदस्य ने कतिपय मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों के उत्तर भी आने चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: मैं वक्तव्य तो तैयार नहीं करता हूं *...(व्यवधान)* मैं तो अधिक से अधिक यही कर सकता हूं। दि इंडियन एक्सप्रेस की प्रतियां सभी के पास उपलब्ध हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री बंसल ने जो भी कहा है उसे आप सभा तक पहुंचा सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो कुछ भी श्री बंसल ने कहा है कि वह रिकार्ड पर है। परन्तु मंत्री जी और श्री बंसल दोनों की सहूलियत के लिए, जो भी उन्होंने अभी सभा में कहा है उसकी एक प्रति आपके अनुरोध सहित वित्त मंत्री जी को भेज दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: इसका जवाब दिया जाए *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह आज काफी सहयोग दे रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मंत्री जी जाने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस अधिकारियों से जुड़े एक मामले को उठा रहा हूं। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद आई.पी.एस. अधिकारियों के जो कैडर सुनिश्चित होने थे, उस प्रक्रिया को आरम्भ हुए अभी डेढ़ वर्ष पूरा हुआ। पहली बार जो सूची जारी हुई, उस सूची को फिर से परिवर्तित किया गया, गृह मंत्रालय के सामने सरकार ने पहुंचाया और उसका जो क्रम तय था कि कुछ आरक्षण के तहत जो अधिकारी जो थे, उन मान्यताओं को पूरा नहीं किया, परिणाम यह हुआ कि इसको पिछले सप्ताह 40 आई.पी.एस. अधिकारियों की फिर से सूची जारी करके उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। इस सारी परिस्थिति के खिलाफ आई.पी.एस. अधिकारी कैट के सामने पिटीशन में गये हैं। दो बातें उससे बहुत गम्भीरतम हुई हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति नक्सलवादी आन्दोलन के कारण उनका हतोत्साहित होना, उनकी अनिश्चितता खतरनाक स्थिति में है। उधर उससे दूसरी जो परिस्थिति पैदा हुई है कि कैट में जो पिटीशन आई.पी.एस. अधिकारियों ने की है, यदि कल कैट कोई निर्णय देगा तो चौथी बार फिर से इस सूची में परिवर्तन करना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आई.पी.एस. अधिकारियों की ऐसी अनिश्चितता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे प्रान्त में, जहां नक्सलवादी आन्दोलन आज मुंह बाये खड़ा है, वह सुनिश्चित होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियमों का पालन न करते हुए अपनी मनमर्जी की सूची भेजी है, उसके कारण पुन: पांचवीं बार उन आई.पी.एस. अधिकारियों की सूची बदल सकती है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उस पर तत्काल कदम उठाकर उस सूची को दुरुस्त करके तत्काल कार्रवाई करे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और पार्टी से अबव है। मेरा निवेदन करना है कि हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की जहां सीमा मिलती है, वहां पर सेना काफी समय से खड़ी हुई है। राजस्थान भी बहुत बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की सेना अड़ी हुई है और वहां भी सेना खड़ी हुई है। जब सेना खड़ी हुई है तो वहां पर खाइयां खोद दी गई हैं, सुरंगें बना दी गई हैं और

बड़े-बड़े टेंकर पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, सैनिकों का मुकाबला करने के लिए बड़े-बड़े टेंकर वहां पर जाकर आते हैं। वहां पड़ाव डाल देने के कारण और सुरंग खुद जाने के कारण, खाइयां खोद देने के कारण किसानों की जमीन बर्बाद हो गई है। किसानों की जो खेती खड़ी हुई थी, उनकी खेती का मुआवजा भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। कई जगह इस प्रकार की शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए जिन किसानों की खेती बर्बाद हो गई है, जहां सुरंगें खुद गई हैं, खाइयां खुद गई हैं, वहां लोग रह रहे हैं, उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये। वह मुआवजा भी या तो वहां का कलैक्टर दे या कोई सांसद दे, वहां का निर्वाचित प्रतिनिधि दें, लेकिन किसी पोलिटिकल पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग यदि जाकर वहां पर मुआवजा देंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से पार्टी का प्रचार-प्रसार होगा, इसलिए मेरा निवेदन करना है कि या तो वहां का कलैक्टर या कोई सैनिक या वहां का कोई चुना हुआ सांसद हो, उसके द्वारा किसानों को पैसा मिलना चाहिए, किसी पार्टी विशेष के द्वारा नहीं मिलना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

यही मेरा आपसे निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश और हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। मुजफ्फरनगर में सात तारीख को एक अपहरण हुआ। वहां की जनता ने इस पर अपना रोष प्रकट करके अपनी तकलीफ जाहिर की और उसको बरामद करने की मांग की। जब ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे तो वहां की पुलिस ने बिना आंसू गैस छोड़े, बिना वार्निंग के ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप चार व्यक्ति मारे गए और 40-50 लोग गोलियां लगने से घायल हो गए। ये सब बेगुनाह और निहत्थे थे। घायल लोगों का अभी तक कोई उपचार नहीं हो रहा है और न ही कसूरवार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। वहां की सरकार का और पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है। वहां के एस.एस.पी. को, जो चार्ज दे चुके थे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की और निहत्थे लोगों की जान ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त एस.एस.पी. उस जमाने में सहारनपुर में तैनात थे, बसपा का दफ्तर खाली कराया था इसलिए द्वेषपूर्ण भावना के तहत उसे सस्पेंड कर दिया गया, जबकि एसएसपी उस वक्त चार्ज छोड़ चुके थे। अभी तक मारे गये लोगों के परिवारजनों को कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और मृतकों के परिवारजनों को दस-दस लाख *रुपये मुआवजे के तौर पर दे। जिन पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्रवाई की जाएं। गृह* मंत्री जी तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें ताकि वहां के लोगों को न्याय मिल सके।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को और अपने दल को इससे सम्बद्ध करता हूं। मैं भी वहां गया था। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही है। पुलिस फायरिंग में एक 12 साल का बच्चा, जो सात बहनों का एक भाई था, भी मारा गया है। 12 साल का बच्चा गुनहगार नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी): अध्यक्ष महोदय, अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र, कोडागू पट्टी के हिस्सों और केरल के कासरगौड जिले के हिस्सों में रहने वाली एक बड़ी जनसंख्या की ओर से बार-बार यह मांग होती रही है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली टुलु भाषा को मान्यता दी जाए तथा इसे भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

टुलु लोकवार्ता में बड़ी ही समृद्ध भाषा है और यक्षगान, कला, संगीत और रंगमंच के लिए काफी समय से प्रयुक्त होती रही है तथा होती है इसे ठीक ही इस क्षेत्र का विरासती खजाना कहा जाता है। टुलु भाषा का संवर्धन करने तथा केन्द्र द्वारा इसे भारत के सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इससे भी कम लोगों द्वारा बोली जो वाली भाषाओं जैसे सिंधी, नेपाली और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है।

2001 की जनगणना के अनुसार, टुलु भाषा बोलने वाली जनसंख्या 35 लाख से ऊपर हो चुकी है और इसलिए केन्द्र द्वारा इसे मान्यता दिया जाना आवश्यक है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 1994 में बीआईएफआर के एक आदेश के द्वारा माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का एमएमटीसी के साथ विलय कर दिया गया। महोदय, बीआईएफआर का आदेश यह था कि माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों और श्रमिकों को विषय के पश्चात् 1994 में उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक के आधे से कम नहीं मिलेगा। 1987 से एमएमटीसी के माइका प्रभाग के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतनमानों में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गिरीडीह और कोडरमा में माइका उद्योग के श्रमिकों को केवल 300 रुपए मिलते

हैं। वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि जब तक कि विधि मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट न कर दिया जाए, एमएमटीसी के माइका प्रभाग के श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित नहीं किये जा सकते। महोदय, मिटको (एमआईटीसीओ) और एमएमटीसी के विलय से पूर्व माइका श्रमिकों के वेतनमान एमएमटीसी के कर्मचारियों के बराबर थे परन्तु मिटको के एमएमटीसी का एक प्रभाग बन जाने के बाद, उन्होंने माइका प्रभाग के श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करने से मना कर दिया है। महोदय, आज के समय में, केवल 300 रुपए के साथ माइका उद्योग का कोई श्रमिक कैसे अपना परिवार चला सकता है।

महोदय, मेरी मांग है कि जैसे कि एमएमटीसी के माइका प्रभाग के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतनमान 1987 से संशोधित नहीं हुए हैं, वाणिज्य मंत्रालय को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एमएमटीसी के माइका प्रभाग के श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित हो सकें और उन्हें एमएमटीसी के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर लाया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के मशहूर अखबार 'जनसत्ता' में ऐसी खबर छपी है 'सिंघल और डालमिया दो करोड़ रुपये हजम कर गये:-धर्मदास।' यह धर्मदास कौन हैं? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महन्तबाबा धर्मदास ने आज विश्व हिन्दू परिषद पर न्यास के कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल और विष्णुहरि डालमिया ने शिलादान कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट के कोष से जो दो करोड़ रुपये निकाले थे, उस पैसे का कोई अतापता नहीं है। सबसे खतरनाक बात है कि महन्त बाबा धर्मदास ने वीएचपी नेताओं पर राम मन्दिर मसले का अपने राजनैतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे लोग मन्दिर के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं जिससे वे उसका राजनैतिक फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर दंगों को किसी भी तरह से न्यायपूर्वक नहीं ठहराया जा सकता। यह बाबा धर्मदास जिन्होंने इतना भारी देश में उद्घाटन किया कि वीएचपी के शिलादान पर एक रुपया चढ़ रहा है, उन्होंने कहा है कि इसमें हेराफेरी की गई है और वीएचपी दंगा कराना चाहती है, यह बाबा धर्मदास कहते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी छानबीन की जाये कि वीएचपी मन्दिर के नाम पर देश में पैसा ठग रही है, आग लगवाना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, उन पर सख्ती से रोक लगे और छानबीन करके सख्त कार्रवाई की जाये। यह बाबा धर्मदास अपने धर्म की बात कह रहे हैं, इसीलिए मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो सरकार के लोग भाग खड़े हुए हैं और एक मंत्री भी यहां नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए, यहां बैठे हैं न।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वीएचपी जो दंगा कराना चाहती है, बाबा धर्मदास कहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर-पश्चिम बंगाल): महोदय, हम पाक जल डमरु मध्य के भौगोलिक सामरिक प्रभाव को देखते हुए श्रीलंका में जो राजनीतिक घटना हो रही है उससे उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। महोदय, वे लोग वर्षों से भारत सरकार और हमारे समाज को अस्थिर करने का षडयंत्र कर रहे हैं।

महोदय, हाल ही में नार्वे की सरकार के तत्वावधान में श्रीलंका में शांति स्थापित करने की पहल की गई है। तथापि, हम 21 मई 1991 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को नहीं भूल सकते हैं। उस दिन बम से भारत के निर्दोष और अभिजात व्यक्ति, हमारे प्रिय नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के चीथड़े उड़ा दिए गए थे। जाफना प्रायद्वीप में षडयंत्र रच कर श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। श्री प्रभाकरन को एक फरार अपराधी घोषित कर दिया गया है। यह इस हत्या में शामिल था। हम उसे शांति का दूत नहीं मान सकते हैं।

अत: मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि श्री प्रभाकरन के प्रत्यर्पण की मांग के लिए एक संकल्प पारित किया जाए। क्या जो सुश्री जयललिता कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं? यह शर्म की बात है कि भारत सरकार अभी तक देश की जनता के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रही है। जहां तक श्री प्रभाकरन के प्रत्यर्पण का संबंध है, सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि इस संबंध में उसका क्या रवैया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं सरकार का ध्यान एक दुखद मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि रोजमर्रा की बात हो गई है। जब हम हर रोज सुबह समाचार पत्र देखते हैं तो हमें अनेक सड़क दुर्घटनाओं जिनसे पूरे परिवार समाप्त हो जाते हैं, के समाचार पढ़ने को मिलते हैं।

केरल में यह रोजमर्रा की बात हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर हर रोज एक परिवार के पूरे सदस्य मारे जाते हैं।

इन सड़कों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है। यातायात को ठीक से नियंत्रितन ही किया जाता है या यातायात के नियमों को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कई संभ्रान्त लोग भी इन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कई मंत्री भी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। एक भूतपूर्व मंत्री बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। हमें हर रोज कई बहुमूल्य जानों से हाथ धोना पड़ रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सड़कों विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रख-रखाव के लिए तत्काल कदम उठाए अन्यथा हमें हर रोज सुबह समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार पढ़ने को मिलेंगे। दर्जनों बेकसूर लोग इस लिए मारे जा रहे हैं कि वह कार या किसी अन्य वाहन से सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हमने देखा है कि भूतपूर्व विधायक मंत्री और अन्य गणमान्यव्यक्ति इन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन सड़कों का ठीक से रखरखाव हो और यातायात के नियमों का सख्ती से पालन हो। अन्यथा इसका कोई अन्त नहीं है। मंत्री महोदय आज हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं।

श्री प्रमोद महाजन: लोगों को बाएं चलना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समझता हूं कि वह वामपंथियों के साथ हैं। वामपंथी भी उनसे बहुत डरते हैं।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और यह देखें कि जो भी संभव हो वह किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी. पाटील (सांगली): महोदय, संचयनी इन्वैस्टमेंट एंड लीजिंग कम्पनी, कलकत्ता ने भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में मनी कलैक्शन का कार्यक्रम चलाया है और इस काम के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में 1200 लोगों को एजेंट के रूप में एपाइंट किया है, जिन्होंने 350 करोड़ रुपये कलैक्ट कर लिए हैं। यह कम्पनी सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी जिलों में मैच्योर्ड हुए 6 करोड़ रुपये वापिस नहीं दे रही है। इस प्रकार इन्वैस्टर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वे कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को साथ जो इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए और वित्त मंत्रालय को भी इस बारे में कदम उठाना चाहिए और रिजर्व बैंक की रिस्ट्रिक्शन्स बारे में भी बताना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): महोदय, इस विषय से मैं भी एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, मैं इस महती सभा का ध्यान तमिलनाडु के साथ किए गए सौतेले व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, इस सरकार की चुन-चुन कर विनिवेश और निजीकरण की नीति के कारण तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों का बिना किसी आधार के बेरहमी से विनिवेश किया जा रहा है। महोदय, सलेम की बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी, जिसके बारे में आप जानते हैं, एक मुनाफा कमाने वाला उद्योग है जो इस्पात उद्योगों के लिए तापरोधी ईंटों का निर्माण करती है। यह मुनाफा कमाने वाली इकाई है और इसमें 4000 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसकी कई हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं। यद्यपि, यह मुनाफा कमाने वाला उद्योग है, हमें यह देख कर आश्चर्य है कि इसका भी निजीकरण किया जा रहा है। यह भी विनिवेश के शिकंजे में है।

एक और उद्योग है सेलम इस्पात संयंत्र इसका मूल्य भी कई हजार करोड़ रुपये है और वह भी सलेम तमिलनाडु में ही है। मंत्री महोदय ने हाल ही में इस उद्योग का दौरा किया और घोषणा की कि इसका भी निजीकरण किया जा रहा है। तमिलनाडु विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि निजीकरण न किया जाए। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री, हमारी प्रिय नेता, डा. पुराची थलाइवी ने भी भारत सरकार को लिखा है कि इस इकाई को निजी क्षेत्र को न सौंपा जाए।

उडगमंडलम में हिन्दुस्तान फोटोफिल्म नायक एक और महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में कार्यरत लगभग 5000 जनजातीय लोग एरियल फिल्म्स एक्सरे फिल्म्स और अन्य अनेक प्रसंस्कृत फिल्मों जो कि देश के रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि सामरिक प्रकृति की एरियल फिल्मों का उत्पादन कर रही इस इकाई का निजीकरण किया जाता है तो सम्पूर्ण उद्योग पर निजी व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाएगा और हमारा रक्षा क्षेत्र उन निजी व्यक्तियों की दया पर आश्रित हो जाएगा।

दूसरा उद्योग जिसका विनिवेश किए जाने का प्रयास किया जा रहा है वह है नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन। तमिलनाडु से सभी सदस्यों की सर्वसम्मत मांग के कारण सरकार ने कहा है कि वह इसका निजीकरण नहीं करेगी परन्तु हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। वह एक लाभ अर्जित करने वाला उद्योग है।

तमिलनाडु राज्य में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है अत: मैं सरकार से एक स्पष्ट नीति अपनाने की मांग करता हूं। मैं सेलम इस्पात संयंत्र और बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के संबंध में तमिलनाडु विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। अत:

मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा. पुराची थलाइवी द्वारा लिये गये पत्र पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के फैजाबाद-जाफराबाद खंड पर खेतासराय और मेहरावां स्टेशनों के बीच श्रमजीवी एक्सप्रेस की दुर्घटना

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार वक्तव्य देंगे।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि 12.5.2002 को लगभग 3.35 बजे उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के फैजाबाद-जाफराबाद खण्ड पर 2402 डाउन नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। गाड़ी में 24 सवारी डिब्बे लगे हुए थे और इसे दो इंजनों द्वारा कर्षित किया जा रहा था और यह नई दिल्ली से पटना की ओर डाउन दिशा में जा रही थी। इस गाड़ी के दो इंजनों में से पिछला इंजन और उसके बाद के 13 सवारी डिब्बे फैजाबाद-जाफराबाद इकहरी लाइन खण्ड पर खेतासराय और मेहरावां स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए जिससे सीधी संचार व्यवस्था में बाधा आ गई। लखनऊ से आगे यह गाड़ी लखनऊ-फैजाबाद-जौनपुर-वाराणसी के परिवर्तित मार्ग पर चल रही थी क्योंकि इसके वास्तविक मार्ग लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी खंड पर 11.5.2002 को 16.45 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 44 व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें से 14 को गंभीर तथा 30 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई है। कुछ घायल यात्रियों की प्राथमिक उपचार के पश्चात् ही अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। घायल व्यक्तियों को जौनपुर के सिविल अस्पताल तथा शाहगंज के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में कुछ घायल व्यक्तियों को वाराणसी के हैरिटेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है।

वरिष्ठ रेल अधिकारियों सहित चिकित्सा राहत गाड़ियां वाराणसी, मुगलसराय और फैजाबाद से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई। मैंने, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ इस दुर्घटना स्थल का दौरा किया। यातायात के आज देर रात्रि तक बहाल हो जाने की संभावना है।

मैंने अनुग्रह राशि के भुगतान में वृद्धि की घोषणा की है जिसके अंतर्गत मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 1 लाख रुपए, गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को 15,000 रुपए और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 5000 रुपए दिए जाएंगे और ये भुगतान किये जा रहे है। अनुग्रह राशि के भुगतान के अलावा, रेल अधिकारियों को इस आशय के निर्देश भी दिए गए हैं कि वे दावा फार्मों को भरने में घायल व्यक्तियों की सहायता करें ताकि उन्हें रेल दावा अधिकरण द्वारा शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा प्राप्त हो सके।

रेल संरक्षा आयुक्त, द्वारा इस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक सांविधिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं। रेल संरक्षा आयुक्त (उत्तरी क्षेत्र) दुर्घटना स्थल पर पहले ही पहुंच गये हैं और तत्काल जांच शुरू कर दी है। रेल संरक्षा आयुक्त से दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और निवारक उपाय किए जाएंगे ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो वह 15.5.2002 से जौनपुर में अपनी विस्तृत जांच शुरू करेंगे।

प्रथम दृष्ट्या दुर्घटना के कारण के बारे में रेल अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों बीच में मतभेद है। एक ओर जबकि रेलवे अधिकारी प्रथम दृष्टि में तोड़-फोड़ की संभावना से इंकार नहीं कर रहे हैं जबकि राज्य सरकार के अधिकारी इस दुर्घटना का कारण पुल का क्षतिग्रस्त होना बताते हैं।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा और स्थानीय निवासी, सामाजिक तथा धार्मिक गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य समाज सेवा के संगठनों एवं स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन के प्रति भी

[श्री नीतीश कुमार]

अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने घायलों को समय से सहायता देकर और बचाव कार्यों में राहत और मदद पहुंचाने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है।

रेलवे की ओर से तथा अपनी ओर से, मैं शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के प्रति भी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदन भी शोक संतृप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करने में मेरे साथ है।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, इसमें सेबोटेज का आरोप लग रहा है, इसलिए इसकी डिपार्टमैन्टल इंक्वायरी न कराकर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): हमने यह मामला जीरो ऑवर में उठाया था, अगर आपकी इजाजत हो तो इस पर हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन में स्टेटमैन्ट के बाद क्लेरिफिकेशन अलाऊ नहीं है। नियमों के अनुसार इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप क्लेरिफिकेशन की परमीशन दे दीजिए।

सभापति महोदय: इस पर बाद में बहस होगी।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: बहस की बात नहीं है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह मौके पर पहुंचे। यहां मामला उठा था कि मृतकों को एक लाख रुपये दिये गये हैं या पांच लाख रुपये दिये गये हैं। मैं मांग करूंगा कि प्रत्येक मृतक के परिवारजन को पांच लाख रुपये दिये जाएं।

श्री नीतीश कुमार: हम यहां क्लेरिफिकेशन कर दें कि यह एक्सग्रेशिया पेमेन्ट के अलावा है। मरे हुए व्यक्ति को कम्पेनसेशन के रूप में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्युनल के माध्यम से चार लाख रुपये मिलते हैं। रेलवे उसका कम्पेनसेशन करती है। यह उस चार लाख एक्सग्रेशिया पेमेन्ट के अलावा है। जो कि आम तौर पर 15 हजार रुपये देने का प्रावधान है, उसे हमने बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है। ग्रीवियस इन्जुरी में पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है, उसे बढ़ाकर हमने 15 हजार रुपये किया है और सिम्पल इन्जुरी में पांच सौ रुपये देने का प्रावधान है, उसे बढ़ाकर हमने पांच हजार रुपए किया है। इसके अलावा पूरा मैडिकल ट्रीटमैन्ट, जिनके हाथ-पैर कट गये हैं, उनके आर्टीफिशियल लिम्ब्स के लिए आदेश दे दिये गये हैं। उनका रेगुलर या परमानैन्ट जो ट्रीटमैन्ट हो सकता है, उसके लिए भी रेलवे की तरफ से खर्च वहन किया जाएगा।

अपराह्न 2.09 बजे

शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक–*पुर:स्थापित**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 18-श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 का निरसन करने वाले विधेयक को, पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.10 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 2, दिनांक 13.5.2002 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र के धुले जिले में साकरी तहसील में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले): महोदय, महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र धुले एक पिछड़ा एवं आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर केन्द्र सरकार की शिक्षण संस्थाओं का अभाव है। पहले जब धुले और नंदुरबार जिला एक था, तब यहां एक जवाहर नवोदय विद्यालय अक्कलकुआं तहसील में स्थित था, लेकिन अब नंदुरबार नया जिला बनने के बाद से वह जवाहर नवोदय विद्यालय धुले जिले से बाहर चला गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक साकरी तहसील विधान सभा क्षेत्र है, जो कि एक तहसील भी है और इसके आस-पास 100 गांव के लगभग हैं, जिसमें अनेक निवासी आदिवासी समाज के हैं। इन लोगों की शिक्षा के लिए यहां पर कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चों को कठिनाई होती है।

अत: मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत साकरी तहसील विधान सभा क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने के लिए उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के मल्कानगिरी और नौरंगपुर जिलों के हिन्दू बंगाली अधिवासियों का बंगलादेश विवासन रोके जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं को उत्पीड़ित किए जाने के बाद, हिन्दुओं ने भारी संख्या में पाकिस्तान से भारत आना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को 1960 और 1971 की अवधि के बीच उड़ीसा के तत्कालीन कोरापुट जिले के मलकानगिरी उप मंडल और नौरंगपुर उप मंडल में पुनर्वासित किया गया।

तथापि, किन्हीं तकनीकी कारणों से उड़ीसा सरकार ने दूसरे चरण के अधिवासियों से संबद्ध मलकानगिरी जिले के 540 परिवारों और नौरंगपुर जिले के 510 परिवारों को वापस भेजने की नोटिस जारी किया है। इक्कीस परिवारों को प्रत्यक्षत: बंगलादेश सीमा पर ले जाकर वापस किया गया है। अन्य परिवारों को यह आशंका है कि उन्हें अपनी वंशावली, अधिवास और भारत की नागरिकता को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किए बिना वापस भेजा जा सकता है।

उड़ीसा के मलकानगिरी और नौरंगपुर जिलों के वस्तुत: हिन्दु बंगाली अधिवासियों में व्यापक रोष व्याप्त है। भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर उड़ीसा सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि परिवारों की इस तरह से वापसी पर रोक लगायी जाये।

(तीन) नागपुर में सीताबुल्दी किला क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोले जाने और इसके आस-पास के क्षेत्र का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, नागपुर शहर जिसने जनवरी 2002 में अपने 300 वर्ष पूरे किए हैं का त्रिशताब्दी वर्ष एक महत्वपूर्ण अवसर की भांति मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक प्रस्ताव सीताबुल्दी, जो शहर के मध्य में स्थित है जहां भोसले की सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था, को पर्यटकों के लिए खोलना और इसके बेकार पड़े आसपास के क्षेत्र को 'राक गार्डन' के रूप में विकसित करना और वहां पर एक बाल उधान, पैदल पथ, वृक्षारोपण का प्रावधान करने और फव्वारा आदि लगाने के बारे में है ताकि इसे दर्शनीय स्थल बनाया जा सके। ऐतिहासिक महत्व को परिलक्षित करने वाले प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम से पर्यटकों के मोहाकर्षण में वृद्धि हो सकती है।

अनेक सामाजिक संगठनों ने इस खुले क्षेत्र को अपने वित्तीय संसाधनों के जरिए विकसित करने का प्रस्ताव किया है। संसद सदस्य भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपने कोष से धन अवमुक्त करने को तैयार हैं।

अत: मैं रक्षा मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि सीताबुल्दी किले के क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोलने और इसके आसपास के क्षेत्र का प्रादेशिक सेना और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से विकास और सौन्दर्यकरण करने पर सहमति व्यक्त की जाये।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं हैं। गृहमंत्री यहां बैठे हुए हैं। क्या यह संभव है?

सभापति महोदय: घंटी बजायी जा रही है-अब गणपूर्ति हो गयी है। माननीय सदस्य श्री दीप गोगोई बोलें।

(चार) पूर्वोत्तर भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि भारत आकार की दृष्टि से चीन से काफी छोटा है, सौभाग्य

से हमारे यहां कृषियोग्य भूमि अधिक है। हमारे यहां कृषि योग्य भूमि 140 मिलियन हेक्टेयर है जबकि चीन को कृषियोग्य भूमि 100 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन दुखद वास्तविकता यह है कि हमारे यहां चीन के 420 मिलियन टन खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में मात्र 205 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। चीन में खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तुलना में दो गुणा से भी अधिक होता है। चीन में यह सब व्यापक सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों के उपयोग और चावल की संकर किस्मों का उत्पादन शुरू करने से संभव हो सका है। पूर्वी भारत, जिसमें पूर्वोत्तर भी शामिल है, में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है और यह क्षेत्र शेष भारत की तुलना में काफी पीछे है। असम में जोरहट नामक स्थान पर पूर्वी भारत का चावल अनुसंधान केन्द्र स्थित है। लेकिन धनराशि के अभाव में यह केन्द्र कैसे परिणाम प्राप्त नहीं कर सका जैसाकि इससे उम्मीद की गई थी।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए और साथ साथ इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि देश के इस भाग में जनसंख्या की वृद्धि के मद्देनजर निकट भविष्य में भारत में खाद्यान्नों का और अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

(पांच) राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा विश्व कप फुटबाल के सभी मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): विश्व कप फुटबाल मैच की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं है कि क्या लाखों भारतीय दर्शक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, खेलों का प्रसारण देख सकेंगे अथवा नहीं। महोदय, पूरे देश से लोग इस खेल में भाग लेते है। वे विश्व कप में इस आश्चर्यजनक खेल के देखने के लिए चार वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं।

कुछ निजी टीवी चैनल इन खेलों का प्रसारण करेंगे ये खेल केवल उन शहरी क्षेत्रों में ही देखे जा सकेंगे जहां केबल टी.वी. उपलब्ध है और देश के विशाल क्षेत्र में केबल कनैक्शन उपलब्ध नहीं है। यह गांवों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों के लिए जो खेलों के इस विशाल आयोजन को देखने से वंचित रह जाएंगे, एक दुखद घटना होगी।

चूंकि दूरदर्शन का प्रसारण लगभग पूरे देश में है, ग्रामीण दर्शकों के लिए यह एकमात्र साधन है। लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है। अत: इन परिस्थितियों में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से विश्वकप फुटबाल मैच 2002 के सभी मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए और इस आशय की उद्घोषणा तत्काल की जाए।

(छह) महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के समुचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुल्ढाना): महोदय, इसके माध्यम से मैं महाराष्ट्र में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बुल्ढाना और नागपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की मुम्बई और कोलकाता बरास्ता नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की मरम्मत किए जाने की मांग सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में यह विशेष राजमार्ग खंड चतुर्दिक स्थित उद्योगों के भारी वाहनों द्वारा अपने उत्पादों के आवागमन हेतु उपयोग में लाया जाता है। तथापि, इस राजमार्ग खंड के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस पर अनेक दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। तथा इसके साथ-साथ इस राजमार्ग खंड के क्षतिग्रस्त होने के कारण ही इस पर भारी वाहनों की आवाजाही धीमी हो जाती है और इससे इन वाहनों के माध्यम से भेजे गए सामान की डिलीवरी में अत्यधिक विलंब हो जाता है। चूंकि इससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास बाधित हो सकता है, अत: इस मामले में सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(सात) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में भूमिगत जल-मल व्ययन प्रणाली के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, तिरुनेलवेली नगर निगम जोकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है, की स्थापना 1994 में तीन नगरपालिकाओं, एक टाऊनशिप और 15 ग्राम पंचायतों को आमेलित करने के उपरान्त की गई थी। इस नगर निगम की कुल आबादी 4,25,000 है। निगम की आय का मुख्य स्रोत एकमात्र गृह कर ही है। निगम वर्तमान वित्तीय संकट के कारण सड़क, पेयजल, बिजली और नालियां जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। तमिरावरुणी नदी, जो तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन के लिए पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, में प्रदूषण को रोकने के लिए इस शहर में भूमिगत मल जल (सीवरेज)

प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव है। मूलभूत सुविधाओं सहित उपर्युक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत 66 करोड़ रुपए है। इस निगम में भूमिगत मल जल (सीवरेज) प्रणाली के निर्माण और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(आठ) उड़ीसा में महाचक्रवात के कारण टूटे हुए विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): उड़ीसा में 29 अक्तूबर, 1999 को आए महाचक्रवात के कारण लगभग 11,960 प्राथमिक विद्यालय और 3779 हाईस्कूल भवन पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उस समय नष्ट हुए विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष से धन जारी किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय और हाईस्कूल भवन का क्रमश: 3,20,000 और 8,40,000 रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया जाए। इस प्रक्रिया में केन्द्रपाड़ा जिले में 168 प्राथमिक विद्यालय और 69 हाईस्कूल भवनों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। केन्द्रपाड़ा जिले में विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को सौंपा गया था। लेकिन अब तक केवल 10 प्रतिशत विद्यालय भवनों का ही पुनर्निर्माण किया गया है और इस जिले में शेष विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है।

यदि निर्माण कार्य को 'टर्न की' आधार पर करने हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए जाते और निर्माण कार्य पर प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से निगरानी नहीं रखी जाती, तो निर्माण कार्य में और अधिक विलंब हो सकता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से निगरानी रखी जाए और यह कार्य मानसून के प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पन्न हो जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर बिहार में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): सभापति महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत उत्तरी बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिमा, मधेपुरा, बेगूसराय एवं अन्य जिलों में दिनांक 2.4.2002 को हुई ओलावृष्टि से रबी की फसल एवं गरीब लोगों के खपरैल के मकान एवं झोपड़ी के हुए भारी नुकसान की भरपाई हेतु सरकार की ओर से कोई सहायता एवं राहत कार्य नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाए। इसके लिए राज्य सरकार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए।

(दस) हरियाणा में जगाधरी में तांबा और पीतल उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में लाए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जगाधरी नगर के विश्वविख्यात बर्तन उद्योग की ओर लाना चाहूंगा जो कि आज लघु उद्योगों की श्रेणी में न लाए जाने के परिणामस्वरूप संकट में हैं। वित्त मंत्रालय ने लघु उद्योग इकाइयों को सेन्ट्रल एक्साइज के मामले में एक करोड़ की छूट देकर सराहनीय कार्य किया है। परन्तु जगाधरी के कॉपर तथा ब्रास सीट बनाने वाले लघु उद्योग को एस.एस.आई. के लाभ से वंचित कर दिया है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे जगाधरी कॉपर व बस सीट निर्माती उद्योग को एस.एस.आई. के अंतर्गत लाकर राहत प्रदान करें।

अपराह्न 2.28 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश भी सूचना सभा को देनी है:

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 9 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित पेटेन्ट संशोधन विधेयक 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 9 मई, 2002 को यथापारित पेटेंट संशोधन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आपके द्वारा मैं विधि और न्याय मंत्री का ध्यान एक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने शान्ति मार्च निकालने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी थी। स्थानीय अधिकारियों ने अनुमति दे दी थी। बाद में अनुमति वापिस ले ली गई और जो लोग एकत्र हुए थे, उनमें से मुझे कहा गया कि लगभग सौ से अधिक, दो सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, निश्चित संख्या मुझे मालूम नहीं है। उन्हें 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। धारा 144 के अंतर्गत 14 दिन के लिए जेल भेजना स्वयं में जरा अच्छा नहीं लगता। मझे विश्वास है कि विधि मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में सलाह देंगे। मैं भी आपके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए तो अच्छा होगा अन्यथा अनावश्यक रूप से अशान्ति होगी।

अपराह्न 2.29 बजे

[अनुवाद]

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने तथा उससे ससक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक वर्ष 1908 में पारित किया गया था और वर्ष 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे। तदुपरान्त, वर्ष 1997 में, एक व्यापक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे सम्मानीय सभा ने वर्ष 1999 में पारित कर दिया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी मंजूरी मिलने के बाद बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा इस विधेयक के कतिपय संशोधन के प्रति आपत्ति उठाई गई थी और मेरे पूर्ववर्ती श्री रामजेठमलानी ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही इसे अधिसूचित किया जाएगा और यदि किन्हीं प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उन्हें इस सम्माननीय सभा के सम्मुख विचार के लिए लाया जाएगा।

मुझे 'बार', विधि आयोग सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ष 1999 में किए गए संशोधनों के बारे में व्यापक चर्चा करने का अवसर मिला था। तदुपरान्त, मौजूदा विधेयक प्रस्तुत किया गया था। स्थायी समिति ने इनमें से प्रत्येक संशोधन पर विचार किया था और ज्यादातर को अनुमोदित कर दिया था। स्थायी समिति ने कुछ सुझाव भी दिए थे जिनमें से कुछ को हमने उन सरकारी संशोधनों में सम्मिलित किया है जिन्हें प्रस्तुत किया गया है।

मैं मौजूदा संशोधनों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। वर्ष 1999 के विधेयक में कुछ अति महत्वपूर्ण परिवर्तन या मैं कहूं तो 'सुधार' किए गए हैं। जिन पर हमने बार के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था। विधिशास्त्र भी हमारी प्रणाली के अंतर्गत मुकदमें लम्बे समय तक चलते हैं। ऐसी कोई पाबन्दी नहीं होती कि कितने समय तक तर्क-वितर्क चल सकते हैं। इस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि विश्व के सभी विधिशास्त्रों में विद्यमान है, कि न्यायाधीश मुकदमें भी सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायाधीशों को इस प्रयोजनार्थ समयावधि निर्धारित करने के अधिकार होता और यदि कुछ छूट जाता है तो न्यायाधीश की अनुमति के बाद में लिखित रूप में दिया जा सकता है। ऐसा एक प्रावधान हमने किया है।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि साधारणतया 30 दिन भी समयावधि निर्धारित कर दी गई है जिसे लिखित में दिए गए कारणों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा परिवर्तन मूल विधेयक का भाग नहीं है। विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए दो परिवर्तन किए गए हैं। न्यायालयों की यह अधिकार नहीं है कि वे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सके। इस संबंध में कुछ भ्रम की स्थिति थी और न्यायालयों द्वारा कुछ विरोधाभाषी निर्णय भी दिए गए थे और विधि आयोग इन खामियों को दूर करना चाहता था। इसका ताल्लुक स्थानांतरणों से भी था जो कुर्की से पहले हो गए थे। इस संबंध में एक स्पष्टीकारक संशोधन लाया गया है।

एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जिस पर आपत्ति की गई थी और जिस पर 'बार' के सुझाव का विधि आयोग ने भी समर्थन किया था। 'रिट' के क्षेत्र में, जब किसी एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया हो तो अपील करने का एक सांविधिक अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए और अपील के इस अधिकार को 1999 के संशोधन के जरिए वापस ले लिया गया था। अत: अनुच्छेद

226 और 227 के अंतर्गत अधिकारिता के उद्देश्य से, अपील का एक सांविधिक अधिकार दिया गया है।

एक और क्षेत्र जिसमें हमने 1999 में विधेयक में सुधार करने का प्रयास किया है का संबंध सभा की तामील से है। न्यायालय द्वारा सम्मन की तारीख में काफी लम्बा समय लगता है। अत: इस संबंध में फैक्स, ई-मेल इत्यादि तौर तरीके इसमें जोड़े गए हैं। भारत के बड़े भूभाग में अभी भी ये इलेक्ट्रानिक उपकरण इस्तेमाल नहीं होते हैं लेकिन डाकसेवा के समकक्ष एक और कूरियर सेवा मौजूद हैं। एक और खण्ड हैं जिसमें हमने संशोधन किया है वह है समकक्ष अनुमोदित कूरियर एजेन्ट का प्रावधान करना जिसे कूरियर एजेन्सी के जरिए न्यायालय के सम्मन सौंपने का अधिकार होगा। यह अनुमति भी इस विधेयक में दी गई है।

'बार' द्वारा न्यायालय में 30 दिन की निर्धारित समय सीमा जिसे किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है के अन्दर जवाब दाखिल करने के प्रति भी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि कुछ ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जिनसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया और अपना जवाब समय पर न्यायालय में दाखिल करने में असमर्थ हो अथवा जरूरी पैसा जुटाने अथवा दस्तावेज एकत्र करने में भी असमर्थ हो। ऐसे मामलों में न्यायाधीश भी 30 दिन के बाद एक दिन भी बढ़ाने में असमर्थ होंगे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद हमने तय किया है कि साधारणत: निर्धारित समय सीमा 30 दिन ही रहेगी लेकिन इसे बढ़ाकर 60 दिन किया जा सकता है यदि न्यायाधीश संतुष्ट हैं और इस मामले में कारणों को न्यायाधीश स्वयं दर्ज करेंगे।

एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया है वह है साक्ष्य दर्ज करने के संबंध में हमारे पूर्व विधिशास्त्र भी प्रक्रिया से यह बिल्कुल अलग है। सिविल केस में, साक्ष्य दर्ज करने में वर्षों लग जाते हैं। उच्च न्यायालयों में, साक्ष्य दर्ज करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख कई वर्षों के बाद भी दी जाती है। सामान्यत:, उच्च न्यायालय के समक्ष, साक्ष्य दर्ज करने में पांच से दस वर्ष लगते हैं। विचरण न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में भी कई वर्ष लग जाते हैं किसी मामले का यह सबसे लम्बा चरण होता है। अब हमने निर्णय लिया है कि, इन संशोधनों के जरिए, साक्ष्य दर्ज करना प्रत्यायित कार्य होगा और इसका अधिकार न्यायाधीश को दिया जाएगा जिसमें से यह अधिकार किसी आयुक्त जो सामान्यत: बार का सदस्य होगा को दे सकते हैं यदि वे समझते हैं कि विषय ऐसा है जिसमें यह कार्य प्रत्यायित किया जा सकता है। यदि वे ऐसा महसूस करते हैं कि साक्ष्य उन्हें स्वयं दर्ज करना चाहिए तो यह न्यायिक निपटारे के मामला है और न्यायाधीश स्वयं साक्ष्य दर्ज कर सकते हैं। हमने यह भी कहा है कि उनके द्वारा यह अधिकार प्रत्यायित किए जाने के बाद, वकील आयुक्त दैन्यदिन आधार पर साक्ष्य दर्ज कर सकते है। न्यायाधीश काफी व्यस्त होते हैं और वे कुछेक मामलों में महीनों और वर्षों बाद की सुनवाई तारीख देते हैं लेकिन वकील इस कार्य को दैन्यदिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर दे सकते हैं। अत: यदि साक्ष्य दर्ज करने के लिए पांच तारीखों की जरूरत है तो न्यायालय के समक्ष इस मामले में कई वर्ष लग जाएंगे और आयुक्त इसे दो-तीन सप्ताह में निपटा सकते हैं। हमने कहा है कि आयुक्त साक्ष्य दर्ज करने के कार्य को सामान्यत: 60 दिन में पूरा करके वापस कर देगा बशर्ते कि न्यायाधीश इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

महोदय, ये कुछ प्रमुख संशोधन हैं जो हमने पेश किए है। कुछ आपत्तियां थी जिनके 'बार' को जिरह में संशोधन करने का अधिकार था जिसे वापस ले लिया गया है। जिन वकीलों ने विधि आयोग के समक्ष अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था कि कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां हो सकती है जिनमें यदि कुछ नए साक्ष्य सामने आते हैं और जिसे न्याय के हित दर्ज करना जरूरी है।

अब, संशोधन के अधिकार को पूर्णतया समाप्त करने से कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं क्योंकि लोगों को अपने मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे और एकदम नए मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे।

महोदय, यदि मैं सिविल प्रक्रिया संहिता की वृहत तस्वीर पर एक नजर डालूं तो हमने बार, विधि आयोग और अन्य संबंधित व्यक्तियों से व्यापक विचार-विमर्श किया था। हमने निर्धारित समयावधि के अंदर मुकदमे के प्रत्येक स्तर में समाहित करने की कोशिश की है। हमने समन तामील करने का तरीका हटाने का प्रयास किया है। हमने एक समयावधि निर्धारित करने का प्रयास किया है, जैसाकि सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है, न्यायाधीश जवाब दाखिल करने के लिए जितना समय आवंटित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि उनकी व्यवस्था कम हो और हम इन प्रक्रियागत परिवर्तनों के जरिए मुकदमे के निपटाने के प्रक्रिया में तेजी ला सकें।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं सभा से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक पर विचार करे और पारित करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में और संशोधन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मेरा नाम सूची में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री अरुण जेटली: श्री पवन कुमार बंसल बार और विधि आयोग से परामर्श के दौरान मेरे साथ थे। इसलिए वे भी इससे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

सभापति महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, आपके दल के मुख्य सचेतक ने आपका नाम दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, सिविल प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य उन कठिनाइयों का निवारण करना है जिन्हें हम गत वर्षों से अनुभव करते रहे हैं। हमें विदित है कि दीवानी अदालतों में अनेक मामले दशकों से लंबित पड़े हैं। उन मामलों का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। दीवानी मुकदमे को किसी भी बहाने लंबित किया जा सकता है। याचिका दायर कर इसे वर्षों तक खींचा जा सकता है। मैं ऐसे कुछ मामलों को जानता हूं जो गत 50 वर्षों से चल रहे हैं। अभी तक उन मामलों में अंतिम निर्णय नहीं हुए हैं। इस संबंध में देश में यही स्थिति है। पूर्व में इस स्थिति से उभरने के कई प्रयास हुए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1998 में संशोधन किये गये लेकिन उन संशोधनों का कोई लाभ नहीं हुआ। फैसलों में विलंब का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

अब ऐसे विलंब पर रोक लगाने का समय आ गया है। लेकिन इस मामले के लिए आबंटित किये गये दिनों के संबंध में मुझे शंका है।

महोदय मैं धारा 4 का उल्लेख कर रहा हूं। कुछ मामलों में आगे अपील नहीं की जा सकेगी। मैं उद्धृत करता हूं:

> "..... ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।"

मुझे लगता है कि इस प्रावधान के संबंध में अधिक आलोचना और विवाद हो सकते हैं।

एकल न्यायाधीश कभी भी भूल कर सकता है। अत: उसके फैसले को अंतिम मान लेना खतरनाक होगा। अत: मेरी राय में यदि सभी मामलों में नहीं तो कम से कम कुछ मामलों में अपील का प्रावधान होना चाहिए। धारा 4 में कहा गया है:

> "किसी उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पैटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।"

मैं इस विचार का अनुमोदन नहीं कर सकता क्योंकि हमें ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है जिनमें एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों को खंडपीठों द्वारा उलट दिया गया। हम यह मान कर नहीं चल सकते कि सकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला हमेशा ठीक ही होगा। अत: मैं इस प्रावधान को संशोधित किये जाने तथा सभी में नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण कानून से जुड़े मामलों में यह अधिकार प्रदत्त किये जाने का जोरदार पक्षधर हूं। अन्यथा, न्याय नहीं हो पायेगा। अत: खंड-4 के संबंध में मेरा पहला सुझाव यही है। "कोई अपील नहीं होगी" को बदल कर महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष वाले मामलों में अपील का प्रावधान करने जैसा संशोधन करना होगा।

ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये फैसले को खंड पीठ द्वारा उलट दिया गया। खंड पीठों द्वारा एकल न्यायाधीश के लगभग सभी संवादीय आदेशों पर रोक लगाने, फैसले वापस लिए जाने अथवा उन्हें नामंजूर करने की घटनायें हो रही हैं। हमें रोजमर्रा के जीवन में इसका कटु अनुभव होता है। अत: मेरा अनुरोध है कि इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए संबंधित प्रावधान को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि कानूनी पक्ष वाले मामलों में अपील की जा सके। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो जाती है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, बेशक मुझे विदित है कि उक्त फैसला सम्पत्ति के बारे में है। यदि सम्पत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तो ठीक है। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धन वसूली अथवा कोई अन्य चल सम्पत्ति की वसूली की डिक्री हो जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है तो इसे कैसे लागू किया जा सकता है? यदि सम्पत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर हो तो अवश्य ही डिक्री लागू करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में जब चल सम्पत्ति का मालिक ऋणी हो और ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्री लागू करनी है तो वैसी स्थिति को समझते हुए माननीय मंत्री महोदय मेरी बातों का स्पष्टीकरण करेंगे और वे मेरी शंकाओं को दूर करने का काम करेंगे।

दूसरा विषय खंड 6 में किये गये 90 दिनों के प्रावधान से संबंधित है। इसमें लिखा है: "यह सम्मन जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के बाद नहीं किया जाएगा।" ऐसा 60 दिनों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? इस अवधि को क्यों बढ़ाया जाए? सम्मन के लिए 30 दिन ठीक है। मान लें किसी कारण से सम्मन 30 दिनों के अंदर जारी नहीं किया जा सका हो, जो 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि का प्रावधान हो सकता है। लेकिन कुल अवधि 90 दिनों की क्यों हो? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि मामलों को कम समय में निपटाया जा सके। मेरे विचार में 90 दिन बहुत अधिक है, इसे घटाकर 60 दिन किया जाना चाहिए। यह आदेश सं. पांच में संशोधन से संबंधित है जैसा कि संशोधन विधेयक के खंड-6 में उल्लिखित है।

सम्मन जारी किये जाने संबंधी प्रावधान से मैं पूर्णत: सहमत हूं। मेरा उससे कोई विवाद नहीं है। यह अति आवश्यक है और सम्मन जारी करने के लिए सभी प्रकार की उपलब्ध आधुनिक सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए। सम्मन को फैक्स रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि अन्यथा काफी विलंब होता है। लगभग सभी विवाद सम्मन जारी किये जाने में होने वाले विलम्ब के कारण उत्पन्न होते हैं-और बचावपक्ष द्वारा सम्मन से बचने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): इससे कुछ भ्रष्टाचार भी जुड़ा है *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: हां, भ्रष्टाचार भी है *...(व्यवधान)* सम्मन ले जाने वाला कोई कर्मचारी सम्मन तामील किए बिना ही इसे 'समन स्वीकार हुआ' रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। अत: ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही यह जरूरी है और ऐसा करना अच्छा भी होगा कि न्यायालय ही इस बारे में निर्णय करे अथवा उन व्यक्तियों का नाम प्रकाशित करवाये जो सम्मन तामील करवाने के लिए सक्षम हों। कुरियर सेवा अथवा ऐसी ही अन्य सेवाएं स्वागत योग्य हैं।

अब मैं खंड-9 का उल्लेख करता हूं। यहां भी 90 दिनों की अवधि काफी ज्यादा है। 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल किया जा सकता है। 30 दिनों की अवधि पर्याप्त है। लेकिन यदि किसी कारणवश यह 30 दिन की अवधि पर्याप्त न हो अथवा किन्हीं उचित कारणों के आधार पर किसी अपवादिक मामले में न्यायालय यह समझे कि 30 दिनों की निर्धारित अवधि में लिखित उत्तर जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता, तब वैसी स्थिति में उस तिथि से अतिरिक्त 30 दिन दिए जा सकते हैं। लेकिन सम्मन की तिथि से 90 दिन का क्या औचित्य है। इसे सम्मन की तिथि से 60 दिन होना चाहिए। 90 दिन बहुत अधिक है। मैं विलम्ब को कम करने के पक्ष में हूं। इसे 60 दिन होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे बतायें कि उन लोगों ने 60 दिनों के प्रावधान को क्यों नहीं स्वीकार किया। अगर मेरी गलती हो तो उसे सुधार दें।

श्री पवन कुमार बंसल: अधिकतम समय सीमा 90 दिनों की होनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं लिखित जवाब दायर किए जाने संबंधी प्रावधान से भी सहमत हूं जो एक अच्छा प्रावधान है। कुछ वकीलों को सिविल मामलों में तिथि-दर-तिथि मामलों को लंबित करने की आदत होती है। मैंने देखा है कि मामूली मामलों में भी लंबी बहस की जाती है, कानून की किताबों का हवाला किया जाता है। कभी-कभी तो मुंसिफ अथवा न्यायाधीश द्वारा मामले की महीनों तक सुनवायी की जाती है। अत: ऐसे मामलों में लिखित जवाब दाखिल करना अच्छा होगा। नये संशोधनों के मुताबिक मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार की बहस की अनुमति न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। लिखित जवाब दाखिल करना अच्छा प्रावधान होगा और यह मामले के रिकार्ड का हिस्सा भी बन सकता है।

अब शपथपत्र द्वारा साक्ष्य लिये जाने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पीठासीन अधिकारी के समक्ष वादी द्वारा शपथ-पत्र दाखिल किये जाने की सम्बद्ध गवाहों द्वारा शिकायत के साथ-साथ शपथ-पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। साथ मैं शपथ-पत्र दाखिल किया जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल कर दिये जाने के बाद यह मुख्य परीक्षा का हिस्सा बन जाता है। जिरह की प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है। पीठासीन अधिकारी टाइप राइटर अथवा कम्प्यूटर का उपयोग कर अपनी उपस्थिति में स्वयं ही साक्ष्य ले सकता है। लेकिन यह न्यायाधीश अथवा मुंसिफ की उपस्थिति में होना चाहिए।

जहां तक कमिश्नरों का सवाल है इसमें कई मुश्किलें हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि इसे कमिशनरों के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन कमिश्नरों पर ज्यों का त्यों विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें मुश्किलें हो सकती है। कमिशनर वकील होते हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): क्या वकीलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: साक्ष्य लेने के लिए न्यायालय किसी वकील को कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। अगर मैं गलत हूं तो आप सुधार कर दें। वकील को कमिशनर बनने पर कोई रोक नहीं है। एक मात्र रोक यही है कि वह मामले से जुड़ा न

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

हो। उसे किसी पक्ष का वकील नहीं होना चाहिए। न्यायालय के किसी वकील को कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। इससे वकील को पैसे भी मिलते हैं। कमीशन शुल्क के रूप में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। युवा वकील को इससे कमिशनर बनने का मौका मिल सकता है। वह अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर साक्ष्य ले सकता है।

महोदय, प्रक्रिया पूरी हो जाने पर इसे न्यायालय को वापस कर दिया जाता है और यदि पुनः जांच की आवश्यकता हो तो इस बारे में न्यायालय निर्णय ले सकता है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि सुरक्षा के प्रावधान न होने की स्थिति में वकीलों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं वकील समुदाय से संबंध रखता हूं और मेरे कुछ कटु अनुभव हैं। वकील अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें अधिनियमों के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति भी होती है ...*(व्यवधान)* कुछ दिनों के बाद मैंने आगे वकालत नहीं की क्योंकि मैं एम.एल.ए. निर्वाचित हो गया। लेकिन उसके पहले तक मैंने वकालत की थी ...*(व्यवधान)*

महोदय, कमिशनरों की नियुक्ति दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जानी चाहिए। न्यायालयों को ये दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिएं जिनके तहत कमिशनर नियुक्त किये जा सकते हैं जो साक्ष्य ले सकते हैं।

महोदय, दूसरी बात फैसला सुनाने से सम्बद्ध है। मुझे ऐसे मामलों का पता है जब सुनवायी पूरी हो जाने के बाद भी मुंशिफ तथा न्यायाधीशों द्वारा फैसले नहीं सुनाये गये। ऐसे भी मामले हैं जब वर्षों की सुनवाई के बाद भी मुंसिफ अथवा न्यायाधीश द्वारा फैसले नहीं सुनाये गये जबकि मामला दायर करने वाला व्यक्ति अपनी सेवा से सेवा निवृत्त भी हो गया।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: केवल ''फैसला सुरक्षित'' है कहा गया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हां। यही स्थिति देश के अधिकांश न्यायालयों में व्याप्त है। मैं उक्त खंड में उल्लिखित प्रावधानों से सहमत हूं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ बातों को स्पष्ट किया जाए। सबसे पहले न्यायालय को किसी मामले पर फैसला सुनाने के लिए 30 दिनों का समय देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन 60 दिन और क्यों दिए जाने चाहिए। किसी भी मुंसिफ अथवा न्यायाधीश को 60 दिन क्यों चाहिए। जबकि शुरू में 30 दिनों की व्यवस्था है।

सभापति महोदय: राधाकृष्णन जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इस संबंध में सम्बद्ध खंड का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> ''मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय निश्चित समयावधि के भीतर सुनाया जाएगा। प्रस्तावित सामान्य नियम यह है कि निर्णय तुरन्त सुनाए जाएं किन्तु जहां ऐसा करना साक्ष्य नहीं है, वहां न्यायालय उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाने का प्रयास करेगा।

महोदय, इस कार्य के लिए 30 दिन का समय पर्याप्त है। यदि किसी असाधारण परिस्थिति के कारण न्यायाधीश उस अवधि के भीतर फैसला नहीं सुना पाये, तो उसे और 60 दिनों का समय विस्तार क्यों मिलना चाहिए? यह आवश्यक नहीं है। इस अवधि को घटाकर 30 दिन किया जाना चाहिए। हम मामलों का शीघ्र निपटान चाहते हैं।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं आपकी व्यवस्था मानूंगा। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहूंगा। कुल मिलाकर मैं इस संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। जब तत्कालीन विधि मंत्री श्री राम जेठमलानी ने सिविल प्रक्रिया संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता से संबंधित विधेयक को इस सभा में पेश किया था तब मैंने उसका सख्त विरोध किया था।

उन्होंने मुझे गलत समझा और मुझसे सहमत नहीं हुए। तब मैंने उनसे कहा कि वह वास्तव में देश में दंड विधि प्रशासन के साथ अन्याय कर रहे हैं और यदि वह दंड प्रक्रिया संहिता में यह संशोधन करते हैं तो सारा वकील समुदाय उनके विरुद्ध हो जाएगा। मैंने यही शब्द बोले थे जब उन्होंने उस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया था। परिणाम क्या हुआ? विधेयक तो पारित हो गया लेकिन अधिनियम के उपबंध आज तक कार्यान्वित नहीं हो पाए हैं। इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। सारा वकील समुदाय इसके विरोध में सड़कों पर उतर आया।

वे संघर्ष की राह पर थे। अंततः परिणाम यह हुआ कि सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को कार्यान्वित नहीं करने या इसे अधिसूचित नहीं करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हालांकि वकीलों के समुदाय के बीच विचारों की सर्वसम्मति है लेकिन विधि आयोग की सोच हमेशा सही नहीं होती। वे समय के साथ नहीं चल रहे हैं। वे कई ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं

जो बिल्कुल ही अव्यावहारिक हों। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हमें उन्हें अस्वीकार करना पड़े। मैं विधि आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं हूं।

परन्तु वकील समुदाय को व्यावहारिक अनुभव है। उनमें सर्वसम्मति है। मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। इसे पारित होना है। इससे सिविल विधि प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा तथा काफी लम्बे समय से लंबित सिविल विवादों का बिना और देरी के निपटान हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करने वाले इस बहुत ही महत्वपूर्ण विधान का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं मिलने के बराबर हैं और इस विधेयक ने निश्चित तौर पर इस पहलू की जांच की। माननीय विधि मंत्री जी का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। वह संपूर्ण विधि प्रणाली और प्रक्रिया को गति प्रदान करना चाहते हैं ताकि न्याय मिलने में देरी न हो। इतना कहने के बाद मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में कई ऐसे उपबंध शामिल किए गए हैं जो न्याय प्रक्रिया में तेजी लाएंगे परन्तु जिस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी को वास्तव में बधाई देना चाहता हूं वह यह है कि उनके पास इस विधयेक पर सर्वसम्मति है। उन्हें सर्वसम्मति केवल इस सदन से ही नहीं मिली है बल्कि वकील समुदाय और आम जनता से भी मिली है।

महोदय, यह विधेयक पहले भी पुर:स्थापित हुआ था परन्तु उस समय कुछ गतिरोध थे। यहां माननीय विधि मंत्री ने वास्तव में जनता के पास जाकर उनसे बात करने का प्रयास किया है। अब इस पर दो प्रकार की राय हो सकती है कि जबकि हम उनके लिए आम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है। परन्तु जनता के बीच आम भावना यह है कि यह विधेयक काफी पहले लाया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक को पारित करवाने में शीघ्रता करनी चाहिए।

महोदय, मैं कुछ उपबंधों का भी जिक्र करना चाहूंगा। एक उपबंध ब्यादेश से संबंधित था। पक्षकार द्वारा इस ब्यादेश का इस्तेमाल मुख्य: इसके दुरुपयोग के रूप में हो रहा था। मैं समझता हूं कि इस संबंध में कुछ किया गया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास वास्तव में कैसे किया है ताकि ब्यादेश का गलत इस्तेमाल न हो सके।

1940 तक एक माध्यस्थम् अधिनियम हुआ करता था। विश्व के अधिकांश देश आज इस माध्यस्थम् से आगे निकल चुके हैं।

अपराह्न 2.58 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

हमारे पास यहां माध्यस्थम् अधिनियम था। हमने इस माध्यस्थम् अधिनियम के बारे में कहानियां सुनी थीं क्योंकि यह जनता के हित में नहीं था। माध्यस्थम् अधिनियम का अर्थ यह है कि न्यायालय के बाहर कुछ उपाय किया जाए और न्याय मिलने में देरी न हो। परन्तु मैं समझता हूं कि जिस समय यह माध्यस्थम अधिनियम पुर:स्थापित किया गया, यह ठीक ही था। लेकिन बाद में यह दिशा भटक गया और इसमें समस्यायें आ गई।

महोदय, इस विधेयक में न्यायालय से भेजे जाने वाले सम्मनों का प्रश्न है। इसमें ये सम्मन होने चाहिए। अब, समय बदलने के साथ-साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है; हमारे पास प्रचलित डाक सेवाओं से बेहतर सेवाएं हैं; और हमारे पास कूरियर प्रणाली भी है जिसका इस्तेमाल हम न्यायालय के सम्मनों को भेजने के लिए भी कर सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इस विधेयक में और उपबंध है कि 25,000 रुपए तक की वसूली के मामले में दूसरी बार अपील नहीं हो सकती। एक समय था जब 20,000 रुपए मूल्य तक के मामले उच्चतम न्यायालय तक जा सकते थे। परन्तु अब, उस राशि का मूल्य कुछ भी नहीं है, इसलिए यह उपबंध किया गया है। इसीलिए, इस विधेयक से उस समस्या का भी समाधान हो जाता है।

मैं मंत्री जी से आयुक्तों के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं। आयुक्तों के बारे में कई संशय हैं-आयुक्त कौन बनने वाला है, आयुक्तों की नियुक्ति वे कैसे करने वाले हैं, क्या वे मौखिक बहस की प्रणाली का दुरुपयोग करेंगे, इत्यादि। हमें यह समझाया जाना चाहिए क्योंकि आयुक्त भी दुरुपयोग कर सकते हैं; और हमें या जनता को या पक्षकार को कोई भरोसा नहीं रहेगा या फिर जनता को इस बारे में संदेह हो सकता है कि आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त होने वाला है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए। यह विधेयक केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में और दंड प्रक्रिया संहिता इस विधेयक के दायरे से बाहर है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में भी कुछ किया जाना

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

चाहिए जैसा कि उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में किया है। हमने दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी है और लोग हत्याएं आदि करके भी बच निकलते हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में भी वैसा ही किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): सभापति महोदय, मैं सामान्य रूप से माननीय विधि मंत्री जी द्वारा लाए गए इस अति महत्वपूर्ण संशोधन का स्वागत करता हूं।

1999 में विधेयक को पारित करते समय हमें इस बात की आशंका थी कि अधिनियमन होने के पश्चात् उस विधेयक में परेशानी होगी। उस विधेयक का आशय विधिक कार्यवाहियों में विलम्ब से बचना था इसके लिए उसमें काफी पाबंदियां लगाई गई थी जिनसे वकील भी सहमत नहीं थे। इस प्रणाली को चलाने में वकील स्तम्भ का काम करते हैं और इसलिए, इसे करने में उन्हें कुछ सहुलियतें मिलनी चाहिए।

खैर, मुझे खुशी है कि उन सब बातों पर गौर करके माननीय विधि मंत्री जी ने एक काफी व्यापक और लचीला विधेयक पेश किया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, मैं सामान्य रूप से इस विधेयक से सहमत हूं। परन्तु मुझे धारा 100क के प्रति घोर आपत्ति है जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के निर्णय की अपील को निषिद्ध किया है। यह एक खतरनाक उपबंध होगा। वास्तव में, इसका मकसद तो अच्छा है। इसका उद्देश्य विलम्ब होने से बचना है और हम इसे समझते हैं। परन्तु कई मामलों में, एकल न्यायाधीश के निर्णयों को अपीलों में रद्द किया गया। अपीलों में उन पर पुनः परीक्षा कराई गई और ऐसे मामलों में न्याय हुआ। इसलिए किसी मामले में विलम्ब हो या न हो, हम विशेषकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत किसी नागरिक के 'अपील के अधिकार' पर रोक नहीं लगाएंगे जैसा कि उन्होंने उस उपबंध में कहा है।

धारा 100क कहती है:

> "किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का पता रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,.....
>
> (ख) जहां किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन किसी आवेदन पर कोई रिट, निदेश या आदेश जारी किया जाए।
>
> तो ऐसे एकल न्यायाधीश के अधिनिर्णय, निर्णय या आदेश से आगे और कोई अपील नहीं होगी।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 को मौलिक अधिकारों और न्यायालयों की शक्तियों का वास्तविक परीक्षण माना जाता है। अनुच्छेद 226 से तो संविधान के संदर्श का विस्तार ही हुआ है। संविधान सभा के दिनों में यह वकीलों के लिए स्वर्ग था; इसके अलावा, अनुच्छेद 226 भी था। सभी उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीशों का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, जब तक कि हम कुछ सुरक्षात्मक उपाय न कर लें कि किसी एकल न्यायाधीश के आदेशों पर अपील की जा सके, यह कठिन होगा।

मैं अब धारा 102 के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। वर्तमान में 25000 रुपए तक के लिए अपील नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस राशि को, यदि संभव हो तो, बढ़ा कर 50,000 रुपए कर दिया जाए क्योंकि आज के समय में 25,000 रुपए की कोई कीमत नहीं है। मैं इसकी जोरदार वकालत नहीं कर रहा हूं परन्तु माननीय विधि मंत्री को इस पर गौर करना चाहिए।

सम्मन जारी करने संबंधी विषय के बारे में, मैं समझता हूं कि हमें कोई नया तरीका अपनाना होगा। मैं माननीय विधि मंत्री से पूर्णतः सहमत हूं परन्तु अभिवचन भी नितान्त आवश्यक है। कानूनी भाषा में यह आम बात है। अभिवचन के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं। अभी भी इसे किया जा रहा है लेकिन इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके संशोधन की अनुमति मिलनी चाहिए।

आयोग द्वारा साक्ष्य लिये जाने के बारे में मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे विद्वान मित्र ने यह सुझाव दिया है। मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं परन्तु साथ ही साथ हमारे यहां आयोगों की व्यवस्था है जिनके अंतर्गत कनिष्ठ वकील सम्पत्ति का निरीक्षण करते हैं। इस दौरान गवाह को उपस्थित रहने की अनुमति है। वे आयोगों को वहां जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप ऐसी शर्त नहीं रख सकते कि दस साल की प्रैक्टिस या ऐसा ही कुछ कर चुके वकील को ही आयोग में नियुक्त किया जाए? विधि मंत्री को आयोगों की नियुक्ति में कमियों की जानकारी है। जब कोई न्यायाधीश किसी गवाह को सुनता है, विशेषकर दंड विधि में तो वह उसके द्वारा करे गए शब्दों के आधार पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। पीठासीन अधिकारी या न्यायाधीश द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। आयोग यह नहीं कर

सकता। आयोग यह नहीं लिख सकता कि उसकी भाव-भंगिमा ऐसी है। यह भी एक तथ्य है। वह ऐसा नहीं कर सकता। यह एक अति सूक्ष्म बात है।

निरीक्षण आयोग में काफी कनिष्ठ लोग भी हैं। इस मामले में, आयुक्त या वरिष्ठता विशेष वाले किसी वकील को ही चुना जाना चाहिए। मेरे विचार से उसे इससे जुड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। नि:संदेह, मैं पूर्णत: सहमत हूं कि निणय दो वर्षों में होते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इससे अलग नहीं है। उच्च न्यायालयों में कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें वे अपनी ही मर्जी से 'दुबारा' सुनवाई होगी या 'गवाह को दुबारा बुलाया जाए' कह देते हैं। यह बीमारी उच्च न्यायालयों में ज्यादा देखी जाती है। इसलिए, इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय राधाकृष्णन जी ने सुझाया है, हमें 60 दिन क्यों चाहिए? हमें केवल 30 दिन चाहिए क्योंकि गवाहों और दस्तावेजों की जांच के तुरंत बाद न्याय हो जाना चाहिए। यह एक काफी महत्वपूर्ण धारा है। निर्णय समय पर होना चाहिए ताकि तदनुसार कैलेण्डर नियत हो सके।

महोदय, जैसा कि मेरे विद्वान सहयोगी ने उल्लेख किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता और हमारी न्यायिक प्रणाली में सिविल प्रक्रिया ठीक-ठाक है। परन्तु हमें दंड प्रक्रिया के बारे में कुछ गंभीर विचार करना होगा जिसमें काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी भी, प्रत्येक न्यायालय में कई अपराधिक मामले लंबित है।

इसलिए, मैं समझता हूं कि हमारे विधि मंत्री जैसा कोई वकील दंड प्रक्रिया संहिता और दंड विधि प्रणाली को एक नया रूप देने के विषय पर गंभीर विचार करेगा और एक व्यापक विधेयक लाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं सामान्य रूप से इस विधेयक का स्वागत करता है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं अपनी तथा द्रमुक पार्टी की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

महोदय, विलंब से बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है। सही समय पर यह विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूं। महोदय, तत्कालीन मंत्री ने जब यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तब संसद के बाहर हो हल्ला मचा था। वकीलों ने इस विधेयक के विरोध में आंदोलन किया था। अब मंत्री महोदय ने काफी प्रयासों और सभी वकीलों तथा बार एसोसिएशन के साथ परामर्श करने के उपरांत यह विधेयक पेश किया है।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य तामील न करने की प्रक्रिया में संशोधन करना है। इसमें समन तामील करने का काम कूरियर सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों को सौंपने की बात कही गई है। महोदय, मैं इसके विरुद्ध हूं क्योंकि जब कोई समनवाहक अथवा डाकिया तामील करता है, तो समन अभियोजनकर्त्ता के पास ठीक-ठाक पहुंच जायेगा और सरकारी कर्मचारी होने के नाते यदि समन सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। हमें अपने अधिवक्ताओं और अभिनियोजनकर्त्ताओं की जानकारी है। वे समन वाहकों को कुछ ले देकर विलंब करवा सकते हैं। अत:, माननीय मंत्री को समन तामील करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा।

महोदय, विधेयक में यह भी कहा गया है कि न्यादेश प्राप्त होने के पश्चात्, अभियोजनकर्त्ता को इसके लिए जमानत देनी चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता में यही प्रक्रिया दी गई है क्योंकि आरोपित व्यक्ति जमानत के लिए भाग-दौड़ करता है। इसीलिए उसके लिए जमानत देना अपेक्षित है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि फौजदारी के मामलों में भी अभियोजक से जमानत प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, इसके बारे में बताएंगे। गरीब आदमी न्यायालय में जाकर न्यादेश प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जमानत की व्यवस्था करने में उसे अधिक समय लग जाता है। मेरे विचार से, मंत्री महोदय इस पर पुन: विचार करेंगे।

महोदय, माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि विलंब से बचने के लिए, आयुक्त महोदय जांच-पड़ताल करेंगे। मेरे विचार से, आयुक्त अपना कार्य करने में समर्थ होंगे। परंतु दण्ड न्यायालयों में विशेष तहसीलदार गवाहों द्वारा दिए गए बयान दर्ज करेंगे। अधिवक्ता द्वारा कही गई बातें दर्ज की जायेंगी परंतु हम आसानी से उन्हें प्रलोभित कर सकते हैं। यहां तक कि उनके सामने पेश होने के लिए विवादी डरते हैं और वे सही ढंग से बयान नहीं दे पाते। अत:, मेरे विचार से, यह प्रावधान लागू नहीं किया जाना चाहिए। अत:, केवल मुंसिफ कोर्ट को ही किसी व्यक्ति की जांच रिकॉर्ड करनी चाहिए। केवल तभी हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

बड़े स्तर की जांच में, शपथ-पत्र प्रणाली शुरू की गई है। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे संभव है। अधिवक्ता अपने मुवक्किलों की जानकारी के साथ या उनके बिना ही शपथ-पत्र दर्ज करते हैं। वह उसमें जो चाहे दर्ज कर सकता है। जब मुख्य परीक्षा ली जाती है, उसी दिन प्रति परीक्षा भी ली जानी चाहिए। उससे न्यायालय को मदद मिलेगी। दूसरे, शपथ-पत्र दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मेरे विचार से वादी के साथ ही

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

शपथ-पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। परंतु इस संशोधन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं, सामान्य तौर पर, इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं क्योंकि विलंब से बचने के लिए आप इसे सही वक्त पर लाये हैं। 25,000 रुपये से अनधिक के लिए दुबारा अपील नहीं की जाती। यह एक बहुत अच्छा संशोधन है क्योंकि आजकल बहुत से मामलों में, वे न्यायालय की शरण नहीं लेते। संभवत:, पंचायत स्तर पर, वे मामले का निर्णय कर रहे हैं क्योंकि उनका न्यायालय में विश्वास नहीं है। अत: यह एक अच्छा प्रयास है।

द्रविड़-मुनेत्र-कषगम की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मैं सिविल-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैंने राज्य समन में विधि मंत्री जी द्वारा दिया गया भाषण कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य-न्यायाधीशों को पत्र लिखा था और लंबित मामलों की संख्या के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए कहा था। कुछ न्यायालयों ने सकारात्मक उत्तर दिए है; कुछ ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के अंतर्गत, वे उन्हें जानकारी नहीं दे सकते।

मैं इसी बात से अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूंगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की है कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि संसद सर्वोच्च है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। हो सकता है कि विधि-मंत्री महोदय को मालूम हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्हें सभा को इसकी जानकारी देनी चाहिए क्योंकि वह इस सदन के प्रति उत्तरदायी है।

ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्मरण कराया जाना चाहिए कि उन्हें लंबित शेष मामलों संबंधी संपूर्ण ब्यौरे का खुलासा करना चाहिए। यदि वे मनुष्य को श्रेष्ठतम मानते हैं तो उन्हें अपने कर्त्तव्य पालन का उल्लेख किसी पुस्तक में करने की आदत नहीं होनी चाहिए। शेष संपूर्ण समाज की यह प्रवृत्ति आदतन होनी चाहिए क्योंकि लोग संप्रभु है। यह सभा भी संप्रभु है क्योंकि यह लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। यह संविधान की मूल-भावना का प्रतीक है। उनका कहना है कि संविधान सर्वोच्च है, परन्तु मेरा कहना यह है कि यह सभा सर्वोच्च है। अत: सरकार के लिए संविधान के ऊपर संसद की सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए यह अति उपयुक्त समय है।

माननीय विधि मंत्री यह दावा करते हैं कि लंबित मामलों की संख्या कम हो गई है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 1.2 लाख से घटकर लगभग 20,000 रह गई है। यह किस प्रकार संभव हुआ? एक सरल उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन लोगों के आजीवन कारावास का दण्ड दिया और उसकी पुष्टि भी हो गई थी। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की परंतु उसे आरंभ में ही निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार मामलों की संख्या कम की गई। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में वे इसे रद्द कर रहे हैं और याचिकाकर्त्ता को दुत्कार रहे हैं। जब उच्चतम न्यायालय ही आजीवन कारावास की स्थिति में याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है तो फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि न्याय सभी को समान रूप से उपलब्ध है? आप प्रस्ताव स्वीकार करके उस पर एक दिन विचार करके फिर निर्णय देते हैं परंतु वे ऐसा भी करने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए विधि मंत्री को यह उत्तर मिला कि वे आंकड़े देने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी को इस वजूद का अहसास होना चाहिए कि उनके ऊपर उच्च न्यायपालिका तथा संवैधानिक न्यायालय भी हैं। जब तीन व्यक्तियों को अपने अपील संबंधी दस्तावेजों के साथ उच्चतम न्यायालय में घुसने तक का भी अधिकार न दिया जाना हो तो फिर राष्ट्र को इसका क्या फायदा?

संविधान के अनुच्छेद 145 में कहा गया है:

> संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्:-

तत्पश्चात्, जमानत और रोक आदेश प्राप्त करने संबंधी खण्ड हैं। हमने समिति में, इस प्रश्न पर चर्चा की है। अनादि-साहू जी यहां मौजूद है। हमने चर्चा की थी कि उच्चतम न्यायालय ने जो नियम बनाये थे, उन्हें संविधान के लागू होने के पश्चात सभा पटल पर रखा गया है या नहीं और श्री अनादि साहू ने भी अपनी बात रखी थी।

कार्यपालिका और संसद स्वतंत्र है। परंतु कुछेक मामलों में हमारा संविधान लचीला है। हम एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहते हैं। संसद अनुच्छेद 124 के तहत न्यायपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप करती है। आप महाभियोग लगाने के लिए नियुक्तियां कर सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सत्यापन के मामले में कार्यकारिणी का भी ध्यान रखा जाता है। अत:, हमें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में आसानी से हस्तक्षेप कर सकते हैं और हम परस्पर

अन्योन्याश्रित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब उचित समय आ गया है कि विधि मंत्री और उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें जिससे हम आम आदमी को न्याय प्रदान कर सकें।

लोक अदालत की स्थापना की गई थी परंतु वर्ष 1987 में इसे संसद की स्वीकृति मिल गई थी। उससे पहले, संसद की स्वीकृति के बिना भी लोक-अदालतें काम कर रही थी। 1987 से पूर्व उस पर संसद की मोहर नहीं लगी थी।

आयुक्त संबंधी उपबंध में कहा गया है कि साक्षी, वादी अथवा प्रतिवादी की जांच करते समय यदि न्यायाधीश सच्चाई का पता लगाना चाहता है, तो उसे उसकी आंखों में आंखे डालकर देखना होगा। अपना फैसला लिखते समय, उसे पूरे मामले की जानकारी होनी चाहिए। उसे इस बात की पूर्व जानकारी होनी चाहिए कि साक्ष्य के समय वादी और प्रतिवादी के बीच क्या आदान-प्रदान हो चुका है। आयुक्त वहां साक्ष्य लेने के लिए मौजूद होता है। अपना फैसला लिखते समय पीठासीन अधिकारी समुचित रूप से विचार नहीं भी कर पाते। आप इसे संक्षिप्त बनाना चाहते है। यह स्वागत योग्य प्रक्रिया है। ऐसा न हो कि इसे संक्षिप्त बनाते समय आप कहीं न्याय को संक्षिप्त न बना दें। न्याय को कम नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक अनुच्छेद 226 तथा 227 का संबंध है, मैं माननीय विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे विचार से इसे छोड़ दिया गया है। अपील के संबंध में प्रावधान है। उसमें रिट याचिका की व्यवस्था है *...(व्यवधान)* जनहित याचिका की आड़ में ऐसा किया जाता है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: श्री जोस ने भी यह प्रश्न उठाया है। जो प्रति परिचालित की गई है, उसमें वर्तमान संशोधन के साथ-साथ 1999 का संशोधन भी है, अत: आप तथा श्री जोस 1999 के संशोधन के खंड 100क का उल्लेख कर रहे थे। यदि आप वर्ष 2001 के संशोधन खंड 4 को देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है *...(व्यवधान)* वर्तमान उपबंध इस प्रकार है:

> "100क. किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पैटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।"

अत: यदि कोई एकल न्यायाधीश अपने अपीलीय न्यायक्षेत्र के अंतर्गत निर्णय देता है तो खंडपीठ में दुबारा अपील नहीं की जाती। सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करनी पड़ती है। आजकल स्थिति यह है कि सिविल जज के निर्णय पर जिला न्यायालय में अपील की जाती है और तत्पश्चात् उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। अब हम खंड पीठ और उच्चतम न्यायालय में क्रमश: चौथी और पांचवीं अपील की व्यवस्था नहीं करेंगे।

किसी व्यवस्था में जहां चार और पांच बार अपील करने की व्यवस्था है, वहां वादी इसके बोझ तले दब जाता है और यह उसके हित में नहीं होता। अत:, यदि अपने मौलिक-न्यायक्षेत्र के तहत एकल न्यायाधीश अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत किसी मामले में निर्णय देता है तो नि:संदेह एक बार अपील करने का अवसर देना पड़ेगा। यह अपील खंडपीठ में की जाती है। परंतु यदि एकल न्यायाधीश अपीलीय न्यायक्षेत्र संबंधी मामलों में निर्णय देता है, तो खण्डपीठ में आगे अपील नहीं की जा सकती *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: तो याचिका न्यायक्षेत्र के अंतर्गत, आप रिट अपील कर सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): एकल जज पीठ के निर्णय के पश्चात् वह उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: ऐसा रिट अपील के लिए है। हमने एकल जज द्वारा अपीलीय न्यायक्षेत्र के अधिकार का प्रयोग करने पर ही खंडपीठ में अपील दायर की है। रिट न्यायक्षेत्र *...(व्यवधान)* कारण यह है कि रिट अपील नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: मेरे विचार से उसमें रिट अपील का प्रावधान है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: रिट अपील नहीं है।

श्री अरुण जेटली: रिट कोई अपील नहीं है। यदि कोई एकल जज रिट-याचिका की सुनवाई करता है तो हमें कम से कम एक बार अपील करने का अधिकार देना पड़ेगा क्योंकि यदि वह निर्णय गलत हो, तो सारे देश के वादी केवल उच्चतम न्यायालय में ही नहीं जायेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, खंडपीठ के पश्चात अपील नहीं की जा सकती। परंतु यदि कोई एकल न्यायाधीश

[श्री अरुण जेटली]

अपने अपीलीय न्यायक्षेत्र के अंतर्गत किसी मामले पर सुनवाई कर रहा है तो अर्थात् यदि अधीनस्थ न्यायाधीश ने उस पर सुनवाई की हो और एकल न्यायाधीश ने अपील की सुनवाई की हो, और कुछ मामलों में एकल न्यायाधीश दूसरी अपील के तौर पर भी इसकी सुनवाई कर सकता है-तो फिर दूसरी अपील या तीसरी अपील के तौर पर खंड पीठ में अपील करने की गुंजाइश नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आपके पास कोई उपाय होगा किंतु उससे मामला खत्म हो जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं माननीय विधि मंत्री को रिट अपील का प्रावधान करने और उस अधिकार से वंचित न करने के लिए धन्यवाद करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: वह उस अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं?

श्री पी.एच. पांडियन: उन्होंने रिट के अधिकार क्षेत्र को नकारा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: किसी न्यायाधीश की अपीली शक्तियों के अनुसरण में अपील नहीं की जा सकती है। उसके विरुद्ध दोबारा अपील नहीं हो सकती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर कोई रोक नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: आप अपना अधिकार क्षेत्र चुन सकते हैं। न्यायपालिका के किसी भी सदस्य का अनादर न करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पिछले महीने कहा था कि 20 प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्ट है। यह मैंने नहीं कहा। यह सभी अखबारों में छपा था। सरकार इसके बारे में क्या करेगी? मंत्री महोदय क्या आपने मुख्य न्यायाधीश जी से इस बारे में बात की? उन्होंने ऐसा कहा है।

अब, मैं जनहित याचिका की बात करता हूं। जनहित याचिका कार्यपालिका की कार्रवाई के समानांतर होती है। जनहित याचिका समानांतर प्रशासन है। हमने 'बालको' मुद्दे पर नियम 184 के अंतर्गत एक दिन की चर्चा की थी। वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तब कोई जनहित याचिका के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय तक ले गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि "यह नीतिगत निर्णय है। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जनहित याचिका के मुकदमे में नहीं जा सकते" मेरे कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय को अपने निर्णयों में संगत होना चाहिए यदि संगतता है, यदि संविधान के अनच्छेद 141 के अंतर्गत सुनिश्चितता है तो उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सीएनजी के संबंध में इसने अपने ही नीतिगत निर्णय को स्वयं पलट दिया। जनहित याचिका के मुकदमों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के 145वें अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ मार्गनिर्देश बनाने चाहिए। संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करती है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी है। अत: मैं माननीय विधि मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह न्यायपालिका से बातचीत करें। बातचीत करना न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। बातचीत करनी चाहिए। लोकतंत्र में तीनों अंगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। अत: मैं माननीय विधि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बातचीत करें।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जहाँ तक पहले विधेयक का संबंध है वकील उसका विरोध कर रहे थे। अब मैं समझता हूं कि समाज का वह वर्ग, वकील बिरादरी इसे स्वीकार कर लेगी। अत: मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, कानून मंत्री जी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, (संशोधन) विधेयक, 2002 लाए हैं, उसका मैं और मेरी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। यह बिल बहुत दिनों से पैंडिंग था। उचित समय पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अगर न्याय करना है, न्याय सहज और सुलभ बनाना है तो वह न्यायिक सुधारों से होगा।

इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने भाषण करते हुए वादा किया था कि कानूनी प्रक्रियाओं में संशोधन शीघ्र किया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने यह भी वादा किया था कि जो गरीब लोग हैं, उपेक्षित हैं, निरक्षर हैं, उनको सहज और सुलभ न्याय मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारा मुल्क बहुत बड़ा गणतंत्र है। हमारे देश की आबादी 103 करोड़ के करीब है और हमारे देश की सीमाएं भी काफी लम्बी हैं। हमारे देश में ज्यादातर गरीब और निरक्षर लोग रहते हैं। आज की न्याय प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी है। इसके लिए जो संशोधन विधेयक कानून मंत्री जी लाए हैं, वह समय पर लाया गया संशोधन है। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि एन.डी.ए. की सरकार गरीबों, निरक्षरों और आम जनता को शीघ्र और समय पर न्याय देने के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि देश में 1700 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी। लेकिन अभी तक कुल 1703 करोड़ रुपए ही इस काम के लिए

आबंटित किए हैं। इस पैसे से 1433 फास्ट ट्रैक अदालतों का ही गठन हो सका है। लोगों को शीघ्र न्याय देने के लिए जो वचनबद्धता प्रधान मंत्री जी ने की थी, बाकी की अदालतों का शीघ्र गठन हो उसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे का आबंटन किया जाए। न्याय सभी की पहुंच में हो, इस बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 'ए' में दर्ज किया गया है। कोई भी अपनी आर्थिक गरीबी के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे लेकिन हमारे देश की आबादी का एक भारी प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए न्याय प्रक्रिया कठिन और जटिल है। उसमें वादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी का जवाब, विटनैस अमेंडमेंट, न्यायालय का एडजर्नमेंट, वकीलों का हाजिर न रहना, कभी जस्टिस का हाजिर न रहना, आदि जैसी लम्बी प्रक्रिया के बाद पांच साल मुकदमा ओरिजनल कोर्ट में चलता है। उसके बाद जब न्याय होता है तब अपील पर प्रति अपील, हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील, कभी-कभी केस को रिवाइव भी किया जाता है। हमारे यहां एक कहावत है कि अगर बाप ने न्याय मांगा तो बेटे को भी न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय की इतनी जटिल प्रक्रिया है। मैं कानून मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि वे उचित समय पर यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं।

लोक अदालतें भी कारगर ढंग से काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस समय 22047 मुकदमे न्याय की राह देख रहे हैं। उच्च न्यायालय में 35.16 लाख केसेज पेंडिंग हैं। हमारे सत्र न्यायालय में दो करोड़ से भी अधिक केसेज पेंडिंग हैं। लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा? न्यायिक अधिकारी, जस्टिस 13000 है। सत्र न्यायालय में दो करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी मुकदमे पेंडिंग हैं। अगर इनमें न्याय देना है तो जस्टिस की पोस्ट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी पटना में जस्टिस की भारी कमी के कारण कितने दिन वकीलों का आंदोलन हुआ। एक कहावत है:

[अनुवाद]

"विलंबित न्याय न्याय नहीं है।"

[हिन्दी]

अगर वक्त पर न्याय नहीं दिया तो न्याय नहीं हो सकता। इसके लिए मैं कानून मंत्री जी से गरीब जनता के लिए सरल और सुलभ न्याय देने के लिए अपील करूंगा और इसके लिए जो भी संशोधन की जरूरत है और सिविल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन लाए हैं, धारा 39 और 64 में संशोधन हो रहा है, उसी तरह से क्रिमिनल कोड में भी संशोधन की जरूरत है। हमारे प्रधान मंत्री जी की वचनबद्धता, एनडीए सरकार की वचनबद्धता है कि समय पर सरल और सुलभ न्याय के लिए कदम उठाए क्योंकि अगर समय पर न्याय नहीं मिलता है तो इससे लोगों में असंतोष फैलता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, वर्तमान विधेयक में माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि न्याय में बड़ा विलम्ब होता है और इस विधेयक के लाने से जल्दी-जल्दी न्याय मिलेगा, मुख्य बात यही है। कुछ और संशोधन लाए हैं। 1999 में भी एक विधेयक आया था, उस पर बहस हुई थी और वह पारित भी हुआ था।

जब पहले बिल पारित हुआ, तो बड़ा भारी आन्दोलन हुआ और पारित बिल पारित ही रह गया। अब यह विधेयक वकील, बार एसोसिएशन, कमीशन आदि से विचार करके और सुधार करके लाए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं, पहले वाला विधेयक जल्दी न्याय देने वाला था या यह विधेयक, जो सुधार करके लाए हैं, जल्दी न्याय देने वाला है। ला-कमीशन के चेयरमैन, श्री जीवन रेड्डी ने धमकी दी थी कि अगर इस विधेयक में सुधार करेंगे, तो वे त्यागपत्र दे देंगे। इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। कानून प्रक्रिया में न्याय के चार पक्ष हैं-एक कानून है, दूसरे जज साहब हैं, तीसरे वकील साहब हैं और चौथे मुवक्किल साहब हैं। इसके अलावा पांचवें कानून मंत्री हैं। जाधव साहब आंकड़े दे रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट में जजेज के 647 पद मन्जूर हैं, लेकिन 180 पद खाली हैं। यह जानकारी मेरे पास पहले की है। कानून जितना भी जल्दी-जल्दी न्याय मिलेगा से संबंधित बना दिया जाए, लेकिन जब जज साहब ही नहीं रहेंगे, तो न्याय कैसे जल्दी होगा। इसके अलावा दो करोड़ केसेज लोअर कोर्ट में हैं, 34-35 लाख हाई कोर्ट में हैं और 25-26 हजार सुप्रीम कोर्ट में है। अब तो इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी का जमाना है, तुरन्त जानकारी मिलनी चाहिए कि कितने केसेज कहां लम्बित हैं। बिहार में तो पहले ही शुरू हो गया कि कहां कितने केसेज लम्बित हैं। हम रिपोर्ट देख रहे थे, तो पता लगा कि हाजीपुर कोर्ट, सीतामढ़ी कोर्ट और मुजफ्फरपुर कोर्ट में कितने केसेज लम्बित हैं। स्थिति में सुधार तब होगा, जब जजेज की बहाली हो जाए। इसके बाद प्रश्न वकील का आता है। यह विधेयक वकीलों से बात करके बनाया गया है, उन्होंने इस सवाल पर तीस हजारी कोर्ट से पटियाला कोर्ट तक बड़ा भारी जुलूस निकाला। वे कहते हैं कि इससे उन्हें खतरा है। उनकी संख्या छः लाख है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? कुछ वकील तो मंत्री जी के बराबर में हैं, जिनको पांच-सात लाख रुपए फीस मिल जाती है और केस भी पूरे नहीं कर पाते हैं। कुछ वकील खाने-कमाने लायक हैं, लेकिन कुछ वकीलों के पास तो बैठने तक के लिए साधन नहीं है। कोर्ट में जायेंगे, तो आपको पता लगेगा,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

वे कुर्सी और टेबल में सैंगड़ी लगाकर ताला लगाए हुए हैं। ऐसे वकील तो खौमचे वालों से खरीद कर खाते-पीते रहते हैं।

[अनुवाद]

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के निदेशक श्री एन.एल. मित्रा कहते हैं: दिल्ली में हाल ही में हुए आन्दोलन के दौरान जब मैंने एक व्याकुल युवा वकील से उसके विचार पूछे तो उसने गुस्से में यह जवाब दिया:

[हिन्दी]

'हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। बाल-बच्चों को भूखा मारेंगे।'

[अनुवाद]

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ये संशोधन शब्दशः लागू कर दिए जाते हैं तो निचले स्तर की वकील बिरादरी भूखी मर जाएगी।''

[हिन्दी]

यह उनकी फीलिंग है, लेकिन मंत्री जी कानून लाए हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। यह ब्यान नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया के डायरैक्टर का है।

[अनुवाद]

''दीवानी अदालत में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं।''

[हिन्दी]

इन्होंने चेंज क्या किया? पहला नम्बर यह है कि नोटिस जारी करने में विलम्ब होता है। परम्परागत नोटिस जारी का है कि रजिस्टी कर दी जाए। उनके यहां जो रजिस्ट्री लेकर जाता है तो उसकी उनसे भेंट नहीं हुई। उसने लिख दिया कि भेंट नहीं हुई और वापस लौटा दिया। उसके बाद में फिर दोबारा कोर्ट का चपरासी वहां उसे खोजने के लिए जाता है। वह बेचारा इधर-उधर घूम कर उनके बारे में पूछता है, जब उनका कहीं से पता नहीं चलता है तो वह दोबारा वापस आ जाता है। उसके बाद फिर दोबारा जाता है, तब भी उनके न मिलने पर उनके घर पर नोटिस बोर्ड पर टांग कर आ जाता है कि हम आए थे, आप नहीं थे, इसलिए हमने नोटिस टांग दिया। अब इसकी भी कोर्ट में गवाही होगी कि नोटिस तामील हुआ या नहीं, यानी नोटिस तामील में छः महीने या सालभर होता है। अब फेक्स और कुरियर भी हैं। कानून बनाने में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, नीयत ठीक एव शुद्ध रहे और जल्दी न्याय मिल जाए तब तो फायदा है। नोटिस के लिए एक ही समय में पार्टी मुस्तैद हो अखबारों में भी नोटिस आता है। अखबारों में गजट हो जाए, छप जाए और सब जान जाएं। फिर फेक्स और विभिन्न जरिए हैं, जिससे हो सकता है, लेकिन इसमें हमने देखा है कि इतना लिटिगेशन है। कानून सुधार में लिटिगेशन पर लिटिगेशन और बढ़ेगा, साबित ही नहीं हो सकेगा। सरसरी निगाह से शुरू में नोटिस बना दिया कि मामले होने के 30 दिन के अंदर, उसमें आपत्ति हुई कि यदि 28 दिन में पहुंचेगा तो दो दिन में कैसे कोई जवाब देगा। जो जवाब देना है, जो बयान तहरीर और जवाब देने वाले लोग होंगे, वे कैसे बयान दे सकेंगे। इसें कुछ सुधार किया है, लेकिन इसमें साफ कानून संक्षेप में होना चाहिए। असली प्वाइंट हमारा यह नहीं है, लिटिगेशन डिले होता है तो उसमें सबसे ज्यादा खर्चे का खतरा है। डिले होने के कारण हिन्दुस्तान में खर्चीला न्याय है। डिले होता है, इसलिए खर्चीला न्याय भी है। कास्ट ज्यादा लगती है, इसलिए गरीब आदमी न्याय नहीं पा सकता। इसके लिए मंत्री जी ने कोई उपाय नहीं किया।

महोदय, मंत्री जी ने दावा किया कि कमीशन की हमने रिपोर्ट ली है। हमने बार एसोसिएशन से विचार किया है और इन्होंने सब जगह से सब की राय लेकर वक्त पर न किया गया न्याय, न्याय नहीं हो सकता को स्वीकार किया है। इसलिए यह जॅल्दी-जल्दी लागू हो और लोगों को न्याय मिले, लेकिन जो खर्चीला न्याय मिल रहा है, इसका आपसे पास क्या उपाय है। असली प्वाइंट यह है कि जस्टिस डिले होने से डिनायल तो है ही, लेकिन खर्चीला भी ज्यादा है। सब वकील कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, क्योंकि वकीलों को ही पैरवी एवं बहस करनी है। वे कहते हैं कि हम मर जाएंगे, अगर जल्दी-जल्दी से न्याय होगा तो कैसे जल्दी न्याय हो सकता है। इसलिए जो बिल लाए हैं, उसमें सवाल नम्बर एक नोटिस का है। नम्बर दो में कहा गया है, इन्होंने दावा किया है कि कोर्ट को, न्यायमूर्ति को गवाही लेने में या नोट करने में बड़ा समय लगता है, इसलिए कमिश्नर बहाल किया जाए। हम समझते हैं कि ऐसे वकील कमिश्नर बहाल कर देंगे। उनकी क्या योग्यता है, वे क्या लिखेंगे। वे जो कहेंगे वही कोर्ट में दाखिल कर देंगे। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि न्याय का मतलब क्या है? गवाह कोर्ट में आकर बयान करे तो जज साहब और वकील साहब भी पूछते हैं, जिरह होती है। जो फिलिंग होगी, वे जो नोट करेंगे और जज साहब के दिमाग पर गवाह का असर होगा। कोई दूसरा आदमी या कमिश्नर लिखित बयान ले लेगा और जज साहब उसे पढ़ कर न्याय करेगा, क्या वह इस तरह न्याय कर पाएंगे। यह सवाल है कि जल्दी-जल्दी न्याय करने के दौर में कहीं न्याय की अवहेलना न हो जाए। जज साहब को कैसे यह फिलिंग होगी, जो कमिश्नर और वकील एपाईंटेड हैं, वे लिखित

गवाह का बयान लेकर आएंगे और जज साहब को दे देंगे। जज उसे पढ़ कर कहेगा, कि गवाह का क्या कहना है, वह सच कह रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आप समाधान की दिशा में कोई कंक्रीट सुझाव दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: वही सुझाव दे रहा हूं।

इन्होंने दावा किया है कि न्याय जल्दी करने के लिए हम कमिश्नर बहाल कर रहे हैं। लेकिन क्या वह कमिश्नर जो लिखकर बयान लेगा उसमें वह भावना आयेगी जो जज साहब के सामने गवाही देने से आती है। मैं समझता हूं कि गवाह का जज साहब के सामने वह सैकिंड हैंड बयान वह भावना नहीं ला सकेगा क्योंकि साक्षी सच कह रहा है या झूठ कह रहा है वह तो जज साहब के सामने सुनने से ही पता चल सकता है। मेरी मान्यता है कि लिखकर या नोट करके बताने से वह भावना नहीं आ सकती, उसमें अंतर हो जाएगा। इसलिए न्याय कहीं अन्याय में न बदल जाए, इस बात की मुझे शंका है। दूसरे, देखा गया है कि एक केस 24-25 वर्ष तक चलता रहता है। जज साहब ने बहस सुन ली लेकिन साल भर तक वह फैसला नहीं लिखते और फिर रिटायर हो जाते हैं। फिर दूसरे जज साहब आते हैं वह मामला सुनते हैं तो इस तरह से भी केस डिले होता है। यह भी मेरी शिकायत है। कानून मंत्री जी लिखेंगे इसमें कि इतने दिनों में फैसला दे दें तो यह कैसे होगा? मैं एक उदाहरण इलैक्शन-पैटीशन का देना चाहता हूं। पीपल रिप्रैजेंटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि इलैक्शन पैटीशन केस का निष्पादन 6 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हिन्दुस्तान भर में कभी किसी केस का निष्पादन 6 महीने में हुआ है या साल भर में हुआ है या दो-तीन सालों में हुआ है। कभी नहीं हुआ है। केस में 5-6 साल लग जाते है और केस इंफ्लक्चुअस हो जाता है। कमिश्नर द्वारा लिखा-पढ़ी करने से क्या न्याय मिलने की आशा है। इसलिए हमारा कहना है कि केस कोस्ट-अफैक्टिव न हो, गरीबों को न्याय मिले, खर्चा उनका कैसे कम लगे, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा।

बड़े-बड़े वकील जो बड़ी-बड़ी फीस लेते हैं वह किस कानून के अधीन लेते हैं, उसका भी कोई कानून बनना चाहिए। एक लाख, दो लाख, पांच लाख तक मनमानी फीस लेते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जो नरम वकील हैं उन्हीं के प्राण खींचने का प्रयास यहां चल रहा है, इस पर भी सम्यक विचार करना चाहिए।

अंत में मैं पीआईएल का जो रूटीन मामला पड़ा रहता है उस पर कहना चाहता हूं। एग्जीक्युटिव को पावर में बहुत रुचि है। पीआईएल में भी बहुत मामले आये हैं लेकिन यह जो छपास की बीमारी है कि हमारी बात भी छपे, यह खराब है। साथ ही अफसरों को कोर्ट में बुलाकर दिन भर खड़ा रखने की बीमारी से भी केस में डिले होता है। माननीय मंत्री जी होशियार आदमी हैं। हम यहां जितना बहस कर रहे हैं अगर मंत्री जी कोर्ट में करते तो एक दिन में बड़ी फीस ले लेते हैं। हमारा कहना इतना ही है कि गरीब आदमी को जल्दी से जल्दी और सस्ता न्याय मिले और हमने जो कुछ कहा है मंत्री जी उन सभी बातों पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): कुमारी ममता बनर्जी, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूं। माननीय मंत्री जी, मैं अभी-अभी चुनाव याचिका के बारे में जो कुछ कहा गया मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगी। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे एमएलए को चुनाव के दो महीने बाद गोली मारकर मार दिया गया था। पिछले ढाई वर्षों से एक चुनाव याचिका लम्बित पड़ी हुई है। यह जारी है। वहाँ कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। लोगों का कोई एमएलए नहीं है।

प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए, वह कभी नहीं होती और सुनवाई के बाद भी फैसला सुरक्षित रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाएंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं जानना चाहती हूं कि इन सभी संशोधनों के साथ क्या कुछ किया भी जा सकता है या नहीं। आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

श्री अरुण जेटली: मैं इसका उत्तर वाद-विवाद के समय दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करती हूं। पहले इसके 163वें प्रतिवेदन में विधि आयोग ने इन संशोधनों पर विचार किया था और 1999 में सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। अब श्री अरुण जेटली कानून मंत्री बनकर सदन के समक्ष इस अधिनियम में संशोधन लाए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। उनकी पृष्ठभूमि कानून से जुड़ी है और हमसे बेहतर जानते हैं चूंकि उन्हें व्यावहारिक अनुभव है कि आजकल कानून के नाम पर क्या चल रहा है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

आम नागरिक होने के नाते हम सदन से बाहर न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वह न्यायालय की अवमानना होगी लेकिन यदि हम सदन के भीतर भी आलोचना न करें तो लोगो को न्याय कहां से मिलेगा? यह एक ऐसा वास्तविक मंच है जहां से हम कम से कम जनहित में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह एक तथ्य है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: आप किसी भी निर्णय की आलोचना कर सकते हैं लेकिन प्रयोजन का आरोप नहीं मढ़ सकते। आप कहीं भी फैसले की आलोचना कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे सकते हैं। वह अवमानना नहीं है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हम न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते। यह व्यवस्था है अन्यथा यह न्यायालय की अवमानना होगी। हम राजनेताओं, पत्रकारों अथवा नौकरशाहों की आलोचना कर सकते हैं लेकिन हम न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते। इसीलिए, एक ओर कानून के नाम पर न्यायपालिका इस देश में सर्वोच्च बन गई है।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। श्री अरुण जेटली सामाजिक न्याय लाना चाह रहे हैं लेकिन इस देश में न्याय कैसे काम करेगा? यदि आप न्यायाधीशों की नियुक्ति से शुरू करें तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य मंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा करते हैं। तत्पश्चात् कानून मंत्रालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूची को अंतिम रूप देते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से हूं जहां का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। हमने वहां देखा है कि सारी नियुक्तियां राजनैतिक होती हैं। अत: लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? इसीलिए देश में सभी जगह इसी कारण आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है।

अपराह्न 3.57 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

आप लोक अदालतों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप यह प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को न्याय मिले लेकिन उसे न्याय कैसे मिलेगा जबकि भ्रष्टाचार सीधे नियुक्तियों के स्तर से ही फैला है, नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर है? हमें स्थिति की समीक्षा करनी है।

जनसंख्या बढ़ रही है अत: हमारा रवैया भी बदलना चाहिए। समस्या यह है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी कार्रवाई और दूरदर्शिता इतनी कम है कि हमें न्यायपालिका व्यवस्था बदलनी होंगी, हमें राजनैतिक व्यवस्था और चुनाव व्यवस्था बदलनी होगी। अन्यथा यह देश प्रगति नहीं कर सकता। विधि मंत्री युवा हैं बहुत बुद्धिमान हैं। यदि वह राष्ट्र के हित में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले न्यायिक सुधार विधेयक लाना चाहिए, जहां आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि राजनीतिज्ञ कानून से ऊपर नहीं है तो न्यायपालिका भी कानून से ऊपर नहीं होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, वे लोगों की परवाह नहीं करेंगे।

एक लोकोक्ति के अनुसार "अच्छा पैसा बढ़िया कानून बनाएगा; अच्छा पैसा बढ़िया न्याय दिलाएगा; और अच्छा पैसा अच्छे वकील बनाएगा।" यह लोकोक्ति आजकल सुनने में नहीं आती। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि पहले न्यायिक सुधार लाएं। यह ठीक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित हो लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चाहते हैं कि मुकदमे सरल हों।

मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं जो मुझे उनसे (विधि मंत्री से) मिले हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में मैंने देखा है कि वे मुकदमों के आंकड़े नहीं रखते। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। हमें यह पता नहीं है कि कितने लाख मुकदमे लम्बित हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन मैंने सन् 1999 तक यह देखा है। सरकार के पास जो भी उपलब्ध आंकड़े हों, केवल उच्च न्यायालय में पांच लाख से अधिक मुकदमे लम्बित है। परिणाम क्या होगा? मैं आपको एक बात बताती हूं। सन् 1990 में ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: आज की स्थिति के अनुसार सारे देश के सभी उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 35 लाख मुकदमे लम्बित हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: इसीलिए मैं आप विधि मंत्री को बता रही हूं। मैं केवल सन् 1999 की बात कर रही हूं जो भी हमें आपके उत्तर से पता लगा है। वह प्रामाणिक उत्तर है। अब आप कह रहे हैं कि 35 लाख मुकदमे लम्बित है। इस न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्या है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि नई न्यायपालिका का गठन किया जाए और लोगों को न्याय मिले।

महोदय, इस न्यायपालिका की मुख्य समस्या है कि कुछ न्यायाधीश जब भिन्न राज्यों में जाते हैं तो वहां की राज्य सरकारों से फायदा उठाते हैं। वे राज्य सरकारों से सभी प्रकार के लाभ उठाते हैं चाहे वह उनके लड़कों या लड़कियों की मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो, आवास या उनकी प्रोन्नति हो। तत्पश्चात् जब

वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें कोई जांच आयोग या कुछ और मिल जाता है तो, यह उनकी प्रोन्नति होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी पांच-छः वर्ष बाद भी उनकी बहुत आजीविका बहुत अच्छी होती है। इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए। कम से कम, सरकारी स्तर पर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करो अन्यथा मुझे नहीं मालूम कि इस देश का भविष्य क्या होगा।

महोदय, न्यायालय में मुकदमे बहुत महंगे हो गए हैं। यहां तक कि कभी कभार जब न्यायालय समन भेजता है तब गरीब लोगों को यह भी नहीं पता होता कि किस प्रकार न्यायालय जाएं। पहले यह प्रावधान था कि सरकार ने अपने कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, महिला शिकायत प्रकोष्ठ और बहुत से अन्य प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं लेकिन यदि आप अचानक ही किसी निजी शिकायत प्रकोष्ठ, सरकारी शिकायत प्रकोष्ठ, महिला शिकायत प्रकोष्ठ अथवा कानूनी सहायता प्रकोष्ठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। वे सरकार से केवल पैसा ले रहे हैं लेकिन गरीब आदमी की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मैं इस बात की सराहना करती हूं कि इस देश में कुछ वकील ऐसे हैं जो हिम्मत वाले हैं और जो लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। वे आम लोगों से पैसा तक नहीं लेते। परन्तु वे न्याय दिलाने में सहायता करते हैं। मैं कई ऐसे वकीलों को जानता हूं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे कार्यालय में भी प्रत्येक रविवार को एक विधि प्रकोष्ठ कार्य करता है। यह विधि प्रकोष्ठ लोगों को न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करता है। आखिर आम जनता कहां जाए? प्रत्येक रविवार को मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक मेरे विधि प्रकोष्ठ में आम जनता आती है और उन्हें वहां जानकारी दी जाती है। परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि इस देश में न्याय नहीं है।

महोदय, मैं आपको बता रही हूं-यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं आपसे न्याय नहीं मांग रही क्योंकि मैं जनता के लिए न्याय मांग रही हूं। वर्ष 1990 में 16 अगस्त को मुझे दिन-दहाड़े इतना पीटा गया कि मैं मरते-मरते बची। लगभग तीन महीनों तक मैं अस्पताल में रही। जहां तक कि इस मुद्दे पर राज्य सभा भी स्थगित की गई थी। ...*(व्यवधान)* अब मैं नहीं जानती कि इस मामले की क्या परिणति होगी। यदि ऐसा मेरे साथ हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसा सलूक हो सकता है? इस घटना के बाद भी मुझ पर तीन चार बार हमला हुआ, लेकिन कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई भी मुकदमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि न्याय के नाम पर आखिर क्या हो रहा है।

महोदय, अब मैं स्थानान्तरण नीति नीति पर आता हूं। सरकार की एक स्थानान्तरण नीति है। परन्तु क्या आपने सभी उच्च न्यायालयों से यह पता किया है कि कितने ऐसे लोग हैं जो 15-20 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं? बंगाली में हम लोग कहते हैं कि घुघु का बादशाह है। यह भ्रष्टाचार का स्वर्ग है। वे लोग पिछले 10-20 सालों से वहां कार्य कर रहे हैं। सरकार की नीति है कि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद इन न्यायाधीशों का स्थानान्तरण कर दिया जाएगा परन्तु ऐसा कुछ नहीं होता। जो जहां है वहीं बना हुआ है और यही परम्परा चली आ रही है। मेरी राय है कि इस स्थानान्तरण नीति का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोई भी कहीं भ्रष्टाचार का स्वर्ग न स्थापित कर सके।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी जनहित याचिका में कही गई बात बिल्कुल सही है। परन्तु, साथ ही जनहित याचिका को भी उच्च न्यायालय के माध्यम से आना चाहिए। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका दाखिल करनी होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। भिखारी पासवान नाम का एक कर्मचारी था। वह गुमशुदा था और उसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद हम उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए एक आदेश जारी किया। फिर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण और विशेष अनुमति याचिकाएं भी दाखिल की। अब सीबीआई इस मामले को देख रहा है। वे गरीब लोग हैं। वे कानून की बात नहीं जानते। अब चार वर्षों की सुनवाई के बाद इस मुकदमे को उच्च न्यायालय से स्थानीय न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह स्थिति है। वह कह रहे थे कि बुनियादी स्तर से ऊपर उठकर आप आसमान तक जाते हैं, परन्तु अब वे वह कह रहे हैं कि आसमान से आप बुनियादी स्तर पर आ जाते हैं। क्या कोई संतुलन है? इसमें कोई संतुलन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस दिशा में कोई निगरानी तंत्र या सतर्कता कार्यशील है। यह मेरी समझ में नहीं आता। जब मैं इन गरीब लोगों को कष्ट में देखती हूं तो मुझे काफी बुरा लगता है क्योंकि वे तारीख याद नहीं रख सकते, वे यह याद नहीं रख सकते कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि आप मुझसे पूछें कि 1990 में क्या हुआ था, मैं भी याद नहीं रख सकती। परन्तु, चूंकि मैंने एक पुस्तक लिखी है इसीलिए, मुझे याद है। लेकिन 12 वर्षों के बाद भी मुझे यह नहीं पता कि इस मुकदमे का निर्णय कब होगा। कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। यही सब बातें होती रही है। पूर्ण भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं महसूस करती हूं कि

[कुमारी ममता बनर्जी]

सर्वोच्च न्यायालय की अधिक से अधिक खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकते क्योंकि यह काफी महंगा पड़ता है। आप कृपया सर्वोच्च न्यायालय की कुछ खंडपीठ देश में अन्य स्थानों- जैसे दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में, स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की भी स्थापना होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्यालय होते ही हैं। इसलिए, मुख्य उच्च न्यायालय को वहीं रहने दें और 4-5 जिलों के लिए उच्च न्यायालय खंडपीठों की स्थापना करवाएं क्योंकि दूर-दराज के स्थानों से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय आने में लोगों को भारी दिक्कत होती है। इसके लिए, अधिक से अधिक सर्किट खंडपीठ होनी चाहिए ताकि लोग न्याय के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आ सके।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कहा कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। मेरी समझ से, लोक अदालतों की ही तरह सरकार को अपनी स्थानीय मशीनरी को भी सुदृढ़ करना होगा। मान लें, अब आप कहते हैं कि पंचायत स्तर पर वे मामले को निपटा देंगे यदि यह कोई पार्टी पंचायत नहीं हो। यदि कोई राजनीतिक पंचायत है तो वे विपक्ष को निशाना बनाएगे। वे विपक्ष को न्याय नहीं देंगे। यदि कोई ऐसी पंचायत हो जो किसी पार्टी से संबद्ध न हो तो निश्चित रूप से स्थानीय मामले पंचायतों, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालतों की हम सराहना करते हैं परन्तु साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी होगी और यह सोचना होगा कि दोषी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए। नियम है कि तीन महीनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल हो जाना चाहिए। परन्तु कलकत्ता में, मैंने खादिम का मामला, अपहरण का मामला देखा है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन यदि ये लोग पार्टी के हों तो उनके खिलाफ तीन महीनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं होगा। परन्तु यदि वह व्यक्ति हममें से कोई हो तो पहले उसे मिदनापुर जिला न्यायालय में गिरफ्तार किया जाएगा। जब उसे मिदनापुर न्यायालय से रिहा किया जाएगा तब बांकुरा जिला से वारंट आएगा क्योंकि यह पड़ोस का जिला है। तब उसे बांकुरा न्यायालय भेजा जाएगा। जब उसे बांकुरा न्यायालय से रिहा किया जाएगा तब हुगली न्यायालय से वारंट आ जाएगा। परंतु पश्चिम बंगाल में एक मंत्री हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी, मैं केवल उनका कोड नाम ले रही हूं। उनके खिलाफ अनेक हत्या के मामले, बलात्कार के मामले और अन्य मामले दर्ज हैं। हमारी पार्टी ने पहले से ही माननीय राज्यपाल महोदय को इस बारे में लिखित याचिका दी हुई है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होता है तो कानून के अनुसार उसकी संपत्ति जब्त की जाती है। पुलिस कहती है कि वह भगोड़ा है। मैं नहीं जानती वह कैसे भगोड़ा है। वह हर बार मंत्रिमंडल की बैठकों में जाता है। वह सभी समारोहों में भी उपस्थित होता है। लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अत: इस प्रकार की बातें हो रही हैं। प्रभावशाली लोगों को राहत मिल जाती है और जो प्रभावशाली नहीं हैं उन्हें कोई राहत या कुछ भी नहीं मिलता।

आयोग की नियुक्ति के मामले में आप प्रतिधारिता के बारे में जानते हैं। महोदय मैं भी एक वकील हूं। कभी मैंने मानवाधिकार के मामले भी लड़े हैं।

कुछ ऐसे न्यायाधीश है जिनका कुछ वकीलों के साथ काफी अच्छा संबंध रहता है। वे उन्हें कमिश्नर के रूप में नियुक्त करते हैं। आप देखें कि कमिश्नरों के रूप में नियुक्ति के नाम पर उन्हें कमीशन नहीं लेनी चाहिए, उन्हें दलाल के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उन्हें आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए ताकि समस्याओं को निपटाया जा सके। अन्यथा, वे केवल अधिक से अधिक कमीसन ही लेंगे और कुछ होगा नहीं।

अंतिम बात, मैं आपसे न्यायिक सुधारों पर एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करूंगी जिससे देश का मनोबल बहाल होगा और जो भ्रष्टाचार की इन ताकतों से लड़ेगा तथा जो देश की वर्तमान गन्दी स्थिति से निपटेगा। यदि न्यायपालिका बिकाऊ चीज हो जाए तो इसका क्या इलाज होगा? यह देश के स्तम्भों को धराशायी कर देगा और देश के समूचे तंत्र आचार-व्यवहार और सभी चीजों को खराब कर देगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह सर्वप्रथम न्यायिक सुधारों पर एक व्यापक विधेयक लाएं। ऐसा करने से पहले आप बार काउंसिलों और बार संघों को विश्वास में ले सकते हैं ताकि वे भी आपको अच्छे उदाहरण दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी यथाशीघ्र न्यायिक सुधारों पर एक विधेयक लेकर आएंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, आपने मुझे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा हमारे कई पूर्ववक्ताओं ने बार-बार कहा है कि जब पूरा मुल्क आर्थिक सुधारों की ओर जा रहा है तो न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों के बिना हम कोई मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। न्यायिक सुधारों की दिशा में एक कदम सरकार ने बढ़ाया है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि समस्या क्या है, मकसद क्या है? हम जिन

रिफार्म्स की ओर जा रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में इंसाफ है या उन मुकदमों का बोझ है जैसा अभी मंत्री जी बता रहे थे कि 35 लाख मुकदमे हाई कोर्ट के स्तर पर लंबित हैं। आज वे हमारे पूरे सिस्टम को परेशान कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। आखिर इन रिफार्म्स का मकसद क्या है?

यह बात बार-बार कही गयी है कि जिस तरीके से रिफार्म्स लाये जा रहे हैं, हो सकता है कि इन मुकदमों का बोझ कम कर पाने में हमें कुछ मदद मिल जाये और जल्दी जल्दी समरी ट्रायल हो। अपील का अवसर कम किया जा रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हिन्दुस्तान के अंदर जो दीवानी मामले हैं खासतौर से वे इतनी बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं कि क्या उनके सोर्स पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है?

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब थाने बिकते हैं, तहसीलें बिकती हैं, जिले बिकते हैं, जिले के स्तर पर अधिकारी बिकते हैं, जैसा हमारी पूर्ववक्ता महोदया बता रही थी कि वे पैसा देकर पोस्टिंग लेते हैं, समस्या वहीं पैदा होती है। खाली प्रक्रिया के अंदर परिवर्तन लाने से और कुछ मुकदमों की संख्या कम कर देने से क्या इंसाफ की भावना हमारे अंदर रह जायेगी, क्या उससे इंसाफ मिल जायेगा?

सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज इंसाफ के बिना जी नहीं सकता। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। दो साल पहले जिले की अदालत में मैंने एक 21 साल की लड़की को रोते हुए देखा। उस समय शाम हो चुकी थी। वह लड़की बहुत परेशान थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। मैं उसके पास गया। एक दो और लोग वहां आ गये। एक बुजुर्ग वकील भी वहां आ गये। जब हमने उस लड़की से रोने का कारण पूछा तो उसने जो बताया, वह बड़ी दर्दनाक कहानी थी। उसने बताया कि उसके पड़ोस के एक बड़े काश्तकार की निगाह उसकी जमीन पर आ गयी। उस लड़की के परिवार में सात-आठ एकड़ जमीन थी। वह लड़की अनपढ़ थी। उसके आदमी को अफीम के केस में बंद करा दिया गया और तहसील में धारा 129 बी के तहत मुकदमा कायम किया गया। उस मुकदमे पर तीन-चार पेशी पड़ी और वह जमीन दूसरे किसान के नाम लिख दी गई। वह लड़की इस बाबत बहुत परेशान थी। उसे लगा कि उसके पास आत्महत्या का ही एक सरल रास्ता बचा है। यह सुनकर वह वकील और सब लोग मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और वहां जाकर देखा गया तो वहां जश्न हो रहा था। जो पार्टी मुकदमा जीती थी, वह शराब, मुर्गे लेकर आई थी और सैकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट वहां बैठा हुआ जश्म मना रहा था। उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने चप्पल निकाली और मारना शुरू कर दिया। पूरी तहसील में शोर हो गया कि मैजिस्ट्रेट साहब मारे गये। मामला उठ गया। तब पता लगा कि किस तरह साजिश के तहत उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उसके अंदर मशीनरी मिली हुई थी।

हम बार-बार कहना चाहते हैं कि अगर हम मुकदमों की संख्या कम करना चाहते हैं तो यह भी देखना होगा कि किन कारणों से दीवानी मुकदमे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को बार-बार कहना चाहता हूं कि हमारे प्रैजैंट अमैंडमेंट की दिशा इंसाफ की ओर न जाकर वहां पहुंच रही है जहां सरकार समझती है कि हम सिर्फ मुकदमों की संख्या कम कर सकें, मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी कर सकें।

कई बातें हमारे पूर्व वक्ता कह चुके हैं लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक पी.आई.एल. की बात है, सच्चाई है, अभी एक फैशन हो गया है, बहुत से लोग मुद्दो को उठाने के लिए पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन करने में यकीन रखते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जहां पी.आई.एल. के मामले आ रहे हैं, वहां हमारी प्रशासनिक विफलताएं सामने आ रही हैं? क्या सरकार व्यापक तौर पर प्रशासनिक सुधार करने का इरादा रखती है? मुझे नहीं लगता कि समस्या को सही तरीके से देखा जा रहा है। आज हालत यह है कि हमारी स्टेट असेम्बलीज सिर्फ 20-25 दिन चल रही हैं। संसद साल में लगभग 240 दिन काम करती है। जब विधान सभाएं एक साल में सिर्फ 20 दिन चलेंगी तो प्रशासनिक अधिकारियों पर निगाह कौन रखेगा उनसे एकाउंटेबिलिटी की गारंटी कौन करेगा। उसके बाद जो कुछ हो रहा है, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारी प्रशासनिक विफलता को उजागर करने के लिए पी.आई.एल. का सहारा लिया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके सोर्स पर भी देखें कि आखिर दीवानी मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं।

अभी हमारी पूर्व वक्ता बहन ममता जी बता रही थी कि दीवानी ही नहीं क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रक्रिया में इतने दलाल लग चुके हैं जो पूरी व्यवस्था को लम्बा करने में यकीन रखते हैं। आज एक दुखद सच्चाई है कि दीवानी मामलों के अंदर दो-चार नहीं सौ-सौ साल लगे हैं। कई ऐसे मामले आज भी आपकी जानकारी में होंगे जो सौ-सौ साल से लंबित है। क्या पूर्व प्रक्रिया में परिवर्तन लाकर हम इंसाफ दिला पाएंगे?

एक बात स्पष्ट है कि आज जूडीशियरी भी बड़े पैमाने पर भ्रष्ट हो रही है। मैं सबके लिए नहीं कहता लेकिन बड़े पैमाने पर जूडीशियरी में भ्रष्टाचार ऐंटर कर रहा है। स्थिति यहां तक

[श्री रविप्रकाश वर्मा]

पहुंच गई है कि जजों के अपने पोलीटिकल बॉयस बन चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुकदमा जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में चल रहा है, आज उसका दुष्परिणाम पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है और हमारी संसद ने भी उसे झेला है। कई बार सरकारें गिरी हैं, कई बार खून-खराबे हुए हैं और आज भी कहीं न कहीं हम उसके फॉल आउट के शिकार हो रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि आज की तारीख में जब जूडीशियरी बायस्ड हो रही है, निष्पक्ष नहीं है तो प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से किस तरह हम जस्टिस डिलीवर करने की मशीनरी की निष्पक्षता कायम रख पाएं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो जज सरकार का फेवर चाहते हैं, वे सरकार की मर्जी से जजमैंट देते हैं, आधी-आधी रात को जजमैंट हुए हैं। लेकिन जहां इंसाफ की जरूरत है, आज मानवता तड़फ रही है। वहां बरसों तक जजमैंट सामने नहीं आता। हम क्या मानें। क्या आपके वर्तमान जूडीशियल रिफार्म्स इन परिस्थिति को बदल पाएंगे- कभी नहीं बदल पाएंगे। अगर हमारी मंशा, हमारी नीयत इंसाफ दिलाने की है, हमारे समाज की पूरी व्यवस्था के केन्द्र में इंसाफ की प्रक्रिया रखने की है तब निश्चित ही हम कई रिफार्म्स ला सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ जूडीशियल सुधारों के माध्यम से अपना सिरदर्द कम करने की भावना है तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम किसी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। जो जज रिटायरमैंट के बाद सरकार का मुंह देखते हैं कि हमें किसी कमीशन में डिप्यूट कर दिया जाएगा, चार साल का एक्सटैंशन मिल जाएगा, उन जजेज से और ज्यूडीशियरी से हम बहुत अधिक आशा नहीं कर सकते। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में आर्थिक सुधारों के साथ न्यायिक सुधार और प्रशासनिक सुधार भी हमारे मुल्क की मूलभूत आवश्यकता है। इनकी आत्मा को देखते हुए और हमारे मकसद को देखते हुए अगर हम रिफार्म्स लाएंगे तो इस मुल्क का कल्याण होगा, नहीं तो दलदल में तो हम फंस ही चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता पूरे देश में सिविल मामलों से संबंधित प्रक्रियात्मक मामलों में एक काफी महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में कोई भी संशोधन करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न बार संघों के परामर्श करना नितान्त आवश्यक था। मैं माननीय मंत्री जी को यह संशोधन लाने से पहले इन संघों से गहन परामर्श करने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, इन विषयों पर स्थायी समिति में भी गहन जांच और चर्चा हुई थी। हमारी न्यायपालिका की सर्वाधिक आलोचना इस कारण होती है कि हमारी प्रक्रियाएं काफी धीमी हैं। यह एक दुखद बात है क्योंकि 'देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है।' वर्तमान में न्यायालय द्वारा निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नियम 1 में आदेश 20 के संशोधन के माध्यम से निर्णय देने की समय सीमा निर्धारित की गई है जो कि सुनवाई पूरी होने की तारीख से 30 दिनों की है, और इसे 60 दिनों की अवधि से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। यह एक काफी अच्छा संशोधन है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

दूसरे, इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय भी अलग-अलग थे कि क्या कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय पर निर्णय सुना सकता है। विधि आयोग के 144वें प्रतिवेदन के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के संशोधन का प्रस्ताव करके यह स्पष्ट किया गया है कि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय पर निर्णय नहीं सुना सकता है।

महोदय, इस संशोधन विधेयक का आशय विधि आयोग के प्रतिवेदन के कारण संभावित गलतफहमी को दूर करना है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश दिया जाता है और कुर्की के बाद संपत्ति का हस्तान्तरण किया जाता है तो संपत्ति का वह हस्तान्तरण ही अवैध हो जाएगा, परन्तु इससे वैसा हस्तान्तरण प्रभावित नहीं होगा जो कुर्की से पूर्व हो चुका हो।

महोदय, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की सामान्य आलोचना हुई थी कि उस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय, विशेषकर अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन किए गए निर्णयों पर अपील करने का अधिकार समाप्त किया गया था। अपील के अधिकार को बहाल कर दिया गया है, परन्तु अपील का वह अधिकार किसी एकल न्यायाधीश के द्वारा भूलवश की गई किसी गलती को सुधारने के लिए होगा, परन्तु जहां किसी मूल या अपीलीय निर्णय या आदेश से किसी अपील पर उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई की जाए और निर्णय किया जाए तो किसी खंडपीठ के समक्ष अपील के दूसरे अधिकार का प्रावधान नहीं है।

मुकदमों में फंसे लोगों का यह आम अनुभव है कि सिविल मुकदमे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में एक असहनीय और भारी विलम्ब होता है, और सबसे ज्यादा विलम्ब सम्मन जारी करने में होता है। इसके लिए 1999 में कुछ प्रगतिशील संशोधन किए गए, जिसके बाद परंपरागत तरीकों के अलावा अन्य तरीकों जैसे न्यायालय के प्रोसेस सर्वर के माध्यम से, पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक से तथा फैक्स संदेश या ई-मेल सेवा के द्वारा सम्मन भेजने को अनुमति मिली। अब यह विचार किया गया है कि इस कार्य के

लिए कूरियर सेवा का लाभ उठाया जाए जो देश भर में चल रही है। इसलिए, इस संशोधन में कूरियर सेवा के द्वारा सम्मनों को भेजने का प्रस्ताव है। नि:संदेह अनुमोदित कूरियर सेवा कंपनियों का एक पैनल बनाया जाएगा, बहरहाल यह एक स्वागत योग्य संशोधन है।

महोदय, सिविल मामलों के निपटान में विलंब होता है क्योंकि कई बार अनेक वर्षों के बाद भी लिखित बयान दर्ज नहीं होते हैं। वे और भी ज्यादा समय लेते हैं। इसलिए, लिखित बयान दर्ज कराने की समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक समझा गया। इस संशोधन में लिखित बयान दर्ज कराने के लिए 30 दिन की समय सीमा निश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

बार काउंसिल और बार संघ तथा अन्य प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए इसके आगे भी समय सीमा दी गई है, परन्तु किसी भी मामले में यह 90 दिन से अधिक नहीं होगी।

ये सभी संशोधन स्वागत योग्य है। इनसे प्रक्रियात्मक मामलों में होने वाली देरी में कमी आएगी। इसलिए, इन सबसे समय की बचत होगी।

मैं माननीय मंत्री जी को यह संशोधन लाने के लिए बधाई देता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय के विचारों से भी सहमत हूं।

उन्होंने सभा से कहा है कि वह उचित परामर्श और अधिवक्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह विधेयक लाए हैं।

विलंब होने से कानून का महत्व समाप्त हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता में अब तक एक खतरनाक प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। सिविल मामले बहुत लम्बे समय से लंबित पड़े हुए हैं जिसे हर कोई जानता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कोई शिकायत है तो वह मुनसिफ न्यायालय में जा कर दो रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद कर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। कोई नहीं जानता कि उस मामले का निपटान कब तक होगा और उसमें अंतिम निर्णय कब दिया जाएगा। यह मामला दशकों और पीढ़ियों तक चलता रहेगा। कुछ मामले मुनसिब न्यायालयों से उच्च न्यायालयों तक एकल पीठ से खण्डपीठ तक और कुछ मामले उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं। हमारे देश में सिविल मामलों की यह स्थिति है। अत: ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे विभिन्न न्यायालयों में लंबित सिविल मामलों का निपटान शीघ्र हो सके।

जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वहीं मुझे कुछ आपत्तियां भी हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन आपत्तियों की ओर आकर्षित करते हुए कुछ खण्डों में संशोधन करने का सुझाव देना चाहता हूं। उनमें से एक सुझाव खण्ड 4 में है जिसके अनुसार धारा 100क के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए। कहा गया है कि:

> "100क. किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पैटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।"

मुझे इस मुद्दे पर एक आपत्ति है। किसी न्यायाधीश द्वारा गलत निर्णय दिए जाने की स्थिति में ऐसी अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अत: इसमें इसका भी प्रावधान होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय से शिकायत है तो उसे खण्डपीठ में भी जाना पड़ता है। यह मेरा विचार है।

मैं मंत्री महोदय और सभा का ध्यान आदेश 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड 6 में कहा गया है:

> "परन्तु यह और कि जहां प्रतिवादी, तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु जो समन के तामील की तारीख से नब्बे दिन के बाद का नहीं होगा।"

यह समय 90 दिन क्यों हो? मेरा सुझाव यह है कि यह समय सीमा अधिकतम केवल 60 दिन होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है। मंत्री महोदय और अनेक माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में कहा है। यह समन तामील किए जाने के बारे में है। हमारे देश में समन तामील करने की प्रक्रिया भ्रष्ट है। इसमें कदाचार होता है और बेइमानी भी की जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। यह हमारे देश में तब से चल रहा है जब से

[श्री अजय चक्रवर्ती]

न्यायालयों की स्थापना हुई है। यह बहुत पुरानी व्यवस्था है और यह प्रथा न्यायालयों की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति या न्यायालय को कोई कर्मचारी समन देने जाता है तो वह लिखित में यह कह कर समन वापिस कर देता है कि अमुक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। किसी गवाह की उपस्थिति में समन मुख्य द्वार पर चिपका देने का भी प्रावधान है। कानूनी भाषा में उसे 'मेन गेट इंट्री' कहा जाता है। लौट कर आने पर वह रिकार्ड में यह लिखता है कि घर के द्वार पर समन चिपकाते समय कोई गवाह उपलब्ध नहीं था। समन डाक द्वारा भेजे जाने की भी प्रथा है। डाकिया उक्त स्थान पर जाता है और लौटकर न्यायालय में यह कहता है कि वहां पर कोई भी उपलब्ध नहीं था। समन की तामील में इस प्रकार का कदाचार बहुत पुरानी प्रथा है। यह कोई नई बात नहीं है। इलैक्ट्रॉनिक मेल, कूरियर सेवा या फैक्स द्वारा भी समन भेजने का प्रावधान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में भी इलैक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स यंत्र या कूरियर सर्विस उपलब्ध नहीं है। कुछ लचीले और सरल तरीके अपनाए जाने चाहिएं ताकि सम्मन यथाशीघ्र तामील किये जा सकें। मामलों के निर्णय में विलंब होने का एक कारण सम्मन तामील न होना भी है। जब तक आरोपित व्यक्ति को सम्मन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक मामला शुरू नहीं हो सकता है। स्थिति ऐसी है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे देश में कानून एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा जा सकते हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह यादव जी ने कहा कि निचली अदालतों के अधिवक्ता या कनिष्ठ अधिवक्ता भुखमरी का सामना कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता की फांस सीमित करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति धनवान है तो वह उच्च न्यायालय में जाकर बहुत बड़ी राशि फीस के रूप में देकर किसी प्रतिष्ठित अधिवक्ता को अनुबंधित कर लेता है और दूसरा व्यक्ति जो उसका प्रतिवादी है धनवान नहीं है और अपने लिए उसी स्तर का अधिवक्ता अनुबंधित नहीं कर सकता है जिस स्तर पर कि वादी ने अनुबंधित किया है इसलिए वह एक कनिष्ठ अधिवक्ता जो कि इस क्षेत्र में नया होता है, को अनुबंधित करता है। कोई भी न्यायालय उस नए अधिवक्ता की बात नहीं सुनेगा या उसके निवेदन का संज्ञान नहीं लेगा। अत: मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की फीस सीमित करने के लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अधिवक्ताओं को अनुबंधित नहीं कर पाएगा। अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि आम आदमी को सस्ती कानूनी सहायता उपलब्ध हो सके।

दूसरा प्रश्न अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने के संबंध में है। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि अधिवक्ता आयुक्त, बीमार या घायल व्यक्ति के घर जाकर और उसका साक्ष्य लेगा। न्यायालय फील्ड में जाने और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर सकता है। न्यायालयों को ऐसे अधिवक्ता आयुक्तों की नियुक्ति सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कनिष्ठ अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं जिनकी दस से पंद्रह साल की प्रैक्टिस है को अधिवक्ता-आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए। उसे साक्ष्य लेना चाहिए और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में किसी पक्ष की बात सुननी चाहिए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसमें किसी व्यतिक्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि विधि मंत्री जी एक बुद्धिमान अधिवक्ता हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने और विलंब को टालने के लिए न्यायिक आयोग विधेयक लाया जाए। मंत्री महोदय को सभा द्वारा विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए न्यायिक आयोग विधेयक लाना चाहिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): सभापति महोदय, बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मंत्री जी ने अपीलों के संबंध में स्पष्टीकरण देते समय कहा है कि किसी मूल या अपीलीय आदेश पर निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। मेरा उनसे एक विशेष प्रश्न है।

देश के न्यायिक ढांचे में कतिपय मामले हैं। कतिपय मामले ऐसे हैं जो निचली अदालतों से आते हैं। मैं चैरटी कमिशनर मामले से एक उदाहरण दूंगा। प्रथम अपील सिटी सिविल कोर्ट को भेजी जाती है और वहां दूसरी अपील उच्च न्यायालय को भेजी जाती है। आपने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह एकल न्यायाधीश की पीठ होगी। मैंने इस पर गौर नहीं किया लेकिन ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय में कोई खण्डपीठ बेंच नहीं होती। यदि खण्डपीठ नहीं होती तो हमें यह देखना होगा कि सिटी सिविल कोर्ट्स से इन अपीलों की सुनवाई कौन करेगा? क्या यह अपीलें सीधे ही उच्चतम न्यायालय में आएंगी? क्या आप किसी ऐसे माध्यम के बारे में सोच रहे हैं जिससे उच्च न्यायालयों द्वारा इनकी सुनवाई हो सके। मेरा एक मुद्दा यह है।

दूसरा आपने यह उल्लेख किया था कि जिन मामलों की सुनवाई की जा रही है उनमें फैसला देना होगा। हम उच्च न्यायालयों की प्रणाली और प्रक्रिया से वाकिफ हैं जिनमें एक या डेढ़ माह में न्यायाधीश बदल जाते हैं। मामला एक ही न्यायाधीश के पास नहीं रहता। यदि मामलों को उस न्यायाधीश को अन्तरित नहीं

किया जाता जो कि उन मामलों की सुनवाई कर रहा था तो फैसला कैसे दे सकता है? क्या आप विनिर्दिष्ट करने जा रहे हैं या क्या आप इस सभा को आश्वस्त करने जा रहे हैं कि जो न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर रहा है इसे फैसला देना होगा? आपने जो नई धारा शुरू की है उसकी यही व्याख्या है? क्या उन्हें निर्णय देना होगा चाहे उसमें कितना ही समय क्यों न लगे? इनको विशिष्ट मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे हर तरह से दुरुहता हो जाएगी।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने बताया है कि उच्च न्यायालयों में लगभग 45 लाख मामले लंबित हैं। राज्य विधानमंडल नए विधेयक पारित कर रहे हैं जो अब संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे कानूनों के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। फैसला तीन-चार साल बाद आएगा। विधानमण्डलों द्वारा पारित कानूनों को निरस्त किया जा सकता है लेकिन तब तक सरकार को कुछ कार्रवाई करनी होगी। उनमें से कुछ राज्य सरकार से और कुछ व्यक्तिगत हो सकते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह निजी या व्यक्तिगत मामलों और संवैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाले मामलों के बीच कोई भेद करने जा रहे हैं। मैं एक विशिष्ट मामला बताता हूं जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने का मुझे भी इंतजार है। यह मामला एनरॉन के संबंध में है जिसमें सरकार ने गारन्टी दे रखी है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गारन्टी उन निश्चित शर्तों के अंतर्गत दी जाती है जिनमें वार्षिकियां हों। सर्वव्यापक गारन्टी नहीं दी जा सकती है। यह मामला काफी लम्बे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। मैं लंबित मामलों के लिए न्यायालय में नहीं जाता हूं। लेकिन जहां लगभग 20,000 मामले स्वीकृति के लिए लंबित हों, मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं कि न्यायाधीश के पास इस तरह के मामलों की सुनवाई करने का समय हो। क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नया तरीका अपनाने जा रहे हैं जो मामले राष्ट्र से संबधित हैं उनमें व्यवस्था, लोगों के दृष्टिकोण या विश्वास को अन्य मामलों की तुलना में वरीयता देकर सुना जाय। मैं समझता हूं कि यदि न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना है तो कहीं-कहीं इस तरह का अधिमानीय व्यवहार विकसित करना होगा। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले बहुत अधिक लोगों से संबंधित होते हैं।

अंत में, समय की बचत के लिए आपने आयुक्तों की नियुक्ति करने की नई विधि निकालने की बात सोची है। मैं नहीं जानता कि यह विधि कितनी कारगर होगी। जिन जगहों पर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उन जगहों पर मजदूर संघों के साथ काम करने का अनुभव रखने के बाद मैं यह जानता हूं कि वे किस तरह से कार्य करते हैं। आयुक्तों की योग्यता निर्धारित किए बगैर यह न्यायपालिका की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि किसको आयुक्त नियुक्त किया जाए और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह के आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है।

पिछली बार जब मैंने यह मामला उठाया था तो कोई और ही मंत्री था। यह सुझाव अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बारे में है। यह किसी भी सरकार के लिए अनिवार्य प्रावधानों में से एक प्रावधान है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। हमने पिछले पच्चास वर्षों में इस बारे में सोचा ही नहीं है। इसका एक तो कारण हो सकता है कि इसमें आरम्भिक भर्ती से लेकर आरक्षण तक का प्रश्न उठेगा इसलिए हम इस पर विचार ही न करें। इसमें शायद यही बात हुई है। लेकिन पूरी व्यवस्था किसी नियंत्रण के बगैर कार्य कर रही है। क्या मैं मंत्री महोदया से यह जान सकता हूं कि क्या वह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार करेंगे जिसमें न्यायपालिका को आयुक्तों की नियुक्ति करने की अनुमति देने के बजाय उन्हें ऐसे व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे जिन्हें बतौर आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है?

अंत में मैं एक ऐसे मुद्दे पर आता हूं जिसमें से आए दिन कोई न कोई मुद्दा उठ रहा है। जैसा कि मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि सुरक्षा देनी होगी। विधेयक में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यह क्या है। अधिकांश मामलों में यही कहा जाता है कि यथास्थिति बनाए रखनी होगी लेकिन कोई भी यह नहीं जानता है कि वह यथास्थिति क्या है। यथास्थिति के बारे में स्पष्टीकरण जानने के लिए आपको फिर आवेदन पत्र देना होगा। क्या मैं मंत्री महोदय से, जिन्हें यह बात अवश्य मालूम होनी चाहिए, कि इसका क्या मतलब है? हम न्यायपालिका से यह पूछेंगे कि वह यह कहने कि इस प्रक्रिया को रोके कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और इसके बजाए यह विनिर्दिष्ट करे कि व्यादेश में क्या किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे मुकदमेबाजी बहुत कम हो जाएगी और इससे याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी का बोझ बहुत कम हो जाएगा।

मेरे यह कुछ सुझाव थे और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, एक आम कहावत है 'न्याय में विलंब का मतलब है न्याय का न मिलना।' एक दूसरी कहावत भी है 'जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय नहीं है।' मुझे खुशी है कि दूसरी कहावत का पूरा ध्यान इस विधेयक में रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में उक्त दोनों कहावतों की मूल भावनाओं का समावेश है।

[श्री पी.सी. थामस]

विधि मंत्री ने सभी सम्बद्ध लोगों से विचार-विमर्श कर अच्छा काम किया है। इन दोनों चीजों के बीच अच्छा संतुलन रखा गया है। अल्पावधि में 'समन' तमिल किये जाने के बारे में कुछ नये तरीकों पर विचार हुआ है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी बात के लिए समय न दिये जाने संबंधी कठोर नियम को त्याग दिया गया है और उस पर तदनुसार विचार किया गया है। लिखित वक्तव्यों के मामले में, साक्ष्य लेना, दलीलों को सुनना, मुद्दों को तय करना, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले पर आगे अपील की अनुमति न देना-ऐसे विषय हैं जिस बारे में परिवर्तन किये गये हैं। इन सभी संशोधनों के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना।

35 लाख मामलों का लंबित होना एक चिन्ता की बात है। न्याय मिलता तभी नजर आ सकता है जब वह हमारे समाज के निचले तबके तक पहुंचे और गरीबों को सामान्य रूप से न्याय मिल सके। मेरे विचार में 'कानूनी सहायता प्रणाली' को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

जहां तक कमिशनरों की नियुक्ति का संबंध है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह कहना ठीक नहीं है कि जिन वकीलों को कमिशनर नियुक्त किया जाएगा वे सद्भावपूर्वक काम नहीं करेंगे।

मैं समझता हूं कि धारा-12 में यह उल्लिखित है कि "न्यायालय को सभी प्रकार की सामान्य शक्तियां देने के कुछ निहितार्थ हो सकते हैं बशर्ते न्यायालय इस उप-नियम के अधीन कमिशनर नियुक्त करते समय ऐसे सुसंगत कारणों का जो वह ठीक समझे गणना में लेने पर विचार करेगा। अन्यथा मैं समझ नहीं पा रहा कि नियमों को तैयार करते समय "जो वह ठीक समझे" की विवेचना वे किस प्रकार करेंगे। मेरे विचार से इसकी और विवेचना आवश्यक है और अधिनियम में कुछ और निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। मेरी एक मात्र आशंका यह है कि कमिशनर के खर्चे का वहन कौन करेगा। एक आम वादी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करेगा और वह कमिशनर का खर्च उठाने के बजाए चाहेगा कि न्यायाधीश महोदय उसके मुकदमे की सुनवायी करें। मेरा सुझाव है कि कमिशनर के खर्च को वहन करने के लिए एक कोष का सृजन किया जाए। यदि जूनियर वकील को भी यह काम सौंपा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम जूनियर वकीलों की अवहेलना नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस काम के लिए केवल जूनियर वकीलों को, जिन्हें कुछ अनुभव हो, लगाया जाना चाहिए। आखिर यह काम साक्ष्य लेने का ही है। उन्हें मुकदमों का फैसला नहीं करना है। आपने साक्षी की भाव-भंगिमा पर भी विचार करने की व्यवस्था की है।

कुमारी ममता बनर्जी: जूनियर वकील सीनियर वकीलों से बेहतर होते हैं।

श्री पी.सी. थामस: वे कभी-कभी बेहतर होते हैं। अत: इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि मेरा इन चीजों से सीधा कोई मतलब नहीं है, मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय के मामलों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो उच्चतम न्यायालय तक नहीं जा सकते, वैसे मामलों में एक अच्छा वकील रख कर मामले को समझा कर उच्चतम न्यायालय से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। छोटी-छोटी बातों के लिए, इज्जत का मामला बना कर जब कोई एक पार्टी उच्चतम न्यायालय में जाती है तो दूसरी पार्टी को भी जाना पड़ता है। दूसरी पार्टी को न्याय नहीं भी मिल सकता है, यदि वह गरीब है तब तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अत: भारत जैसी संघीय व्यवस्था में इसे भी विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए जो या तो सभी राज्यों में उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना करके हो सकता है अथवा इसके क्षेत्राधिकार को राज्यों को ही देकर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का अपील न्यायालय भी सृजित किया जा सकता है। मेरे विचार से इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इसे राज्य तक ही सीमित होनी चाहिए ताकि छोटे मामलों में अंतिम अपील का फैसला वहीं हो सके। उच्चतम न्यायालय के पास वही मामले ही जाने चाहिएं। संवैधानिक मामले हों, अन्तर्राज्यीय मामले हों तथा जहां कानून की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा हो। अन्यथा, जिन मामलों का फैसला राज्य में किया जाना संभव है उन्हें वहीं तक सीमित रखा जाए। वैसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय द्वारा संभवत: निर्णय नहीं लिये जा सकते, तो मेरे विचार से वैसे मामलों में अपील न्यायालय की स्थापना जिसका स्वरूप संघीय न्यायालय जैसा हो, राज्य में ही की जानी चाहिए। इस प्रकार मुकदमों में अंतिम फैसला राज्य में ही होना संभव हो सकता है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन करने के लिए विधि मंत्री को बधाई देता हूं। इन संशोधनों के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें समाहित हैं, भले ही सभी बातें समाहित न हों। मैं याचिकाओं में संशोधन करने साक्ष्य लेने जवाब दाखिल करने अथवा सम्मन की सेवा जैसी समस्त बातों को दोहराना नहीं चाहता।

मुझे मात्र तीन अथवा चार सुझाव देने हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। सरकार सदैव अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध अपील दायर करती है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अपील करता हूं कि मुकदमों की संख्या में कमी करने के लिए मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि सरकार प्रौन्नति, वेतनवृद्धि तथा इसी तरह के छोटे-छोटे मामलों को लेकर अपने ही कर्मचारियों के

विरुद्ध अपील दर्ज न करे। दूसरी बात मैं मामले स्थगित किए जाने की संख्या में कमी लाने के बीच में कहना चाहता हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि धनी व्यक्ति बार-बार मामले को स्थगित करवा लेता है। क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ कर सकते हैं जिससे स्थगित किये जाने की संख्या को सीमित किया जा सके।

मेरा तीसरा सुझाव राज्यों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के संबंध में हैं। इन दिनों यह एक राजनीतिक नियुक्ति बन कर रह गया है। जब कभी कोई नई सरकार आ जाती है, तो केवल उसकी अपनी ही पार्टी के लोगों की इस पद पर नियुक्ति की जाती है। अत: दोष-सिद्धि मामलों की संख्या निराशाजनक है। अनेक बार यह देखा जाता है कि सरकारी वकील अपना व्यवसायिक नीतियों से समझौता कर लेते हैं। सरकारी वकील किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे सरकारी वकीलों के लिए एक स्थायी केन्द्र बनाया जा सके? यदि ऐसा हो जाता है तो वे सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे और वे जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। इससे बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा और सरकारी पक्ष की ओर से अधिक मामलों में दोषसिद्ध किया जा सकेगा।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुकदमा चलाने से पूर्व बातचीत किए जाने के बारे में स्थिति क्या है? विश्व के अनेक देशों में मुकदमापूर्व बातचीत को सांविधिक अधिकार दिए गए है। अत: क्या हम भी इसी तरह के कोई अधिकार दे सकते हैं।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अति धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि कानून मंत्री जी कमीशन, सभी दलों और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह संशोधन लाए हैं, ऐसे में हमें उनकी भावना की कद्र करनी चाहिए।

यह बात सत्य है कि यदि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता हैं तो उसके पड़पोते उस मुकदमे को लड़ते हैं। आप जो संशोधन लाए हैं, हमें उसकी भावना की कद्र करनी चाहिए। मंत्री जी ने हर स्टेज पर समय निर्धारित करने का काम किया है। 30 दिन के भीतर प्रतिवादी अपना नाम दे दें, डिक्री किस की होगी, दूसरी अपील नहीं हो सकती, इन सब का उसमें उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि सम्मन रजिस्टर्ड लैटर, स्पीड पोस्ट और कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं। उन्होंने यह एक नई व्यवस्था की है। पहले सम्मन सर्व करने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आदमी जाता था, फैसला होता था, लेकिन दो गवाहियां नहीं होती थीं। उन्होंने सम्मन सर्व करने के समय ठीक प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। यदि वह व्यक्ति उससे इन्कार करेगा तो उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि तारीख तय होने के बाद सम्मन वादी को दिए जा सकते हैं। ऐसे समय वह प्रतिवादी को सम्मन इशू करा सकता है। इसमें सम्मन को पुन: जारी करने की व्यवस्था की गई है। यदि दावे में किसी प्रकार की कमी रह गई तो वह उसे 14 दिन के भीतर फाइल करा सकता है। प्रत्येक प्रतिवादी को कापी देने का काम भी किया गया है। सात दिन के भीतर सादे कागज पर टाइप करा कर उसे सारे प्रतिवादियों को सौंपना अनिवार्य होगा। इसमें समय कम करने का प्रयास किया गया है और उत्तर देने का समय भी 30 दिन रखा है। प्रतिवादी उसे 90 रोज के भीतर निश्चित रूप से एप्लाई करेगा। मंत्री जी ने इसमें समय को ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया है। यदि कोई आदमी सम्मन इशू करने की फीस निर्धारित समय में जमा नहीं करता है, उसका केस खारिज कर दिया जाएगा लेकिन यदि ठीक समय पर वकील कारण बताता है तो कोर्ट आदेश नहीं देगा। कहीं मौखिक वाद होता है तो अच्छी बात है लेकिन लिखित में सारी बात को कायम किया जाएगा।

इसमें कमीशन नियुक्त करने की भी बात कही गई है और वह इसलिए की गई है कि कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता है। कमीशन के सामने गवाही हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि उसे निश्चित रूप से अदालत में जाकर बार-बार बयान करने में समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। कमीशन चार दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगा। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय द्वारा कमीशन के पैनल में जो लोग आएंगे उन्हें इसमें नियुक्त किया जाएगा। वादी को फीस अपनी ओर से देनी पड़ेगी। निर्णय के बारे में कहा गया है कि 30 दिन के भीतर कोई निर्णय देगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो 60 दिन से ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा।

इसमें चुनाव याचिका की बात भी कही गई है। माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय यह बताएं कि निर्धारित समय में 6 महीने के भीतर निर्णय हो जाएगा वरना जो चुनाव याचिका जीत गया, किसी बल पर जीत गया, दादागिरी के आधार पर जीत गया, पैसे के आधार पर जीत गया। एक बार चुनाव जीत गया तो जीत गया। उसके बाद पांच-छ: साल तक रिट पिटीशन पर कोई निर्णय नहीं होता है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से इस बारे में भी बात करेंगे। कमिश्नर किस आधार और योग्यता के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे और उनकी क्या फीस होगी, यह भी माननीय मंत्री जी बताने का प्रयास करेंगे।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

सभापति महोदय, आज बहुत सारे केसिज अदालतों में पैंडिंग पड़े हुए हैं तथा जजेज के स्थान भी रिक्त पड़े हुए हैं। 35 लाख मुकदमे आपने अपने श्रीमुख से स्वयं स्वीकार किये हैं। माननीय मंत्री जी मैं समझता हूं कि आपकी भावना अच्छी है। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से आपकी भावना की कद्र करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप देश में एक ऐसा कानून लायेंगे जिससे सिविल कोर्ट में वर्षों तक जो मुकदमे लम्बित पड़े रहते हैं, उनका शीघ्र निपटारा होगा तथा हाई कोर्ट में जो जजेज के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं, आप उनकी भी आपूर्ति शीघ्र करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने वाले सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं। लगभग सभी सदस्यों में इस विधेयक का समर्थन किया है और कुछ अत्यधिक व्यावहारिक मुद्दे उठाये हैं मेरे विचार से इन मुद्दे को मोटे तौर पर दो उद्देश्यों से संबधित हैं। पहला यह कि न्याय-व्यवस्था में ईमानदारी होनी चाहिए। अभी-अभी जिन वक्ताओं ने बोला है, उनमें से एक श्री पी.सी. थॉमस ने कहा है कि जल्दी के चक्कर में हमें न्याय का गला नहीं घोंटना चाहिए। साथ ही, अनेक सदस्य यह समझते हैं कि न्याय की प्रक्रिया जब इतनी धीमी होती है तो उसमें हुआ विलंब उसका वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त कर देता है। हम इस विधेयक के माध्यम से बीच का रास्ता अर्थात् न्यायिक प्रक्रिया की गति और विधि सम्मत प्रक्रिया नियमों के अनुपालन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, यह आवश्यक है। हम विधिशास्त्र अर्थात् एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां सभ्य-समाज के मापदंडों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि लोगों में विवाद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति न हो और मात्र बल-प्रयोग से नहीं अपितु न्यायिक-अधिकरण द्वारा उनका निपटान और निर्णय हो। जिस समाज में कानून का शासन हो उससे यही अपेक्षा की जाती है।

दूसरा कारक यह है कि न्याय प्रक्रिया के विलंब न्यायिक सेवा लेने की लागत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह लोगों को न्यायालय की शरण में जाने से रोके और कानून अपने हाथ में लेकर संविधानातिरेक उपायों से विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरित करे। अत:, जैसाकि मैंने कहा, हमने शीघ्र न्याय, निष्पक्ष, न्याय और विधि-सम्मत-प्रक्रिया के बीच समन्वय रखने का रास्ता चुना है। यह चिंता वास्तविक है। माननीय सदस्या, कुमारी ममता बनर्जी जब बोल रही थी तो उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उच्च न्यायालय के लगभग 35 लाख मामले लंबित है। जहां तक संपूर्ण देश का संबंध है निचले न्यायालयों में यह आंकड़ा दो करोड़ से भी अधिक है। इन दो करोड़ मामलों में से लगभग एक-तिहाई दीवानी मामले हैं और दो तिहाई फौजदारी के मामले हैं।

श्री वी.पी. सिंह बदनोर ने भाषण देते समय एक प्रश्न यह उठाया था कि हम दण्ड-प्रक्रिया संहिता के संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि जहां तक सभ्य समाज के नियमों का संबंध हैं, उसका बहुत व्यापक प्रभाव है। यदि लोगों को अपराध करने पर सजा न दी जाए तो वास्तव में, समाज पर उसके गंभीर प्रभाव होते हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। हमने पिछले वर्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मल्लिमठ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वे दण्ड-प्रक्रिया-प्रणाली में परिवर्तन करने संबंधी कुछ सुझाव भेजना चाहते हैं तो वे मुझे जायें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह गंभीर तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि चालान जैसे सामान्य अथवा अन्य छोटे अपराधों में नहीं बल्कि गंभीर किस्म के अपराधों में इस देश में अभियोजन दर घटकर लगभग छह प्रतिशत तक आ गई है। आपराधिक अथवा गंभीर किस्म के अपराध करने वाले 93-94 प्रतिशत लोग स्वयं को अपराध-मुक्त करवाने में सफल हो जाते हैं। अत:, जब अपराध करना खतरनाक नहीं माना जाता है और आप अपराध फायदा कमाते हैं और अभियोजन दर काफी कम हो जाये तो हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए। इसका कानून के शासन और सभ्य समाज के शासन यह गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अपराधी और माफिया लोग समाज को भयाक्रांत कर देंगे। अत: , हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमारे अपराध-कानून-व्यवस्था में वास्तव में क्या खामियां हैं।

वह समिति अब सारे देश का दौरा कर रही है। यह पुलिस अधिकारियों, मानवाधिकार समूहों, राजनैतिक लोगों, न्यायाधीशों, वकीलों इत्यादि से मुलाकात कर रही है। उसने संपूर्ण देश में लगभग चार सम्मेलनों का आयोजन किया। मुझे तीन-बार उसके सदस्यों से विचार-विमर्श करने तथा अवसर प्राप्त हुआ। यह विश्व जिन मौलिक मुद्दों से जूझ रहा है, अब उन्हीं पर विचार करने का समय आ गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

हमें ऐसे साक्षियों का क्या समाधान निकालना चाहिए जो बाद में साक्ष्य देने से मुकर जाते हैं क्योंकि दण्ड विधि शास्त्र ही ऐसे

साक्षियों के साक्ष्य पर टिका हुआ है? न्यायालयों में सच्चाई बयां करने के लिए आम नागरिक साक्ष्य देने के लिए नहीं आते।

हमने एक मानदंड का अनुसरण किया है जो कि एक संवैधानिक गारंटी है कि आरोपी को चुप्पी का पूर्व अधिकार है। अब जबकि दोषसिद्धि की दर छः या साढ़े छः प्रतिशत है तो आप इसके साथ कहां सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? विधि आयोग भी इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। पुलिस और अभियोजन करने वाली एजेंसियों का इस मुद्दे पर एक ही विचार है क्योंकि हमारे पास बहुत गम्भीर प्रश्न हैं जिस पर पुनः मुझे समाज की राय लेनी है कि किस तरह हम समाज में हमारे दांडिक कानून विधिशास्त्र प्रणाली को चला रहे हैं। क्या प्रत्येक मामले में सबूत की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजक की होनी चाहिए? क्या आरोपी को केवल चुप्पी के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और बच निकलना चाहिए? ये आधारभूत प्रश्न हैं। मैं इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं देना चाहता है क्योंकि इनका उत्तर देना बहुत कठिन है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि इस सभा को जो देश की कानून बनाने वाली प्राधिकारी है, इन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करना शुरू कर देना चाहिए।

महोदय, एक विशेषज्ञ दल इन मुद्दों पर विचार कर रहा है। हमें जब इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी हम इसे सम्माननीय सभा के समक्ष चर्चा के लिए रखेंगे क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका जहां तक भारत का संबध है, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, सिविल समाज के मानदंडों तथा विधि के शास्त्र पर प्रभाव पड़ने वाला है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह मेरा उसका प्रत्युत्तर है। हमें उक्त दल की रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक मिलने की सम्भावना है। ये संशोधन ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें हमें जल्दबाजी में करना चाहिए अपितु उन पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन जो पहले बोले थे ने अपील के मुद्दे के बारे में प्रश्न उठाया था और मैंने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया था। हमें दरअसल दो प्रणालियों में से एक को चुनना है। एक है कि किसी न्यायिक सेवा में, बहुत सम्भव है की गलतियां हों जो कि हो सकती हैं और इसलिए एक नागरिक को गलती के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक आदेश के खिलाफ कितनी अपीलें करने की हम अनुमति देते हैं? मूल सिद्धान्त है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का संवैधानिक अधिकार सुस्थापित है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक अपील स्वीकार की जानी चाहिए। कोई भी आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके विरुद्ध अपील न की जा सके। साथ ही एक ही आदेश के विरुद्ध चार या पांच अपीलें करने से स्थिति जटिल हो सकती है। इसलिए हमने इस सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधिपक्ष में उस बात का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। जब उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने आरंभिक अधिकारिता या किसी अन्य शक्ति के अंतर्गत किसी मुद्दे का निपटारा करते हैं तो खंड न्यायपीठ में अपील करने का अधिकार होगा। लेकिन यदि एकल न्यायाधीश निचली अदालतों के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे हों तो अपील का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर जानना चाहते हैं कि क्या अपील सीधे खंड न्यायपीठों में भी की जा सकती है। वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करना निषिद्ध है। यह सब बातें पृथक नियमों से शासित होती है जो कि उच्च न्यायालय स्वयं के लिए बनाते हैं। ऐसे भी उच्च न्यायालय हैं जो जिला न्यायाधीश के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देते हैं और ऐसे भी उच्च न्यायालय हैं जो खंड न्यायपीठ में अपील दायर करने की अनुमति देते हैं और ऐसे भी कुछ उच्च न्यायालय हैं जो एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देते हैं। ये सभी ऐसे मामले हैं जो कि उच्च न्यायालयों की प्रक्रिया द्वारा स्वयं शासित होते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन जानना चाहते थे कि इस संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता थी जो कि स्पष्टीकरण प्रकृति का है कि कोई सिविल न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार के द्वारा कोई डिक्री निष्पादित नहीं कर सकता है। यदि सम्पत्तियां उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं तो स्पष्टतः उनके क्षेत्राधिकार से बाहर की सम्पत्तियों की कुर्की करनी होगी। वह बहुत सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अंतर्गत उपबंध है कि कोई व्यक्ति डिक्री का अंतरण आदेश प्राप्त कर सकता है और उस न्यायाधीश के पास जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह है। यह विद्यमान उपबंध है। लेकिन कुछ परस्पर विरोधी निर्णय हुए हैं। इसलिए विधि आयोग ने अपनी 144वीं रिपोर्ट में सलाह दी कि परस्पर विरोधी मतों द्वारा उत्पन्न भ्रान्ति को दूर किया जाए और एक स्पष्टीकरण करने वाला संशोधन लाया जाना चाहिए। इसलिए यह संशोधन केवल एक स्पष्टकारी संशोधन है जो कि वर्तमान मत को पक्का करता है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि एक लिखित वक्तव्य को दायर करने में कितना समय दिया जाना चाहिए। 1999 में हमने जो विधेयक पारित किया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश को भी एक दिन अधिक देने का अधिकार नहीं होगा। यह एक ऐसा उपबंध था जिसका काफी विरोध हुआ। अन्ततः, भारतीय विधिक परिषद और विभिन्न विधिक संघों से हमारी बातचीत हुई

[श्री अरुण जेटली]

और यहां तक कि मैंने इस सभा के वकील-सदस्यों से बहस में भाग लेने को कहा। श्री पवन कुमार बंसल इन सभी बैठकों में मेरे साथ थे। जब हमने इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की, उस समय विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी उपस्थित थे, महाधिवक्ता भी उपस्थित थे और हमने इस मुददे पर विस्तार से चर्चा की। अब यह कहना तार्किक प्रतीत होता है कि हमें अपील दायर करने के लिए केवल 30 दिनों का समय देना चाहिए, एक दिन भी अधिक नहीं। यह उपबंध 1999 में पारित किए गए विधेयक में भी था।

चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठाए गए। हमारी जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब है। वकील करने से पहले ही उन्हें इसके लिए पैसा जुटाना पड़ता है। हमारे यहां लोग अशिक्षित भी हैं जो यह भी नहीं जानते हैं कि उनके दस्तावेज कहां पड़े हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ सकता है और वहां से दस्तावेज प्राप्त करने पड़ सकते हैं जहां तक कि रजिस्ट्रार के कार्यालय का संबंध है।

इसी तरह, कुछ लोग अस्वस्थ हो सकते हैं। अधिकांश व्यावसायिक विवादों में मुकदमा भारत में चल रहा होता है और मवक्किल भारत से बाहर होता है। तो क्या आप कड़ा नियम, 30 दिन, उससे एक भी दिन अधिक नहीं चाहते हैं और न्यायाधीश को शक्तियां नहीं देना चाहते हैं?

थोड़ी बहुत चर्चा इस बात पर भी हुई कि तर्कसंगत समय क्या होना चाहिए। काफी चर्चा के बाद इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा: "सामान्य नियम 30 दिन का है। 30 दिन के इस नियम का उल्लंघन तभी किया जा सकता है यदि न्यायाधीश आश्वस्त हों कि इसके उल्लंघन के पर्याप्त कारण हैं। लेकिन अधिकतम सीमा किसी भी हालत में 90 दिनों, अर्थात् 30 + 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती।" यह अधिकतम सीमा है। वास्तव में, मैं आपको बताता हूं कि एक मुकाम पर मेरा आरम्भिक विचार था कि '30 + 30' उपयुक्त होगा। लेकिन ऐसे वकील भी हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करते हैं। वे ऐसे मवक्किलों के मुकदमों को देखते हैं जिनकी भुगतान करने की क्षमता बहुत कम है और जिनकी अपने दस्तावेज प्राप्त करने की क्षमता भी सीमित है। वह बहुत गरीब हो सकता है। एक किसान जो अपने खेतों में व्यस्त हो सकता है। लेकिन वे सभी तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। हमने खासतौर पर ऐसा उस समय महसूस किया जब हमने इन पर चर्चा की। माननीय उपाध्यक्ष ने कहा: "कुछ क्षेत्रों में, आपने वकीलों के विचारों को शामिल करने की कोशिश की।" जी, हां हमने ऐसा किया था। यह ऐसा ही एक क्षेत्र है।

दो क्षेत्र जहां हमने उनके विचारों को स्थान दिया उनमें से एक यह था कि इसमें कुछ लचीलापन रखा जाना चाहिए जिसकी अधिकतम सीमा 90 दिन होनी चाहिए।

दूसरा क्षेत्र जहां हमने उनके विचारों को स्थान दिया वह यह था कि 1999 के विधेयक में कहा गया था कि अभिवचन के संबंध में संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। अब जो भी मामला चल रहा हो, और मामला दर्ज होने के बाद कुछ घटना घटती है, तो उस मामले में फैसला जरूरी हो जाता है। इस तरह के बहुत से उदाहरण है। यह हर रोज होता है।

अत: बाद की घटनाओं के लिए आपको सीमित संशोधन का अधिकार है। हम लोगों ने उनके विचारों को स्थान दिया। लेकिन साथ ही हमने उन्हें हमारे विचारों से भी सहमत होने के लिए प्रेरित किया। वे काफी चीजों पर सहमत थे। उदाहरण के लिए न्यायाधीश का यह अधिकार है कि वे अंतहीन दलीलों को रोक दे। ये अंतहीन दलील कई दिनों तक चल सकती है। ब्यादेश आवेदनों के लिए दलीलें कुछ दिनों तथा महीनों तक चल सकती हैं। मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि 'बार' के सदस्य के नाते हमने मामलों को कई दिनों तथा कई महीनों तक दलीलों में खींचा है। इससे वादी पर आर्थिक बोझ पड़ता है और न्यायालय का समय बरबाद होता है। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता।

हाल ही में चीन के उच्चतम न्यायालय के वाइस-प्रेजिडेंट यहां आए थे। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा: "आपके देश में किसी मामले के निपटान में कितना समय लगता है?" उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा: "पहले बहुत जल्दी होता था, अब थोड़ा समय लगता है।" मैंने पूछा: "कितना समय लगता है?" उन्होंने कहा: "पहले दो हफ्ते लगते थे, लेकिन अब चार से छ: हफ्ते लग जाते हैं।" चार से छ: हफ्ते लगने पर उन्होने खेद व्यक्त किया।

मैंने दूसरे सदन में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया था। अमरीका में गत वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण मामला दर्ज हुआ था वह बुश के खिलाफ अलगोरे ने किया था जिसमें फैसला होना था कि अमरीका का राष्ट्रपति कौन होगा। इस मामले को निपटाने में अमरीकी उच्चतम न्यायालय को कुल डेढ़ घंटा लगा। वे मामले के साथ यह कहते हुए समय आबंटित कर देते हैं: "आपको और जो कुछ भी कहना है कृपया लिखित में दें।" किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उक्त विधि प्रणाली दोषपूर्ण है अथवा समय सीमित दिये जाने के कारण पक्षकारों को नुकसान उठाना पड़ता है और आपको अनंतकाल तक बहस करने का समय नहीं मिलता। भारत में वास्तव में एक व्यवस्था मौजूद थी कि जब न्यायाधीश अपनी घड़ी देखते हुए कहता था: "आप और कितना समय लेंगे?" हम उनसे कहते थे: "कृपया घड़ी न देखकर कैलेंडर देखें

चूंकि हमने आपको यह बताना है कि इसे पूरा करने में हमें कितने दिन लगेंगे।''

अब इस प्रकार के अनुशासन में हम विधिवत् प्रक्रिया और तेज गति में किस प्रकार संतुलन बनाएं? अत: हमने कहा और बार सहमत हो गई: ''अच्छा तो बहस का समय निश्चित कर दो ताकि मुकदमे की अवधि लम्बी न हो।'' मुम्बई उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय में मूल मुकदमे के लिए औसतन 15-20 वर्ष लगते हैं। निचली न्यायालयों में तीन से पांच वर्ष लगते हैं।

साक्ष्य की रिकॉर्डिंग होती है। इस कार्य में उच्च न्यायालय में अनिश्चित समय लग जाता है। निचली अदालतों में भी कुछ वर्ष लग जाते हैं। हर प्रकार के मुकदमे होते हैं। हम यह नहीं कहते कि सारे मुकदमे आयोग तक पहुंचेंगे। माननीय सदस्य श्री पी.सी. थॉमस ने कहा: ''मुकदमा लड़ने वाला किस तरह भुगतान करेगा?'' खैर न्यायाधीश इस बात का ध्यान रखेगा अगर मुकदमा लड़ने वाला गरीब है तो न्यायाधीश आयोग को न भेजकर स्वयं साक्ष्य रिकार्ड करेंगे।

लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रतिदिन, हम यह मामला ''प्रश्न काल' या 'शून्य काल' के दौरान उठाते हैं। श्री रूपचंद पाल बैंकों और वित्तीय संगठनों की गैर निष्पादक आस्तियों के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हमने पूरे देश में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। बैंकों के वसूली के लिए मुकदमे दायर किए हुए हैं। क्या हमें दावों की पूरी राशि पता है? भारत के बजट का पूरा आकार साढ़े चार लाख करोड़ रुपय है। इस समय डी आर डी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) के समक्ष बैंकों के दावे 1,10,000 करोड़ रुपये है कुछ व्यक्तियों, कम्पनियों एवं दूसरों ने जिन्होंने ऋण लिए हुए हैं। लेकिन लेनदार को देनदार के पीछे भागना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। अब ऐसे मामले में उन मंचों पर आपको यही करना होगा कि आपको साक्ष्य रिकार्ड करना होगा। बैंक गरीब मुकदमेबाज नहीं है, कृपया एक कमीशनर नियुक्त करें क्योंकि बैंक के दस्तावेजों को प्रमाणित करना होता है। ऐसे मुकदमे के निपटान में दस वर्ष क्यों लगे? सम्पत्ति के संबंध में मुकदमे होते हैं, परिवार के संबंध में मुकदमे होते हैं जहां मुकदमेबाजी मानसिक क्लेश उत्पन्न कर सकती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा कि क्या कमीशनर के खर्च का बंटवारा किया जाएगा अथवा समर्थ मुकदमेबाज अकेला ही उस खर्च को वहन करेगा। यह सभी मामले न्यायाधीश के विवेक पर होते हैं। कानून में इसका उल्लेख है।

एक प्रश्न उठाया गया कि कमीशनर को कौन नियुक्त करेगा? यह आशंका व्यक्त की गई कि कोई कुछ वकीलों पर कृपा कर सकता है हमने कहा कि नहीं। उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश कमीशनरों का एक पैनल बनाएंगे।'' आखिरकार आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वह कहेगा कि उच्च न्यायालयों में फलां-फलां और जिला न्यायाधीश कहेगा कि ये 50 वकील हैं। मैं संतुष्ट हूं, वे स्तर के हैं लेकिन अन्य लोगों को लेकर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं उन्हें पैनल पर नहीं रखूंगा वे कितना पैसा लेंगे? न्यायाधीश के पास पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है।'' न्यायालय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा पारिश्रमिक की राशि निर्धारित कर सकता है। इसीलिए एक पैमाना होगा। अब इस कारक से जुड़ा एक और कारक था जिससे वकील पक्ष मोटे तौर पर सहमत हो गए क्योंकि कुछ लोग थे जिन्हें यह हिचक थी कि कमीशनर साक्ष्य रिकॉर्ड करता है और सामान्यत: जिस काम को उच्च न्यायालय में पांच या दस वर्ष लगते हैं निम्न न्यायालयों में तीन से चार वर्ष लगते हैं वहीं साक्ष्य का रिकार्ड वह न्यायालय के समक्ष 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर देता है जब तक कि विषय वस्तु ऐसी न हो जिसमें न्यायाधीश उसकी अवधि बढ़ा दें।

श्री ए.सी. जोस: वकील को कमीशनर बनाने के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अरुण जेटली: मैं समझता हूं कि श्री जोस को इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कुछ मुद्दे उठाए गए थे। कोई ऐसी विषय वस्तु भी हो सकती है जहां किसी बहुत वरिष्ठ वकील का होना अपेक्षित हो, मैं एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने मुकदमे का संदर्भ दिए बिना इसका उल्लेख किया है। हमने प्रतिदिन इस सदन में इस पर चर्चा की है, मीडिया से भी इसके बारे में चर्चा की गई है कि उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा पिछले पचास वर्षों से चल रहा है किसी दीवानी मुकदमे के लिए पचास साल क्यों लगे? अंतत: न्यायाधीश ने इसका क्या हल निकाला?

हम केवल कुछ ही दिन ही सुन सकते हैं, जब हम नहीं सुन सकते तो एक आयुक्त सुनते हैं। अत: उन्होंने सोचा कि वह आयुक्त कोई सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। किसी छोटे से विवाद में न्यायाधीश को लग सकता है कि एक साधारण नौजवान भी बहुत उत्साहित होता है। किसी महत्वपूर्ण मामले में वह सोच सकते हैं कि कोई वरिष्ठ आदमी वहां हो। आखिरकार हम विधान के जरिए शक्तियां मुख्य न्यायाधीश या जिलाधीश को सौंपते हैं न कि देश के प्रत्येक मैजिस्ट्रेट या प्रत्येक सिविल न्यायाधीश को।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय मंत्री जी अपने ही अनुभव से यह स्पष्ट कर सकते हैं। हम उस मामले में सक्षम नहीं हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

यह भी देखा गया है कि बहुत बार कमजोर आधार पर कोर्ट की कार्यवाही स्थगित की जाती है। दूसरा पक्ष तैयार होता है लेकिन वरिष्ठ वकील खाली नहीं होता। अत: मुकदमा आगे नहीं चल सकता। अब इस तरह आप देखिए कितने घंटे बरबाद हो जाते हैं। माननीय मंत्री इसका क्या करेंगे?

श्री अरुण जेटली: मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं। श्री स्वाइं ने भी यह प्रश्न पूछा था।

श्री ए. कृष्णास्वामी: एडवोकेट-कमिश्नरों की नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन वह तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देते। एडवोकेट कमिश्नर की संकल्पना पहले से ही मौजूद है।

श्री अरुण जेटली: एडवोकेट कमिश्नर सामान्यत: दोनों पक्षों की मंजूरी से ही नियुक्त किये जाते हैं। अब तो आप बिना मंजूरी के ही शक्तियां दे देते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी जिसे बैंक को 1,10,000 करोड़ रुपया देना है वह नियुक्त किए जाने वाले आयुक्त के सामने कभी स्वीकृत नहीं करेगा और तीन महीने में जारी आदेश को मानना नहीं चाहेगा। अत: वह प्रयास करके मुकदमे को बढ़ाएगा। ऐसे में यदि आयुक्त अपनी रिपोर्ट नहीं देते तो मुझे विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश चूककर्ता आयुक्त को सूची से बाहर कर देंगे।

उस उच्च संवैधानिक सत्ता जिसे हमने शक्ति प्रदान की है उस पर हमें हमेशा अविश्वास नहीं होना चाहिए। यदि कोई आयुक्त अपने कर्त्तव्यों का वहन नहीं करता है तो यही शक्ति है कि न्यायालय अनुशासन किस प्रकार बनाए रखें। हर छोटी सी बात पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है हम कुछ बातें न्यायाधीशों पर भी छोड़ सकते हैं।

एक प्रश्न पूछा गया था कि बार-बार स्थगन होने पर क्या किया जाता है? परिवादी न्यायालय में जाते हैं और यही नहीं उच्च न्यायालय में लोग दूर दराज के जिलों से आते हैं और उच्चतम न्यायालय में लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं। जब यह परिवादी जगहों पर जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि वकील उपलब्ध नहीं है या कोई हड़ताल या इसी प्रकार की समस्या चल रही है, यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि सन् 1999 के संशोधन में हालांकि कुछ जगह हमने सुधार किए हैं, कुछ जगह हमने इसे और लचीला बनाया है-कुछ बहुत अच्छी जगह थीं। और उस संशोधन में एक जगह आदेश 17 के नियम (1) के अंतर्गत यह था कि किसी मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान न्यायालय की कार्यवाही तीन बार से अधिक स्थगित नहीं की जा सकती।

उस पूरे आंदोलन के कारण वह संशोधन लागू नहीं किया गया था, लेकिन एक बार यह विशेष विधेयक जिसे हम आज पारित कर रहे हैं प्रभाव में लाते हैं तो 1999 के संशोधन जहां तक हम उन्हें आज के प्रावधान के अनुसार संशोधित करते हैं सब एक में मिला दिए जाएंगे और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद हम उन्हें लागू करेंगे। अत: उन संशोधनों का कुल मिलाकर कम से कम यह असर पड़ेगा कि हम कानून के जरिए विधान की मंशा स्पष्ट करेंगे। आखिरकार, विधान सभा क्या कर सकती है? हम केवल कानून बना सकते हैं। हम उसे कानूनी रूप से अर्थपूर्ण तो बना सकते हैं लेकिन मुख्य खिलाड़ी तो वकील और न्यायाधीश ही होते हैं। एक बार विधान कह देता है तो उन्हें भी अपने उत्तरदायित्वों को समझना पड़ेगा। यदि आप सिविल प्रक्रिया संहिता को मोटे तौर पर देखें तो आपके पास अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए 30 दिन होते हैं। समन जारी करने में एक वर्ष लगाने के बजाए हमने दर्जनों भिन्न तरीके बताएं हैं जिससे आप समन भेज सकते हैं। किसी जिले में कोरियर से समन भेजने के लिए भी दो या तीन दिन ही लगते हैं इससे ज्यादा नहीं लगते। आपको अपना लिखित कथन 30 दिनों में दाखिल करना होता है उन मामलों के सिवाय जहां यह अवधि बढ़ायी जा सकती है। इस काम को करने के लिए 60 दिन का समय होता है। समय के आबंटन और फैसला सुनाने के लिए तीस दिन दिए जाते हैं। महोदय, 30 दिन का नियम है। इस पर कुछ टिप्पणी की गई थी। लेकिन कुछ मामलों में विषयवस्तु इतनी बड़ी हो सकती है कि समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है किंतु इसके लिए लिखित में कारण अभिलिखित (रिकार्ड) करने होते हैं कि क्यों अगले 30 दिनों तक फैसला नहीं सुनाया जा सकता।

महोदय, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं केवल एक घटना का वर्णन करना चाहूंगा। इस सदन में किसी ने यह पूछा कि ऐसे कितने मुकदमे हैं जिन पर फैसले एक वर्ष से अधिक लम्बित हैं। मैंने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी कि मुझे यह जानकारी आगे देनी है। कुछ लोगों ने यह जानकारी दे दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है और हम आपको नहीं बता सकते। मैं लाचार था चूंकि आंकड़ों के अभाव में मैं सदन को एक प्रभावी उत्तर नहीं दे सकता था। अत: मैंने उनसे पत्राचार जारी रखते हुए उनसे आंकड़े देने का अनुरोध करता रहा। कुछ पत्रकारों को किसी प्रकार इसका पता चल गया। किसी अखबार ने यह लेख छाप दिया कि यह विवाद शुरू हो गया है।

पिछली गर्मियों में मैं किसी सम्मेलन के लिए इंगलैंड गया था। मैंने वहां के लॉर्ड चांसलर, जो उनके कानून मंत्री तथा उनकी न्यायिक व्यवस्था के भी शीर्ष हैं भेंट की। उन्हें भारत के बारे संक्षेप में मसौदा दिया गया। उन्हें इंटरनेट से यह पूरी जानकारी मिल गई होगी यह रोचक समाचार लेख भी उनके सामने था। अत: उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछते हुए कहा, "मुझे पता चला

है कि आपको अपने देश में भी यह समस्या है कि जहां न्यायाधीश यह नहीं बताते कि कितने फैसले लम्बित हैं" मैंने कहा: "आपने 'भी' क्यों कहा?" उन्होंने कहा: "क्योंकि यह मेरे यहां भी है।" तो मैंने उनसे पूछा "आप उससे किस प्रकार निपटते हैं?" और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रहस्यमय वाक्य कहा: "मैंने अपने न्यायाधीशों से कहा कि आप लोग स्वतंत्र होंगे लेकिन इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए न करें।" ये दोनों बिल्कुल भिन्न बातें हैं और उनका प्रयोग भी बिल्कुल अलग है। अब इसीलिए इस सिविल प्रक्रिया संहिता में पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने यह कानूनी मार्गदर्शन दिया है जो है कि फैसले शीघ्र ही सुनाए जाने चाहिएं। साक्ष्य आसानी से और जल्दी रिकार्ड किया जाना चाहिए। बहस संक्षिप्त और जोरदार होना चाहिए। उत्तर जल्दी दाखिल होने चाहिएं और समय पर होने चाहिएं। लेकिन यदि कोई कानूनी आदेश का अनुपालन न करने का निर्णय लेता है तो मुझे विश्वास है कि न्यायिक संस्थान के ऊंचे स्तर के लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे।

महोदय, कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय सभापति महोदय ने सदस्य की तरह बोलते हुए इसे सस्ता बनाने का मुद्दा उठाया। कुमारी ममता बनर्जी ने भी यही प्रश्न उठाया था। मुकदमे की प्रक्रिया को हम इस देश में सस्ता कैसे बनाएं? इसलिए चूंकि यह वास्तव में बहुत महंगा है। शुक्रवार को ही हमने विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम का निपटान किया। उस अधिनियम में मैंने एक आंकड़ा दिया था कि आजकल नवनिर्मित तीन में से दो राज्यों को छोड़कर यह लगभग बन रहा है। उत्तरांचल और झारखंड में भी मुझे पता चला है कि यह हो रहा है भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय विधि सेवा प्राधिकरण है। सीधे जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय विधि सेवा प्राधिकरण है। हम उन प्राधिकरणों को वित्त पोषित करते हैं। वे प्राधिकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति जो उनके पास कानूनी सहायता लेने आता है वह पर्याप्त आय के अभाव में बिना वकील किए ना रह जाये, चूंकि वह निर्धन है। उस दिन मैंने आंकड़ा दिया था कि वे जिला स्तरीय प्राधिकरण 40 लाख लोगों से ऊपर लोगों को कानूनी सहायता देने में समर्थ हुई हैं। महोदय चालीस लाख लोग आ चुके हैं।

फिर हमने पूरे देश में, लोक अदालत व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। इस लोक अदालत व्यवस्था के जरिए पिछले 12 वर्षों में हम उस स्तर पर 1,36,00,000 मुकदमे निपटाने में समर्थ हुए हैं।

हमने अब लोक सभा में तो उस अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अब मैं राज्य सभा में संभवत: इसी सत्र में इस अधिनियम को प्रस्तुत कर अनुमोदित कराने का प्रयास करूंगा।

श्री खारबेल स्वाइं ने यह बात उठायी थी कि केन्द्र तथा राज्यों में नगरपालिका, हाउसिंग बोर्ड, टेलीफोन कम्पनियों तथा विद्युत कम्पनियों जैसी प्रत्येक जन सुविधा सेवा के सभी स्तरों पर लोक अदालतें होना अब अनिवार्य है। हमने शुक्रवार को इस विषय पर चर्चा की कि किसी मुकदमेबाज के पास वैकल्पिक रास्ते कौन से हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह न्यायालय जाए। वह न्यायाधिकरण और लोक अदालत जाकर छोटे मुकदमों को बिना पैसा खर्च किए निपटाने का प्रयास कर सकता है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। हमारे पास एक माध्यस्थम अधिनियम 1940 था और हमारी व्यवस्था का यह लगभग एक गुण हो गया था कि एक बार मध्यस्थता के बाद अधिनिर्णय हो जाता था हम उन अधिनिर्णयों को चुनौती देने के नए तरीके खोजते हैं। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम न्यायालय न जाकर अपने निजी न्यायाधीश चुनते हैं और पंच की तरह न्यायाधीश जो भी निर्णय दें उसे मानना होता है। न्यायाधीशों को सर्वदा यही बताया जाता है कि उनके पास बड़ी शक्तियां होती हैं। यह एक और कारण है जिसके कारण वह यही सोचते हैं कि उन्हें मध्यस्थता अधिनिर्णयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अत: हमने मध्यस्थता को सामान्य मुकदमे की अपेक्षा में ज्यादा महंगा बना दिया और इसकी प्रक्रिया भी लम्बी कर दी। अत: हमारा अधिनियम पूर्णत: अव्यवहारिक और व्यर्थ हो गया। अत: सन् 1996 में एक आदर्श कानून के अनुसरण में जिसे विश्व के भिन्न देशों ने अपनाया है हमने उस कानून से बहुत मिलता जुलता एक कानून लागू किया। उस कानून में अभी भी कुछ कमियां हैं जिनका हम परीक्षण कर रहे हैं। विधि आयोग ने मुझे एक रिपोर्ट दी है और बहुत जल्दी ही मैं परिवर्तन करने के लिए वापिस आऊंगा।

हमारे पास बहुत बढ़िया मध्यस्थम कानून है किंतु न्यायिक हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यस्थ हैं यदि आप किसी भारतीय कम्पनी से पूछें तो वे बताएंगे कि उनके विदेशी सहयोगियों ने अब इस बात पर बल देना शुरू कर दिया है कि विवाद की स्थिति में विदेशी मध्यस्थता अथवा विदेशी स्थान ही होगा। इसका यह कारण है कि हमारे देश में न्यायालयों का अत्यधिक हस्तक्षेप और अत्यधिक समय की बर्बादी है। अत: वे भारतीय साथी जिन्हें उस निवेश की आवश्यकता होती है उनके पास उस खाली स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता। जब वे मध्यस्थता के लिए विदेश जाते हैं जैसा कि एनरॉन मामले में हुआ तो भारतीय कम्पनियों को उसकी लागत बरदाश्त के बाहर लगती है। अत: यह हमारी भारतीय कम्पनियों के हित में होगा कि यदि हमें भारत में उच्च स्तरीय मध्यस्थता व्यवस्था रखनी है जिसमें कम से कम न्यायिक हस्तक्षेप हो, जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ हों ताकि हम

[श्री अरुण जेटली]

विदेशी निवेशकों को यह कह सकें कि भारत भी मध्यस्थता के लिए बहुत उपयुक्त जगह है और उनको बिल्कुल भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

कई अन्य प्रश्न उठाए गए। श्री ए.सी. जोस ने कहा कि 25,000 रुपये की सीमा बढ़ाई जा सकती है। हमने कहा है कि जहां 25,000 रुपये की राशि है वहां दोबारा अपील नहीं की जा सकती। मूल संशोधन 1999 में प्रावधान था जहां विषयवस्तु 25,000 रुपये हैं। अब "जहाँ 25,000 रुपये की राशि हो" तथा "जहां विषयवस्तु 25,000 रुपये हो" में फर्क है। उदाहरण के लिए अधिकांश कृषि सम्पदाओं अथवा ग्रामों और छोटे इलाकों में सम्पदाओं का मूल्यांकन पारम्परिक मूल्यांकन विधियों द्वारा किया जाता है। वे सम्पदाओं का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं लगाते। उन सभी मामलों में, यदि सम्पदा संबंधी विवाद हों तो अपील करने का अधिकार नहीं रहता। अत: हमने उसे 25,000 रुपये रखा है किंतु अपील के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एक माननीय सदस्य ने व्यादेश के मामले में जमानत देने की जरूरत के बारे में पूछा। व्यादेश के संबंध में पूछे गए प्रश्नों में से एक था कि हमारे पास यथापूर्व आदेश क्यों हों। जहां तक आदेशों की शर्तों का संबंध है यह न्यायिक विवेक पर है। जमानत का प्रावधान केवल आदेश 39 के नियम 2 में किया गया है। इसे आदेश 39 के नियम 1 के अंतर्गत उसी समान भाषा में लाने का प्रस्ताव था जब यह स्थायी समिति के पास गया तो समिति ने कहा, 'ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि सन् 1976 से ऐसा कुछ हुआ हो कि हमें यह प्रावधान करने की जरूरत पड़ी हो।' हमने समिति की इस राय का आदर किया है। अत: जो सरकारी संशोधन मैंने परिचालित किया है उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमने उस प्रावधान को अलग रख दिया है जब से स्थायी समिति ने यह राय दी कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यह सरकारी संशोधन लाया हूं।

श्री पी.एच. पांडियन और कुमारी ममता बनर्जी ने दो या तीन मुद्दों पर कुछ प्रश्न उठाए थे। उन्होंने जनहित याचिका के बारे में एक प्रश्न उठाया था। दूसरा प्रश्न था कि न्यायिक संगठनों में भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए। तीसरा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में था। भारत एक ऐसा देश है जहां संविधान की मूल भाषा द्वारा नहीं अपितु न्यायिक व्याख्या द्वारा कार्यकारिणी के बजाए न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और सरकार केवल उनकी अधिसूचना जारी करती है। यह सभी मौजूद रिक्तियां-जिसमें उच्च न्यायालय में लगभग 155 है-धीरे-धीरे कम हो रही हैं। निम्न न्यायालयों में यह आंकड़ा लगभग 1800 है। हमने न्यायिक संस्थाओं के समक्ष इस बात को उठाया है।

मैं इसका जिक्र तो अवश्य करूंगा परन्तु व्यापक टिप्पणी नहीं करूंगा। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी कार्यसूची अथवा घोषणा-पत्र में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के बारे में बोला है। हमने संविधान की कार्यशाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से न्यायाधीश वैंकटाचलैया की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया है, उसने भी सिफारिश की है। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग की उस सिफारिश पर केन्द्र और राज्य के राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए उनके अध्यक्षों को पत्र लिखे हैं। मुझे जैसे ही उन राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार प्राप्त होंगे-और यदि माननीय सदस्य जिस दल से वे संबधित है, उसके विचार बता सकें तो मैं उनका आभारी रहूंगा-मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि यदि व्यापक सहमति बनी तो उचित संविधान संशोधन पेश किया जायेगा और जहां तक इस सभा या संबंध है, केवल व्यापक सहमति होने पर ही ऐसा किया जा सकता है।

महोदय, एक प्रश्न यह उठाया गया था कि न्यायिक भ्रष्टाचार को किस प्रकार कम किया जा सकता है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे की जांच की और अनेक प्रश्न मेरे जहन में आये। हाल ही में सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह कभी नहीं कहा कि 20 प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। उसके विपरीत उन्होंने यह कहा था कि मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 80 प्रतिशत न्यायाधीश ऐसे हैं जो बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। अत:, उन्होंने जो नहीं कहा, हमने उसका हमने ऐसे ही अन्दाजा लगा लिया। यहां तक कि उन शब्दों के द्वारा भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। प्रश्न यह है कि न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की इस समस्या से किस प्रकार निपटा जाये। निम्न स्तरों पर इससे निपटना अभी भी आसान है क्योंकि निचले न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का अनुशासनात्मक नियंत्रण है। अत:, वे किसी के प्रति जवाबदेह तो हैं। परंतु जहां तक उच्च न्यायपालिका का संबंध है, उस पर मुश्किल से ही कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण होगा।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: कुछ लोगों ने, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया है, लगभग चार आवेदन दिये हैं और इन मामलों में न्यायाधीशों के स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने उन पर मुकदमा चलाने के लिए विभाग से अनुमति मांगी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप अनुमति देंगे अथवा नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी: राज्यों में अब न्यायपालिका उच्च न्यायालय के साथ नहीं अपितु राज्य सरकार के साथ है।

श्री अरुण जेटली: जब भी हमें कानून-सम्मत आवेदन प्राप्त होते हैं, तो हम उन पर विचार करते हैं। संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम इस प्रकार अनुमति देने पर कुछ

बंदिशें लगाता है। हमें कानून का भी ध्यान रखना चाहिए। न्यायाधीशों के समर्थन में दिए गए तर्कों का हमेशा यही तात्पर्य होता है कि वहां जो कुछ भी अपराध हो सके उसे ठीक करने के लिए न्यायिक संस्थाओं में ही अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए। अतः, कार्यकारिणी को इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमेशा से यही तर्क दिया जाता रहा है।

देखना यह है कि अंतर्निहित-तंत्र कितना सफल रहा है? उन्होंने कई मामलों में जनसंपर्क समितियां नियुक्त की हैं। वास्तव में, लगभग छह-सात वर्ष पहले इस सभा में एक मामला आया था। परंतु कई मामले सामने आये। समाचार-पत्रों में भी उन पर प्रकाश डाला गया। परन्तु यदि मैं ईमानदारीपूर्वक कहूं, तो यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। हर अपराध के लिए महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती। अपराध किसी भी प्रकार हो सकता है, जिसके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। महाभियोग द्वारा ही मुश्किल तथा बहुत ही विरल है अथवा लगभग असंभव उपाय है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान नहीं हो गया है और न्यायपालिका के समर्थन में यह मत दिया जाता रहा है कि उसमें अंतर्निहित तंत्र होना आवश्यक है। परंतु हमने अभी तक वह प्रभावी अंतर्निहित-तंत्र नहीं देखा। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि ऐसे कदाचार के मामलों में, जहां महाभियोग चलाने की जरूरत न हो, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग भी ऐसे प्रश्नों पर विचार करेगा। मेरे विचार से, हमें शैक्षणिक दृष्टि से भी उस सिफारिश को थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।

श्री ए.सी. जोस: उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को एक अंतर्निहित तंत्र स्थापित करना चाहिए। अभी भी बिना किसी संवैधानिक संशोधन के, यह काम किया जा सकता है।

श्री अरुण जेटली: क्या मैं एक बात और कह सकता हूं? मैं उचित समय पर इस मुद्दे पर सभा में विचार करने के उद्देश्य से इसे उठा रहा हूं क्योंकि न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशासनात्मक प्रक्रिया दोनों पर हम चर्चा शुरू कर चुके हैं। यह रिपोर्ट कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं। यहां तक कि सांसदों के सुझाव भी इसमें आमंत्रित हैं। मैं पुस्तक के रूप में प्रकाशित इन सिफारिशों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी को यह प्राप्त हो सके।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: हमारी जानकारी में जो भी महाभियोग का मामला इस सभा में लाया गया है, वह बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाया गया अंतिम प्रश्न उच्चतम न्यायालय की खंडपीठों के बारे में था। यह भी एक अंतिम जटिल प्रश्न है। सरकार और स्थायी संसदीय समिति का भी यह मत है कि कम से कम देश के कुछ भागों में खंड-पीठ बनाई जानी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खंडपीठ अवश्य बनाई जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को कम खर्चा करना पड़े ...*(व्यवधान)* दक्षिण के लोग भी इनकी अत्यधिक मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उसमें उनका काफी पैसा खर्च होता है, आदि-आदि।

श्री ए.सी. जोस: दक्षिण से दिल्ली उच्चतम न्यायालय तक आने में मुवक्किलों को आने पर होने वाले खर्च पर राजसहायता प्रदान करने का सुझाव है क्योंकि उनके लिए दिल्ली आना बहुत महंगा है।

श्री अरुण जेटली: संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 130 में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे स्थानों पर खंड-पीठ स्थापित करेगा जहां ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: साढ़े पांच बजे ''आधे घंटे की चर्चा'' थी, इस चर्चा को माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य की सहमति से कल के लिए पोस्टपोन किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली: महोदय, यह अंतिम प्रश्न है, जिसके बारे में बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: माननीय मंत्री जी, न्यायिक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताइए।

श्री अरुण जेटली: यह विषय इस चर्चा से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

वह विचाराधीन अलग मामला है। अनुच्छेद 130 में यह कहा गया है कि:

''उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर नियत करे।''

[श्री अरुण जेटली]

इस प्रकार, मूल संविधान में से यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली या अन्य ऐसे स्थानों पर अधिविष्ट होगा जिसका निर्णय राष्ट्रपति अर्थात् भारत सरकार की सहमति से मुख्य न्यायाधीश करें। अतः, मुख्य न्यायाधीश को शुरुआत करनी होगी, सरकार को अनुमोदन करना पड़ेगा, जबकि इसके विपरीत सरकार उच्चतम न्यायालय को यह लिखती रही है कि अब हम यह महसूस करते हैं कि खंड-पीठ स्थापित किए जाने के संबंध में विचार किया जाये। परंतु हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि वह यह महसूस करती है कि इस विशेष खंडपीठ की स्थापना का समय अभी नहीं आया है और यह मुद्दा अनसुलझा रह गया जिसमें एक और सरकार-क्योंकि स्थायी समिति ने भी यह विचार अभिव्यक्त किया है-और दूसरी ओर न्यायालय की अलग-अलग धारणा है।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन का सभी पक्षों ने स्वागत किया है। वास्तव में, इसका उद्देश्य मामले की सुनवाई में शीघ्रता लाना है, किसी भी मामले के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय को न्यूनतम करना है और जहां तक मुकदमेबाजी का संबंध है, हम इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ एक यह कदम भी उठा रहे हैं।

मैं सभा से, यह विधेयक स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में और संशोधन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब यह सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 16 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 11 अर्थात् बीमा-अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेंगे।

अपराह्न 5.35 बजे

बीमा (संशोधन) विधयेक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, श्री यशवंत सिन्हा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बीमा-अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस सम्माननीय सभा को स्मरण होगा कि माननीय वित्त मंत्री ने 16 अगस्त, 2001 को इस सभा में बीमा (संशोधन) विधेयक 2001 पुरःस्थापित किया था। इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचारार्थ और माननीय अध्यक्ष की रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। स्थायी समिति ने विधेयक पर विचार दिया और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि समिति ने बिना किसी संशोधन के संसद द्वारा यह विधेयक अधिनियमित करने की अनुमति प्रदान की है।

आरंभ में, मैं विधेयक में सन्निहित तत्वों का ब्यौरा देने से पूर्व गत समय की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दूंगा। संसद ने दिसम्बर, 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 पारित किया था और विधिक-प्राधिकरण की स्थापना के साथ अप्रैल, 2000 से इसे लागू किया गया था। इस प्राधिकरण ने बीमा उद्योग के कार्यसंचालन के सभी मुख्य क्षेत्रों और इससे संबंधित सभी मामलों में विनियम बनाये हैं। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियम जिन्हें सभा में पहले ही रखा जा चुका है, बीमांककों की नियुक्ति, बीमा एजेंटों को लाइसेंस प्रदान करना, बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण, परिसंपत्तियां और शोधन क्षमता-मार्जिन, पुनर्बीमाकरण, निवेश, ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के

प्रति बीमाकर्त्ताओं के दायित्व, वित्त विवरण और रिपोर्ट इत्यादि तैयार करना शामिल है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 15 अगस्त, 2000 से नई भारतीय बीमा कंपनियों से आवेदन मंगाने शुरू कर दिये हैं। अभी तक 17 नई निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और उन सभी ने अपना काम शुरू कर दिया है।

सभा यह स्मरण करना चाहती है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 तथा साधारण बीा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने संबंधी तीन अनुसूचियां शामिल थीं। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने से राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के बीमा कारोबार करने के अनन्य विशेषाधिकार समाप्त हो गए। बीमा अधिनियम में संशोधन करने के माध्यम से केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय बीमा कंपनियों को ही भारत में बीमा कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गई है। बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मल्होत्रा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश की सिफारिशें की थी। हमने इस मामले पर विचार किया है और बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने के प्रस्तावों में बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रावधान किए गए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि बीमा क्षेत्र में सरकारी समितियों के प्रवेश से बीमा कवरेज में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, वृद्धि हो सकेगी।

वी. वि. और वि. प्रा. अधिनियम, 1999 में बीमा मध्यस्थों को मान्यता प्रदान की गई है। तथापि बीमा अधिनियम, 1938 में मध्यस्थों को कोई कमीशन पारिश्रमिक अथवा फीस आदि की अदायगी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: यह आवश्यक है कि बीमा अधिनियम में इस संबंध में उचित प्रावधान किए जाएं।

बीमा अधिनियम में किए गए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, बीमा प्रीमियम का भुगतान नकद अथवा चैक द्वारा किया जाना चाहिए। बीमा प्रीमियम का भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इन्टरनेट के माध्यम से लेनदेन आदि के जरिए किए जाने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है। अत: यह प्रस्ताव है कि बीमा अधिनियम के संगत प्रावधान में संशोधन किया जाए ताकि आई आर डी ए को विनियमों के जरिए प्रीमियम की अदायगी हेतु अन्य माध्यमों को विनिर्दिष्ट करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

बीमा अधिनियम में अपेक्षित उपर्युक्त संशोधनों के अतिरिक्त आई आर डी ए द्वारा यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई है कि खुले बीमा क्षेत्र के सुचारू कार्यकरण हेतु बीमा अधिनियम में कतिपय और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अत: इस विधेयक-बीमा (संशोधन) विधेयक, 2001 में ऐसे आनुषंगिक संशोधनों का उल्लेख किया गया है जो बी.वि. और वि.प्रा. अधिनियम के आनुषंगिक है और इन से बीमा क्षेत्र का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित हो सकेगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, स्थायी समिति ने इस विधेयक की बारीकी से जांच की है और इस विधेयक में उल्लिखित प्रावधानों को बिना किसी संशोधन के अनुमोदित किया है। मैंने समिति द्वारा बीमा एजेन्टों और बीमा मध्यस्थों के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी नोट कर लिया है। आई आर डी ए ने एजेन्टों के बारे में आवश्यक विनियमों को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है। शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण आदि संबंधी प्रावधान मौजूदा एजेन्टों पर लागू नहीं किए गए हैं, आई.आर.डी.ए. द्वारा बीमा मध्यस्थों संबंधी विनियम अधिसूचित किये जाने बाकी हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिश को आई आर डी ए को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मैं इस माननीय सभा से यह अनुरोध करूंगा कि बीमा (संशोधन) विधेयक को पारित किए जाने हेतु विचार किया जाए। मैं विधेयक पर विचार किए जाने के दौरान विधेयक की विषय वस्तु संबंधी आवश्यक स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से यह अनुमति चाहता हूं कि बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मंत्री महोदय ने कुछ ही मिनट पहले बीमा संशोधन विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया है। महोदय बीमा और इसके सहवर्ती सुधारों पर शुरू से ही किसी न किसी तरह का विवाद रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग इससे जुड़ा हुआ है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं बशर्ते कि ऐसे साढ़े सात लाख अभिकर्त्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए जो वर्षों से इस क्षेत्र से अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अभिकर्ताओं के मन में भय और आशंका है। मैं जानता हूं कि विधेयक पारिणामिक प्रकृति का है। तथापि, सरकार को इस विधेयक के कारण उत्पन्न हो रहे भय और आशंका को दूर करना चाहिए। ये अभिकर्ता वास्तव में इस भ्रांति से व्याकुल हैं कि इस विधेयक के माध्यम से कॉरपोरेट एजेंटों द्वारा उनके क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसा करके कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिसके अनुसार उन बीमा माध्यस्थों को कमीशन और फीस का भुगतान करना होगा। महोदय, कॉरपोरेट ब्रोकर चैनल की अनुमति है। ब्रोकर्स, जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता और माध्यस्थतम इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे इन्हीं कारणों से यह उत्तेजना उत्पन्न हुई है।

महोदय, इस विधेयक में दिए गए पारिभाषित शब्दावली अन्तरों को जानने के लिए सूक्ष्म दूरदृष्टि की आवश्यकता है। महोदय, हम बहुत पहले से ही इस अवधारणा के आदी हैं कि अभिकर्त्ताओं को बीमा कम्पनी के कर्मचारी माना जाए जिन्हें कुछ शर्तों के अंतर्गत कमीशन और फीस दी जानी है। अत: अभिकर्त्ताओं में सुरक्षा की भावना जागी है लेकिन अब बीमा माध्यस्थों के विभिन्न नामावलियों के साथ कॉरपोरेट एजेंट इस क्षेत्र में आ रहे हैं जिसकी वजह से आम अभिकर्त्ताओं में भ्रांति उत्पन्न हो रही है। महोदय, इस विधेयक का खण्ड 10 इस प्रकार से पठित है:

मूल अधिनियम की धारा 42क में, उपधारा (8) के पश्चात, अंत में निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी। अर्थात्:-

> "(9) कोई बीमाकर्ता, बीमा (संशोधन) अधिनियम 2001 के प्रारंभ पर था उसके पश्चात् किसी प्रधान अभिकर्त्ता, मुख्य अभिकर्ता या विशेष अभिकर्त्ता को नियुक्त नहीं करेगा या उसके माध्यम से भारत में कोई बीमा कारबार नहीं करेगा।"

इसका अभिप्राय यह है कि इन प्रबंधकीय अभिकर्त्ताओं को हटाना होगा। हम जानते हैं कि ऐसा कहा गया है कि विधेयक ने मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को अपना लिया है। मल्होत्रा समिति का गठन इसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बीमा क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था जिस प्रकार नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए किया गया था।

मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के अनुसार इसकी उत्पादकता में वृद्धि करके, लेन-देन संबंधी लागतों में कमी करके और ग्राहकों को और अधिक विकल्प प्रदान करके इसे और अधिक गतिशील बनाया जाना था।

महोदय, हम जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज के अनुरूप सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में ढांचागत सुधार आरम्भ किए हैं, लेकिन मेरे विचार से यह एक उपयुक्त समय है जब हमें सुधारों के पश्चात सफलता के संबंध में अन्तरावलोकन करना चाहिए। संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पहले से ही स्थापना की जा चुकी है। हमें अमरीका के उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को नहीं भूलना चाहिए कि बीमा एक ऐसा कारबार है जो जनहित से जुड़ा हुआ है। नियामक को न केवल कंपनियों के हित पर विचार करना होता है बल्कि उसे अन्य सामाजिक उद्देश्य भी देखने होते हैं क्योंकि सिद्धांतत: नियामक और सरकार में अन्तर होता है और व्यवहार में यह अन्तर स्पष्ट दिखाई नहीं देता।

जहां तक बीमा कवरेज का प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में सुधार किए जाने के पश्चात् हमारा निष्पादन और हमारी सफलता बहुत ही निराशाजनक है। सिंगापुर में 45 से 50 प्रतिशत जनसंख्या को बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है। अमरीका में 80 से 85 प्रतिशत जनसंख्या को बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है। जापान में शत प्रतिशत आबादी बीमे के अंतर्गत कवर की गयी है। तथापि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बीमा कवरेज की व्यापक संभावनाएं हैं और ऐसा अनुमान है कि इस बीमा क्षेत्र द्वारा 400 मिलियन रुपये इकट्ठे किए जा सकते हैं।

महोदय, प्रीमियम की दृष्टि से जीवन भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अपने न्यूनतम स्तर पर है।

यह लगभग 1.7 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच झूल रहा है। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया में यह 12.3 प्रतिशत है। भारत का विश्व में कुल कारोबार की दृष्टि से 23वां स्थान है। जहां तक बीमा घनत्व का प्रश्न है भारत का विश्व में 82वां स्थान है और जहां तक लोगों के बीमा कारोबार के अंतर्गत कवर होने का प्रश्न है, इस संबंध में भारत का विश्व में 51वां स्थान है। गैर जीवन क्षेत्र में भी बीमा कारोबार ने बहुत धीमी वृद्धि दर्ज की है।

महोदय, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से देखा जा सकता है, 12 नई कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और उनमें से कुछ कंपनियों ने, न कि सभी ने पहले से ही बीमा कारोबार शुरू कर दिया है। इन 12 नई निजी कंपनियों में से सभी कंपनियां बीमा कारोबार करने में रुच नहीं रखती। लेकिन फिर भी सरकार प्रत्येक सत्र में बीमा कारोबार के संबंध में संशोधन विधेयक लाती है। लेकिन मैं बीमा क्षेत्र विशेषकर जीवन बीमा निगम को बधाई देता हूं जिसने स्थिति का साहसपूर्ण सामना किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु स्वयं को तैयार किया है। वर्तमान समय में भारतीय जीवन बीमा निगम की 2048 शाखाएं वांछित सेवाएं प्रदान कर रही है जिनमें आन लाइन तथा आफ लाइन सेवाएं भी शामिल हैं।

महोदय, इतना कहने के पश्चात्, मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि उसने सहकारी समितियों के मामले में एक विवेकपूर्ण कदम उठाया है। उन्हें अब बीमाकर्ता का दर्जा दिया जा रहा है। अब सहकारी समितियां भी इसी तरह से अपना कारोबार कर सकेंगी जैसाकि निगमित कंपनियां कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने भारत में समान दृष्टिकोण अपनाया है। सभी विनियामक अलग हैं और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार के प्रवेश करने का प्रश्न है, यह स्थिति वस्तुत: निराशाजनक है। अब सहकारी समितियों को भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और पांच लाख से भी अधिक सहकारी समितियों की सहायता से, जो अब बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगी, हमारे देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमा के दायरे में लाया जा सकेगा।

महोदय, मैं इस अवसर पर कुछ बातों को उजागर करना चाहूंगा। भारत में लोग बहुत बड़ी धनराशि स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग छ: प्रतिशत व्यय हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य बीमा कवरेज काफी कम है।

जहां तक टेलीफोन विनियमन का संबंध है, अलाभकारी क्षेत्रों में सेवा करने के विनियम बनाए गए हैं। एयरलाइन्स के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। अन्य मामलों में भी ऐसे ही विनियम बनाए गए हैं।

अत: मैं स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि निजी बीमाकर्त्ताओं के लिए भारत के आम आदमी तक स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान करना अनिवार्य बनाया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं केवल समृद्ध लोगों को ही सुलभ हैं। तदनुसार मेडीक्लेम योजना का लाभ भी हमारे समाज के समृद्ध वर्ग को ही मिल रहा है। मेडीक्लेम सेवाओं के अन्तर्गत केवल गृहोपचर्या को ही शामिल किया गया है। अत: इस क्षेत्र पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, कृषि क्षेत्र की भी ऐसी ही स्थिति है। कृषि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है। यह क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अत: इस क्षेत्र को भी बीमा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे पास इस विधेयक का विरोध करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है। तथापि मैं इस संबंध में स्थायी समिति की चंद पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा। स्थायी समिति ने कहा था: ''बीमा मध्यस्थों को विशेष रक्षोपायों और जांच पड़ताल सहित दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।''

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस बात पर विचार करें क्योंकि 7.5 लाख एजेन्टों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस समाज की अवधारणा से भलीभांति परिचित हैं जो हमें यह सिखाती है कि 'प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए'।

महोदय, अलघ समिति ने सहकारी क्षेत्र को कंपनी का दर्जा प्रदान करने की पहले ही सिफारिश कर दी थी। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सहकारी की अवधारणा का महत्व कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय सभापति जी, आज संसद के स्वर्ण जयन्ती उत्सव का छः बजे शुभारम्भ हो रहा है, इसलिए हाउस छः बजे एडजर्न हो जायेगा।

महोदय, इंश्योरेन्स सैक्टर में गतिशीलता लाने के लिए संसद के द्वारा सरकार ने जो कार्य प्रारम्भ किया था, मैं मानता हूं यह उसमें एक अगला कदम है। प्रतिस्पर्धा से निसंदेह कुल आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। मैं कुछ आंकड़े देखने का प्रयत्न कर रहा था। दो साल पहले इसी संसद में हम चर्चा कर रहे थे कि लाइफ इंश्योरेन्स के क्षेत्र में हमें प्राइवेट कम्पनियों को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तब अनेक सदस्यों ने शंकाएं व्यक्त की तीं। हमने इस क्षेत्र में प्राइवेट कम्पनियों को इन्वाइट किया और लगभग 18 कम्पनियों ने अपनी एप्लीकेंशंस दीं और कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट्स लांच कीं। मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि एल.आई.सी. ग्रोथ जो पिछले 25-30 सालों में केवल 15-16 प्रतिशत थी, वह प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के कारण वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में 63 प्रतिशत तक आ गई है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कम्पिटीशन और लिबरेलाइजेशन एंड ओपनिंग ऑफ इकोनोमी का हमें फायदा हो रहा है। कभी-कभी शंका उत्पन्न होती है लेकिन यहां दिखाई दे रहा है कि इसका फायदा न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है, लेकिन सरकारी कंपनियां भी अधिक कार्यक्षम बन रही हैं।

सभापति महोदय: किरीट सोमैया जी का भाषण जारी रहेगा।

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार, 14 मई, 2002 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 मई, 2002/24 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.25.36/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।